राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 5

शुक्रवार,

02 मार्च, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-64

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री अब्दुल सगीर खान।

धौलपुर जिले के वन क्षेत्रों की सुरक्षा

65. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में 27,173 हैक्टेयर वन क्षेत्र है और उक्त में हजारों वन्य जीव व परिंदें हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मात्र 96 कर्मचारी कार्यरत हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि कर्मचारियों की कमी के चलते वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कटान, अवैध खनन की रोकथाम व वन्य जीवों की सही तरीके से देखभाल नहीं हो पा रही है?

(4) क्या सरकार उक्त जिले के वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु शीघ्र नये कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जिले में वन्य जीव क्षेत्र के सीमांकन के लिए सरकार की ओर से कोई राशि आबंटित नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री) (श्रीमती बीना काक (वन मंत्री) के स्थान पर): (1) जी नहीं। धौलपुर जिले में कुल 63,838.576 हैक्टेयर वन क्षेत्र है जिसमें वन्य जीव/परिंदे विचरण करते हैं।

(2) जी नहीं। वन मण्डल, धौलपुर के वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु अधिकारी/कर्मचारियों के कुल 187 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध वर्तमान में 152 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

(3) जी हां। फील्ड स्टाफ की कमी के कारण वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कटान, अवैध खनन की रोकथाम व वन्य जीवों की देखभाल करने में कुछ कठिनाई तो आती ही है।

(4) वन विभाग में वर्ष 2010-11 में 218 एवं 2011-12 में 783, कुल पद 1001 वन रक्षकों की भर्ती की गई है, जिनमें से सात को धौलपुर जिले में पदस्थापित किया गया है। शेष रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) वन मण्डल में वन्य जीव क्षेत्र के लिए अलग से सीमांकन हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है परन्तु वन क्षेत्र के सीमांकन स्तम्भ (बाउंडरी पिलर) बनाने हेतु वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक आबंटित राशि एवं बनाये गये बाउंडरी पिलर्स का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं यह पूछना चाहूंगा कि धौलपुर जिले में चार विधान सभा क्षेत्र हैं, बाड़ी, राजाखेड़ा, धौलपुर और बसेड़ी, तो नम्बर एक, कृपया यह बतायें कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितना-कितना हैक्टेयर वन क्षेत्र आता है? प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र वाइज कितना-कितना वहां पर स्टाफ है? नम्बर दो। नम्बर तीन, वहां पर किस तरह के वन्य जीव, परिंदे प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पाये जाते हैं? नम्बर चार, धौलपुर विधान सभा क्षेत्र, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र, राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र और बाड़ी विधान सभा क्षेत्र, वहां पर अतिक्रमण के पिछले छह महीनों में कितने केसेज आये हैं, अवैध कटान के कितने केसेज आये, अवैध खनन के कितने केसेज आये हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई?

नेक्स्ट। 2010-11 में आपने भर्ती की बात की है। मैं पूछना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितना स्टाफ है? क्या राज्य सरकार के वन क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर में कितना स्टाफ होना चाहिए, इसके कोई पैरामीटर हैं कि

(श्री अब्दुल सगीर खां)

इतने हैक्टेयर में देखभाल करने के लिए मिनिमम इतने कर्मचारी होने चाहिए? वह वन क्षेत्र को मेंटेन करने के लिए क्या पालिसी है, क्या मापदण्ड है, वह बताने की कृपा करें। और जो सीमांकन किया गया है और उस पर जो आपने खर्चे की बात कही है, क्या जिलेवाइज आपकी कोई नीति है कि प्रत्येक जिले में या प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जहां भी ये वन क्षेत्र आते हैं, कितने पिलर्स बनाने चाहिए, कितना सीमांकन हमें करना चाहिए? जिले में तो आप अलाट करते नहीं हैं, कृपया उस नीति को भी बताने की कृपा करें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने धौलपुर जिले का कुल वन क्षेत्र पूछा, आपको मैंने अपने जवाब में बताया है। आप पूछ रहे हैं विधान सभा क्षेत्रवार, आपने विधान सभा क्षेत्रवार नहीं पूछा था, आपने पूरे जिले का पूछा था जो मैंने आपको बता दिया कि कितना स्टाफ है पूरे जिले में वन मण्डल का। वह भी मैंने आपको जानकारी दे दी। प्लीज। वह भी जानकारी मैंने आपको दे दी।

दूसरा सवाल आपने पूछा, अवैध कटान और अवैध खनन के मामले में आपने पूछा, मैंने स्वीकार किया कि इस तरह के मामले हुए हैं। 2010-11 में अवैध खनन के 139 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, उनमें 25,58,200 रुपये की पेनल्टी कायम की है। अवैध कटान के 2010-11 में 58 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 3,13,851 रुपये की पेनल्टी और जुर्माना वसूल किया है। 2011-12 में अवैध खनन के 74 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें 11,15,300 रुपये की पेनल्टी वसूल की गई है और अवैध कटान के 19 प्रकरण हैं जिनमें 1,21,851 रुपये की पेनल्टी और जुर्माना वसूल किया गया है।

आप कह रहे हैं, स्टाफ की जहां तक बात है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले वर्ष ही जब सरकार आई थी, यह वन विभाग के कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो पहले रोक लगी हुई थी, उसको हटा दिया। अभी 1000-1100 के करीब भर्तियां की गई हैं, और भर्ती आपके यहां पर जो रिक्त पद हैं विभिन्न श्रेणी के, उनमें कुछ प्रमोशन से पद भरे जाने हैं। आपको पता है, माननीय सदस्य, हाई कोर्ट की, माननीय न्यायालय की इसमें रोक के बाद हमें प्रमोशन वगैरह से जो पद भरने चाहिए, वे नहीं भर पा रहे हैं। ज्योंही वह रोक हटेगी, प्रमोशन से पद भर देंगे। नई भर्ती की जहां आवश्यकता है, नीचे के वन रक्षक

(श्री परसादीलाल)

की, वह भर्ती के लिए हमने की है और पद हम भर देंगे। धौलपुर में जहां पर स्टाफ की कमी है, हम उसको किसी न किसी तरीके से, अभी जो भर्ती होगी, हमारे कुछ शेष हैं, 73 पद, उनमें से ज्यादा से ज्यादा आपके धौलपुर में लगा देंगे।

आपकी जो चिंता है, वह चिंता सही है इसकी बाउंडरी वाल वगैरह होने की, फोरेस्ट एरिया की तो हम बाउंडरी वाल करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बाउंडरी वाल नहीं करते। इसीलिए यह जो अवैध कटान और अवैध खनन हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए विभाग को और सख्ती से निर्देश देंगे, जिससे इस तरह की कार्यवाही नहीं हो।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, I am sorry to say, मंत्रीजी ने कई प्रश्नों के जवाब गोलमाल दे दिये और जवाब दिया ही नहीं। मैंने आपसे एक तो यह प्रश्न किया, मंत्रीजी, मैं जब आपसे पूरे जिले की पूछ रहा हूं तो यह सवाल पूरे जिले से सम्बन्धित है और आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि धौलपुर में कितना है, बाड़ी में कितना है, राजाखेड़ा में कितना है और बसेड़ी में कितना वर्ग हैक्टेयर है। तब ही तो मैं आपको यह इंगित कर पाऊंगा कि धौलपुर में इतना है और आपका हिस्सा इस साल कम है, बाड़ी में इतना है और इतना कम है, राजाखेड़ा में इतना हैक्टेयर है और आपका स्टाफ नहीं है। आपका उसके बारे में कोई होमवर्क नहीं है कि बाड़ी में कितना हैक्टेयर, वर्गमीटर है और राजाखेड़ा में कितना है, बसेड़ी में कितना है और धौलपुर में कितना है? जब पूरे जिले से यह सम्बन्धित है तो आप बताइये।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पेड़ की परमिशन लेते हैं, अभी, अध्यक्ष महोदय, धौलपुर के गवर्नमेंट कालेज के अन्दर 20 हरे पेड़ों की अवैध कटाई हुई। सारे चैनल्स पर यह समाचार चला...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पर आइये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। भूमिका बता रहा हूं, नहीं तो मैं ऐसे प्रश्न करूंगा, आप प्रश्न की बात करते हैं तो आप डाइरेक्ट बताइये कि क्या धौलपुर के अन्दर ऐसी घटना हुई जहां 20 हरे पेड़ों की कटाई हुई? अखबारों में समाचार छपा है, टीवी पर समाचार आया है। मैं खुद वहां पर मौके पर गया। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है कि एक

(श्री अब्दुल सगीर खां)

विधायक ने मुख्य मंत्री को भी पत्र लिखा? उसके बावजूद क्या यह सत्य है कि प्रशासन ने, कलक्टर ने उसको वहीं की वहीं दबा दिया? अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई? यह गवर्नमेंट कालेज की घटना है।

मंत्रीजी, कृपया यह बताइये, मैंने आपसे पूछा, कितने वन पक्षी हैं, आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कितने वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपकी अगर तैयारी नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम में मेरा जवाब दे दीजिये, मुझे पूरा जवाब चाहिए।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरी जो आपकी संख्या है, आप पूछ रहे हैं कि कितने वहां पर वन्य जीव हैं, पूरी सूची मैं आपको दे दूंगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नहीं, देने नहीं, यह विधान सभा की प्रोपर्टी है, +++ आप मुझे नहीं, विधान सभा में रखिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये, सुनिये, पूरी बात सुनिये। आपने कहा कि वन क्षेत्र पूरे धौलपुर में, बाड़ी में कितना है, यह इस तरह नहीं है। आपके कुल वहां पर केसरबाग अभयारण्य है, उसका क्षेत्रफल है 7476.64 हैक्टेयर; वन विहार अभयारण्य है आपका, जो धौलपुर में है, 2566.74 हैक्टेयर; रामसागर अभयारण्य है आपका, उसमें 3441.1 हैक्टेयर है; राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य है 132 वर्ग किलोमीटर लम्बाई, नदी के मध्य से दोनों ओर 1000-1000 मीटर तक है। ये आपके वहां चार अभयारण्य हैं। वहां पर इनकी सुरक्षा करने के लिए अगर और कोई कमी है, उसको निश्चित रूप से जल्दी ही विभाग को निर्देश देकर उसकी कमी की पूर्ति करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): और आपने पूछा, कितने हैं; आप कहें तो, अध्यक्ष महोदय, पूरी सूची पढ़कर सुना दूं इनको, माननीय सदस्य को।

श्री अध्यक्ष: टाइम ज्यादा लगेगा सूची...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुझे प्राप्त भी नहीं हुई है, मुझे भी नहीं दी गई।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप अनुमति दें तो मैं पूरी सूची, यह बहुत लम्बी सूची है...

श्री अध्यक्ष: यह तो आपको मिल गई होगी आपको पूरी सूची।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: ये कह रहे हैं, सूची मिली नहीं है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मेरे को यह सिर्फ जवाब, यह दो पन्ने का है; कोई सूची नहीं है, कुछ नहीं है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, मैं बता दूं आपको, सुनो आप। बाघ-टाइगर कोई नहीं है वहां। बघेरा कोई नहीं है। सियार नर 316, मादा 229, बच्चे 53, अज्ञात 141 । (व्यवधान) नोट कर रहे हैं आप? यह कुल चार सौ तीस....

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपके, मंत्रीजी, आपकी सूची के अनुसार धौलपुर में सबसे ज्यादा सियार हैं क्या?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सियार...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): एक ही शेर है जो जा चुका है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सियार और नील गाय, रोजड़ी, दोनों बराबर हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सियार है, वह रंगा हुआ है या ऐसे ही है?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह तो सगीर साहब ने देखा वहां जाकर, रंगा हुआ है, कौन सा है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, आपके पास चार्ज है, आप देखिये जाकर।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): बताऊं, पूरी सूची पढ़ूं?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जी, बिलकुल पढ़िये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मामला रंगे सियारों का है, आप बिराजो। यह आपसे सम्बन्धित नहीं है, आपसे सम्बन्धित। (व्यवधान) उप नेता महोदय ने रंगे हुए की बात की है, आप तो उनमें से...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हां, तो सरकारी बंदर कितने हुए? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मंत्रीजी, विशेष रूप से उल्लुओं का उल्लेख कर दें, कितने उल्लू हैं।

एक माननीय सदस्य: बंदर, बंदर। अध्यक्ष महोदय, बंदर कितने हैं, वह बतायें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): साहब, उल्लू की ज्यादा जरूरत नहीं, उल्लू की जरूरत ही नहीं है, एक ही उल्लू काफी है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, अभी इन्होंने बताया कि वन विभाग में भर्तियां कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मेरे प्रश्न का जवाब आ जाय, मेरा जवाब दीजिये पहले, मेरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): तो जवाब दे रहा हूं न। (व्यवधान) आपके वहां पर जरखों की संख्या है नर 34, मादा 21, बच्चे 2, अज्ञात 38, टोटल 96 ; जंगली बिल्ली 15, मादा 10, बच्चा 1, अज्ञात..., टोटल 37, (व्यवधान) मरू बिल्ली, टोटल, कोई नहीं है; मछुआरा; बिल्ली कोई नहीं है; लोमड़ी टोटल 147; मरू लोमडी कोई नहीं है; भेड़िये 69; (व्यवधान) बिल्ले 27, भालू...(व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): नहीं, यह गिनती किसने की है? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह फिगर गलत बता रहे हैं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): यह गिनती किसने की है?

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह फिगर गलत है, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में बहुत सारी डिलिवरीज हुई हैं वहां। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत फिगर बता रहे हैं, डिलिवरी बहुत हुई हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): रोजड़ा 711 (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): फिगर गलत है यह। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): डाउट है तो जाओ, गिनकर लाओ न। अगर आपको डाउट लग रहा है तो गिनकर लाओ न। अगर आपको डाउट लग रहा है कि कहीं गलत गिनती है तो जाकर गिनकर ले आओ न। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): लंगूरों की संख्या...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): खुद जाओ भी नहीं, गिनो भी नहीं और इनकी बात मान भी नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): श्रवणजी, डिलिवरी बहुत हुई है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): खुद जाओ जंगल में, गिनकर लाओ और गलती निकले तो उसको दण्डित करो। खुद जाते ही नहीं जंगल में और ऐसे ही कह रहे हैं, गलत हो रही है।

एक माननीय सदस्य: इसमें नर-मादा भी बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): जंगली मुर्गा 2...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): धौलपुर ला कालेज का बता दीजिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): घड़ियाल 49...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये, समाप्त करें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मादा 28 ...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। (व्यवधान) अगला प्रश्न, श्रीमती अनीता सिंह।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): धौलपुर ला कालेज का पता कर लें, साहब, धौलपुर ला कालेज का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछा है, मंत्रीजी। धौलपुर कालेज में तीस हरे...

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह। श्रीमती अनीता सिंह।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): पेड़ कटे हैं, उसका जवाब दीजिये, मंत्रीजी, आपने क्या कार्यवाही की?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): प्रश्न संख्या 66 । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है, हरित राजस्थान की बात करते हैं, गवर्नमेंट कालेज के अन्दर आपके बीस-बीस हरे पेड़ कट रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं खुद वहां पहुंचा हूं, मलिंगाजी पहुंचे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलें, बोलें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): हरित राजस्थान, हरित राजस्थान, पूरे राज्य में हल्ला मचा रहे हैं, खुद पेड़ कटवा रहे हैं। (व्यवधान)

नगर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

66. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र नगर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक पदस्थापित हैं? यदि नहीं, तो शिक्षकों के पद कब से रिक्त हैं और अब सरकार कब तक उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नगर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। शिक्षकों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि इन्होंने जो प्रश्न में लिखा है, मैंने लिखा है कि कितने पद रिक्त हैं विषयवार अध्यापकों के और इन्होंने 'जी नहीं' दिया' है लेकिन पीछे जो इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है, उसमें रिपोर्ट के अनुसार कम से कम साठ प्रतिशत हमारे यहां पर अध्यापकों की कमी है। एक तो गलत सूचना दी है।

दूसरी बात यह है, मैंने इनसे पूछा था कि शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं उनको सरकार कब तक भर देगी, तो उन्होंने मुझे कोई उसमें आश्वासन नहीं दिया। इसमें लिख दिया कि ''....लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर..., मतलब, मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि यह उपलब्ध होने पर इनका क्या तात्पर्य है। कहां से टीचर आयेंगे, ये कोई विज्ञप्ति निकालेंगे या पदोन्नति के लिए कोई काम करेंगे? मैं यह भी कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, कि शिक्षा का अधिकार कानून यहां पास किया गया है, ऐसी परिस्थिति में उस कानून का क्या तात्पर्य रहता है, यह भी मंत्रीजी मुझे बता दें।

और मेरे प्रश्न हैं। एक तो कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल कितने प्रतिशत अध्यापक कार्यरत हैं और क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र के पदस्थापित अध्यापकों का पदस्थापन, डेपुटेशन जिले में अन्य स्थानों पर किया हुआ है?

(श्रीमती अनिता सिंह)

यदि हां, तो कितने अध्यापकों का और कहां-कहां आपने किया हुआ है? राज्य में सरकार बालिका शिक्षा के प्रति अपने आप को बेहद गंभीर बताती है। मंत्रीजी यह बतायें कि बालिका शिक्षा विद्यालयों में कितने प्रतिशत पद रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाली माननीय सदस्या ने पूछा कि यह टीचर्स कब लग जायेंगे और कहां से आयेंगे, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानाध्यापक के 2,093 पद हेतु दिनांक 7.4.11 को अर्थना आयोग को भिजवाई जा चुकी है, आयोग द्वारा उक्त पदों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है तथा माह अप्रैल-मई में परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह बता दें कि कौन सी तारीख को, महीने में और कौन से साल में यह कम्पलीट करके वहां पर अध्यापक लगा देंगे?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आर पी एस सी का मामला है, वह तो मैं कैसे बता सकता हूं।

व्याख्याता के 988 पद हेतु दिनांक 22.7.2011 को अर्थना आयोग को भिजवाई गई है, आयोग द्वारा उक्त पदों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है, अप्रैल-मई में परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अध्यापक ग्रेड-द्वितीय 11,865 पदों की परीक्षा दिसम्बर, 2011 में आयोजित हो चुकी है, परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाना शेष है। शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड के 230 पदों को भरने हेतु दिनांक 15.10.11 को आयोग में अर्थना भेजी गई थी, आयोग द्वारा उक्त पदों की परीक्षा मार्च, 2012 के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। शारीरिक शिक्षक के 1,303 पदों को भरने के लिए 15.10.11 को आयोग को अर्थना भेजी जा चुकी है तथा उक्त पदों की परीक्षा माह मार्च, 2012 के द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

दूसरा आपने पूछा, आपके विधान सभा क्षेत्र में भूगोल के कुल तीन पद स्वीकृत हैं, इनमें एक कार्यरत हैं, दो रिक्त हैं; संस्कृत के सात पद हैं, चार कार्यरत हैं, तीन रिक्त हैं, इतिहास का एक पद स्वीकृत हैं, एक पद रिक्त है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): वह खाली है, भाई, सब खाली हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): कुल इस तरीके से आपके जो विषयवार हैं, उनमें 54 पद स्वीकृत हैं, 27 कार्यरत हैं और 27 रिक्त पद हैं, कुल। वरिष्ठ अध्यापकों के 294 पद हैं स्वीकृत, 145 कार्यरत हैं, 149 भरे हुए नहीं हैं। तृतीय श्रेणी के 38 स्वीकृत हैं, 28 कार्यरत हैं, दस खाली हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी, यह उत्तर तो मेरे पास भी आ गया। मैं तो आपसे कुछ और ही पूछ रही हूं। (व्यवधान) मैं तो आपसे यह पूछ रही हूं कि इतने परसेंटेज, 60 प्रतिशत खाली हैं सारे, उनको आप कब तक भर देंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैंने आपको बता दिया कि जैसे आर पी एस सी से आयेगा रिजल्ट, भर देंगे।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): आर.पी.एस.सी. की नहीं, सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि वह अध्यापकों को लगाये स्कूलों के अन्दर। आर.पी.एस.सी. भी तो सरकार के अंडर में ही आती है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नगर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है यह, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं किसी को। केवल नगर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है, किसी और माननीय सदस्य को पूछना है तो वह अलग तरीके से उठायें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं नगर विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं जानता हूं आपके बारे में।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी, डेपुटेशन वाली जो बात मैंने पूछी है आपसे ...(व्यवधान)...

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता, केवल मूल प्रश्नकर्ता। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता। अंकित नहीं होगा। केवल मूल प्रश्नकर्ता।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजें। मंत्री महोदय, केवल मूल प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करें बस।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। यह जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूं, उसको एक बार आप दुबारा सुन लें। मैंने पूछा है कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में पदस्थापित अध्यापकों का पदस्थापन/डेपुटेशन ज़िले के अन्य स्थानों पर किया हुआ है? यदि हां, तो कितने अध्यापकों का? और कहां-कहां डेपुटेशन आपने कर रखा है? और क्या नियम हैं डेपुटेशन के?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक डेपुटेशन का प्रश्न इन्होंने पूछा है, मैं अभी राइट नाउ तो देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं इनको इसका जवाब भिजवा दूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, नगर विधान सभा क्षेत्र में 60 परसेंट की तो आपने खुद ने स्वीकार किया है कि वेकेंट हैं हमारी सीट्स और इनमें से भी कितने डेपुटेशन पर लगा रखे हैं, मंत्री महोदय, यह जानकारी नहीं है आपको। वहां पर 20 परसेंट लोग भी आज की तारीख में उपस्थित नहीं हैं। सारे लोगों को डेपुटेशन कर रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या को जो जवाब चाहिए, आप उस जवाब को दे नहीं पा रहे हैं। आप साफ-साफ जवाब दीजिए ना।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, इसके अलावा, विधान सभा क्षेत्र नगर में 27 पद जो रिक्त हैं, उनके अगेंस्ट में व्याख्याता के 12 पदों पर विद्यार्थी मित्र लगा रखे हैं; वरिष्ठ अध्यापकों के 149 पद रिक्त हैं, उनमें से 28 लगा रखे हैं। और अध्यापक तृतीय श्रेणी के 10 पद रिक्त हैं, उनमें से 5 लगा रखे हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है, अध्यक्षजी, यह जवाब बिलकुल गलत दिया है। इसके अन्दर 159 जो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल नगर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न किया, उसका जवाब मंत्रीजी ने दे दिया है। यह नगर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित था। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्लीज, कोटा का नहीं है। दिगम्बर सिंहजी को विशेष परिस्थिति में अनुमति दे दी, इसका मतलब यह नहीं है कि सबको।

प्रश्न संख्या-67

(स्थगित)

अगला प्रश्न, श्री नन्दलाल मीणा।

शराब की तस्करी की रोक हेतु नवीन आबकारी नीति

68. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नई आबकारी नीति जनवरी, 2012 में घोषित की जानी थी? यदि हां, तो घोषित नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा लगभग एक दर्जन राज्यों की आबकारी नीति का अध्ययन कर अच्छे बिन्दुओं को राज्य की आबकारी नीति में शामिल किए जाने का प्रयास किया गया था? यदि हां, तो किन-किन का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नई आबकारी नीति में तस्करी में कमी के उपाय तथा तस्करी से जुड़े स्थानीय तत्वों ने खुदरा शराब बेचने का समानान्तर तंत्र बना रखा है और वे घर जाकर डिलिवरी देने को तैयार रहते हैं? उक्त की रोकथाम के लिए इस नीति में क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) राज्य की नई आबकारी नीति नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व घोषित की जाती है। राज्य की आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए दिनांक 08 फरवरी, 2012 को घोषित की जा चुकी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(2) राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारियों के चार दल आठ राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ में प्रचलित आबकारी नियमों के संबंध में अध्ययन करने हेतु गए थे।

(3) समय-समय पर प्राप्त सूचना एवं आसूचना के आधार पर आबकारी विभाग एवं पुलिस द्वारा अवैध रूप से मंदिरा परिवहन एवं संग्रहण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। नई आबकारी एवं मद्य संयम नीति में अन्य राज्यों की मदिरा/बीयर के वाहन राज्य में से होकर गुजरने के संदर्भ में प्रभावी नियंत्रण के उपाय तथा मदिरा के अवैध कारोबार की रोकथाम हेतु मुखबिर प्रोत्साहन योजना को प्रभावी बनाने, सूचनाएं संकलित करने हेतु कंट्रोल रूम के सुदृढ़ीकरण तथा आबकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं नियमित अनुसंधान की व्यवस्था हेतु प्रावधान किया गया है। आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खण्ड-3 के जवाब में मैंने यह पूछा था कि क्या यह सही है कि नई आबकारी नीति में तस्करी में कमी के उपाय तथा तस्करी से जुडे स्थानीय तत्वों ने खुदरा शराब बेचने का समानान्तर तंत्र बना रखा है और वे घर जाकर डिलिवरी देने को तैयार रहते हैं? उक्त की रोकथाम के लिए इस नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं? मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है इसका और इन्होंने साफ लिखा है- समय-समय पर प्राप्त सूचना एवं आसूचना के आधार पर आबकारी विभाग एवं पुलिस द्वारा अवैध रूप से मंदिरा परिवहन एवं संग्रहण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन तस्करों के खिलाफ आपने वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्या कार्यवाही की? केवल कार्यवाही की जा सके, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि समाचार पत्रों में, रेडियो पर, टीवी पर, सब जगह खबर आ रही है कि हरियाणा की शराब सीकर होकर के, आपके वहां से होकर गुजर रही है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर होकर के गुजरात पहुंच रही है। तो इस सबंध में पुलिस में कितने मामले दर्ज हुए और आबकारी विभाग में कितने मामले दर्ज हुए पिछले वर्ष में?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या होम डिलिवरी होती है, मैंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अवैध शराब की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): मंशा आपकी अच्छी है लेकिन मैं यह पूछ रहा हूं कि 2010-11 और 2011-12 कितने मामले पुलिस ने पकड़े और कितने मामले आबकारी विभाग ने पकड़े हैं? मंशा से क्या होता है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं वही बता रहा हूं...

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): ...(व्यवधान)... मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर से नेशनल हाइवे नम्बर-15 पर हरियाणा निर्मित..

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता को, आप लोगों को जानकारी है ना कि माननीय मीणा साहब कितने चिंतित हैं शराब के मामले में, इसलिए मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे को भी अनुमति देना आप।

श्री अध्यक्ष: आप भी चिंतित हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है, निश्चित रूप से हरियाणा निर्मित विदेशी मदिरा का निर्गम जो है, अवैध रूप से होता रहा है। इसको प्रभावी ढंग से हम कैसे नियंत्रित करें, यह राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा, जब आप थे, तब आपकी भी थी और अब हम हैं तो हमारी भी स्पष्ट मंशा है कि हम इसको नियंत्रित करें। नियंत्रित करने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास एक्साइज, ई पी एफ और पुलिस, जब भी हमको यह लगा है कि कहीं अवैध तस्करी का निर्यात बढ़ रहा है...

श्री अध्यक्ष: आप तो स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब देकर के खतम करें। स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वही दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको प्रभावी ढंग से रोकने के लिए हमने समय-समय पर जोइंट कैम्पेन किये हैं, बार्डर एरियाज पर हमने समय-समय पर विशेष रूप से लोगों को तैनात किया है। उसके परिणाम आये हैं। आप स्वयं देखें, 2011-12 में

(श्री राजेन्द्र पारीक)

9,896 अभियोग दर्ज हुए, 7,782 लोग अरेस्ट हुए। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि जब अवैध तस्करी होती थी तब हमारी ग्रोथ 10 परसेंट थी लेकिन जब हमने इसको प्रभावी ढंग से रोका, तब हमारी आई एम एफ एल की ग्रोथ 39 परसेंट है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि हमारी पालिसी में हमने जिस तरह से इसको एक नवाचार के रूप में लागू किया। हमारी पालिसी में हमने हमारे रिटेलर जो हैं, उनको इस सिस्टम से पाबंद किया कि आप एम आर पी पर पाबंद हैं, आप अवैध शराब की तस्करी करते हुए यदि पकड़े गए अपनी दुकान में तो आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। यदि एम आर पी से ज्यादा पैसा वह चार्ज करते हैं तो पहले अभियोग पर हम उनको दस हजार रुपए पेनल्टी लगाते हैं, सेकंड यदि वे करते हैं तो पच्चीस हजार लगाते हैं, थर्ड यदि वे करते हैं तो पचास हजार लगाते हैं और उसके बाद भी यदि वह नियमित इस तरह का आदतन में रहता है तो हम उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में 76 लोगों के लाइसेंस केवल इसलिए कैंसिल किए कि उनकी दुकानों पर कीमत से ज्यादा वसूली हो रही थी और कीमत से ज्यादा वसूली जब होती है तब, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर की शराब का आयात बढ़ता है। लेकिन हमने इसको प्रभावी ढंग से रोका और रोकने का सबसे बड़ा प्रमाण यह आया कि हमारी पिछले वर्षों की जो ग्रोथ है आई एम एफ एल की, वह ग्रोथ इन्क्रीज हुई है और इन्क्रीज होने का स्पष्ट प्रमाण है कि जब बाहर का आयात जो हो रहा था उसको रोका तब हमारी यह ग्रोथ जो है इन्क्रीज हुई है।

इससे रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है और निश्चित रूप से प्रभावी ढंग से हम इसको रोकने में कामयाब हुए हैं।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बार-बार आता है और निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है, पूरे सदन के लिए चिन्ता का विषय है, अब हमने इसमें और नया सिस्टम लागू करने की कोशिश की है, हम एक्ट में प्रोविजन कर रहे हैं कि बाहर का कोई भी शराब निर्माता अपनी शराब को यदि दूसरे स्टेट में भेजना चाहेगा तो वह हमको अपना रूट बतायेगा। यदि कोई शराब यहां से महाराष्ट्र जाएगी, थ्रू राजस्थान जाएगी तो हमको उसको रूट बताना पड़ेगा। हम उसको रूट देंगे कि यदि आपको महाराष्ट्र जाना है तो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आपको इस रूट से जाना पड़ेगा यदि आपको बम्बई जाना है तो आपको इस रूट से जाना पड़ेगा यदि गुजरात जाना है तो आपको इस रूट से जाना पड़ेगा। यदि उस रूट के अलावा कहीं इधर-उधर पाया जाता है तो भले ही वह वैध हो, हम उसको नाजायज और अवैध शराब मानते हुए डिटेन करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने मुख़बिरों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2011-12 में या 2010-11 में मुख़बिरों को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान बजट में था? कितने लोगों को, किस-किस स्थान से, किन-किन लोगों को, किस-किस जिले में प्रोत्साहन राशि दी गई? कृपया उसका विवरण बतायें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 से 5 लाख रुपये तक के लोगों को हमने 15 हजार रुपये दिये, उसके बाद हमने 25 हजार किये, पचास हजार किये। अब जब हमको यह लगा कि इससे भी प्रभावी कदम नहीं उठ रहे हैं तो हमने इसमें एक नया काम और एड कर दिया। हम इनके जो वाहन सीज करते हैं, अवैध शराब में अच्छे-अच्छे वाहन भी आते हैं, कारें भी आती हैं, बड़े-बड़े ट्रक्स भी आते हैं, लक्जरी कारें भी आती हैं, अब जब हमको यह लगा कि इसमें जो हम मुखबिर को राशि उपलब्ध कराते हैं, वह प्रभावी नहीं है तो हम उसमें एक नया प्रोविजन कर रहे हैं कि जो वाहन है उसको जब हम ऑक्शन करके बेचेंगे तो उसकी अस्सी प्रतिशत कीमत उस मुखबिर को दे देंगे। यह निश्चित रूप से प्रभावी कदम होगा क्योंकि उस राशि का अमाउंट इतना बड़ा होगा, कई बार इतनी महंगी गाड़ियां आती हैं कि एक-एक गाड़ी की कीमत पांच-पांच लाख रुपये हो जाती है। यदि पांच लाख रुपये की गाड़ी का अस्सी प्रतिशत हम मुखबिर को देंगे तो वह उसके लिए एक सम्मानजनक और वास्तव में उसको लगेगा कि यह राशि उसके लिए बहुत ज्यादा है। अभी हम जो राशि उनको दे रहे हैं, उससे कहीं उनको यह लगता है कि मैं इतनी बड़ी रिस्क भी ले रहा हूं और मुझे पचास हजार ही मिले। लेकिन हम इसमें और ज्यादा कठोरतम उपाय करने की मंशा रखते हैं।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जो कंट्री लिकर है...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मुखबिरों को लाइसेंस जारी कर रखे हैं, अगर मुखबिर मंत्रियों के घर वाले ही निकले तो? आपने पहले उनको लाइसेंस दे रखे हैं मुखबिरों को?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये इनका। मूल प्रश्नकर्त्ता का जवाब आने दीजिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, कल को ये ...(व्यवधान)... मंत्रियों के परिवार वाले हैं, अस्सी प्रतिशत राशि दी जाएगी उनको।

श्री अध्यक्ष: विराजो आप तो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): पहले मुखबिरों को लाइसेंस जारी कर दीजिये कि ये मुखबिर नियुक्त हैं राज्य सरकार के, तो ठीक-ठीक डिवाइडेशन हो जाएगा।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ठीक है। खाली इनका जवाब दे दें आप।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): जो गुजरात, हरियाणा निर्मित शराब...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब आ रहा है, मूल प्रश्नकर्ता का। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ रहा है। अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: कुछ लोग चुनाव लड़ने भी तो वहीं गये थे। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर। वह ही बता रहे हैं, आप सुनो तब तो। वह ही बता रहे हैं, आप सुनो तब तो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा कारण होता है कीमत। हमने कीमत को प्रभावी नियंत्रण में रखा। मैं बार-बार एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारी ग्रोथ जो 39 प्रतिशत बढ़ी है, एकदम से नहीं बढ़ी। जब हमने बाहर की शराब जो हमारे यहां आयात होती थी, उसको हमने रोका तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हमारे जो रिटेलर हैं, वे पाबंद हुए इस बात के लिए कि अपनी शराब को ज्यादा बेचें।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूं आपसे कि सभी स्टेट्स के यदि आप आंकड़े देखें टाइमिंग्स के, तो 9 से लेकर 11 बजे तक रात का समय है लेकिन हमने विशेष रूप से सुबह 10 से 8 का समय रखा। हमने टाइम कम किया। कई स्टेट्स में 19 घंटे हैं, कई स्टेट्स में 18 घंटे हैं, कई स्टेट्स में 14 घंटे हैं लेकिन हमने टाइम कम किया। हमने 1800 दुकानें थीं, उनको कम करके 1000 दुकानें कर दीं। हमने 156 दुकानें वे बंद कीं जो रिलेक्सेशन के तहत चल रही थीं। मंदिर भी है, स्कूल भी है, उसके बावजूद चल रही थीं, हमने उनको भी बंद किया। इतना बंद करने के बाद, 800 दुकानें बंद करने के बाद, रिलेक्सेशन में जो दुकानें चल रही थीं उनको बंद करने के बाद, जो टाइम पीरियड है दुकान के खुलने का वह कम करने के बाद हमारी ग्रोथ है 39 प्रतिशत। इससे यह साबित होता है कि बाहर की शराब जो यहां पर आयात होती थी, उस पर अंकुश लगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं इस बात का कि हंड्रेड परसेंट हमने उसको रोक लिया है...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: वह आये तब बात करेंगे। वह आये तब बात की जाएगी। आपका कहां आ गया प्रश्न?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न आये तब बात करिये। अभी मूल प्रश्नकर्ता का जो मूल प्रश्न है...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: नियमों में और प्रावधान हैं उसके लिए। पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब तो आने दीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न आये तब पूछिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: आप केवल मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब दें, बस।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले उनका जवाब तो आ जाये। उन्होंने पूछ लिया क्या? आपका हो गया क्या?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): हां।

श्री अध्यक्ष: चलो, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि फरवरी, 2012 में जो आबकारी बंदोबस्त आपने जारी किया, उसमें 2012, 2013 और 2014, यानी जब इस सरकार का अस्तित्व होगा या नहीं, वहां तक का बंदोबस्त इन्होंने कर दिया। क्या यह सही है कि आप वापस कम्पीटिटिव बिडिंग करते तो डोडा पोस्त से लेकर आपको देशी-विदेशी मदिरा में सौ करोड़ से ज्यादा रुपया और मिलता? क्या यह भी सही है कि आपने इसके अन्दर, 3.4 में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसमें आप 75 लाख वार्षिक लाइसेंस फीस पर, कंपोजिट फीस पर बार लाइसेंस जारी करेंगे? यह गांधीवादी सरकार का नमूना है।

नंबर-3 आप मुझे ये बतायें...

श्री अध्यक्ष: कितने पूछे जाओगे? पहले जवाब तो आ जाने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कि 2008-09 में कितनी देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें थीं और अब आपने कितनी कीं? मेरे तीनों सवालों का जवाब बताओ। यह आरोप है ...

श्री अध्यक्ष: यह आरोप के लिए नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आखिरी सवाल है यह।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप भी विलम्ब से आये दिखते हो?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि हमने 2012-13 और 2013-14, दो साल

(श्री राजेन्द्र पारीक)

क्यों बढ़ा दिये। मैं निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, लगातार चार वर्षों तक जब आप शासन में थे तब आपने प्रति वर्ष बढ़ाये, नवीनीकरण किया चार साल तक आपने। चार साल तक लगातार नवीनीकरण किया। अब मुझ पर आप आरोप ये लगा रहे हैं कि हमने दो साल का क्यों कर दिया। हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी। आप लोगों की तरह हम जजिया कर नहीं लेते थे। हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ किया। हमको पता था, उसका कारण है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने जजिया कर वसूल किया है न? आपने जो जजिया कर वसूल किया है, वह सारे लोगों को मालूम है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हम आप लोगों की जैसे प्रति वर्ष जजिया कर नहीं लेते। (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, हमने जो किया, उसका जस्टिफिकेशन है पूरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... की आड़ में... (व्यवधान) काम आपने किया है। जिन्होंने अवैध शराब बनाई, उनको बचाने का काम आपने किया है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप सुनना नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका एक जस्टिफिकेशन था। हमने जिस तरह से बाहर की हरियाणा निर्मित शराब के आयात को प्रतिबंधित किया, हमने अपने जो रिटेलर्स हैं उनको पाबंद किया कि आप इस कीमत से ज्यादा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जवाब आने दीजिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुनिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो दो साल का किया, उसका एक जस्टिफिकेशन है। हमारे रिटेलर्स को हमने इतना पाबंदित कर दिया कि वह जो प्राइस लिखी हुई है उससे ज्यादा वह नहीं लेगा, इससे वह बंदिश में रहा। हम नहीं चाहते कि इतनी बंदिश में आकर उसकी रोजमर्रा की बिक्री इतनी कम हो जाये, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिये, हमारी यहां की शराब की कीमत को कम रखने के लिये हमने उसको यह रिलेक्सेशन दिया, अब वह पूरा निर्भय होकर अपना काम कर पायेगा। अगर वह प्रेशर में रहता; अध्यक्ष महोदय, जब आदमी को यह खतरा बना रहता है कि अगली बार वह नहीं आयेगा तो निश्चित रूप से वह ज्यादा मुनाफा कमाने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के लिये कुछ अवैध कारोबार में भी अपने आप को लिप्त करता है। तो हमारा जस्टिफिकेशन था। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने दो साल का यह लागू किया है। इससे पहले लगातार आपने चार साल का किया है। चार साल लगातार।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... चर्चा समाप्त करें। चर्चा समाप्त करें। ...(व्यवधान)... मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, कृपया चर्चा समाप्त करें। ...(व्यवधान)...

श्री बहादुर सिंह (वैर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, कृपया चर्चा समाप्त करें। बहुत हो गया। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने अलाउ नहीं किया है।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैंने अलाउ नहीं किया है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क

69. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोई फीस निर्धारित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो किस-किस ट्रेड (व्यवसाय) में कितनी-कितनी फीस निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशालय द्वारा जारी विवरणिका में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को फीस के बारे में नहीं दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (श्री रामकिशोर सैनी): (1) जी हां। राज्य में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रारंभ से ही प्रवेश हेतु फीस निर्धारित नहीं है।

(2) जी हां। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की फीस निर्धारित नहीं होने से नहीं दर्शाया गया है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मेरे दोनों प्रश्नों का जो जवाब दिया, उन दोनों ही जवाबों को देखकर मुझे लगता है कि इसके बाद सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बचती। यानी सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे सप्लीमेंटरी प्रश्न करना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? दूसरा प्रश्न, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? तीसरा प्रश्न, क्या सरकारी संस्थानों की भांति ही निजी प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश के लिये सरकारी प्रक्रिया निर्धारित करने का सरकार विचार रखती है? चौथा प्रश्न, सेल्फ-फाइनेंस स्कीम क्या होती है? पांचवां प्रश्न है, क्या बी एड की तरह काउंसिलिंग कर के आई टी आई में प्रवेश देने का सरकार विचार रखती है? लास्ट में मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगी कि एस सी, एस टी और ओ बी सी के छात्रों के लिये और बी पी एल के लिये क्या आपने इसमें कुछ पद निर्धारित कर रखे हैं ?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका स्पेसिफिक प्रश्न था फीस के निर्धारण के बारे में कि फीस का किस प्रकार निर्धारण नहीं है। आपने उसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में पूछा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान है, उनमें काउंसलिंग से ही प्रवेश दिये जाते हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मंत्री महोदय, आप गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आ जाने दीजिए पूरा।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): आपका जो प्रश्न है कि एस सी, एस टी और ओ बी सी का रिजर्वेशन रखा जाता है कि नहीं रखा

(श्री रामकिशोर सैनी)

जाता, बाकायदा जितना परसेंटेज एस सी, एस टी, ओ बी सी और महिलाओं का रहता है, उसके अनुसार ही इनका रिजर्वेशन वहां पर रखा जाता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आपने एक प्रश्न यह भी किया था कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि फीस का निर्धारण किया जाये या नहीं किया जाये, इसमें मेरा निवेदन यह है कि जितने भी हमारे आई टी आई हैं, वे 1976 से संचालित हैं। उसमें हमारे सरकारी आई टी आई भी हैं और निजी संस्थान भी हैं और एस एफ एस में हमारे जो संस्थान चल रहे हैं, वे भी हैं। अभी निर्धारण की बात के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी एजुकेशन सेंटर हैं, चाहे वह प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, किसी भी निजी संस्थान में किसी भी प्रकार का फीस का निर्धारण नहीं है। उसके कई कारण हो सकते हैं, एक तो वहां वे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, लैब्स उनके कैसे हैं, गेम्स के सामान उनके कैसे हैं, जितनी सुविधाएं वे प्रदान करते हैं उसके हिसाब से वे अपनी फीस का निर्धारण करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने यह कोशिश की है कि इस प्रकार से अलग-अलग फीस जो संस्थान लेते हैं, उनमें एकरूपता लाने के लिये यह कोशिश की जाये कि सभी संस्थान सरकारी फीस से ज्यादा या एस एफ एस में जो चल रहे हैं, उसके समकक्ष या उनसे थोड़ा ज्यादा, उनसे वार्ता करके इनकी फीस का निर्धारण कर दिया जाये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे प्रश्न किया है, निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है, पहले आप इन दो बातों का जवाब मुझे दे दें।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): अध्यक्ष महोदय, सरकारी संस्थान जो हमारे हैं उनमें एडमिशन के बारे में आपने बात की है, हम उनसे एप्लीकेशन लेते हैं और मेरिट के आधार पर काउंसलिंग करके उनको भेजते हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का बताये आप।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): निजी संस्थानों में भी स्थिति यह है कि निजी संस्थानों को हम ...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्री महोदय, या तो आपको पता नहीं है कि किस तरह से प्रवेश दिया जाता है...

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): कैसे पता नहीं है? बता रहा हूं आपको। जवाब तो सुनें आप।

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आ जाने दीजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, ये जवाब ही गलत दे रहे हैं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): कैसे गलत जवाब है? जवाब तो सुनें आप एक बार। हमारे निजी संस्थानों को यह छूट दी जाती है कि आप एक बार इसमें अपने स्टूडेंट भर लें, उसके बाद अनुमोदन हम कर देते हैं। उसके बाद भी यदि कोई वैकेंसीज रहती हैं तो हमारे पास जो सरकारी बच्चे होते हैं, उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही सारे संस्थानों में प्रवेश दिये जाते हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मैं आपसे पूछ रही हूं कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है, आप जवाब दे रहे हैं कि हम परमिशन देते हैं। आप किस आधार पर परमिशन देते हैं? क्या आपने कोई दायरा फिक्स कर रखा है कि इस आधार पर हम परमिशन देंगे? दूसरा मैंने मंत्रीजी से पूछा कि सेल्फ-फाइनेंस स्कीम क्या होती है? इसका मुझे जवाब दे दें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरे भी इससे संबंधित दो प्रश्न है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): सेल्फ-फाइनेंस स्कीम में जो हमने कोर्सेज दिये हैं, उसके अलावा वे कोई कोर्सेज चलाना चाहते हैं, उसको हम परमिट करते हैं, वह सेल्फ-फाइनेंस स्कीम है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, वे पूछ रही हैं कि सेल्फ-फाइनेंस स्कीम क्या है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आपको यह मालूम नहीं है, आप मुझे जवाब दे रहे हैं। आप एकदम गलत जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है। आप जवाब क्या दे रहे हैं मुझको?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या यह पूछ रही है कि सेल्फ-फाइनेंस स्कीम क्या है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): स्व-वित्तपोषित स्कीम, यह है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को पता ही नहीं है। (व्यवधान) उनको खुद को पता नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनसे यह पूछिए कि इस मंत्रालय की मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप? इनको यह मालूम नहीं है कि इस स्कीम का मतलब क्या होता है। क्या जवाब दे रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, जवाब दे रहे हैं। जवाब, रहे हैं, कृपया सुनिये। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): स्कीम का क्या मतलब होता है, क्या जवाब दे रहे हैं यह? (व्यवधान) पहले हमारे माइक आन करवाइये।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, सुनिये। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए, जवाब सुनिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपके प्रश्न का जवाब दिला रहा हूं। जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): सेल्फ-फाइनेंस स्कीम के बारे में आपने पूछा है, जिन कोर्सेज को सरकारी मान्यता नहीं होती है, उसके अलावा वे इन्स्टीट्यूट में चलाता है, ट्रेडस को चलाता है, उसमें सेल्फ-फाइनेंस स्कीम में ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण जी सराफ। (व्यवधान)

मुहाना एवं चौमूं (जयपुर) फल-सब्जी मण्डी के पैक हाउस के निर्माण पर व्यय राशि

70. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की योजना नाबार्ड एवं डी एम आई के तहत फल सब्जी को पकाने एवं सुरक्षित रखने हेतु फल, सब्जी मण्डी मुहाना एवं चौमूं जिला जयपुर में पैक हाउस बनाया गया है? यदि हां, तो उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पैक हाउस गत दो वर्षों से बंद कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मुहाना मण्डी जयपुर में कोल्ड स्टोरेज है? यदि हां, तो इसका संचालन निजी फर्म द्वारा किन शर्तों पर किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है, माननीय मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): (1) जी नहीं। फल, सब्जी को पकाने एवं सुरक्षित रखने हेतु फल, सब्जी मण्डी मुहाना एवं कृषि उपज मण्डी समिति, चौमूं के सब यार्ड आंवला मण्डी, जिला जयपुर में केन्द्र सरकार की योजना नाबार्ड एवं डी एम आई के तहत नहीं, अपितु कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार (एपीडा) द्वारा वित्तीय अनुदान एवं बोर्ड अंशदान से पैक हाउस बनाये गये हैं। मुहाना पैक हाउस पर रुपये 379.52 लाख एवं चौमूं पैक हाउस पर राशि रुपये 373.50 लाख का व्यय हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। केवल माननीय कृषि विपणन मंत्रीजी

(श्री अध्यक्ष)

को अलाउ किया है। कोई माननीय सदस्य व्यवधान पैदा नहीं करें। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान पैदा नहीं करें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): (2) उक्त दोनों पैक हाउस मैसर्स मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 17.8.2009 से 15.5.2010 तक संचालन हेतु अनुबंध पर दिये गये थे । (व्यवधान) इसके पश्चात् इन्हें लीज पर देने हेतु क्रमशः दिनांक 12.07.2010, 09.09.2010, 23.02.2011 एवं 19.09.2011 को निविदाएं आमंत्रित की गईं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुन रहा है, आपको। क्यों नहीं सुन रहा है? कान में लगा लो। (व्यवधान) आवाज साफ आ रही है। (व्यवधान) आप व्यवधान पैदा करेंगे तो कैसे सुनेंगे? (व्यवधान) आप व्यवधान पैदा करेंगे तो किसी को सुनने नहीं दोगे। (व्यवधान)

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): पैक हाउस मुहाना के लिए किसी के द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक 23.02.2011 को प्राप्त निविदाओं में चौमूं पैक हाउस के लिए मैसर्स भानू प्रोपर्टीज लिमिटेड, कोलकत्ता के पक्ष में 40 हजार रुपये प्रति माह की निविदा स्वीकृत की गई थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): आवेदक द्वारा संचालन हेतु अनुबंध नहीं करने पर धरोहर राशि रुपये 25,000 जब्त की गई। पुनः लीज पर दिये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जो दिनांक 15.03.2012 तक प्राप्त कर खोली जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप व्यवधान पैदा करेंगे तो कहां से आवाज आएगी?

(श्री अध्यक्ष)

समय समाप्त होने के करीब है, सप्लीमेंटरी पूछने का अवसर देने दीजिए माननीय सदस्य को व्यवधान नहीं होगा तब आवाज आएगी ना। (व्यवधान)

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): (3) जी नहीं। मुहाना मण्डी परिसर में पृथक से कोई कोल्ड स्टोरेज बोर्ड द्वारा निर्मित नहीं किया गया है अपितु पैक हाउस में ही 40-40 मै. टन के तीन कोल्ड स्टोरेज चैम्बर बने हुए हैं। इन कोल्ड स्टोरेज चैम्बरों को अलग से संचालन हेतु किसी फर्म को नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

पैक हाउस मुहाना दिनांक 07.08.2009 से 15.05.2010 तक की अवधि के लिए लीज पर दिया गया था। अनुबंध की शर्तें परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं। (व्यवधान)

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: आप अगर शांति रखेंगे तो जवाब आ पाएगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा कि मुहाना पैक हाउस में 379.52 लाख रुपये...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: शांति रखिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और चौमूं पैक हाउस पर 373.50 लाख रुपये खर्च किये। टोटल आपने सात करोड़ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च किये। फिर आपने कहा कि निजी कम्पनी को हमने टेंडर इन्वाइट किये। चार बार टेंडर इन्वाइट कर दिये, अभी तक कोई नहीं आ रहा । साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च किये हैं। तो यह कोई बनिये की दुकान तो है नहीं। किसानों के हित के लिए कृषि विपणन बोर्ड या मंडी समिति है वह इसको क्यों नहीं संचालित करती? साढ़े सात करोड़ रुपये लग गये और वह दो साल से बंद पड़ा है। यही नहीं, आप कह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये ना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): या तो कृषि विपणन बोर्ड चलाये या मण्डी समिति चलाये। इसके बारे में क्या विचार है, क्या योजना है; वह बताइये। (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डी समिति या बोर्ड चलाये, जैसा माननीय सदस्य ने कहा; न तो मण्डी समिति के पास, न बोर्ड के पास ...(व्यवधान)... वह चलाने लाने वाले प्रशिक्षित आदमी हैं। इसका पहले से ही यह तय हुआ है कि पीपीपी मोड पर ही चलाया जाए। निविदाएं मांगी हैं, आई हैं व और मांगेंगे, जैसे ही वे आएंगी उनको चलाया जाएगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च किये, यह क्या ताली बजा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कृषि उपज मण्डी नहीं चला सकती इसलिए ताली बजा रहे हैं। (व्यवधान) साढ़े सात करोड़ रुपये सरकार के लगे हैं, जनता के लगे है, जनता का पैसा लगा है और वे संचालित नहीं हैं। किसानों को उनका कोई फायदा नहीं मिल रहा है । (व्यवधान) आप कह रहे हैं, नहीं चला सकते, कमाल हो गया। यह क्या जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): यह पैक हाउसेज हैं, जब शुरू किये थे, जिस वक्त शुरू हुये, पिछली सरकार के समय हुए थे, उस वक्त का...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):किसी ने भी चालू किये पर ...(व्यवधान)...साढ़े सात करोड़ रुपये लगे हैं, इनका उपयोग होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): एक मिनट बात सुन लें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): किसानों के हित में उपयोग होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): उस वक्त जिस मोड पर शुरू किये थे, उसी पर हम चल रहे हैं। (व्यवधान) अगर आपके पास इनको चलाने का कोई सुझाव है तो दे दीजिए। उस पर भी गौर कर लेंगे। क्या बात है? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्यों नहीं चलाया? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुहाना, चौमूं का प्रश्न है, आप क्या पूछ रहे हैं? (व्यवधान) यह प्रश्न ही अलग है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपसे सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न केवल मुहाना कृषि विपणन से संम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न ही अलग है। (व्यवधान)

रणजी ट्राफी विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

71. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रिकेट टीम ने गत दो वर्षों से लगातार रणजी ट्राफी टूर्नामेंट जीता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा गत दो वर्षों में राजस्थान क्रिकेट टीम को रणजी ट्राफी जीतने पर क्या-क्या प्रोजेक्ट राशि, धन, मकान, नौकरी अथवा सम्मान देने की घोषणा कब-कब की गई?

(2) क्या उक्त घोषणाओं के अनुरूप समस्त सुविधायें प्रोजेक्ट राशि आदि प्रदान कर दी गई हैं? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों? राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दो बार लगातार जीतने के बावजूद प्रथम विजय पर प्रदेश सरकार की घोषणाओं की पालना नहीं होने के लिए किसकी जवाबदेहिता है? क्या उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री मांगीलाल गरासिया) (1) जी हां। राजस्थान क्रिकेट टीम द्वारा रणजी ट्राफी टूर्नामेंट वर्ष 2011 जीतने पर 15 सदस्यीय टीम, मैनेजर एवं प्रशिक्षक को सम्मान स्वरूप 1.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2012 में रणजी ट्राफी टूर्नामेंट जीतने वाली राजस्थान क्रिकेट टीम को 1.11 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।

(2) क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरस्कार राजस्थान क्रिकेट संघ का सहयोग लेकर राशि का निर्धारण कर दिनांक 24.02.2012 को चैक जारी कर दिये गये हैं। वर्ष 2012 में रणजी ट्राफी टूर्नामेंट जीतने वाली राजस्थान क्रिकेट टीम के सदस्यों को राशि स्वीकृत करने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से जानकारी चाही थी कि क्या यह सही है कि राजस्थान टीम ने रणजी ट्राफी टूर्नामेंट लगातार जीता है, यदि हां तो सरकार द्वारा गत दो वर्षों में राजस्थान क्रिकेट टीम को रणजी ट्राफी जीतने पर क्या-क्या प्रोजेक्ट राशि, धन मकान, नौकरी अथवा सम्मान देने की घोषणा की ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे को यह जवाब दिया है कि राजस्थान क्रिकेट टीम द्वारा रणजी ट्राफी वर्ष 2011 में जीतने वाली 15 सदस्यीय टीम को एक करोड़ रुपये दिये। मैं यह जानकारी मंत्री महोदय से चाहती हूं कि यह एक करोड़ रुपये कब दिये और कौनसी तारीख को दिये? (व्यवधान) इन्होंने इसका हवाला नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहती हूं, यह तो देवें कम से कम। यह आपके सामने पड़ा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न था, क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरस्कार राजस्थान क्रिकेट संघ का सहयोग लेकर राशि का निर्धारण कर दिनांक 24/2 को जारी किया गया। 24/2 को क्यों जारी किया गया? जब यह पहले ट्राफी जीत ली थी, तब भी कुछ नहीं दिया। अब 24/2 को क्यों दिया? कम से कम यह स्पष्ट तो करें। (व्यवधान) उन अधिकारियों के खिलाफ ये क्या कार्यवाही करेंगे, यह मेरे को पहले बतायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, रणजी चैम्पियनशिप में राजस्थान के हमारे खिलाड़ियों ने 34 वर्षों का रिकार्ड कायम करके 2011-12 में रणजी चैम्पियनशिप के रूप में राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप यह तो बताओ ना, कौनसी तारीख? यह बताओ ना। मैं तो आपसे तारीख जानना चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती हूं। पहले आपने डिले क्यों किया इनको? आप यह बताइये।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): वही बता रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): दो बातों का ही जवाब दो ना, यह क्यों कर रहे हो?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): 34 वर्षों का रिकार्ड कायम किया और प्रथम पुरस्कार के रूप में हमने एक करोड़ रुपये 11-12 में कर दिये और 24 तारीख को चैक वितरण कर दिये। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): 11-12 में कर दिये तो पहले वाले क्यों नहीं किये? यह बताइये मेरे को तो। अब 11-12 में क्यों? पहले वाले जीते, उसका क्या हुआ? यह बताओ। जो पहले जीते, हम तो उसको बधाई देते हैं, हम सराहना करते हैं। आपने डिक्लेयर तो कर दिया और देते नहीं हैं। हर बात कागजों में ही थोड़े होती है। वे खिलाड़ी हैं।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय सदस्या, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, दो ना उत्तर।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक करोड़ रुपये का चैक वितरण कर दिया और दूसरी बार में 1.11 करोड़ का चैक (व्यवधान) कर दिया। धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कौनसी तारीख को दिया, यह बताओ ना आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। चर्चा समाप्त।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

मुझे सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। (व्यवधान) कृपया बैठिये। आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा, मुझे व्यवस्था देने दीजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से रामगंजमण्डी-कोटा क्षेत्र में आये दिन चोरी व लूटपाट की घटनाएं घटित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री बाबू लाल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर में नव वर्ष की रात्रि को भयंकर ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।
3. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर शहर में पानी की निकासी की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चौपासनी स्थित सुंदर बालाजी मंदिर के नीचे की पहाड़ी पर क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निवास करने एवं संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को शरण देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री हरिसिंह रावत एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम उप-खण्ड पर संचालित आर.टी.ओ. कार्यालय पूरे सप्ताह संचालित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना-रूपवास में सिंचाई के लिए चम्बल से लिफ्ट कर पांचना बांध में पानी डालने के सम्बन्ध में।

7. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर के बाइस गोदाम, सुदर्शनपुरा एवं करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्रों को घनी आबादी क्षेत्र में होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

8. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में गुमशुदा हुए दो लोगों की तलाश में पुलिस की विफलता एवं उसके लिये विशेष सेल गठित करने के सम्बन्ध में।

9. श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से प्रताप नगर स्थित उदयपुर काटन मिल की 75 बीघा भूमि को बीमारू बताकर स्टाम्प ड्यूटी में नियम विरुद्ध गलत छूट देने से राजकोष को हुए करोड़ों रुपये के नुकसान के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

10. श्री रामहेत सिंह यादव एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बिजली की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से दलित एवं बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से ब्यावर-पिण्डवाड़ा चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु किसानों की अधिगृहित भूमि का किसानों को बाजार दर पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

13. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से सोलर एनर्जी के नाम पर राजस्थान की बेशकीमती भूमि व सर्वाधिक मंहगी सौर ऊर्जा खरीद कर राज्य खजाने पर 2,000 करोड़ रुपये का भार डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ

(श्री अध्यक्ष)

हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंह यादव, श्री अमराराम, श्री ज्ञान चन्द पारख एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं कतिपय ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।
2. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री नवलकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत खेड़ली एवं सीतौड़ के सरपंचों की मनमानी को रोकते हुए राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री जगसीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मुख्यालय व मण्डार उप-तहसील के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर शीघ्र उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
5. श्री सुखराम, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर के डांग क्षेत्र स्थित नादनपुर पुलिस चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की बनास नदी में वेण्टेड काज-वे बनाने के सम्बन्ध में।
7. श्री गणेश सिंह परमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की बेड़च नाका पेयजल योजना को तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में।
8. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजना मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना का फायदा गरीब लोगों को नहीं मिलने के सम्बन्ध में।
9. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में पिछले सालों किये गये सड़कों के नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्या की ओर से जिला जोधपुर के भोपालगढ़, बावड़ी, मण्डोर देहात क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बहुत खराब होने के सम्बन्ध में।

11. श्री रामलाल मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

12. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से बीकानेर पश्चिम साले की होली स्थित 50 साल से ध्वस्त समतल व अनुपयोगी पुलिस चौकी संस्कृत विभाग को विद्यालय हेतु हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था हुई थी,...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था हुई थी ओलावृष्टि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मैंने रामहेत सिंह यादव को अनुमति दी है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने श्री रामहेत सिंह यादव को कहा है। (व्यवधान) कृपया विराजिये। अंकित नहीं होगा। अन्य किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किशनगढ़ बास में बिजली की दुर्दशा

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बास में 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. (व्यवधान) लेकिन पिछले ढाई साल में इसका काम पूरा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। कृपया विराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): फीडर लोड इतना है। राज्य सरकार द्वारा 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. सैंक्शन हुआ था (व्यवधान) लेकिन न तो उस पर आज तक सरकार द्वारा जमीन अलाट की गई और न उस पर कोई कार्य हुआ, बल्कि 132 के.वी.ए. के लिये जो सारा सैंक्शन हुआ था, उसकी स्टील अलाट न होने के कारण जो सारा सामान बनने का आया हुआ था, वह अधिकारियों द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इसी तरह से मेरे किशनगढ़-बास विधान सभा क्षेत्र में (व्यवधान) और यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, 2008 में माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी द्वारा जो सैंक्शन किया गया था ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कृषि मंत्रीजी ने घोषणा की थी लेकिन आज तक कृषि कनेक्शन नहीं हुए। इसी तरह से पूरे क्षेत्र में... (व्यवधान)... हजारों ग्रामीणों के खत आ रहे हैं हमारे पास, फोन आ रहे हैं। वहां तिजारा से सप्लाई आये-दिन ट्रिप हो जाती है और पूरे क्षेत्र में अंधेरा रहता है। अभी परीक्षा के दिन हैं। उस पूरे सब-डिविजन के अन्दर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो कोटकासिम क्षेत्र आता है, उसमें लाइट की ऐसी परेशानी है कि घंटे-दो घंटे भी नहीं मिल पा रही है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। केवल माननीय रामहेत सिंहजी यादव को मौका दिया है, बाकी किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से और माननीय सदन के नेता महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो बताया था कि...(व्यवधान)... लेकिन आज किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, विशेषकर मेरे क्षेत्र के किसानों के साथ, न तो जी.एस.एस. सैंक्शन उनको किया गया है और न (व्यवधान)... यह हालत है। सिंगल फेस की भी लाइट नहीं आती है। (व्यवधान) फीडर पुराने जर्जर हैं और जो हालत है, जितने भी फीडर पुराने हैं, उनकी रिपेयर की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

बहिर्गमन

(सी.पी.आई. (एम) के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): लेकिन विद्युत विभाग द्वारा न तो उन फीडरों को ठीक किया गया और न ही लाइनों को रिपयेर किया गया। आये-दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। पिछले साल लगभग छह-सात ऐसी दुर्घटनाएं लाइन टूटने से हुईं और जन हानि भी हुई है।

(श्री रामहेत सिंह)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ऐसे ही हरसोली है, वहां पर एक जी.एस.एस. है, उस पर तीन गुणा लोड है। वहां पर पूरे क्षेत्र में न तो व्यापारियों को लाइट मिलती है, न किसानों को लाइट मिलती है और जी.एस.एस. नहीं बनाये जा रहे हैं। खैरथल में राज्य सरकार के पास 132 के.वी. का जी.एस.एस. स्वीकृति के लिए पडा हुआ है लेकिन उसको भी आज तक स्वीकृति नहीं मिली।

ऐसी हालत में मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): राज्य सरकार द्वारा जो भी स्वीकृत जी.एस.एस. है, उनको तुरन्त चालू करें, उनका पूरा काम करें और अभी परीक्षा के दिनों में सिंगल फेज की आठ घंटे लाइट सप्लाई की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री अमरारामजी। श्री अमरारामजी (अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द पारख।

ब्यावर-पिण्डवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिगृहित भूमि का बाजार दर पर मुआवजा

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के किसानों की विडम्बना है कि आजादी के 65 वर्ष बाद भी जो किसान देश के लिए पैदावार देता है, न तो उसको उसकी फसल का पूरा मूल्य मिलता है और जब देश के विकास के लिए जमीन की जरूरत होती है और जब सरकार किसान की जमीन अधिग्रहीत करती है, उस जमीन का भी नाम मात्र का मुआवजा देकर उस किसान को चुप कर दिया जाता है।

(12.14 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस जमीन से किसान अपने परिवार का पालन-पोषण करता है, देश के लिए पैदावार देता है, एक तो उसके हाथ से जमीन चली जाती है और जो राशि उसको दी जाती है मुआवजे के रूप में, वह भी तत्कालीन बाजार दर से बहुत कम।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से लेकर पिंडवाड़ा तक, ब्यावर से लेकर पिंडवाड़ा तक चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। लगभग 250 किलोमीटर लम्बे इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बहुत सारे किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहीत कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2009 से अधिग्रहण की कार्यवाही चालू हुई और सरकार आज 2012 में जो 2009 की डी.एल.सी. की दर है, उस दर से उनको मुआवजा देने के लिए आमादा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल व्यवहारिक बात नहीं है। आज से तीन साल पहले यदि मैं किसी चीज का बाजार भाव पूछूं कि चांदी कितने रुपये किलो है और उस समय तो लूं नहीं और तीन साल बाद में जब मैं चांदी लेने जाऊं और उसको कहूं कि मैंने तीन साल पहले आपसे भाव पूछा था, उस भाव पर आपको चांदी देनी पड़ेगी, तो यह कतई व्यवहारिक नहीं है। लेकिन सरकार किसानों के साथ ऐसा ही कर रही है कि तीन साल पहले की जो दर है डी.एल.सी. की, उस पर आज मुआवजा दे रही है, उस दर से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबको पता है, पूरे राजस्थान को पता है कि इन तीन सालों में जमीनों की जो कीमतें बढ़ी हैं, पूरे प्रदेश में, वह कम से कम पांच गुणा, दस गुणा से भी ज्यादा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भूमि अधिग्रहण के कई मामले कई प्रदेशों में हुए और जब कम मुआवजा मिला तो किसानों ने विरोध भी किया। नोएडा में प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, यू.पी. में भी हुआ और कई प्रकरण तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें स्पष्ट आदेश दिये थे कि किसान को उसकी अधिग्रहीत भूमि का बाजार दर से मुआवजा दिया जाए। हमारे यहां पर क्या सिस्टम है? सरकार ने जो भूमि के दस्तावेज पंजीयन करने के लिए जो डी.एल.सी. दर बना रखी है, उस दर को बाजार दर मानते हुए, उस दर से किसान को मुआवजा देते हैं। डी.एल.सी. दर और बाजार दर में बहुत ज्यादा अन्तर होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और यह कहीं भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि जो डी.एल.सी. दर है वही बाजार दर होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसानों को उनकी भूमि का कम मुआवजा दिया गया तो कई काश्तकारों ने जिला कलक्टर महोदय के यहां पर अपील की और अपील के साथ साक्ष्य भी दिये उन दस्तावेजों के जिनका पंजीयन डी.एल.सी. दर से दुगनी, ढ़ाई गुणी, तीन गुणी राशि से हुआ। जब सारे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

साक्ष्य दे दिये सरकार को, जिला कलक्टर को, जो मध्यस्थ हैं, उनको दे दिये कि पहले इस भूमि का इस दर से पंजीयन हुआ है, तो फिर बाजार दर मानने में दिक्कत कहां आ रही है सरकार को या जिला कलक्टर को?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि जालौर और सांचोर में नर्मदा नहर बनाने के लिए जब भूमि अधिग्रहित की गई तो वहां की भूमि की दर थी मात्र 15,500 रुपये बीघा और जब किसानों ने अपील की, माननीय मुख्य मंत्री महोदय तक मामला पहुंचा और वहां की बाजार दर पता लगाई तो वहां बाजार दर सवा पांच लाख रुपये बीघा। 15,500 रुपये डी.एल.सी. दर और बाजार दर सवा पांच लाख रुपये बीघा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवा पांच लाख रुपये बीघा को बाजार दर मानते हुए वहां के जिला कलक्टर ने जो डिफरेंस की राशि थी, उसके चेक उन काश्तकारों को देकर न्याय किया है।

यह पाली वालों के साथ अन्याय क्यों? जब वहां के जिला कलक्टर न्याय कर सकते हैं और वास्तविक बाजार दर किसानों को दे सकते हैं तो सरकार को निर्देश देने चाहिए पाली जिला कलक्टर को कि बाजार दर का पता लगाकर, वास्तविक बाजार दर का पता लगायें, दस्तावेज देख लें, साक्ष्य देख लें और उसके बाद उचित लगे, उस बाजार दर का सही मुआवजा उस किसान को दिया जाए।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिरोही का मामला भी है और ब्यावर से लगाकर ठेठ पिंडवाड़ा तक का मैटर है यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको डिस्टर्ब मत करें। आप ही की बात कह रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): यह हमारी बात तो कह रहे हैं पर जैसे यह पाली का हुआ है, उसी तरह से यहां सिरोही का भी होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान) मेरी बात समाप्त करूं उसके बाद केसारामजी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहा है, उसमें किसानों के मकान उजड़ रहे हैं, किसानों

(श्री केसाराम चौधरी)

की बहुत बेशकीमती जमीन बिक रही है और वहां पर झाड़ानाड़ा और उसके आस-पास की जमीन 20-20 और 25-25 लाख रुपये बीघा में बिक रही है। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, मुझे भी बोलने का मौका आप दें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उनको मात्र 15 और 20 हजार रुपये बीघा के भाव से रेट दी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी पाली के दौरे पर पधारे थे, प्रभावित काश्तकारों ने अपनी बात कही थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका कोई प्रस्ताव हो तो रख देना। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अपनी बात कह रहा हूं, मैं विषय दे दूंगा आपको। कितना अन्याय हो रहा है, मैं बता दूंगा आपको।

उनके समक्ष अपनी यह पीड़ा रखी, अपनी व्यथा रखी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि वाकई में यह दर बहुत कम है और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, आपको अपनी जमीन का वाजिब मूल्य दिलवाएंगे, आपको मुआवजा वाजिब मिलेगा। इस बात का आश्वासन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, पाली आये तब दिया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार सरकार ने पिछले सत्र में इसी भूमि अधिग्रहण के मामले में एक बिल पेश किया और उस बिल का प्रारूप यह था कि जो किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है।

शहरी क्षेत्र में डी एल सी दर की तीन गुणा और ग्रामीण क्षेत्र में डी एल सी दर की चार गुणा राशि मुआवजे के रूप में दी जाये। यह अलग बात है कि यह बिल लोक सभा में अभी तक मंजूर नहीं हुआ, लेकिन प्रारूप लेकर केन्द्र सरकार आ गयी थी। तो आप थोड़े दिन रुक जाओ। जब यह बिल पास हो जाये तब चैक दे देना। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई जल्दी नहीं पड़ी है कि हम चैक लें। जब यह बिल पास हो जाये, बिल ले आयें तो पास होगा ही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह यही है, सरकार को इस बात के निर्देश दें कि सरकार जो अन्याय किसानों के साथ कर रही है, वह नहीं करे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

और जो बाजार दर है उससे मुआवजा दे दे साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिग्रहीत भूमि में कई जगह मकान बने हुए हैं, कई जगह चारदीवारी बनी हुई है, लेकिन उनके पट्टे नहीं हैं या उनकी अनुमति नहीं ली गयी। तो इनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतना भी कह दूं कि बोझ कोई सरकार के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। जितनी राशि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आयेगी, टोल के रूप में वह जनता से ही वसूल करने वाले हैं। जब जनता से ही आप वसूल करने वाले हो, टोल की आपके 10 साल की अवधि है तो उसको साढ़े 10 साल कर देना, 11 साल कर देना, लेकिन उस काश्तकार को पूरा पैसा दिलवाने के लिये सरकार से आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि जो जिला कलक्टर मध्यस्थता कर रहे हैं, उनको इस बात के लिये कह दें कि जो वाजिब बाजार दर है, जिनके साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। उस दर से उन किसानों को मुआवजा दिलवा दें। यह मेरा सदन के माध्यम से सरकार को आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त मामला मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र और पाली जिले का भी है। मेरा आपसे निवेदन है कि पाली से आने वाले विधायक महोदय ने जो यह समस्या रखी है फोर लेन की, इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्दर, उसमें लोक सभा में पेश कर अब केन्द्र सरकार उसको चेंज करने जा रही है। गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था की है कि शहरी क्षेत्र के अन्दर तीन गुणा....(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: यह आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल लें। माननीय सदस्या, अभिभाषण के समय जब आपका नम्बर आयेगा तो उस समय आप अपनी बात कहिये। उस समय बोल लेना।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। मेरा विशेष निवेदन है कि ब्यावर से पिण्डवाड़ा फोर लेन निकल रही है...(व्यवधान)...

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): यह पाली-सिरोही सबका मैटर है। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उसमें डी एल सी को न मानकर... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़, आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान) आपके सदस्य आपकी बात नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान) आप इनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): आप यह जो चैक बांट रहे हैं, इन चैकों को आप बंद करें और ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, आप बोलिये न।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): जिस तरह से पूरे सिरोही... (व्यवधान)... यह पाली और सिरोही दोनों जिलों का मामला है। यह किसानों की समस्या है। ..(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप उनका गला घोंट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कही दी न। राजेन्द्र जी राठौड़, आप बोलें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप सरकार को निर्देश दें कि किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि का वाजिब मुआवजा दिया जाये। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है जो 67 किलोमीटर मेरे विधान सभा से गुजरता है और काश्तकारों की यह जायज मांग है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): यह किसानों की ज्वलन्त समस्या है। यह पाली-सिरोही दोनों जिलों की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराजिये, इनको बोलने दीजिये आप।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं ...(व्यवधान) लोगों की करोड़ों की जमीन, जो यह फोर लेन जा रही है, उसके डिविजनल कमिश्नर के रूप में पाली जिला कलक्टर को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर में भी यही हुआ है। जोधपुर आई आई टी में भी डी एल सी दर से हुआ है। जोधपुर में आई आई टी में भी किसानों के साथ धोखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो यह मामला उठाया है, माननीय ज्ञानचन्दजी पारख ने, सोजत से आने वाली माननीय सदस्या ने, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: मामला तो ज्ञानचन्दजी पारख का है। अब यह सदन का मामला नहीं है, व्यक्तिगत मामला है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं-नहीं, अब यह सदन का मामला हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष: यह सदन का हो गया, लेकिन इनकी पर्ची का मामला है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पर्ची पर नहीं है, स्थगन प्रस्ताव पर है। इसलिये मैं चाहता हूं, ऐसे स्थगन पर जब सदन में चर्चा होती है, उस चर्चा में सारे माननीय सदस्य खड़े हैं। फोर लेन बन रही है, उस फोर लेन में जिला कलक्टर को अधिकार दे रखा है कि वह काम करके उनका मुआवजा तय करे। अब एक वही फोर लेन गुजरात में जा रही है, वही फोर लेन राजस्थान में आ रही है। गुजरात में मुआवजा पांच लाख मिल रहा है, राजस्थान में 15 हजार मिल रहा है। तो यह अनुचित है। इसलिये राज्य सरकार हस्तक्षेप करके वहां के किसानों को भी पांच लाख रुपया, जो बाजार दर है, उस दर से उनको मुआवजा मिले, इस बात का निर्देश आप राज्य सरकार को दें। मंत्री महोदय नोट करें कि कलक्टर जहां फैसला करने वाले हैं, उस फोर लेन पर...और यह पैसा न भारत सरकार का लग रहा है, पैसा न राज्य सरकार का लग रहा है। जो रोड बना रहा है वह टोल के माध्यम से पैसा वसूल करेगा। तो वह तो पैसा वसूल करेगा और किसानों को पैसा नहीं मिलेगा और सरकार का पैसा लग नहीं रहा है।

इसमें मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि किसानों के लिये आप राज्य सरकार को, कम से कम आप आसन पर हैं, पहला निर्देश आप आज जारी करें कि जिला कलक्टर पाली और सिरोही को सूचित करें कि जो बाजार दर पर मुआवजा गुजरात में मिल रहा है, अन्य राज्यों में मिल रहा है, वही राजस्थान के किसानों को, मिलना चाहिये। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्षजी, आपसे मेरा निवेदन है कि उक्त जो बाई-पास निकल रहा है, वह हमारे सोजत शहर की आबादी के अन्दर होकर निकल रहा है तो यह आबादी के अन्दर नहीं निकलकर यह चार किलोमीटर शहर से बाहर निकाला जाये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

सौर ऊर्जा के नाम पर राजकोष पर असंतुलित भार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा, ऊर्जा मंत्रीजी बैठे हैं, हमेशा दूरदर्शन पर और अखबारों में एक ही विज्ञापन आता है कि विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान शीघ्र ही आत्मनिर्भर होगा और इस आत्मनिर्भरता में सोलर ऊर्जा, उसमें राजस्थान पूरे देश में पहली पायदान पर खड़ा होगा। इस तरह के वक्तव्य प्रधानमंत्रीजी के सम्मुख भी इन्होंने कहे और एन डी सी की मीटिंग में भी कहे। अभी एन आर आई का सम्मेलन हुआ था, उसमें मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में सोलर एनर्जी का हब बनायेंगे। पर हो क्या रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19.4.11 को सरकार राजस्थान सोलर एनर्जी पालिसी लेकर आई। मंत्री महोदय, आपको ध्यान है, केन्द्रीय नियामक आयोग ने सभी राज्यों को उनकी विद्युत कम्पनियों को निश्चित मात्रा में सोलर एनर्जी क्रय करने का आदेश दिया ताकि सोलर एनर्जी उत्पादक को प्रोत्साहन मिले और यह आदेश राजस्थान राज्य नियामक आयोग को 25.5.2010 को मिला। यह इसलिये मिला 200 मेगावाट का सिर्फ कि सोलर एनर्जी ट्रेडिशनल एनर्जी से चार गुणा ज्यादा महंगी है। अगर ज्यादा सोलर एनर्जी पैदा होकर हम ज्यादा उपभोक्ताओं को देंगे तो सीधा भार उपभोक्ता पर पड़ेगा।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के अन्तर्गत, जिसकी बार-बार चर्चा मंत्री महोदय करते हैं, राजस्थान के अन्दर 610 सोलर उत्पादकों को स्वीकृति मिली। यह सोलर उत्पादक वे हैं जिन्होंने पहले अपने डी पी आर के साथ राजस्थान रिन्युएबल एनर्जी कारपोरेशन में रजिस्ट्रेशन कराया। मंत्री महोदय द्वारा नामजद एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इनका सलेक्शन करके जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन में इनके प्रोजेक्ट को भेजा और 610 मेगावाट यहां राजस्थान के अन्दर निश्चित हो गयी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसके लिये बहुत ढोल बजा रहे हैं। 29 सितम्बर, 2010 को मंत्री महोदय, आपने 11 कम्पनियों के साथ 66 मेगावाट सोलर एनर्जी खरीदने के लिये पी पी ए किया...

श्री उपाध्यक्ष: आप सीधे बात नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और 17 रुपये 91 पैसे प्रति यूनिट देश में सर्वाधिक महंगी बिजली है, वह खरीदने का काम आपने किया। कैसी विडम्बना है, उपाध्यक्ष महोदय, 546 मेगावाट बिजली, जो 610 में शेष रही, वह तो सारी की सारी केन्द्रीय नियामक आयोग ने काम्पीटिटिव बिडिंग की, एन टी पी सी के माध्यम से वह अपनी बिजली बेचेंगे। उनकी तो दर है 12 रुपये 24 पैसे प्रति यूनिट और राजस्थान के अन्दर मंत्री महोदय जो बिजली खरीदेंगे, वह 17 रुपये 91 पैसे से। दो हजार करोड़ का भार आपने डाला। मैंने सदन में यह मामला उठाया तो आपने कहा, मुझे पत्र लिखना। मैंने 5.10.2011 को पत्र लिखा, वह पत्र आपके पास पहुंच गया।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सोलर एनर्जी की जो पालिसी है, वह बनाई तो इसलिये गयी थी कि पारदर्शी तरीके से सोलर उत्पादकों को सिंगल विण्डो की तर्ज पर पता लग जाये कि यह पालिसी है, अगर वे प्लांट लगाना चाहें तो राजस्थान में लगायें। इसी पालिसी के पैरा नम्बर 14.2.2 में सोलर उत्पादन करने वाली कम्पनी पहले रजिस्ट्रेशन करायेगी राजस्थान रिन्युएबल एनर्जी कारपोरेशन में, फिर राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी उसका अध्ययन करेगी

और अध्ययन करने के बाद इसी पालिसी के अन्तर्गत डी एल सी रेट पर दस प्रतिशत जमीन देने का प्रावधान है। इसी पालिसी में 14.2.8 पर इन्होंने तय कर रखा है, विशेषज्ञों ने इनको बताया कि एक मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक लगेगा तो उसको अधिकतम ढाई हैक्टेयर जमीन दे सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं। एक मेगावाट सोलर प्लांट फोटो थिन फिल्म पर लगेगा तो साढ़े तीन हैक्टेयर जमीन दी जा सकती है। मेरे पास यह सूची है जिसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं। डालमिया सोलर पावर लिमिटेड, नई दिल्ली, दस मेगावाट का इनका प्लांट लगना था, इनको जमीन देनी चाहिए थी 35 हैक्टेयर, आपकी कृपा रही, यहां रामबाग पैलेस की कोई बात नहीं, उसको आपने 125 हेक्टयर टिका दी। इसी तरह विराज रिन्युएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एस पी वी पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आधारित है, इनको जमीन देनी चाहिए थी इन्हीं के मापदण्ड के अनुसार 77 बीघा और आपने इनको जमीन दे दी 662.15 बीघा। इसी तरह ओसवाल वाला। मंत्री महोदय, यह वही ओसवाल वाला है, ओसवाल वूलन, लुधियाना वाला, आप तो जानते हो। उसको जमीन देनी थी 77 बीघा और जमीन दे दी 385 बीघा। इसी तरह इन्टीग्रा लिमिटेड, नई दिल्ली, थिन फिल्म पर आधारित, इनको जमीन देनी चाहिए थी, एक मेगावाट का प्लांट था, साढ़े तीन हैक्टेयर देनी चाहिए थी, आपने उसको पचास हैक्टेयर दे दी। एस्टोनफील्ड सोलर राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी राजस्थान की है, आपको मालूम है, रजिस्टर्ड सब्सिडियरी कम्पनी है। मेन इसकी कम्पनी मुम्बई में है। इसको पांच मेगावाट के लिए 77 बीघा जमीन देनी चाहिए थी, आपने जमीन दे दी 662.5 बीघा। इसी तरह पुंज लायड लिमिटेड, गुडगांव को 44 एकड़ के स्थान पर 62 एकड दे दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लिस्ट को और पढ़ूंगा तो सूची लम्बी हो जाएगी। पालिसी आपने बनायी थी कि मापदण्ड ये हैं और इसके अनुसार जमीन दी जाएगी। इस प्रकार राजस्थान की जमीन को लुटाने का काम आप कर रहे हो।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाहर लाल नेहरू ऊर्जा मिशन है, उसमें प्रावधान था कि एक कम्पनी को एक प्लांट की मंजूरी मिलेगी। ये लेन्को इन्फोटेक लिमिटेड का क्या मामला रहा? किस आधार पर एक ही कम्पनी को अलग-अलग नाम से आपने नौ प्लांट लगवा दिये? 225 मेगावाट की आपने अनुमति दे दी।

आप कहें तो मैं यह सारा पढ़कर सुना दूं। यह क्या हो रहा है? चूंकि इसका रजिस्ट्रेशन आर आर ई सी में आपने किया, इसकी डी पी आर की स्वीकृति आपने दी, दस परसेंट डी एल सी पर जमीन आपने दी, जवाहर लाल नेहरू मिशन में आपने इसको भेजा और अब इसकी जांच, मैंने एक अख़बार में पढ़ा था, भारत सरकार ने करवानी चालू कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है कि जमीन हमारी गयी। इसी पालिसी में सोलर प्लांट एन टी पी सी के माध्यम से दूसरे प्रदेश में ट्रांसमिशन का सारा उसका 21.5, आपकी पालिसी का पैरा, उसमें मिशन हो, चाहे जी एस एस हो, ये सारे के सारे लगाने का काम भी राजस्थान की विद्युत कम्पनियां जो कि आज 35 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा के घाटे पर हैं, उनको करना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पड़ेगा। क्योंकि केन्द्रीय नियामक आयोग ने कैप लगा दी कि दो सौ मेगावाट से ज्यादा राजस्थान बिजली खरीद नहीं सकता। ये राजस्थान को कहां ले जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि राजस्थान के साथ सबसे बड़ा धोखा है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मंत्री महोदय, यह सर्वविदित है कि आपकी कम्पनियां पैंतीस हजार करोड़ से ज्यादा के घाटे पर चल रही हैं। प्रधानमंत्रीजी के सामने भी आपने कहा कि हमें केन्द्र सरकार एकमुश्त सहायता दे। बैंकों ने कह दिया कि हम ऋण नहीं देंगे। आपने बान्ड जारी करने का काम किया। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने 16 जनवरी, 2012 को चार सौ करोड़ रुपये के बान्ड 10.47 सेमी-एन्युअल इन्टरेस्ट पर जारी किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो विद्वान आदमी हैं, आपको मालूम है, बान्ड जारी भी होते हैं और बान्ड की मेच्योरिटी पर विद इन्टरेस्ट पैसा भी जाता है। ये बान्ड उन्होंने अठारह साल के लिए जारी किये। इस राजस्थान की हुकूमत में अब तक जितने भी बान्ड जारी हुए हैं, उसमें बान्ड खरीदने वाली कम्पनियां निवेश कर दें या पैसा अरेंज करें। आपने शर्त बदली। सब्सक्राइबर, यह सब्सक्राइबर कहां से ले आये? घनश्यामजी, इस एक शर्त से, जितने बैंक थे, वे चले गये। कम्पीटिशन कुछ लोगों में हो गया। चलो, यह भी आपने कर दिया, मेरे को कुछ नहीं लेना। आर बी आई के डायरेक्शंस हैं, इसमें कोई बड़ा बैंक आना नहीं। अब 19 जनवरी को आपने टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड खोली। तीन कम्पनियां आयीं। एक आई दारा शा एंड कम्पनी, उसने ब्याज दिया 10.47; एक आया एक्सिस बैंक उसने ब्याज दिया 10.36 प्रतिशत और एक दिल्ली की कम्पनी, मैं पढ़कर बता दूं आपको, उसका 10.21 आपने नीचे की दोनों कम्पनियों को रिजेक्ट कर दिया। 10.47 वाली कम्पनी को 18 साल के लिए आपने उसको बान्ड पर स्वीकृति दे दी। यह पैसा राजस्थान की जनता के माध्यम से चुकाना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसी सोलर पालिसी है जिसके नाम पर आप सोलर ऊर्जा बनाने की बात कर रहे हैं?

मंत्री महोदय, आपके दामन पर सीधा-सीधा आरोप है कि आपने एक तरफ तो राजस्थान की जमीन लुटाई है, राजस्थान में सर्वाधिक महंगी बिजली खरीदी है और दूसरी तरफ आपने इस बान्ड के जरिये महंगी ब्याज दर पर लेकर आपने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है। आपने खुद ने कहा था कि आप पत्र लिखो, मैं जांच करवाऊंगा। आपने कोई जांच नहीं करवायी। आप मेरी बात से सहमत थे इसीलिए आपने हां भरी थी। आप गरीब की जमीन को जिस तरह से लुटा रहे हो न, यह ठीक नहीं है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आप जिन कम्पनियों के नाम ले रहे हो, उनसे आपका क्या मतलब है? (व्यवधान) आप बार-बार आरोप लगा रहे हो न। आप आरोप सिद्ध करो न। क्या मतलब है आरोप का? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य हाउस के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और अनेक बार मंत्री रह चुके हैं। संभवतः पूरे भारत में राजस्थान पहला राज्य है जहां सोलर बिजली में, जवाहर लाल नेहरू मिशन में 1100 मेगावाट बिजली का एलोकेशन हुआ, उसमें से 944 मेगावाट राजस्थान को मिला। उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही हाउस के विद्वान तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, ये राज्य सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि राज्य सरकार महंगी दर पर सोलर एनर्जी खरीदी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सोलर एनर्जी का प्रोसेस है वह एन टी पी सी, वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया में है, ग्रीन एनर्जी विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो गयी, ग्रीन एनर्जी आनी चाहिए। राजस्थान में जैसलमेर में 62,635 यूनिट, 6.5 एनर्जी का मेक्जिमम कंसट्रेशन है। राजस्थान अकेला पूरे भारत को तीन लाख मेगावाट सोलर एनर्जी दे सकता है। नम्बर वन। नम्बर दो, आप जो चार्ज कर रहे हैं कि हमने 17 रुपये में या 12 रुपये में बिजली खरीदी; no, Sir. it's not like this. सोलर एनर्जी के हमारे जो फोटो वोल्टेइक सेल्स हैं, they are all imported, उसका कोस्ट ज्यादा है। तो राजस्थान अगर यूनिट लगेगा, एक यूनिट लगा तो उसके अन्दर चार यूनिट, bundled energy is generated by the coal. आप बता रहे हैं कि 12 रुपये पड़ा ... (व्यवधान)... हां, 17 रुपये ले लीजिए, तो चार यूनिट bundled energy costs 3 Rupees. Please listen me.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको चार यूनिट जो मिली, उसकी कोस्ट आपको नहीं देनी पड़ेगी पर आपने उस सेठ को तो फायदा पहुंचा दिया। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने भी आपको पूरा सुना है, आप मुझे सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको सम्बोधित नहीं करें, नहीं तो वे उत्तेजित हो जाते हैं। आप आसन को सम्बोधित करें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): बंडल्ड एनर्जी तीन रुपये पड़ती है आप सोलह रुपये बोल रहे हैं। तो 4x3 is equal to 12, सिर्फ 16 रुपये पड़ रही है 66

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मेगावाट के लिए। और जो आप 620 बोल रहे हैं, that costs around Rupees 11 to 12 per unit. यह डिफरेंस है, सर। दोनों बण्डल करके it is divided by 5 and it comes to 4 to 5 rupees per unit. पच्चीस साल के लिए चार से पांच रुपये सोलर एनर्जी पड़ेगी। जो कोयले से भी सस्ती पड़ेगी। पता नहीं, कोयले का क्या रेट चला जायेगा।

बाकी के जवाब मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आपने इम्पोंर्टेंट कहा है, जमीन के लिए, सर, लैंड बैंक बना दिया। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आलरैडी हमारे पास सात सौ इन्वेस्टर्स आ चुके। एडवांस में साढ़े सोलह हजार मेगावाट का रजिस्ट्रेशन हो चुका।

हम उनको बगल की लैंड इसलिए देते हैं कि अगर वे फोटोवोल्टेइक सेल के लिए, आपने जैसे फरमाया, they need 3.5 per MW..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह मन्जूर करो न आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): जस्ट ए मिनट, सर।

हम उनसे पैसा जमा कराते हैं और अगर तीन वर्ष में वे अपना प्लांट स्थापित नहीं कर पाते, बिड में उनका पैसा सारा लैप्स हो राजस्थान गवर्नमेंट के पास रह जाता है। तो सरकार के पास पैसा रहेगा, सर, जमीन तो जायेगी नहीं ।

I would like to request you that being a very senior member of the House, you should appreciate the solar policy of the Government. ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आरोप लगाये, वे यों के यों पड़े हैं। आप तो यह कह दो, एक मिनट, ...

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विषय उठाया गया है, इस सम्बन्ध में, हमारे क्षेत्र से यह विषय आता है, मेरे क्षेत्र से यह विषय आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप एक मिनट रुको तो सही।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनकी सुन लीजिए पहले। कोई बात हो तो आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, एक मिनट। मैं तो बैठ जाऊंगा। (व्यवधान) नहीं, मैं तो बैठ ही रहा हूं। एक मिनट, जोशी साहब, एक सेकंड। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनकी सुन लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मिनट। मैं तो यह कह रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई आरोप नहीं लगाना, मैं तो यह कह रहा हूं, मैंने जो सवाल उठाये, आप इसके लिए तैयार हो तो मैं एक पत्र लिखकर, सारे कागजात लगा कर आपको भेज दूं तो आप इसकी जांच करवा लें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): यस, सर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हैं? जांच करवा लेंगे आप?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आप सब भेज दें मेरे पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ठीक है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष: वह कह दिया उन्होंने, जांच करवा लेंगे।

श्री ओम जोशी (फलौदी): वह करायेंगे, अलग बात है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर अन्य किसी प्रकार के उद्योग लगाने की कोई संभावना नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की दूरदृष्टि से ही जो हमारी सरकार की हजारों बीघा, हजारों एकड़ जमीन जो वेस्ट लैंड पड़ी थी और जिस पर भू-माफियाओं की नजर थी, उस भूमि को सौर ऊर्जा के लिए उपयोग करने हेतु कम्पनियों को देकर बिजली उत्पादन में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सुनिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी): बिजली उत्पादन में जो अग्रणी भूमिका निभायी है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को वह पच नहीं रहा है। हालात यह है कि जब वह भूमि दी है, भूमि जब दी गयी है तो वहां पर वर्चुअली उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है और निरन्तर उत्पादन बढ़ने की सम्भावनाएं काफी हद तक हो चुकी हैं। यहां तक कि वहां के लोगों का, किसानों का जीवन स्तर, आर्थिक स्तर वहां पर बढ़ा है और वहां की परचेजिंग पावर बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिला है। अगर इन सब बातों के बाद भी माननीय सदस्य विरोध करते हैं तो मैं समझता हूं, इससे घटिया बात कोई भी नहीं हो सकती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। ...(व्यवधान)... श्री रमेश चन्द्र मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोलर एनर्जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान की बेशकीमती जमीन ...(व्यवधान)... लुटाने का काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश चन्द्र मीणा। ...(व्यवधान)...

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेस्ट जमीन नहीं दी जा रही है, किसानों की कीमती जमीन दी जा रही है। ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया, वेस्ट जमीन पर नहीं लगा रहे हैं सोलर ऊर्जा। सोलर ऊर्जा उन जगहों पर लगा रहे हैं जहां पशुपालक बसते हैं और जो किसानों की कृषि योग्य जमीन है, उन पर ये सोलर ऊर्जा इकाइयां लग रही है। ...(व्यवधान)... सोलर ऊर्जा वहां वेस्ट लैंड पर नहीं लगाया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: केवल रमेश चन्द्रजी मीणा का अंकित होगा। ...(व्यवधान)... केवल रमेश चन्द्रजी मीणा का अंकित होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

टोडाभीम की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पूर्णत: क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण तथा ग्रामीण सड़कें बनवाने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

(1) विधान सभा क्षेत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत याचिका के उत्तर संख्या एफ (210)याचिका/विस/11/3570 टोडाभीम-गाजीपुर मोड़ तक एम.डी.आर.-63 सड़क की लम्बाई 15 किलोमीटर है जिसमें बड़ापुरा, नगरपालिका क्षेत्र टोडाभीम में 2 किलोमीटर सीमेंट सड़क भी है, जिसका प्रस्ताव मैंने पूर्व में भी दिया था और विधान सभा में उक्त याचिका के उत्तर में सरकार द्वारा 12.50 करोड़ की इस रोड को बजट में मन्जूरी देने का जवाब दिया गया। इस मुख्य जिला सड़क को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाए।

(श्री रमेश चन्द मीणा)

(2) घाटी मेहन्दीपुर बालाजी का सड़क निर्माण प्रस्ताव जो कि नेशनल हाई-वे से टोडाभीम थाना तिराहे तक प्रस्तावित किया जा चुका है, 8.5 किलोमीटर का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के पास पहले ही भिजवाया जा चुका है। इस राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थान को करौली जिला व मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क को भी प्राथमिकता से स्वीकृति दी जाए।

(3) कई बार दुर्घटनाओं में हुई जन हानि एवं मृत्यु का कारण बनी तालचिड़ा घाटी का प्रस्ताव पिछले एक साल से लम्बित है जिसको स्वीकृति दी जाए। इसके अलावा अन्य सड़कों के प्रस्ताव, जो कि स्वीकृति हेतु आने वाले बजट में प्रस्तावित हैं एवं सरकारी नियमों के अनुसार स्वीकृति देना अति आवश्यक है, इन सबको आने वाले बजट में स्वीकृति देने की कृपा करें।

(4) मेरे द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत याचिका क्रम संख्या 52219 पत्र सं. एफ 24(214)याचिका/वि.स./2011/326 में नांगल शेरपुर से कूंजेला महस्वा मोड़ तक की सड़क, जिसकी लम्बाई 14.5 किलोमीटर है, का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण आदि आवश्यक है, जिसमें महस्वा एवं नांगल शेरपुर में सी.सी. रोड़ भी शामिल है। इनको प्राथमिकता से मन्जूर किया जाए।

(5) निसूरा से भगोली का पुरा 1.2 किलोमीटर प्रस्तावित होकर लागत राशि 36.03 लाख रुपये की मन्जूरी दी जाए।

(6) मोरडा से रामपुरा, लम्बाई 6.5 किलोमीटर, राशि 211.51 लाख रुपये की मन्जूरी दी जाए।

(7) बहादुरपुर-अलीपुरा सड़क से बनखण्डी की ढाणी, लम्बाई 1.2 किलोमीटर प्रस्तावित राशि 40.75 लाख रुपये की मन्जूरी दी जाए।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधरजी खण्डेला। प्रारम्भ करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष: मेरे आने से पहले ही आपका नाम निकल चुका था, माननीय सदस्य। अब देखिये, मैं नियम से और प्रक्रिया से बंधा हुआ हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, बहुत महत्वपूर्ण तीन बच्चियों का है ...

श्री उपाध्यक्ष: वह बाद में देखेंगे, आप यदि थोड़ी शांति रखेंगे तो।

श्री बंशीधरजी खण्डेला।

खण्डेला की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में सड़कों की भारी दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं एवं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र की उक्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण तुरन्त करवाया जाकर क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पलसाना से खण्डेला एवं खण्डेला मोड़ तक सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य ठेकेदार की लापरवाही एवं अधिकारियों की बेपरवाही के कारण आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार खण्डेला-उदयपुरवाटी रोड से दायरा व रामपुरा जाने वाली रोड के तीन बार टेंडर हो गये परन्तु एक भी ठेकेदार ने अभी तक टेंडर नहीं डाला क्योंकि सड़क की इतनी दुर्दशा है कि ठेकेदार को मिलने वाली कास्ट में काम किसी भी सूरत में होना सम्भव नहीं है। सड़क की हालत यह है कि सड़क का मात्र नामोनिशान ही बचा हुआ है।

इसी प्रकार रींगस से खाटू श्यामजी रोड से दादिया-रामपुरा तक की सड़क के भी तीन बार टेंडर हो गये लेकिन, अभी तक कोई टेंडर नहीं आया है। इस सड़क की स्थिति भी बहुत बुरी है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त सड़क होने से ठेकेदार काम करने को तैयार ही नहीं हैं। इसलिए उक्त सड़कों के लिए मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि विशेष पैकेज के माध्यम से उक्त सड़कें स्वीकृत करा कर नवीनीकरण करवाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके अलावा खण्डेला-कावंट रोड पर भादवाड़ी से कंचनपुर जाने वाली दो किलोमीटर रोड के भी तीन बार टेंडर हो गये लेकिन कोई ठेकेदार टेंडर नहीं डाल रहा। इसी तरह रींगस बाई-पास से जैतूसर जाने वाली सड़क की भी यही हालत है। ठीकरिया से मलिकपुर जाने वाली सड़क की तो इतनी खराब हालत है कि आमजन के चलने की स्थिति तक नहीं है। मेरे क्षेत्र की जनता इन सड़कों पर पड़े गड्ढों से रोज दुर्घटनाग्रस्त होती रहती है। गम्भीर रूप से बीमार मरीज अस्पताल पहुंचने तक बीच रास्ते में ही मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं, प्रसव के लिए जाने वाली महिलाओं को बहुत बुरी पीड़ा से गुजरने को बाध्य होना पड़ रहा है।

ऐसी परिस्थितियों में मैं सरकार एवं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से मांग करता हूं कि तुरन्त मेरे क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा को दुरुस्त की जाकर आम जन को राहत दी जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवलकिशोरजी मीणा (बामनवास)।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: अभी नहीं, यह इन्फोर्मेशन इसके बाद में।

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाया जाना

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दस लाख रुपये की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार के नियमानुसार राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को पंचायत मुख्यालय पर ही विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। किन्तु ग्राम पंचायत खेड़ली एवं सीतौड़ के सरपंचों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग एवं मनमानी करते हुए निजी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त सेवा केन्द्र को पंचायत मुख्यालय से एक किलोमीटर दूर अपने घर के नजदीक बनाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत खेड़ली एवं सीतौड़ के सरपंचों की मनमानी रोकते हुए उक्त ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही बनाये जाने की कार्यवाही कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगसीराम कोली।

रेवदर के मुख्यालय एवं मण्डार उप तहसील के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर की शीघ्र उपलब्धि

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर

(श्री जगसीराम)

मुख्यालय व मण्डार उप तहसील में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय तो हैं परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उक्त दोनों कार्यालय आम जनता के लिए अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। चूंकि क्षेत्र में पाला पड़ने से पहले ही किसानों की काफी फसल तो पाले से नष्ट हो चुकी है मगर शेष बची फसल को सिंचित करने हेतु समय पर ट्रांसफार्मर के नहीं मिलने से फसलें चौपट हो रही हैं जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसे में क्षेत्र के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं एवं विद्युत ट्रांसफार्मर के जलने पर विभाग के पास उसे ठीक करने या बदलने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों को दिन-प्रतिदिन निगम कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि किसानों को समय पर विद्युत ट्रांसफार्मर एवं जमा किये गये मांग पत्रों के सामान यथाशीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु विद्युत निगम को निर्देशित करावें ताकि गरीब किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम कोली।

धौलपुर की डांग क्षेत्र स्थित नादनपुर पुलिस चौकी का थाने में क्रमोन्नयन

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि धौलपुर जिला राजस्थान का अत्यन्त पिछड़ा एवं डांग क्षेत्र में स्थित है जिसका अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी एवं चंबल के घने जंगलों से घिरा है, जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से आये दुर्दान्त अपराधियों/डकैतों की शरणस्थली रहा है। धौलपुर जिले की सीमा 135 किमी. उत्तर प्रदेश की तथा 170 किमी. मध्य प्रदेश की सीमा से लगी है। यह क्षेत्र हमेशा से ही कई कुख्यात डकैतों की शरणस्थली रहा है। यह दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। धौलपुर जिले में चम्बल एवं पार्वती नदियों का बहना वरदान है, वहीं दस्युओं के कारण ये अभिशाप भी साबित होती रही हैं। इनके घने एवं उबड़-खाबड़ जंगलों में दस्यु सक्रिय रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से अपराधी एवं डकैत आकर धौलपुर जिले के अमन-चैन को तहस-नहस कर देते हैं। ये डकैत/अपराधी अपनी घटनाओं को अंजाम देकर वापस चले जाते हैं। इससे धौलपुर जिले के वाशिंदों का जीना हराम हो जाता है।

(श्री सुखराम)

बसेड़ी विधान सभा का नादनपुर क्षेत्र सरमथुरा थाना एवं बसेड़ी थाना क्षेत्रों से काफी दूर पहाड़ियों एवं घने जंगलों के मध्य है इसकी सीमाएं करौली एवं भरतपुर जिले से लगी हुई हैं जिससे यह क्षेत्र डकैत/अपराधियों की शरणस्थली बना रहता है। इस क्षेत्र में पत्थरों की खदानें एवं गैंगसा यूनिटें लगी? जिन पर काफी संख्या में मजदूर काम करते हैं। डकैतों द्वारा चौथ वसूली, मारपीट, गोली चलाना एवं हत्या करना आम बात हो गई है जिससे इस क्षेत्र में व्यवसाय एवं आम जन हमेशा परेशान रहता है। इसलिए, श्रीमान् जी, डांग क्षेत्र के बीचों-बीच स्थित नादनपुर चौकी को थाना बनाया जाना जन हित में होगा।

इसके साथ-साथ डांग क्षेत्र में अमन एवं व्यावसायिक सुरक्षा तथा खदानों, गैंगसा मालिकों एवं उन पर कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्न जगहों पर चौकियां स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक एवं अपराध नियंत्रण के लिए अत्यंत जरूरी है:-

1. धौर्र मोड़ बसेडी, चलपुर रोड;
2. बथुआ खौह सरमथुरा करौली रोड;
3. जारगा-बसेडी जगनेर रोड; एवं
4. पिपरोन पुलिया बयाना रोड;

बसेड़ी की भौगोलिक स्थिति एवं अपराधों पर नियंत्रण के लिए उक्त थाने एवं चौकियां को स्थापित करना अत्यंत जरूरी है जिससे आमजन के जानमाल की रक्षा हो सके क्योंकि कई डकैतों की गैंग इस क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। बसेड़ी धौलपुर क्षेत्र में से विगत एक वर्ष में धौलपुर एस पी द्वारा लगभग 58 खूंखार डकैत एवं अपराधियों का पकड़ा जाना ही इसका प्रमाण है। आज भी कई कुख्यात डकैत एवं अपराधी आमजन के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। वर्ष 2009 एवं जनवरी, 2010 तक थाना सरमथुरा में 391 एवं थाना बसेड़ी में 523 प्रकरण दर्ज हुए थे जिनको धौलपुर एस पी राहुल प्रकाश जी ने आकर नियंत्रित किया है। परन्तु इनका तबादला होते ही अपराधी एवं डकैत फिर क्षेत्र में सक्रिय हो जायेंगे और आम जन का जीना हराम कर देंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि आम जन की समस्या को ध्यान में रखते हुए नादनपुर को थाने में एवं अन्य चौकियां को स्थापित कर आम जन को राहत दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़)।

माण्डलगढ़ में बनास नदी पर वेंटेड काजवे का निर्माण

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ को बनास नदी दो भागों में बांटती है। एक तरफ पंचायत समिति कोटड़ी के गांव हैं तथा दूसरी तरफ पंचायत समिति माण्डलगढ़ के गांव हैं। किसानों के खेत कुछ एक तरफ हैं और कुछ दूसरी तरफ हैं। वर्षा ऋतु में पानी आ जाने से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा नहीं सकते। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त भी बनास नदी में अत्यधिक रेत होने से वाहन एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा नहीं सकते। नदी के किनारे भी कटे हुए हैं जिससे लोगों को आने-जाने में बाधा आती है।

पुलिया पर होकर अगर जाना पड़े तो इन गांवों के लोगों को तीस से पैंतीस किमी. की दूरी तय करके एक दूसरे छोर के गांवों में जाना-आना पड़ता है। जबकि यदि ककरोलिया घाटी से थल खुर्द के बीच बनास नदी पर वेंटेड कॉज-वे बना दिया जाय तो माण्डलगढ के कछोला, थल कला, सरथला, जस्सुजी का खेड़ा, लक्ष्मणगढ़ आदि तथा ककरोलिया की घाटी, चोसली, संग्रामपुरा, गेहुंली, गंदेरी आदि गांवों की आपसी दूरी पांच से छह किमी. हो जाएगी।

इसी तरह एक वेंटेड काज-वे हसतड़ा ग्राम तथा रूपारेल के बीच बना दिया जाए तो यहां भी दोनों पंचायत समितियों के गांवों की दूरियां कम हो जाएंगी।

साथ ही, माण्डलगढ़ पंचायत समिति के ही ग्राम पंचायत मुख्यालय जालिया, पंचायत मुख्यालय नंदराम तथा पंचायत मुख्यालय विगोद के गांव मोही प्रतापपुरा, देवपुरा, चौधरियास, मालीखेड़ा, झारलिया, खेरपुरा, मोहनपुरा, रामनगर आदि गांव; हरिसिंजी का खेड़ा, वीलिया, हिंदू सिंजी का खेड़ा, केसरपुरा, सोनियाणा तथा पंचायत मुख्यालय भानपुरा के गणेशपुरा, रामपुरिया आदि गांवों तथा सम्पूर्ण खेराड़ क्षेत्र को विगोद से जोड़ने हेतु जालिया व वीलिया के बीच बनास नदी पर एक वेंटेड काज-वे बना दिया जाए तो इन गांवों की दूरियां भी कम हो जायेंगी।

अतः माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को निर्देशित कर उक्त मार्गों पर बनास नदी में वेंटेड काज-वे बनवाये जाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गणेश सिंह परमार।

बेडच नाका पेयजल योजना (कुम्भलगढ़) की तत्काल शुरूआत

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की काफी लम्बे समय से लम्बित जल प्रदाय योजना बेडच का नाका की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि:

1. यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द की तहसील कुम्भलगढ़ के पांच पंचायत क्षेत्र जिसमें धूरावड़, चारभुजा, रिछेड़, मानावतों का गुडा तथा झीलवाड़ा जिसके लगभग साठ गांव सम्मिलित हैं, की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु पेयजल योजना बेडच का नाका कांग्रेस की पूर्व सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत की गई थी। इस योजना का शिलान्यास पूर्व मुख्य मंत्री एवं तब के क्षेत्रीय विधायक हीरालाल जी देवपुरा एवं तत्कालीन जल संसाधन मंत्री डा. सी.पी. जोशी के कर-कमलों द्वारा किया गया था।

2. यह कि सिंचाई विभाग के तखमीने के अनुसार 241.00 लाख रुपए प्रस्तावित कर, बेडच का नाका बांध की लागत शामिल करते हुए राशि 710.64 लाख रुपये की पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एम्पावर्ड कमेटी की बैठक 03/30.4.2005 द्वारा प्राप्त हुई। योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 368.75 लाख टेक्निकल कमेटी 408/15.9.2005 द्वारा जारी की गई।

3. यह कि बेडच नाका पेयजल आपूर्ति परियोजना की प्रथम एवं द्वितीय स्टेज की क्लीयरेंस भारत सरकार, मिनिस्ट्री आफ एन्वायरनमेंट एवं फोरेस्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली से माह फरवरी 2009 में प्राप्त हो चुकी है।

4. यह कि मुख्य मंत्री महोदय के दिनांक 20 जून, 2010 को कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द में प्रवास के दौरान बेडच नाका जलदाय परियोजना का निर्माण शुरू करने की घोषणा भी कर दी गई परन्तु वन विभाग, लखनऊ के द्वारा आक्षेप किया गया है। लम्बी अवधि निकल जाने के बावजूद अभी तक कोई विधिवत कार्यवाही कर आक्षेप का निस्तारण पी एच ई डी विभाग द्वारा नहीं कराया गया है जिसकी वजह से परियोजना का कार्य शुरू नहीं हो सका। बेडच नाका जलदाय परियोजना कुम्भलगढ़ क्षेत्र में स्थित गांवों के लिए एक भागीरथी योजना है।

(श्री गणेश सिंह परमार)

अतः निवेदन है कि बेडच नाका पेयजल योजना को तत्काल शुरू कराने की उचित कार्यवाही करवाएं ताकि पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

निःशुल्क दवा वितरण योजना का गरीबों को अप्राप्त लाभ

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, जिसमें सरकारी चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क कराये जाने के नाम पर प्रदेश के मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है एवं इसका फायदा ज्यादातर गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। इस योजना से कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं जिनमें सीधे तौर पर मेडिकल स्टोर संचालित फार्मासिस्ट प्रभावित हुए हैं। दवा मुफ्त करने से फार्मासिस्ट बेरोजगार हो गये हैं। सरकार द्वारा पन्द्रह हजार दवा वितरण केन्द्र खोले जाने हेतु मात्र 1,478 पदों को भरते हुए विज्ञप्ति जारी की है जो बहुत ही कम है। दूसरी तरफ सरकार का कानून है कि फार्मासिस्ट के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति, चाहे वह डाक्टर, विशेषज्ञ, नर्सिंगकर्मी ही क्यों नहीं हो, दवाइयां नहीं दे सकता। सरकार को बिना प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही दवा जनता को दिलानी है तो फिर इस फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम का औचित्य ही क्या है? क्या आम जनता के लिए व सरकार के लिए कानून अलग-अलग है क्या? सरकार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो फार्मासिस्ट नहीं है, वह अगर दवा बेचता है तो उसको जेल भेजा जाता है तथा दुकान का लाइसेंस निलम्बित कर दिया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त गम्भीर विषय को ध्यान में रखते हुए सदन में चर्चा कराने की अनुमति प्रदाव कराएं। धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह।

वैर में सड़कों के नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार

श्री बहादुर सिंह (वैर): विधान सभा संचालन एवं प्रकिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में पिछले सालों में कई सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत

(श्री बहादुर सिंह)

कार्य करवाया गया। जैसे छोकरवाड़ा से भुसावर सड़क का निर्माण कार्य हुआ। निर्माण कार्य के 6 महीने बाद ही यह सड़क उखड़ गयी। जबकि ठेकेदार द्वारा 5 साल की गारंटी दी जाती है। इसी तरह से भुसावर से वैर वाली सड़क का ठेका कांग्रेस पार्टी के एक उच्च पदाधिकारी का है। इस सड़क में भ्रष्टाचार एवं कमीशनखोरी की वजह से घटिया सामग्री लगायी गयी और सड़क खड्डों में बदल गयी है। विभाग के उच्चाधिकारी भी उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते।

नरेगा के तहत नदबई से हलेना, हलेना से वैर सड़क अधूरी पड़ी है। उक्त मार्ग के दोनों तरफ गहरे गड्ढे कर दिये गये हैं और इन सड़कों के निर्माण में भी व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उक्त कार्य को करीब डेढ़ साल पहले चालू किया गया था परन्तु अभी तक ये सड़कें खुली होने से दुर्घटनाएं तथा कई लोगों की मौत हो चुकी है।

वैर और सिरस के आयुर्वेद अस्पताल के भवन जर्जर हैं। ये दोनों भवन खण्डहर बन गये हैं। गर्मी व सर्दी में जमीनों पर बैठकर इलाज किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सड़कों में हुए भ्रष्टाचार एवं दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जावे और इन सड़कों का पुनः निर्माण करवाया जावे तो इससे आम जनता को राहत मिल सकती है। साथ ही वैर व सिरस के आयुर्वेद अस्पताल के भवनों का भी निर्माण करवाने से आम जनता को सुविधा मिल सकेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल।

जोधपुर के देहात क्षेत्र की खराब सड़कें

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। महोदय, निवेदन है कि जिला जोधपुर के भोपालगढ़, बावड़ी, मण्डोर देहात क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब व वे टूटी हुई हैं। डामर की सड़कों पर काफी गहरे गड्ढे होने से आम जन खास तौर से किसानों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। उक्त क्षेत्र में नयी सड़कों का निर्माण कर आम जनता को राहत प्रदान करावें।

पंचायत समिति भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़क राजस्थान

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

स्टेट हाइवे जोधपुर से बनाड़ा, भोपालगढ़ से आगे आसोप, कुम्भारा जाने वाली एवं भोपालगढ़ से खेड़ापा, भोपालगढ़ से गांव पालड़ी-राणावता, रातड़ी चौराहा से आसोप, लवारी से गजसिंहपुर, साथिन खवासपुरा, सालवा कलां, रामड़ावास कलां, नादिया तक सभी सड़कों पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं। उक्त मार्ग की सड़कों पर पेचवर्क का कार्य भी नहीं हुआ है। सड़कों के दोनों तरफ की पटरियों पर एक-एक फुट का गैप हो गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग पर सड़कों की मरम्मत करवाये जाने का कष्ट करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल मेघवाल।

जालौर चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय जालौर के सामान्य चिकित्सालय में तीन सर्जन डाक्टर होने पर भी एनेस्थेसिया का डाक्टर नहीं होने के कारण सर्जरी नहीं हो पा रही है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत आने वाले मरीजों के साथ उनके परिजनों को परेशानी होती है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायला में सर्जन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं परन्तु डाक्टर नहीं होने से इन्हें अन्यत्र जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर में कोलर, मेषपुरा एवं साजपुरा जैसे बड़े गांवों में सब-सेंटर खोले जाएं जिससे इन गांवों की महिलाओं को इलाज कराने के लिये बड़े शहरों में न जाना पड़े।

महोदय, जिला मुख्यालय पर दानदाताओं ने आंखों के अस्पताल के लिये भवन बनाकर सरकार को दिया हुआ है परन्तु गत पांच वर्षों से डाक्टरों की नियुक्ति नहीं किये जाने से भवन पर ताला लगा हुआ है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुराणा व सरत में भी डाक्टर नहीं हैं। सरकार द्वारा हाल ही में जनता को निःशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत की गयी है, डाक्टर के रिक्त पदों के कारण उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है।

अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर डाक्टर

(श्री रामलाल मेघवाल)

शीघ्रातिशीघ्र लगाने की व्यवस्था करावें ताकि आम जनता को राहत प्रदान की जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी।

बीकानेर स्थित अनुपयोगी पुलिस चौकी का संस्कृत विद्यालय के रूप में उपयोग

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, निवेदन है कि बीकानेर पश्चिम साले की होली पर एक बहुत पुरानी पुलिस चौकी, जो कि 50 साल से भी अधिक समय में ध्वस्त, समतल व अनुपयोगी है, इसका 50 साल से अधिक समय से पुलिस चौकी के रूप में उपयोग नहीं हो रहा है और न इस चौकी की कोई उपयोगिता है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि संस्कृत विभाग ने एक स्कूल एक अध्यापक समेत इस क्षेत्र में खोलने की स्वीकृति दे दी है परन्तु कोई स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक यह स्कूल प्रारम्भ नहीं हो पाया है। यदि 50 साल से अधिक निष्काम व खुली रूप में पड़ी यह जमीन पुलिस विभाग संस्कृत स्कूल के उपयोग हेतु दे-दे तो इस स्थान पर अपने विधायक स्थानीय निधि से स्कूल भवन बनवाकर स्कूल प्रारम्भ किया जा सकता है व इसका सही उपयोग भी हो जायेगा। पूर्ववर्ती जनता सरकार में जब प्रो. केदार जी गृह मंत्री थे तब इसे संस्कृत व कर्मकाण्ड के अध्ययन हेतु देने के लिये औपचारिक घोषणा भी की थी व उक्त स्थान पर परम श्रद्धेय श्री शंकराचार्य पुरी की उपस्थिति में इसे संस्कृत पाठ्यक्रम संचालन हेतु समारोह के साथ हस्तान्तरित कर दी गयी थी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए उक्त जमीन इस संस्कृत विद्यालय के लिये दिलवायी जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर चल रहा है। श्री भगवान सहाय सैनी।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री ओम बिरला। आप कल बोल चुके थे शायद इस पाइंट पर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी की कार्यवाही

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर 9,337 व्यक्तियों की गुमशुदा की रपट राजस्थान के विभिन्न थानों के अन्दर दर्ज है। इतना गम्भीर मामला है कि राजस्थान के दस हजार से ज्यादा लापता, उन लापता लोगों के अन्दर नाबालिग लड़कियां, नाबालिग लड़के, उनकी संख्या 80 प्रतिशत है। राजस्थान की पुलिस ने इन गुमशुदाओं की तलाश के लिये जिले के अन्दर स्पेशल टास्क फोर्स भी बना रखी है, उनके मापदण्ड भी तय कर रखे हैं लेकिन राजस्थान की पुलिस के लिए वे मापदंड, वह टास्क फोर्स कागजों में काम कर रही है। जो नियम और कानून बने हुए हैं, उनकी पालना भी राजस्थान की पुलिस नहीं कर रही है। सरकार में बैठे हुए लोग अगर किसी विधायक का, किसी सांसद का, किसी बड़े व्यक्ति का कोई पुत्र, पुत्री, घर का व्यक्ति लापता हो जाता है तो उसकी पूरी राजस्थान की पुलिस छानबीन करती है। लेकिन वह गरीब व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, पुलिस के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देते हैं तो पुलिस गुमशुदा की रपट डालकर इतिश्री कर लेती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जितने गुमशुदा लोगों के बारे में पुलिस ने गुमशुदा रिपोर्ट डाली, उसके एक मामले में भी मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही करके उस पर एक्शन नहीं किया। कई घटनाओं के उदाहरण तो कोटा के अन्दर हैं। दीपावली के दिन सरोज मीणा गायब हुई, जिसका बाप फोर्थ क्लास कर्मचारी था, आज तक उसकी तलाश नहीं हुई। कई लोगों के बेटे और बेटियों के गायब होने के बाद उनके पिताओं की आंखें आज भी उन्हें तलाश रही हैं कि मेरा बेटा आयेगा, मेरी बेटी आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार में बैठे हुए गृह मंत्रीजी, उनके पुलिस महकमे के आदमी कभी इस बात पर गम्भीर नहीं हुए कि जिन 10 हजार नाबालिग लड़के-लड़कियों, हो सकता है कि यहां भी निठारी जैसा कांड हो, मानव तस्करी जैसा कांड हो। दिल्ली की सरकार उस पर चर्चा कर रही है, उन्होंने एस टी यू के तहत एक टास्क फोर्स बनाने का भी कानून बनाया है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा से माननीय हमारे भाई निर्मल जी भी गायब हो गये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको लायें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): भाई हैं और आज सुबह से गायब हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपको चिंता नहीं है। आपका बेटा गायब होगा ना, तब पता चलेगा आपको।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर मामला है और राजस्थान में पुलिस गुमशुदा की केवल रिपोर्ट दर्ज करती है। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिये हैं कि इनमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब तक एफ आई आर दर्ज नहीं होगी, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पुलिस, प्रशासन और सरकार उस पर एक्शन नहीं करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा में इसलिए बोल रहा हूं कि हमको कानून बनाना चाहिए, राजस्थान को पहल करनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति गुमशुदा हो, उसकी एफ आई आर काटी जाये, मुकदमा दर्ज किया जाये और एक टास्क फोर्स बनाकर उनको राजस्थान और अन्य प्रदेशों में ढूंढने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म आती है कि राजस्थान के अन्दर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गुमशुदा के अन्दर पुलिस कार्यवाही नहीं करे, सरकार कार्यवाही नहीं करे तो हाई कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़े। राजस्थान की जेलों से अपराध की गतिविधियां घटती रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बैठे हमारे किशनगढ़ के माननीय विधायक ने विधान सभा में चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि मेरे बेटे की हत्या जेलों में बैठे लोगों ने की है। आज बड़े-बड़े आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, लूट, डकैती, जेलों से हो रहे हैं। राजस्थान सरकार जेलों में मोबाइल को नहीं रोक सकी। हाई कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा, दो दिन सरकार चेती, कैसे जेलों में छापे पड़े, कैसे मोबाइल जब्त हुए। अच्छा होता, राजस्थान की सरकार जब किशनगढ़ के एम एल ए जो उनके विधायक हैं, जब अपराध पहली बार घटित होता है, उस अपराध के घटते ही सरकार चलती नजर आती, काम करती नजर आती।

उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह हो गयी कि हम यहां पर चिल्लायें और सरकार सुनना नहीं चाहती, जनता चिल्लाती है गुमशुदाओं के लिए, बाप-बेटे दस्तक देते हैं; पुलिस क्या जवाब देती है, जाओ, ढूंढ लाओ, मिल जाये तो बता देना। ऐसा एक कारनामे नहीं, हजारों बार पुलिस ने वहां के माता-पिताओं को कहा है। यह राजस्थान की सरकार कोई काम नहीं करना चाहती। हाई कोर्ट के

(श्री ओम बिरला)

डायरेक्शन से गुमशुदा की रिपोर्ट हो; जेलों के अन्दर अपराध हो तो हाई कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़े। सरकार में करप्शन हो तो जल महल पर हाई कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़े। हालत यह है कि कोई भी मुद्दा ले लो, हर मुद्दे पर, आज 10 अधिकारियों पर राजस्थान में अवमानना का मामला चल रहा हो। जब तक हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे, विधायक बोलें उनकी बात सुनना नहीं चाहती, जनता की बात सुनना नहीं चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हालत यह हो गयी है कि यहां पर कोर्टों को प्रसंज्ञान लेना पड़ता है, उनको डायरेक्शन देना पड़ता है तब सरकार चलती नजर आती है।

अच्छा हो कि यह राजस्थान की सरकार इन लापता लोगों के बारे में कानून बनाये और जो 10 हजार लोग जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, उनको तलाश करने के लिए व्यापक अभियान चलाये। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इनके परिवारों से जाकर पुलिस के उच्चतम अधिकारी बात करें कि कैसे गायब हुए थे, कब गायब हुए थे; उनकी पूरी छानबीन करके एक टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है। केन्द्र में कानून बन गया है। केन्द्र से पैसा भी आ रहा है। उस कानून के अनुसार पुलिस कार्यवाही करे ताकि वह गरीब जो तरसती आंखों से देख रहा है, जो देख रहा है कि मेरा एक बेटा, एक बेटी है, उनको तलाश करते-करते पैर थक गये हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को और राजस्थान पुलिस को उस व्यक्ति की चिंता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही ध्यान आकर्षण है। मैं कई विषय माननीय गृह मंत्रीजी को बता सकता हूं। कई मुद्दे राजस्थान के समाचार-पत्रों ने भी छापे हैं, उनकी पीड़ा और दर्द को भी छापा है। अच्छा हो, सरकार में बैठे लोगों, जनता की पीड़ा और दर्द को समझो, नहीं तो किसी दिन हाई कोर्ट आप लोग जो काम कर रहे हो ना, आपके कई अधिकारी 6-6 महीने, 8-8 महीने से फरार हो रहे हैं, आने वाला समय आयेगा जब अधिकारी नहीं, राजस्थान सरकार के मंत्रियों को हाईकोर्ट डायरेक्शन देगी और उस पर काम नहीं करने के लिए सरकार जेलों में होगी।

मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार तुरन्त कार्यवाही करे, कानून बनाये और जो 9,337 लोग लापता हैं, उन्हें उनके परिवारों को वापस पहुंचाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटू सिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान जैसलमेर जिले के भूमिहीन किसानों के ...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी वक्तव्य तो दे दें इस पर।

श्री उपाध्यक्ष: आप अब डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पूर्व गृह मंत्रीजी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने बोलना प्रारम्भ कर दिया है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उनके शहर में तो रोज अख़बार में छापा है उनकी कहानियों को, पूर्व गृह मंत्री धारीवाल साहब। रोज छपती थी उसकी कहानी तो, आपने भी देखी होगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप बता दें कि हम उनको ढूंढेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी आपके बोलने को ...(व्यवधान) समझते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं आपकी हर बात को।

जैसलमेर जिले में भूमिहीन किसानों को भू-आबंटन

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन भूमिहीन किसान जो जैसलमेर में रहते हैं उनके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसलमेर जिला हमेशा ही एक शांत जिला रहा है। पहले सरकार को किसी भी कर्मचारी को यदि दंड देना होता था तो उसे सीधे जैसलमेर भेजा जाता था। जैसलमेर जिला सज़ा की जगह मानी जाती थी। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू यह है कि जो भी यहां पर आया, वह यहीं का होकर रह गया। इस जिले के लोगों के द्वारा भारत के किसी भी स्थान से आये हुए मेहमान को आत्मसात कर लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार द्वारा हमारा केवल उपयोग किया गया, यहां की जनता की मांग को हमेशा अनसुना किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक पीढ़ी पहले बुजुर्गों को यदि कहा जाता था कि आपको खेती की जमीन अलाट हो रही है तो लोग कहते थे कि यह जमीन हमारी है, इस जमीन को और कौन ले जा सकता है। इस जिले की भूमि का लोगों को केवल सन् 1970 और 1975 में कुछ मामूली अलाटमेंट हुआ। आज

(श्री छोटू सिंह भाटी)

35 से 40 वर्ष हो गए हैं, यहां के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई बारानी अलाटमेंट नहीं किया गया, आबंटन नहीं किया गया। जिले के लोगों के द्वारा बार-बार मांग की गई। पिछली सरकार द्वारा बारानी अलाटमेंट पर रोक हटाई गई थी और बारानी गांवों में भूमिहीनों ने आवेदन किए। जिलेवासियों को पहली सौगात, बारानी अलाटमेंट पर रोक लगा दी, वह इस सरकार ने लगाई। दूसरी सौगात, भरे हुए फार्मों को भी रद्द कर दिया गया। सरकार के राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 3/25/उप/51/91 दिनांक 11.3.2010 द्वारा सरकार ने बारानी भूमि आबंटन के जिलेवासियों के वर्ष 2004 में भरे गए 26,355 आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध एवं स्थानीय जनता के साथ विश्वासघात जैसा था।

सरकार जिले की जमीन को केवल कम्पनियों को बेचकर पैसा कमाना चाहती है चाहे उसकी एवज में स्थानीय लोगों का गला घुट जाए। सरकार तेल कम्पनियों को जमीन दे रही है, पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा को दे रही है और यहां तक कि कुछ जमीन हमारे डी एन पी के अन्दर गई है। सेना को भी दे रखी है। स्थानीय लोगों को एक बीघा जमीन नहीं दी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पनियों को जो जमीन दे रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है जिसके पास जमीन की किसी प्रकार की कमी नहीं है। अभी इस बारे में चर्चा सोलर ऊर्जा के संदर्भ में हुई थी। हमारा निवेदन यह है कि हम सोलर ऊर्जा को भी जमीन देना चाहते हैं, पवन ऊर्जा को भी जमीन देना चाहते हैं, डी एन पी को भी जमीन दी गई है, सेना को भी दी गई है, उसके लिए किसी प्रकार का हर्ज नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि जिले के 80 प्रतिशत लोग पशुपालक हैं, भूमिहीन हैं, हमारे पूर्वजों ने इस बारे में सोचा नहीं था, जमीन के मामले में लोगों के पास शिक्षा कम थी, लोग यही जानते थे कि जमीन यहां की जनता की है, यहीं रहेगी, और कौन खायेगा। लेकिन आज स्थिति यह आ रही है कि मुख्य जमीन जो सड़क के पास है, प्राकृतिक सेवण घास का जो एरिया है या जो कृषि योग्य जमीन है, उस जगह पर जमीन सरकार उन लोगों को दे रही है जो वहां सोलर ऊर्जा लगा रहे हैं, पंखे लगा रहे हैं या दूसरे भी कोई उद्यम लगा रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि सरकार किनको भी दे, हम मंजूर करेंगे लेकिन वहां की जनता के साथ आज 35 से 40 वर्ष हो गए, किसी भी प्रकार का बारानी

(श्री छोटू सिंह भाटी)

अलाटमेंट उनको नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि पूर्व की जो भी फाइलें बाकी पड़ी हैं, उनको पुनर्जीवित करें और जो लोग भूमिहीन जैसलमेर के हैं, बारानी अलाटमेंट होते हुए भी उनको नहीं मिल रही है। कृषि योग्य जमीन हमारे जैसलमेर में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर के जो लोग भूमिहीन हैं, पहले उनको जमीन दी जाए; बाकी जितनी जमीन बचे, किसी भी प्रकार के यंत्र या कारखाने लगाएं, हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार जमीन अलाटमेंट पर से तुरन्त प्रभाव से रोक हटाये, पिछली सरकार के समय भरे हुए भूमिहीन किसानों के 26,325 फार्मों को पुनर्जीवित करे अन्यथा विवश होकर हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर स्थित 22-गोदाम, सुदर्शनपुरा व करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्रों का विस्थापन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा, सुदर्शनपुरा विस्तार, करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1965 में इन चारों इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन का अलाटमेंट हुआ। 90 साल की लीज पर रीको ने करतारपुरा में 180 इकाइयों के लिए 28.85 एकड़ जमीन, सुदर्शनपुरा में 95 इकाइयों के लिए 17.60 एकड़ जमीन और सुदर्शनपुरा विस्तार में 150 इकाइयों के लिए 14.71 एकड़ जमीन और 22 गोदाम एरिया में 184 इकाइयों के लिए 80 एकड़ जमीन पर ये भूखण्ड आबंटित किए थे और यह इंडस्ट्रियल एरिया यहां पर डवलप हुया। पिछले कई सालों से ये इंडस्ट्रियल एरिया चल रहे हैं। इनको 200 वर्ग गज से 600 वर्ग गज तक की जमीनें अलाट हुईं लेकिन आज जैसे-जैसे जयपुर का विस्तार हो रहा है, आज स्थिति यह हो गई कि इन चारों इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ सघन आबादी बस गई और ये चारों इंडस्ट्रियल एरिये सघन आबादी क्षेत्र में आ गए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चाहे कुशल श्रमिक हों या अकुशल श्रमिक हों, ज्यादातर श्रमिक बाहर से आते हैं। चूंकि इनके भूखण्ड छोटे हैं,

(श्री कालीचरण सराफ)

200 वर्ग गज, 300 वर्ग गज, 400 वर्ग गज, इसलिए वहां पर उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती जिसके कारण कोई भी श्रमिक वहां टिक नहीं पाता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के कम्पीटिटिव युग में जहां मास स्केल पर प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे भूखण्ड हैं तो वहां मास स्केल पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां सड़कें अतिक्रमण के कारण इतनी संकड़ी हो गई हैं कि कई जगह तो 15 फीट और 16 फीट तक सड़कें रह गई हैं। पिछले साल 30 नवम्बर को वहां पर केमिकल फैक्टरी में आग लगी तो आपको आश्चर्य होगा कि 3000 फोम से आग को 28 दमकलों ने 4 घण्टे में जाकर बुझाया। 4 फैक्टरियां जो आसपास थीं, उनको नुकसान हुआ और 4 श्रमिक भी वहां पर इस हादसे में घायल हुए। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल हो गया था।

आज वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से वहां के सारे स्थानीय नागरिक पीड़ित हैं और सघन आबादी क्षेत्र में होने के कारण वहां ट्रकों का आवागमन पूरे दिन नहीं हो सकता, केवल रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वहां ट्रक आ-जा सकते हैं। कच्चे माल की आवक और तैयार माल की निकासी, ये दोनों समय पर नहीं हो सकतीं, केवल रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हो सकती हैं। आज वहां के उद्यमी भी यह चाहते हैं कि यह फैक्टरियां यहां से स्थानांतरित हों और वहां के नागरिक भी चाहते हैं कि ये स्थानांतरित हों। जैसा वहां वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, वहां पर कई बार स्थानीय नागरिकों और उद्यमियों में टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे मांग करना चाहता हूं कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया का फोर्थ फेज अभी डवलप हो रहा है, यदि इन चारों औद्योगिक क्षेत्रों को डिनोटिफाइ करके वहां प्राथमिकता के आधार पर और रियायती दरों पर इनको बड़े भूखण्ड, जितना भी ये चाहते हैं, वहां पर आबंटित किए जाएं तो निश्चित रूप से इनका व्यापार भी बढ़ेगा, वहां के लोगों की प्रदूषण की समस्या का समाधान भी होगा और यहां की जो जमीन है, उसको आप कामर्शियल कर दीजिए, आपको इससे रेवेन्यू भी मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन चारों औद्योगिक इकाइयों को डिनोटिफाइ किया जाए और इनको यहां से

(श्री कालीचरण सराफ)

सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया फेज फोर्थ में रियायती दरों पर प्राथमिकता के आधार पर बड़े भूखण्ड आबंटित किए जाएं। इससे सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और इनको भी निजात मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को भी निजात मिलेगी।

उद्योग मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप निर्देश दें, ये कोई न कोई आश्वासन यहां पर दें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष: वे खड़े हैं, क्या चाहते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से निवेदन करूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष: आपका नम्बर निकल गया था, माननीय सदस्य। (व्यवधान) फिर ज्यादा बोलोगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एक जरूरी सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन के सामने समस्या आ जाती है, कानून के विपरीत बोलोगे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): एक नई परिपाटी कायम हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नई परिपाटी कायम हो रही है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नई परिपाटी कहां से कायम हो रही है?. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहीं था। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। मेरे को आप अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका नाम निकल गया था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माई पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह तो सुन लो, भाई। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक आंदोलन की सूचना है। बोलें वे, उनको कहां मना करता हूं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या हो गया?

सूचना

नर्सेज एसोसिएशन का आन्दोलन

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पाइंट आफ इंफार्मेशन। एक आंदोलन के कारण बहुत नुकसान होने वाला है। मेडिकल की हड़ताल है, जो नर्सेज एसोसिएशन है, पिछले 30 दिन से धरने और प्रदर्शन पर हैं। आज उन्होंने प्रत्येक हास्पिटल में जयपुर और राजस्थान में दो-दो घंटे का आंदोलन, हड़ताल की है और कल वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। डाक्टर, मेडिकल चिकित्सक कुछ नहीं कर पाएंगे। वह एसोसिएशन में मैं अभी गया था, एस एम एस में, उन लोगों ने मुझे बुलाया और मेरा आपको निवेदन है कि उनके आंदोलन पर, उनकी हड़ताल पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा पूरे राजस्थान का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री बृज किशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान दिया जाए।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

शिक्षा विभाग

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार शिक्षा विभाग की निम्न चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 12 जुलाई, 2010 जिसके द्वारा राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम और

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करने हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर को शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 29 मार्च, 2011 जिसके द्वारा कमजोर वर्ग के बच्चों को कतिपय श्रेणियों में चिह्नित किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 29 मार्च, 2011 जिसके द्वारा सुविधाहीन वर्ग के बच्चों की श्रेणियों को चिह्नित किया गया है ; एवं

4- अधिसूचना संख्याः एफ.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 29 मार्च, 2011 जिसके द्वारा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 विरचित किये गये हैं ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैंने यह सूचना दी है। इसको समाप्त करने के लिए इनकी मांगों को माना जाए। जय हिन्द। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पहले एक बार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका नाम पुकारा जा चुका है और यह सदन की परम्परा भी नहीं है। एक समय निश्चित होता है किसी चीज का।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, आप करें।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 में राजस्थान राज्य से सम्बन्धित सिफ़ारिशों पर क्रियान्विति प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-20(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 में राजस्थान राज्य से सम्बन्धित सिफ़ारिशों पर क्रियान्विति प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख", 2011-12 समिति के 20वें व 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं मेरी बात पर। उनको दो मिनट सुन लो। क्या दिक्कत हो गई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आगे का बिजनेस शुरू हो गया, अब तो नहीं। मंत्रीजी ने कहा, मिल कर बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इन्होंने जो बात कही है, सरकार की तरफ से उसका उत्तर ही नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट साहब, वे खुद खड़े हो गये अब।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर स्थित 22-गोदाम, सुदर्शनपुरा व करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्रों का विस्थापन

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी भारी चिंता का विषय है। निश्चित रूप से करतारपुरा, सुदर्शनपुरा, बाईस गोदाम, यह इंडस्ट्रियल एरिया जब बना था, 1982 में, तो निश्चित रूप से वहां आबादी का इतना घनत्व नहीं था लेकिन धीरे-धीरे आबादी का घनत्व बढ़ा तो निश्चित रूप से अब यह घनी आबादी में आ गया। यह चिंता का विषय है। तो यह सारा प्रकरण जो है आई डी सी में मैं ले जाऊंगा और आई डी सी में मैंने एक विशेष रूप से निर्देश दिये थे, एक कमेटी गठित कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष: यह चाहते हैं कि साहब, यह चूंकि पोल्यूशन का मामला है, जल्दी हो जाए। इनका तो कहना यह है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कमेटी का गठन कर दिया है। अब कमेटी जो है इसका परीक्षण कर ले, उसके पश्चात् देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, इसको परश्यु करवा लें। श्री अलाउद्दीन आजाद जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो मिनट में अपनी बात रख दूंगा। आप इजाजत दें, मैं हाउस में था।

श्री उपाध्यक्ष: आपने बोल लिया न।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से कैसे चलेगा? जो मर्जी आवे तब ही कोई बोलने लग जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप इजाजत देंगे तब बोलूंगा न। आप इजाजद दें तब बोलूंगा न। मैं तो अनुशासित सदस्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट में समाप्त कर लें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ठीक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट में, मैं घड़ी देख रहा हूं, माननीय।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

दलित एवं बालिकाओं पर घटित अत्याचार

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ऐसा है, इर्रेलेवेंट हो तो मैं एक मिनट से पहले ही बैठ जाऊंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, घटना कहो या दुर्घटना कहो, ऐसी हृदय विदारक घटना शायद राजस्थान के इतिहास में पहली है कि बारां जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय की तीन छात्राओं की जो 11वीं की छात्राएं थीं और उस दिन घटना हुई, बाल दिवस, 14 नवम्बर, 2011 को इनको जहर खिलाया गया या आत्महत्या हुई या हत्या हुई लेकिन साढ़े तीन महीने के बाद आज तक भी उन अपराधियों का पता राजस्थान की पुलिस नहीं लगा पाई। साढ़े तीन महीने बीतने के बाद उनके परिजन, वहां के निवासी निश्चित रूप से आंदोलन के मैदान में हैं। गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी से भी मिल लिये, डी जी पी से भी मिल लिये लेकिन साढ़े तीन महीने, 14 नवम्बर, बाल दिवस से लेकर आज की तारीख तक दो मार्च तक उन अपराधियों का पता नहीं लगा। उपाध्यक्ष महोदय, उन बच्चियों ने जिंदा रहते हुए, जब अस्पताल ले जाया गया तब वे बोल रही थीं और एक अक्षिता सोनी ने तो यहां तक कहा कि हमने जहर खाया नहीं है, कुछ लोगों ने खिलाया है लेकिन राजस्थान की पुलिस, बारां की पुलिस ने उनके बयान नहीं लिये। आज तक भी इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता कि तीन बालिकाएं जिनके 84 प्रतिशत नम्बर हैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लड़कियों का पढ़ना शुरू हुआ है और ऐसे में केन्द्रीय विद्यालय की तीन बालिकाओं की इस तरह हत्या कर दी जाए और आज तक उनका, अपराधियों का पता नहीं लगा, मैं समझता हूं, यह विपरीत असर राजस्थान सरकार पर पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अलाउद्दीनजी आजाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तो मेरा निवेदन है कि इसकी सी बी आई से जांच कराई जाए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन जी आजाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): और दूसरा जो ओसियां में, मैं समझता हूं, पड़ासाल में है, उन दलियों के घर रात को 12 बजे दर्जनों लोगों ने जला दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, प्लीज।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उन दलितों के घर जला दिये गये हैं, उनकी दुकानें जलाई गई हैं। उनको आज भी प्रताड़ना दी जा रही है। उनके फिर से घर नहीं जलाये जाएं, यद्यपि कुछ लोगों को पकड़ा भी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से गृह मंत्री से, उन तीन बालिकाओं की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से गृह मंत्रीजी कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): और पड़ासाल में दलितों की...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, महिला आयोग की सदस्या ने सी एम साहब से मिल कर सी बी आई से जांच करवाने की मांग की है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष: अलाउद्दीनजी, आप बोलिये। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन ''ख'' समिति (वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन) (सं. 20 व 21)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति ''ख'' 2011-12 के निम्न दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 का 20वां प्रतिवेदन; एवं

2- खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 का 21वां प्रतिवेदन।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, उन बच्चियों के राज के बारे में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आसन की एक व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने आसन का ध्यान आकर्षित किया था, पाले के ऊपर स्थगन प्रस्ताव था, फिर हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कह दिया था, सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है, आसन समय निर्धारित कर दे। आज दो तारीख है और आसन को निर्धारित करना है।

श्री उपाध्यक्ष: आज बी ए सी की मीटिंग है न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बी ए सी का मामला नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: यह इसी में आएगा न, समय निर्धारित तो वहीं होगा न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की बात है। सदन की तो आसन ही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सदन के संचालन के लिए समय निर्धारित करती है। (व्यवधान) आप बात कर लीजिए, उसके बाद कोई बात होगी, देखेंगे, जो भी होगा। ऐसी क्या बात है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसे विद्वान से मुझे यह अपेक्षा नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष: हम तो आपसे ही सीखते हैं, हम तो हर सदस्य से सीखते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री कैलाश चन्द्र भंसाली, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे। श्री कैलाश चन्द्र भंसाली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आसन से यह व्यवस्था हुई थी कि वक्तव्य का समय निश्चित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पाले के कारण लोगों की फसलें नष्ट हो गईं। आप किसान के हमदर्द हैं, सरकार बैठी है, आप समय तय करें न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सारे विपक्ष के सदस्य लगातार अनुपस्थित रहे हैं। यह क्या ऐसी बात हो गई? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अच्छा, पाले से फसल नष्ट हो गई, कोई ऐसी बात नहीं? आप शहर में रहते हो, आपको क्या पता किसान का दर्द? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप लाल मिर्च पैदा करते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सारा प्रतिपक्ष वेल में था, आसन ने व्यवस्था दी थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद विवाद।

एक माननीय सदस्य: पश्चिमी राजस्थान की तपती धूप में रहते हैं, शहर में नहीं रहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है, आप समय निश्चित कर दें। आप समय निश्चित कर दें कि मंत्री महोदय चार बजे देंगे, 5 बजे देगें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्रजी जाड़ावत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बहुत समस्या है, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्रीजी का रिप्लाई है, उसमें सब चीजें आ जाएंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्रीजी का रिप्लाई है, यह सरकार की तरफ से रिप्लाई है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरकार के मुखिया हैं, रिप्लाई देंगे। (व्यवधान)... आपकी बात सामने है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो यह खड़े होकर कह दें कि मुख्य मंत्रीजी की रिप्लाई में सारी बात आ जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्रीजी कह दें खड़े होकर। कोई बात तो हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक ने जो बात कही है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अगर यह चाहे कि हम जो वक्तव्य देने वाले थे स्थगन प्रस्ताव पर, माननीय

(श्री घनश्याम तिवाडी)

मुख्य मंत्रीजी पाले के बारे में अपना जवाब अगर उसमें देते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? वक्तव्य आ जाए, हमको मुख्य मंत्रीजी कह दें। हमारे तो बाबो घर में आणो चावै। किसान को तो मुआवजा मिलना चाहिए, अनुदान मिलना चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैंने यह कहा है कि मुख्य मंत्रीजी जब रिप्लाई देंगे तो जो बहस के दौरान मुद्दे उठे हैं, उन सब मुद्दों को कवर करके ही जवाब दे सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बचो मत। आप बचो मत। आपने कहा है कि मुख्य मंत्रीजी आज जब वक्तव्य देंगे तब इसके बारे में दे देंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैंने जो कहा है, वही मैं कह रहा हूं। मेरे मुंह में अगर शब्द डालना चाहो तो आपकी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत। कृपया प्रारम्भ करें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया जाय। कल मेरा बोलने का था, लेकिन समय नहीं मिला, आपने सदन को स्थगित कर दिया था। मुझे समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: आपको पर्याप्त समय मिल गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कल फ्लोर इनके पजेशन में था, इसलिए आज बहस की शुरुआत इन्हीं से होनी चाहिए। आप नियम की किताब से बंधे हुए हैं, आप जानते हैं। 5 मिनट बोलेंगी माननीय सदस्या।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन को गाइड कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आसन की विद्वता से परिचित हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य का नाम पुकार चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप विराजो, आप नये-नये हो, मैं आसन की विद्वता से परिचित हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कल पर्याप्त बोल चुकी हैं, जितना टाइम दिया था उतना बोल चुकी हैं।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोल पायी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): मैं बोल ही नहीं पायी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, आपका स्वभाव ही बदल गया उस सीट पर जाकर। इधर तो कुछ स्वभाव था, किसानों के हित में बोलते थे और वहां बैठते ही स्वभाव बदल गया आपका।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंहजी, प्रारम्भ करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के बोलने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं परम्पराओं की बात याद दिलाना चाहता हूं। अगर किसी माननीय सदस्य का भाषण समाप्त नहीं होता है और दूसरे दिन उसी बात पर बहस शुरू होती है तो वह चाहे दो मिनट बोले, चार मिनट बोले, सदन की परम्परा है। आप अगर कल यह कह देते कि आपका भाषण समाप्त हो गया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उसको देख लेंगे। कल पर्याप्त टाइम दे दिया उनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): टाइम दे दिया, वह अलग है।

श्री उपाध्यक्ष: जितना टाइम दिया उससे 5 मिनट ज्यादा दिये। पूरा टाइम दिया है। श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत, प्रारम्भ करें प्लीज। टाइम जितना दिया है ...(व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोल ही नहीं पायी।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रारम्भ करें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल नहीं बोल पायी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के 27 तारीख, सोमवार को दिये गये अभिभाषण के पक्ष के अन्दर मैं मेरे विचार व्यक्त करूंगा।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं...

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को आये हुए लगभग तीन वर्ष से अधिक समय हो गया और तीन वर्ष के अन्दर मुख्य मंत्रीजी, जो हमारे सदन के नेता हैं, उन्होंने जो आम आदमी, राजस्थान के गरीब आदमी के लिए योजना बनाने की बात कही, इन तीन वर्षों में उन्होंने लगभग 300 महत्वपूर्ण निर्णय किये और उपलब्धियां अर्जित कीं। सरकार जब सत्ता में आती है तो वह हमेशा यह कहती है कि हम आम गरीब के लिए काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे, लेकिन इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देंगे कि उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रहा। उन्होंने जो आम आदमी के हित को ध्यान में रखकर योजनाएं बनायीं, उनके ऊपर उन्होंने क्रमशः काम करना शुरू किया, चाहे उसमें हजारों करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार का लगा हो, लेकिन आम आदमी का ध्यान रखा।

आज उस गरीब व्यक्ति को रोजगार देने की बात आयी, नरेगा जैसी योजना जो केन्द्र के द्वारा दी गयी, लेकिन उसका सफल संचालन राजस्थान में कैसे हो, उसकी व्यवस्था उन्होंने की। राजस्थान के अन्दर गरीब आदमी को दो रुपये किलो गेहूं देने की योजना लागू की। गेहूं का दर्द वह गरीब आदमी जानता है कि जब 12 रुपये किलो गेहूं खरीदा जाय और उसको दो रुपये किलो गेहूं मिले। 38 लाख से अधिक लोगों को दो रुपये किलो गेहूं देने की व्यवस्था की, बी पी एल और स्टेट बी पी एल। स्टेट बी पी एल की अलग श्रेणी बनायी और उनको उन्होंने देने का फैसला किया। उस गरीब आदमी के रोजगार के लिए, गरीब आदमी का पेट भरने के लिए अन्न जैसी सस्ती योजना उन्होंने शुरू की। गरीब आदमी को जो बी पी एल चयनित था और एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट थी, इंदिरा आवास के अन्दर वह गरीब आदमी हमेशा इंतजार ही करता रह जाएगा क्योंकि पूरे वर्ष में एक या दो निवास आते हैं, उस गरीब आदमी को फोकस किया और पूरे राजस्थान में उन्होंने पता लगाया तो लगभग 10 लाख लोग हैं, इन लोगों को आखिर में मकान अपना मुहैया होगा। उसमें वर्ष लग रहे थे, उनकी पीढ़ियां पूरी हो रही थीं, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने 10 लाख लोगों को जिसमें 3400 करोड़ रुपया खर्च करने का फैसला किया, 50 हजार और 3 हजार रुपये में शौचालय की व्यवस्था की। पेट भरने के लिए, रोजगार के लिए और रहने के लिए।

उसके बाद ध्यान आया कि आम आदमी जो इस राजस्थान में 6 करोड़ 70 लाख हैं, मुझे या हमारे माननीय सदस्यों को निःशुल्क दवा योजना

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, वह गरीब आदमी जब हास्पिटल में जाता है, लम्बा-चौड़ा बिल बनता है, इस वजह से वह हास्पिटल में नहीं जाता और दम तोड़ देता है गांव में। उस गरीब आदमी का ध्यान रखा गया। उस गरीब आदमी का ध्यान रखते हुए निःशुल्क दवा योजना जिसमें लगभग 15,355 केन्द्रों के द्वारा सब-सेंटर से लेकर पी एच सी, सी एच सी, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल और एस एम एस, सारे हास्पिटल्स के अन्दर; मैं नहीं कहता, जब भी कोई योजना शुरू होती है तब परेशानी होती है, पहले 400 दवाइयों का फैसला किया और उसके बाद में जब देखा कि दवा कम्पनियां सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं, तब फैसला हुआ 150; कहीं 200 तक दवाइयां पहुंचीं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी का लक्ष्य है कि यह दवाइयों का दायरा बढ़ता-बढ़ता, आज 300 दवाइयां हुई हैं, धीरे-धीरे 400 दवाइयां हो जाएंगी जिसमें कैंसर जैसी बीमारी का इलाज, हार्ट के अन्दर जो इंजेक्शन लगता है वह महंगा इंजेक्शन आता है, सिर दर्द की दवाई बिलकुल निःशुल्क मिलेगी। यह आम आदमी के लिए उन्होंने फैसला किया। उस आम आदमी के लिए फैसला किया जो यह नहीं जानता कि मुझे जो अधिकार है उस अधिकार के तहत मेरा काम कब पूरा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी कानून बने, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। आज 15 विभागों की लगभग 108 सेवाएं उस कानून के दायरे में ली गयीं, आम आदमी जो गांव में रहता है, गरीब है, उसको कानूनी जामा पहनाया गया कि जो अधिकारी समय सीमा में उस गरीब आदमी को सूचना नहीं देगा, उसका कार्य नहीं करेगा, उसकी तनख्वाह से 5 हजार तक की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। यह पहली बार फैसला किया हमारे मुख्य मंत्रीजी ने।

जननी सुरक्षा योजना, जो केन्द्र सरकार की योजना है, लेकिन उसका सफल संचालन कैसे राजस्थान में हो, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की, मानिटरिंग की और आज मृत्यु दर में कमी आयी है। माताओं का प्रसव जिनको लाने-ले जाने से 30 दिन तक उनके भोजन की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था, जननी सुरक्षा योजना के तहत हुई है।

108 एम्बुलेंस की व्यवस्था हर पंचायत समिति मुख्यालय पर मुख्य मंत्रीजी ने की। वह गरीब आदमी जो सोच नहीं सकता था कि मेरे फोन करने से मेरे गांव के अन्दर एक सरकारी वाहन आकर खड़ा हो जाएगा और मेरे परिवार के बच्चे की, मेरी मां की, मेरे बूढ़े पिता की जीवन रक्षा हो जाएगी, एक फोन के ऊपर वह व्यवस्था पूरे राजस्थान में लागू की गयी। हर पंचायत

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

समिति मुख्यालय पर ऐसा किसी ने नहीं सोचा। यह आम आदमी के लिए किये गये फैसले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बी पी एल की महिलाएं हैं, उनके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा कि प्रसव के बाद में घी की जरूरत भी है, जो बहुत महंगा है। 5 किलो ...(व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): बिलकुल गलत है। बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। बिलकुल असत्य है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): बिलकुल नहीं मिला। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): बिलकुल नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, 5 किलो बिलकुल नहीं मिला। एक भी नाम बता दो। कहां मिला? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका नम्बर आएगा। कमसाजी, आपका नम्बर आएगा। (व्यवधान) आपका नम्बर आएगा तब आप बताना। (व्यवधान) सुरेन्द्र सिंहजी, आप जारी रखिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सरकार पर खूब प्रहार किये तब हम ध्यानपूर्वक उनको सुनते रहे, हमने कभी बीच में टोकाटाकी नहीं की। मैं विपक्ष का आह्वान करता हूं कि ये जो योजनाएं बनाई हैं, ये पूरे राजस्थान के लिए बनाई हैं, जहां से आप और हम चुनकर के आ रहे हैं। इनके अगर कमियां हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं तो आप सरकार के ध्यान में लेकर आइये। यह सदन है उसके लिए। आप बैठिये। आप विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): हम यही बता रहे हैं कि घी नहीं मिल रहा है। हम यही बता रहे हैं, आपके ध्यान में ही ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जाड़ावतजी, आप आसन की तरफ देखकर बोलें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में आप लाएं तब मैं बोलूं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारी कमियां हैं, उनको लेकर आइये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): आप वहां बैठकर हमें भी नहीं बोलने देते। आप वहां जब बैठते हैं तो हमें भी नहीं बोलने देते। आप क्यों टोकते हैं? हमें समय ही नहीं देते और अब आप कह रहे हैं कि घी दे रहे हैं, जबकि दे ही नहीं रहे घी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उधर मत देखिये, आप तो इधर देखिये। वे तो उत्तेजित करेंगे। आप क्यों होते हो उत्तेजित?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जो-जो कमियां हमारी इन योजनाओं में दिखाई देती हैं, यह सदन है उसके लिए, आप बोलें, उनमें सुधार होगा और पूरे राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा, अगर दवाइयां नहीं मिल रही हैं ढंग से। जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की और 10 लाख मकान देने का फैसला किया, तीन चरणों में मकान दिये जायेंगे, वे मकान अगर नहीं बन रहे हैं, उनमें कोई कमियां हैं तो वह बताइये। अगर 10 लाख मकान देने का फैसला किया और 10 हजार मकान अगर नहीं बन पाये और आपने यह कह दिया कि 9 लाख 90 हजार मकान तो बने हैं लेकिन 10 हजार मकान नहीं बने हैं, यह चीज नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्ष को अपने सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। जो कमियां हैं, वे हमें भी मालूम हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ...जिला परिषद पर 100-100 करोड़ रुपये का लोन रख दिया आपने और कह रहे हो कि मकान दे दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आदमी बी पी एल, स्टेट बी पी एल में कवर नहीं है, उसका आपरेशन होना है और 40 हजार तक की उसकी आय है तो जो मान्यता प्राप्त हास्पिटल हैं उनमें 40 से लेकर 60 हजार और विशेष परिस्थितियों में एक-एक लाख रुपया भी मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी मंजूर कर रहे हैं। इसमें आम आदमी को फायदा मिल रहा है। हमारी सरकार की हर योजना का सफल क्रियान्वयन हो, उसके लिए प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों का परम कर्तव्य है। ये योजनाएं राजस्थान की जनता के लिए हैं।

आज भ्रष्टाचार की बात है, उस पर नियंत्रण करने के लिए मंत्रीमण्डल के सदस्यों सहित मोटे-मोटे जो नौकरशाह हैं, उन सभी की सम्पत्ति की घोषणा करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने वेबसाइट तैयार करवाई है कि कौन-कौन पहले क्या था और अब क्या हो गया उसका। आज मध्य प्रदेश में देखें आप,

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

परिवहन विभाग का एक चपरासी है, उसके आये दिन आते हैं, आज भी अखबारों में है, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति छापों में मिल रही है। राजस्थान के अन्दर इन मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल के अन्दर यह भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना है। यह आर.टी.आई. कानून इसीलिए लागू किया गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रणवीरजी पहलवान, कृपा करके। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): कल मंत्रीमण्डल के अन्दर भ्रष्टाचार से कमाई हुई सम्पत्ति को जब्त करने का भी फैसला किया गया है, वह सरकार के अधीन आ जाएगी। बहुत बड़े-बड़े फैसले इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी हर जगह कर रहे हैं और यही कारण है कि आज कोई भी पूरे राजस्थान के अन्दर इस सरकार के मुखिया पर अंगुली नहीं उठा सका, मंत्रियों पर नहीं उठा सका और मंत्रियों पर उठाई गई तो साबित नहीं कर सका। मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता कि पांच साल पहले क्या हुआ, आज वे संसार में नहीं हैं, इस राजस्थान के महान नेता थे जो 2-3 बार राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे, उप-राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उन्होंने क्या कहा, वे हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनका दिल दुखा तब उन्होंने यह कहा। लेकिन हमारे मुखिया पर कोई अंगुली नहीं उठा सका। यह भ्रष्टाचार को रोकने का उन्होंने सबसे बड़ा फैसला किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। हर बूढ़े मां-बाप की यह इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा दूं, अच्छी शिक्षा दे दूं और वह जल्दी से जल्दी जो शिक्षा प्राप्त की उसके तहत नौकरी लगे। इसके लिए 52 हजार नियुक्तियां अभी तक दी जा चुकी हैं और एक लाख प्रक्रियाधीन हैं। उन बेरोजगारों के अन्दर एक आशा की किरण है। इसके अलावा और नई नियुक्ति के, नई नौकरियों के फैसले भी मुख्य मंत्रीजी करने वाले हैं। उस बेरोजगार तबके में जो असंतोष है, उसके लिए आने-जाने का रेल और बस के किराये का पुनर्भरण किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हर सरकार के 4-5 विभाग हैं जो सरकार का आइना होते हैं। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो उस राज्य में विकास के पहिये थम जायेंगे। ऊर्जा का उत्पादन करने का फैसला किया और लगभग 11,590 मेगावाट

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

बिजली उत्पादन का फैसला किया गया जिसमें से 3,106 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है। इसमें 660 मेगावाट के 6 क्रिटिकल पावर स्टेशन बिजली के उत्पादन क्षेत्र में उन्होंने लगाने का फैसला किया है और यह सरकार का बहुत बड़ा कदम है। बिजली का उत्पादन हो, उसका प्रसारण अच्छा हो, बिजली गुणवत्ता वाली मिले, इसके लिए 5 400 केवी के ग्रिड बनाये जिनमें एक मेरे चित्तौड़ में भी बन रहा है। 15 220 केवी के ग्रिड 132 से 220 में अपग्रेड किये जिनमें मेरे चित्तौड़ का सावा भी है। 64 नये 132 केवी के ग्रिड मुख्य मंत्रीजी ने बनाने का फैसला किया और लगभग 889 33 केवी के ग्रिड जिसमें चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ऊर्जा के अन्दर ऐतिहासिक फैसला हुआ और लगभग 17 ग्रिड 33 केवी के चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र में पहली बार हैं। 11 ग्रिड 50 साल में और इन तीन सालों में 17 ग्रिड। दो ग्रिड 33 केवी के, एक ग्रिड 220 का, एक 400 केवी का ग्रिड है। लगभग 650 करोड़ रुपये का चित्तौड़ के अन्दर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान के अन्दर हुआ है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सारे काम हो गये तो बैठ जाएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं जो नहीं हुए, वह भी बता दूंगा। जसवंतजी, आप मेरे साथ में युवा कांग्रेस में रहे हुए हो, आप और डाक्टर साहब, दोनों ही।

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया उत्तेजित नहीं हों। माननीय जाड़ावतजी, आप उत्तेजित मत होइये, आप तो बोलते रहें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): नहीं, मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं पर क्रम टूटता है, साहब। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके सारे काम हो गये तो फिर बचा क्या है? आपका कोई काम ही नहीं बचा।

श्री उपाध्यक्ष: आप जानते हैं इनको, सज्जन विधायक ऐसे ही करते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं कह रहा हूं कि बनकर चालू हो गये। 8 ग्रिड अब बनना शुरू होंगे, 132 ग्रिड लगभग पूरे होंगे, 132 ग्रिड अब चालू होंगे, 400 ग्रिड का काम शुरू हो गया, 220 केवी का ग्रिड बन चुका। इसलिए, डाक्टर जसवन्त यादव साहब, आप सुनो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इधर देखो। आप उत्तेजित मत हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बी पी एल और ए पी एल के लगभग 16 लाख 37 हजार लोगों को कनेक्शन दिये गये राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत। ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): कोई ढाणी नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): रविन्द्रजी, आप भी कांग्रेस में मेरे साथ रहे हुए हैं, आप प्रधान थे और मैं जिला प्रमुख था। विराजो। सड़कों के अन्दर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलते जाइये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ऊर्जा के बाद में सड़क हर राज्य का आइना होती है। हर आदमी सड़क को देखकर तय करता है कि राज्य में विकास का काम किस तरह से चल रहा है। लगभग 4,200 करोड़ रुपये सड़कों में अलग-अलग दिये, मिसिंग लिंक्स 16 किलोमीटर दी गईं, जो धार्मिक स्थल हैं, 600 से अधिक.....

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पहले एक साल में 15 किलोमीटर मिलती थीं और माननीय मुख्य मंत्री ने तीन साल में 16 किलोमीटर दी हैं, वे भी कम्प्लीट नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं बैठ जाता हूं और आप हाउस को आर्डर में लायें तो मैं बोलूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये आपको उत्तेजित करना चाहते हैं, आप उत्तेजित मत होइये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जब ये बोल रहे थे तो हम तो चुप थे।

एक माननीय सदस्य : यह सदन झूठ का भाषण सुनने के लिए नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): झूठी बात है तो कह दो न।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपकी बात सुनने वाली सरकार ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): कौनसी सरकार नहीं है?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यहां पर सरकार ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी बैठी हैं वे। राज्य मंत्री बैठी हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप तो सुन रहे हो न। आप तो जानते हो, सरकार के तो सारे मंत्री जानते हैं। (व्यवधान) उनको तो पता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको पता नहीं है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपके मंत्री यहां नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीमण्डल सारा गायब है यहां से। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैबिनेट के एक भी मंत्री नहीं हैं, मंत्रीमण्डल सारा गायब है यहां पर। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मुख्य सचेतक नहीं हैं, मंत्रीमण्डल के सदस्य मौजूद नहीं हैं, कैबिनेट के। यह सदन चल रहा है, क्या हो रहा है? (व्यवधान) ये सदन चलाने के इच्छुक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी बैठी हुई हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, धार्मिक स्थलों को जोड़ने का किसी सरकार ने दिमाग नहीं लगाया कि जो हमारे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, उन तक आम आदमी कैसे पहुंचे। धार्मिक स्थलों के उबड़-खाबड़ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि वहां आम आदमी नहीं पहुंच पाता। उनके लिए, उन स्थलों को जोड़ने के लिए, जैसे मेरे यहां पर केलजर महादेव की सड़क तीन किलोमीटर और मुर्डिया महादेव की सड़क दो किलोमीटर, ये मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जुड़े हैं धार्मिक स्थल।

इसी प्रकार मिसिंग लिंक के अन्दर आठ किलोमीटर की सड़कें बनना शुरु हो गई हैं, आठ किलोमीटर के प्रस्ताव मांग लिये। 32 आर ओ बी राजस्थान के अन्दर, किसी सरकार ने फैसला नहीं किया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मेघवालजी, बैठिये। Minister is Minister. मंत्री मंत्री हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, 32 आर ओ बी बनाने का फैसला लिया, जिनमें एक चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आर ओ बी बनना शुरु हो गया।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। राज्य मंत्री संवैधानिक पद नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...इरकान कम्पनी को काम दे

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

दिये, 29 आर ओ बी और तीन प्रक्रियाधीन हैं। राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री के लिए संवैधानिक कहीं शब्द है नहीं। आप सरकार बुलवाइये। आप सरकार बुलवाइये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। आप कांग्रेसी नहीं हो? आप मेरे ऊपर क्यों हल्ला कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप सरकार बुलवाइये। मंत्री नहीं हैं। मंत्री नहीं हैं। यह हाउस चलना चाहिए, नियमानुसार हाउस चलना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि यहां पर बैठने चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि यहां पर बैठने चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उधर रविन्द्रजी और उधर तुम, दोनों यूथ कांग्रेस में साथ रहे हुए हो ना? तुम भरतपुर, तुम अलवर। (व्यवधान) ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो नहीं बोल रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपके पूरे साथी इधर आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जाड़ावतजी, आप बोलते जाइये। जाड़ावतजी, वही सदस्य बोल रहे हैं; जो आपको उत्तेजित कर रहे हैं, आपके साथी रह चुके हैं। आप उत्तेजित मत होइये। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हम उत्तेजित नहीं कर रहे हैं, हम तो नियमों की बात कर रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, जाड़ावतजी बेकार प्रशंसा कर रहे हैं, इनका नम्बर तो आना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर जसवन्तजी, आप इनके साथी रहे हो, आप एक-दूसरे को जानते हो, सदन को सुनने दीजिये। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जसवन्तजी, आप एक बात और सुन लो कि मैं मेरे नेता की नजर में रहना चाहता हूं, नजर से उतरना नहीं चाहता। Boss is always right & trust the leader always.

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो आप आसन की नजर में रहिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह आसन की तौहीन है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): नहीं, यह जो मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि मुझे मेरे नेता पर विश्वास है। बस मेरा विश्वास नहीं टूटना चाहिए और उनकी नजर मेरे प्रति सकारात्मक रहे, यही चाहता हूं और इससे ज्यादा मेरी कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा नहीं है।

आज लगभग 4,200 करोड़ रुपये की सड़कें बनने जा रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और अभी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, नरेगा के अन्दर बहुत अच्छी ग्रेवल सड़कों को बनाने का फैसला भी हमारी सरकार ने किया और ऐसी गुणवत्ता वाली सड़कें बनी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप कभी चित्तौड़ पधारें, आप पधारते रहते हैं चित्तौड़ में, तो मैं आपको बताऊंगा कि पंचायत के सरपंच से भी बहुत अच्छी सड़कें नरेगा में बनाईं और पी डब्ल्यू डी के माध्यम से बनाईं तथा उनके अन्दर तो आम गाड़ी भी 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से जा सकती है, इतनी अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाई गई हैं। यह सड़कों पर, उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा में और जो नियमित बजट है, उसके अन्दर पैसा खर्च करके पूरा सड़कों का जाल राजस्थान में बिछाया गया है और आगामी बजट में हमें उम्मीद है कि मुख्य मंत्रीजी कोई बड़ा फैसला करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र, जिसके अन्दर...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): गहलोतजी से यह तो पूछ लो कि नरेगा में अभी जो पैसों के लिए पांच-पांच कलक्टर्स दोषी हैं, उनके बारे में क्या कहती है सरकार? उनको तो सर्टिफिकेट दे दिया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हमारे सम्भाग में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जिसका हमेशा दोहन किया गया, विभिन्न-विभिन्न पोशाकें पहनकर उनके बीच में पूर्व मुख्य मंत्री गईं, लेकिन उनकी वहां की सुध नहीं ली। यह मुख्य मंत्री गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि केन्द्र जो पैसा दे रहा था और आप जो पैसा नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इस योजना में इतना पैसा राजस्थान सरकार दे, राजस्थान सरकार ने 1,250 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर, आज वह सड़कों का काम शीघ्र शुरू हो जायेगा। यह उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा।

तो मुख्य मंत्रीजी ने कोई एक क्षेत्र नहीं छोड़ा। राजस्व शिविर लगाये

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

गये, 90 लाख लोगों को जिसमें पेंशन भी थी, वृद्धावस्था पेंशन भी थी, विधवा पेंशन भी थी, पालनहार योजना भी थी, खातेदारी के काम भी थे, 90 लाख लोगों को इन शिविरों के माध्यम से सुबह से शाम तक वहां कर्मचारियों ने, जो हमारी सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं, आज सरकारी कर्मचारियों को विश्वास में लेकर हम लोग जो जनता से चुने हुए लोग हैं, एक हाथ वे और दूसरे हाथ हम, यह हम दोनों ही हाथ मिलाकर जब तक नहीं चलते, मुख्य मंत्रीजी की भावना के अनुरूप संवेदनशील प्रशासन का जो उनका लक्ष्य है मुख्य मंत्रीजी का, उसको ध्यान में रखते हुए, बारिश आ गई, मावठ हुई लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने देर रात तक बैठकर किसी आदमी को निराश होकर लौटने नहीं दिया। आज रात्रि चौपालें लगाई जा रही हैं, एस डी ओ स्तर के अधिकारी जा रहे हैं और कलक्टर स्तर के अधिकारी जा रहे हैं। आज तीन दिन तक मुख्य मंत्रीजी ने मानिटरिंग के लिए सबको भेजा और मुख्य मंत्रीजी ने, केवल मंत्री या हमारी मानिटरिंग से नहीं, वे खुद भी हर जगह जा रहे हैं कि मैं भी नजदीक से देखूं कि कोई समस्या तो नहीं आ रही है, आम आदमी से मिलते हैं। आम आदमी की पीड़ा को समझकर, उसमें सुधार करने की हमेशा उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने ओपन माइंड रखा है कि मैं हमेशा खुले दिमाग का व्यक्ति हूं, कोई कमी आ रही हो तो मुझे बताइये ताकि उसमें सुधार करके हम ढंग से संचालन कर सकें।

आज किसान के लिए बीमा योजना के तहत, राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत लगभग 1,737 करोड़ रुपये से किसान, जो हमारा अन्नदाता है, लाभान्वित किया। लगभग 426 करोड़ रुपये 24,52,000 किसानों को फसल बीमा के तहत चुकाये गये। किसान मेले हर जगह लगाये। आम आदमी को वर्तमान में क्या चल रहा है देश और दुनिया में, उसकी जानकारी के लिए किसान मेले लगाये गये और जब फसल पक जाये और किसान को उसकी फसल का, उपज का वाजिब मूल्य मिले, समर्थन मूल्य मिले, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने पूरी व्यवस्था की कि वह समय पर खरीद शुरू हो और किसान को वाजिब पैसा मिले, दलाल और बिचौलिये उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकें, तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसान, जो इस सरकार का और इस देश का हमारा भाग्य विधाता है, उसकी हर समस्या के लिए उन्होंने ध्यान दिया।

आज जो पेट्रोल और गैस जब महंगी की केन्द्र सरकार ने, 25 रुपये

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

प्रति सिलेंडर उन्होंने सब्सिडी दी, राजस्थान सरकार ने; 56 पैसा पेट्रोल पर; लगभग 375 करोड़ रुपये इस अन्तर को पाटने के लिए राजस्थान सरकार दे रही है।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, जवाबदेही सरकार है, पारदर्शी सरकार है और उसके तहत वह हर काम को अंजाम दे रही है।

कानून-व्यवस्था की बात आई, उपाध्यक्ष महोदय, हमको दु:ख है कि हमारे साथी नाथूरामजी सिनोदिया के सुपुत्र की हत्या कर दी गई लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग, विधायक दल के सभी साथी प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उस रात को मुख्य मंत्रीजी पर क्या गुजरी? उनके सुपुत्र वैभव गहलोत का भी अगर अपहरण होता तो वे इतने चिंतित नहीं होते जितने नाथूरामजी सिनोदिया के सुपुत्र के अपहरण के वक्त बहुत चिंतित थे और उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स को भेजकर, जिंदगी नहीं लिखी थी, वे क्रूर हत्यारों के शिकार हो गये और बहुत बड़ा आघात लगा लेकिन मुख्य मंत्रीजी की उस संवेदनशीलता की हम बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा।

सवाई माधोपुर के अन्दर फूल मोहम्मद का जो हत्याकांड हुआ, यह हमारे लिए, सबके लिए पीड़ा की बात है लेकिन जाति उन्माद किसने फैलाया? क्या हुआ, वह सबके सामने है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। गोपालगढ़ का कांड, वह कांड किसी सूरत में तारीफ करने काबिल नहीं है लेकिन यह जो भी हुआ, आज गोपालगढ़ की घटना के अन्दर कलक्टर, एस.पी., पहली बार दोनों निलम्बित हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा कभी नहीं हुआ। इनके राज के अन्दर उस पुलिस को जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि आम आदमी की रक्षा करोगे, पानी पिलाने के नाम पर गोलियां चलाकर मारा गया उस समुदाय को और ये तीनों कांड हुए। इसके अन्दर पुलिस फायरिंग नहीं है, जिसका ये जिक्र कर रहे थे बार-बार। राजस्थान की पुलिस को मुख्य मंत्रीजी ने उपयोग में नहीं लिया लेकिन पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार गोलियां चलवाईं। 22 बार गोलियां चलीं राजस्थान की पुलिस के द्वारा और आदेश कौन देता था, मुख्य मंत्रीजी देती थीं। गृह मंत्रीजी को तो +++ को तो पूछते नहीं थे। वे तो कहते थे कि मेरे कहने से तो सिपाही का ट्रांसफर नहीं होता। मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर ये गोलियां चलाई गईं...

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): और पिच्यानवे लोग मारे गये, वे राजस्थान की पुलिस के द्वारा मारे गये। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज पुलिस के अन्दर भर्ती की जा रही है। बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली, जयपुर-जोधपुर में लागू की गई है। हर चीज के अन्दर सुधार आयेगा, कमी है उसको दूर की जायेगी। महिलाओं पर अत्याचार नहीं हों, महिला पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं, नये पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। मेरे यहां पिछली बार पुलिस थाना सदर खोला मुख्य मंत्रीजी ने जब केसेज बढ़ते गये। कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो बेहतर कदम उठा सकते हैं, कैसे आधुनिकतम तंत्र विकसित किया जा सकता है और नये जो अपने अपराध जिस किस्म के बढ़ रहे हैं, उसके तहत मुख्य मंत्रीजी इस पूरे के पूरे पुलिस तंत्र को आधुनिक, मजबूत करने जा रहे हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो कमी है उसको भी सोचना पड़ेगा कि टीचर्स नहीं हैं। शिक्षक नहीं हैं तो हमको मानना पड़ेगा कि शिक्षक आज तीन साल हो गये, हमने पूरी द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी की तो भर्ती कर ली लेकिन तृतीय श्रेणी की हम भर्ती नहीं कर पाये लेकिन वह भी होने वाली है। चिकित्सकों की, ग्रामीण क्षेत्र में 1,355 चिकित्सक पहली बार राजस्थान के इतिहास में भर्ती किये गये और अब जिला मुख्यालय पर, ग्रामीण क्षेत्र भर दिये लेकिन जिला मुख्यालय पर अभी भी चिकित्सकों की कमी है, उनकी हमको पूर्ति करनी पड़ेगी।

तो जो हमारी कमियां हैं, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य, अभी जब बजट आयेगा तब उस पर बोलिये, सुधार होगा। मुख्य मंत्रीजी तो बहुत खुले दिमाग से कहते हैं कि आइये, सुझाव दीजिये ताकि हम बेहतर काम कर सकें।

मैं मुख्य मंत्रीजी की और हमारी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए राज्यपाल महोदय के द्वारा दिये गये अभिभाषण के ऊपर अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलालजी गुप्ता। श्री मोहनलालजी गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा इस सरकार ने अभिभाषण इस राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत करवाया। यह जो भाषण है, जो भाषण राज्यपाल महोदय से पढ़वाया गया है, वह उनकी आत्मा की आवाज नहीं है, उनकी स्वयं की आवाज नहीं है। यदि उनको इस बात की जानकारी होती कि ये सब बातें

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

जो हैं, ठीक नहीं हैं, इनके अन्दर कुछ कमियां हैं तो निश्चित रूप से भाषण में संशोधन हो जाता।

आज उस भाषण में कहा गया कि हमने बहुत सारे काम अच्छे किये हैं, मेसेजेज दिये हैं। बहुत सारे विधायकों ने कहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी का एक अधिनियम हमारी सरकार ने पास किया है, पन्द्रह विभागों की 108 सेवाओं को देने का वादा, टाइम बाउंड डिलिवरी का वादा किया है। यदि वह टाइम बाउंड डिलिवरी नहीं होती है, उनको अपील का भी अधिकार दिया गया है। यह विधेयक जल्दी में पास कर दिया गया। यदि विधेयक को देखते तो निश्चित रूप से मालूम चलता, जिस व्यक्ति को सेवा नहीं मिलेगी तो उसकी अपील किसको करेगा, उसी डिपार्टमेंट के हैड को करेगा, सेकंड अपील का अधिकार उसके अपर-हैड को होगा; यानी डिपार्टमेंट के व्यक्ति ही उसकी अपील सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। क्या यह संभव है कि वह अपने उन नीचे के अधिकारियों के खिलाफ अपना वह संस्थागत भ्रष्टाचार जो है, उसके खिलाफ कोई आवाज या निर्णय दे सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर टी आई का अधिकार प्रभावी रूप से इसीलिए लागू हो सका कि उसकी सेकंड अपील किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति के हाथ में थी, वह डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं था। यदि इंडिपेंडेंट न्यायिक व्यक्ति के हाथ में वह अपील होगी तो निश्चित रूप से यह जो लोक सेवा गारंटी का अधिनियम है, वह लोगों को सही रूप से न्याय दे सकेगा। बहुत बड़ी खामी रह गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह भी कहा गया है, 45 दिन में पट्टा दिया जायेगा, लैंड कन्वर्जन किया जायेगा। आज यदि उस कमेटी की मीटिंग नहीं होती है, ग्राम पंचायत की मीटिंग नहीं होती है तो कहां से पट्टा देगा? टाइम बाउंड डिलिवरी, नगर निगम की मीटिंग नहीं होती है, कहीं आपस में झगड़े हैं पार्टीबाजी के, टाइम बाउंड डिलिवरी कैसे पासिबल होगी? यह अधिकारी जो जवाब देगा, वह यह कहेगा अधिकारी छुट्टी पर थे, अधिकारियों को सामान नहीं मिला, उनके टेंडर पूरे पास नहीं हुए, इसलिए टाइम बाउंड डिलिवरी नहीं हो सकी; एक्सक्यूज कर जायेगा। उसको यह अधिकार नहीं मिलने वाला।

मेरा एक निवेदन है कि इस कानून में संशोधन किया जाय। शिवचरणजी माथुर ने प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत यह कहा था कि यह 108 सेवाएं

(14.16 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

तो हैं ही, उनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कमीशन जाता है, भ्रष्टाचार होता है, तो उनके लिए क्या होगा? उन्होंने एक ही बात कही थी, बिहार का बिल भी उठाकर देख लीजिये, बिहार के बिल में है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति की फाइल को तीन दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता। प्रभावी बिल है। 'प्लीज स्पीक' करके भी नहीं भेज सकता। यदि उसने 'प्लीज स्पीक' करके भेजा तो स्पीक करने के लिए उसको उसी दिन आना होगा, दूसरे दिन आना होगा, तीन दिन के अन्दर उस पत्रावली का निस्तारण करना होगा। कोई व्यक्ति अधिकारी के पास नहीं जायेगा कि मेरी फाइल निकालिये आप, किसी गरीब व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं होगी। यह बिहार का बिल उठाकर देख लीजिये, उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।

तो जो लोक सेवा गारंटी का आप लोग मुछल्ला उठाकर कह रहे हैं कि हमने गारंटी का अधिकार दे दिया, यह अधिकार आपके लिए दिवास्वप्न साबित होने वाला है। ऐसे वैसे ही रहेगा। जिस प्रकार के कानून बन जाते हैं, हम उसकी आवाज उठाते हैं, जनता को राहत दे दी, जनता को हमने बहुत राहत दे दी; इसी प्रकार की बातें करते-करते रह जायेंगे, किसी प्रकार का कोई भी अधिकार लोगों को नहीं मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने बहुत अच्छी बातें कही हैं लेकिन बहुत सारी योजनाएं जो हैं, तो क्या राजस्थान सरकार अपनी आत्मा पर हाथ रखकर कह सकती है कि हमारा प्रदेश सुदृढ़ है? हम जो कुछ सेवाएं दे रहे हैं वे सेवाएं स्टैंडर्ड की हैं? हमारे हास्पिटल स्टैंडर्ड से चल रहे हैं? हमारी स्कूलें स्टैंडर्ड से चल रही हैं? हमारी सड़कें स्टैंडर्ड की बन रही हैं? हमारी अदालतें समय पर निर्णय सुना रही हैं? आज हमारी सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? सरकारी स्कूलों की दीवारें और उनकी जो बिल्डिंग हैं, वे जर्जर अवस्था में है। बच्चों के पास फर्नीचर नहीं है। विधायक कोष से हम फर्नीचर देते हैं, दीवारें ठीक करवाते हैं। वहां पढ़ने लायक वातावरण है क्या? कोई पढ़ने लायक वातावरण नहीं है वहां इस प्रकार से। बच्चों को पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है। वह तीस हजार रुपये महीने कमाने वाला अध्यापक, उसका रिजल्ट उठाकर देखिये और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला जो पांच-दस हजार रुपये महीना कमा रहा है, उसका रिजल्ट उठाकर देखिये। क्या कोई भी अच्छा व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भर्ती करायेगा? क्या मुख्य मंत्री स्वयं अपने पोते को सरकारी स्कूल में भर्ती कराने की इच्छा रखते हैं? क्या माननीय शिक्षा मंत्रीजी

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

भी अपने पोते को सरकारी स्कूल में भर्ती कराने की इच्छा रखते हैं? क्या हम सब...(व्यवधान) कृपया डिस्टर्बेंस नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। दुःख और तकलीफ इस बात की होती है कि इतना पैसा शिक्षा पर खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर हमारा ऊंचा नहीं हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, अभी सूचना मिली है कि एक से आठ तक सबको पास करते जाओ। पास कर दिया सबको, फेल करने की आवश्यकता ही नहीं है, पास कर दिया और पास करने के बाद जब उन्हें नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं जब वे पढ़ेंगे और काम्पीटिटिव एग्जाम में आएंगे तो हमारी सरकारी स्कूल के बच्चों की स्थिति क्या होगी, जरा इसका भी आकलन कर लें। आकलन कर लेना चाहिए। क्या कोई सरकारी स्कूल ऐसा है, मैंने विधान सभा प्रश्न के द्वारा सूचना मांगी थी कि कितने लोग मेरिट में आ रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे-बच्चियां और प्राइवेटों के कितने आ रहे हैं। 20 परसेंट लोग।

अच्छी सेवाएं अस्पतालों में भी मौजूद नहीं हैं। आज राजस्थान का गौरव एस एम एस हास्पिटल है, उस एस एम एस हास्पिटल में बांगड़ यूनिट में चले जाएं, सभापति महोदय, हृदय विदारक दृश्य है। यह समझ में ही नहीं आता कि यह हास्पिटल है या बस अड्डा, अजायब घर या रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर आज भी सफाई होती है पर बांगड़ में जिस प्रकार की नारकीय स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, बालकनी में, कारिडोर्स में गम्भीर रोग से पीड़ित भर्ती व्यक्ति हैं, उनके आक्सीजन चढ़ रही है, उनको खून चढ़ रहा है, संक्रमण रोग का खतरा है, वे पड़े हुए हैं वहां फुटपाथ पर, वहां पड़े हैं आने-जाने वाली जगहों पर। किस प्रकार से संक्रमण रोगों से ग्रस्त नहीं होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल?

माननीय सभापति महोदय, अभी मैं राज्यों का आंकड़ा देख रहा था, हम कहते हैं कि राजस्थान में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कर दी, हमारे यहां जननी सुरक्षा योजना कई वर्षों से लागू है, उसके बाद भी क्या हम राजस्थान के लोग, राजस्थान की विधान सभा के सदस्य इस बात पर गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हमारी मातृ मृत्यु दर कम हुई है? मातृ मृत्यु दर समस्त भारत का एवरेज 212 है लेकिन राजस्थान का एवरेज 318 है। शिशु मृत्यु दर में भी हम बहुत आगे हैं। समस्त भारत की शिशु मृत्यु दर 47 है और राजस्थान की 55 है। जननी सुरक्षा योजना लागू कर दी, उनको घी

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

दे रहे हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आने-जाने का खर्चा दे रहे हैं, आशा सहयोगिनी को दे रहे हैं और हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, पांच साल की कम आयु के उनका एवरेज वेट क्या है, आल इण्डिया का एवरेज है 42.5 और हमारा एवरेज वेट है 39, सामान्य से कम 39 परसैंट लोगों में। हमारा जो स्वास्थ्य पर खर्चा है, प्रति व्यक्ति करीब सारे स्टेट्स का जब आंकड़े देखता हूं तो समस्त भारत में 242 का एवरेज प्रति व्यक्ति खर्च और हमारे यहां 186 रुपए आ रहा है। हम से तो आन्ध्र प्रदेश में 191, अरुणाचल प्रदेश में 841 रुपया, आसाम 162, दिल्ली 560, गोवा 861 रुपया प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है, जम्मू कश्मीर 512 खर्च कर रहा है। हमारा नम्बर तो चौथा-पांचवां है प्रति व्यक्ति खर्च करने वाले मामले पर। स्वास्थ्य सेवाओं पर कहां खर्च कर रहे हैं हम?

मैं यह कहना चाहूंगा कि स्कूलों में जिस प्रकार से स्थिति खराब है, उसी प्रकार से हास्पिटलाइजेशन में भी स्थिति बहुत खराब है। आज ही अख़बार में खबर आई है कि कहां मिल रही हैं पूरी दवाइयां। 400 दवाइयों की घोषणा की थी, हनुमानगढ़ में 162 दवाइयां मिल रही हैं, गंगानगर में 245 दवाइयां मिल रही हैं, धौलपुर में 257 मिल रही हैं, अलवर में 220 मिल रही हैं, जयपुर में 253 मिल रही हैं, राजसमंद में 334 मिल रही हैं, उदयपुर में 297 मिल रही हैं, करौली में 155 मिल रही हैं, दौसा में 130 मिल रही हैं, सवाई माधोपुर में 251, चूरू में 276, झुन्झूनूं में 325, सीकर में 297, बांसवाड़ा में 309, डूंगरपुर में 320, पाली में 205, सिरोही में 235, जालोर में 249, जोधपुर में 268, अजमेर में 252, बीकानेर में 252, झालावाड़ में 259, कोटा में 256, बारां में 150, बूंदी में 165, जैसलमेर में 217, बाड़मेर में 211, नागौर में 232, भीलवाड़ा में 174, चित्तौडगढ़ में 209, प्रतापगढ़ में 350 और टौंक में 252 । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिल रही हैं, मैं यह कह रहा हूं कि मिल रही हैं लेकिन 400 के अगेंस्ट में ये दवाइयां कम मिल रही हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे में टोका-टाकी नहीं, बोलने दो उनको। माननीय सदस्य, आप इधर देखो। माननीय सदस्य, इन सूचियों में क्यों लम्बा विलम्ब कर रहे हो आप?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जोधपुर में माननीय मुख्य मंत्रीजी के चुनाव क्षेत्र में 268 दवाइयां मिल रही हैं।

आप कह रहे हो, हमने बहुत अच्छा काम किया है; मैं कह रहा हूं, आप हास्पिटलों में, स्कूलों में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, अच्छी प्रशासनिक इच्छा-

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

शक्ति जगाइए, उसके आधार पर लोगों को अच्छी सेवाएं दीजिए। साफ-सुथरे हमारे हास्पिटल हों, साफ-सुथरे उनमें चद्दरें मिलें, लोगों को सुविधाएं मिलें, बाथरूम साफ हों, संक्रमण नहीं हो, दवाइयां समय पर मिलें, डाक्टर समय पर मिलें, हमारे स्कूलों में बच्चे सही टाइम पर आयें, टीचर्स यूनिफार्म पहनकर आयें, बच्चे यूनिफार्म पहन कर आयें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकें, अच्छे बिजनेसमेन बन सकें, इस प्रकार के नवाचार प्रारम्भ कीजिए। केन्द्रीय विद्यालयों में जाते हैं आज, केन्द्रीय विद्यालयों में डिमांड है। वे भी केन्द्र के विद्यालय हैं लेकिन वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहां एडमिशन के लिए सिफारिशें करनी पड़ती हैं लेकिन एक भी ऐसा अपना सरकारी स्कूल नहीं है जहां पर एडमिशन के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता पड़े चाहे वह सरकारी स्कूल लड़कियों का हो, चाहे लड़कों का हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम केवल इसके शब्दों को नहीं पढ़ें, उसकी आत्मा में झांककर के देखें कि वहां क्या हो रहा है, अन्दर तक क्या हो रहा है। आपने कहा, गरीबों के लिए हम मकान बना रहे हैं। यह ग़रीबों के लिए मकान है या गरीबों का मजाक है? आपने कभी मकान जाकर के देखा?

श्री सभापति: आपस में नहीं, आप सुनें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जो गरीब का मकान है, दरवाजे नहीं, खिड़की नहीं है, उसके लिए लैट्रिन-बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, घूमने की व्यवस्था नहीं है, पार्क की व्यवस्था नहीं है। आप तो कहते हो कि गरीबों को हम अच्छा देंगे। कालोनी बनाता है कोई व्यक्ति, उससे आप कहते हो, आप अपने यहां पार्क भी दीजिए, स्कूल भी दीजिए, आसपास अस्पताल भी दीजिए, कम्युनिटी हाल दीजिए। उस गरीब का मजाक बना रहे हो। इतने किलोमीटर दूर जाकर मकान देंगे, दूर से वहां आएगा रोजगार के लिए और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी नहीं है। उस गरीब व्यक्ति का मजाक बनाकर के रख दिया। उन मकानों की हालत वही होगी जो थड़ियों की हुई थी। पिछली सरकार में गहलोत साहब ने जो थड़ियां बनाई थीं, वे थड़ियां टूटी-फूटी हुई आज भी उसी स्थिति में पड़ी हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों का मजाक मत बनाइए। गरीबों को सुविधा तो अच्छे ढंग से दीजिए।

हमने स्ट्रीट वेंडर पालिसी लागू की, इसी विधान सभा में हमने पास

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

किया स्ट्रीट वेंडर बिल। जो गरीब लोग फुटपाथ पर बैठकर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए एक देने की शुरुआत गहलोत साहब ने की है, स्वागत करता हूं लेकिन क्या हुआ उसका? क्या हुआ स्ट्रीट वेंडर पालिसी का? उस स्ट्रीट वेंडर पालिसी के तहत जयपुर में हमने हज़ारों लोगों को उजाड़ दिया। फल वालों को, सब्जी वालों को, ठेले वालों को, सबको उजाड़ दिया। उनको जगह नहीं दी, चक्कर काट रहे हैं। मेट्रो ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाइए, स्वागत है लेकिन गरीब आदमी का ध्यान कौन रखेगा? इन चाबी वालों को, जूते वालों को, चप्पल बेचने वालों को, बड़ी चौपड़ से उठाये गये लोगों को, छोटी चौपड़ से उठाये गये लोगों को, रामगंज से जिनको उठा दिया, उन व्यक्तियों का कौन देख रहा है? आखिर कोई तो कहे न। लोग-बाग़ जाते-जाते चक्कर खाकर थक गये। थक गये। (व्यवधान) हमने हटाया नहीं था उनको, हमने उन गरीबों का मजाक नहीं बनाया था। हमने यह कहा है और आज मेरी मांग भी है कि जिस फल वाले को, ठेले वाले को, सब्जी वाले को, किसी गरीब व्यक्ति को यदि आप उठाते हो तो उसका हक दीजिये, उसको जगह दीजिये। उसके साथ-साथ साल भर का उसको कम्पंसेशन भी दीजिये। पश्चिमी बंगाल की गवर्नमेंट ने किया था कोलकाता में। चौरंगी से जिन लोगों को हटाया था, उन लोगों को साल भर का भत्ता भी दिया था कि आप अगर दूसरी जगह व्यवसाय करोगे, उसमें कमी पायी जाएगी तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम दे रहे हैं।

(14.31 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर चर्चा हुई, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए हमारे मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि हमारा इन्वेस्टमेंट करने का कोई इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं है, भारत सरकार का प्रोग्राम है। ठीक है, भारत सरकार का प्रोग्राम है, इतना रुपया खर्च हुआ, इतने प्रवासी यहां आये, इतने डाक्टर्स-इंजीनियर्स यहां आये, इतने उद्योगपति यहां आये। तो क्या हमारी सरकार की ड्यूटी नहीं बनती थी कि यहां अपने काउंटर पर उन लोगों का स्वागत करते, उन लोगों के पहले प्रस्ताव मंगाकर रखते? जैसा कि हमारी सरकार ने किया था। हमने भी इन्वेस्टमेंट का सम्मेलन किया था। पहले से ही प्रस्ताव बना करके, पहले से ही आई ए एस आफिसर्स को भेज दिया, उनको जमीनें दिखा दीं, उनके प्रस्ताव

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

मांग लिये और उनके एम ओ यू साइन कर लिये। यह प्रशासनिक तैयारी होनी चाहिए थी हमारी। यह क्यों नहीं हुई प्रशासनिक तैयारी हमारी? आखिर आल इंडिया के, सब स्टेट्स के लोग यहां आया थे। गुजरात को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल गया प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान, बिहार को मिला है और कई स्टेट्स को मिला। तो राजस्थान को क्यों नहीं? हमारे राजस्थान का उद्योग मंत्री खड़ा होकर कहता है कि हमने कोई आवश्यकता नहीं समझी इस तरह की और कोई आया नहीं, तो क्या बात हो गयी। आये और घूम कर चले गये। क्या मतलब हुआ? इतना रुपया खर्च हुआ, इतनी प्रशासनिक ताकत खर्च हुई, इतनी शक्ति खर्च हुई और हमारे यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हुआ। हमारे मंत्री महोदय ने वहां पर कह दिया कि मैं अपना भाषण खतम करके जा रहा हूं, कोई प्रश्न का जवाब नहीं, कोई प्रिपेरेशन नहीं। हमारे आई ए एस आफिसर्स की कोई प्रिपेरेशन नहीं, कोई प्रजंटेशन नहीं। यह किस प्रकार का प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि हम त्वरित न्याय करेंगे। त्वरित न्याय कर रहे हैं? अदालतों में कितने मामले पेंडिंग हैं? गुजरात में जाकर देखिये। गुजरात की सरकार ने अदालतों की छुट्टियां कम कर दीं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि कानून लायें, छुट्टियों से अदालतों का काम-काज प्रभावित होता है, छुट्टियां कम करें, रात्रिकालीन कोर्ट चलायें और अनावश्यक स्टे इत्यादि जो मिलता है, उन अदालतों में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितने व्यक्ति पैर तोड़ते हैं, उसके लिए हमें नहीं सोचना चाहिए? न्याय नहीं मिलेगा, गरीब व्यक्ति चप्पल घसीटता रहेगा। आज हमें गुजरात सरकार से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे राजस्थान की अदालतें सही समय पर न्याय देंगी, अनावश्यक स्टे नहीं होगा, सरकारी वकीलों की नियुक्ति सही ढंग से होगी, रात्रिकालीन अदालतें चलेंगी, पारिवारिक अदालतें होंगी, कर्मचारियों के मामले सही ढंग से निपटेंगे, तलाक इत्यादि के मामले भी सही ढंग से निपटेंगे, एससी/एसटी के कोर्टस एकदम टाइम पर निर्णय देंगे। क्यों नहीं हमारा राजस्थान खुशहाल हो सकता है? हो सकता है, इच्छाशक्ति चाहिए। केवल मेसेज देने से काम नहीं होगा, मेसेज के साथ में प्रशासनिक क्षमता, दृढ़ता और उसके साथ में नौकरशाही पर लगाम कसने के संकल्प की आवश्यकता है। नौकरशाही पर लगाम कसिये, निश्चित रूप से राजस्थान में भी वह फिजा आ जाएगी।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे कच्ची बस्ती के लोग हैं, शहर में कच्ची बस्ती के लोग हैं, एक भी पट्टा नहीं दिया। 15 अगस्त, 2009 के लिए आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा कि 300 वर्ग गज के कच्ची बस्ती के लोगों को हम पट्टा देंगे। कितने पट्टे दिये? एक भी पट्टा नहीं दिया। मुझे यह मालूम है कि पट्टे लेने वाले नगर निगम में किस प्रकार से चक्कर खा रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली है। अब्दुल लतीफ पुत्र रसूल खां, तोपखानादेश, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टा चाहने बाबत्; 394 दिन महापौर के पास फाइल पेंडिंग रही। रामबाबू-गणेशलाल, मकान नं. 1496, लुहारुओं की गली, चौकड़ी मोदी खाना, स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत पट्टा चाहने बाबत्; 388 दिन फाइल पेंडिंग रही। हरिनारायण वर्मा-नारायण लाल, रैगरों का मोहल्ला, सांगानेर वार्ड नं. 22, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत; 376 दिन फाइल पेंडिंग रही। पांच सौ दिन, छह सौ दिन, तीन सौ दिन, सौ दिन पूरी लिस्ट है, स्वायत्त शासन मंत्रीजी देख लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किस प्रकार से लोगों को न्याय मिलेगा? किस प्रकार से लोगों को पट्टा मिलेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी, मैं दो बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं, उनका बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। इतना बड़ा काम वे कर रही हैं, गरीबों की सेवाएं कर रही हैं लेकिन तीन हजार रुपये महीना मिलता है, आशा सहयोगिनियों को 1200 मिलता है। (व्यवधान) तो इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से यह मांग है कि उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे, उनको भी परमानेंट नौकरी दे। वे भी सेवा कर रही हैं, गरीबों की सेवा कर रही हैं, उनकी मांगों की तरफ भी ध्यान दें। होम गार्ड के जवानों ने आंदोलन किया, उनके डंडे पड़ रहे हैं। आखिर वे क्या कर रहे हैं, वे सुरक्षा का काम कर रहे हैं।

इस प्रकार से जो स्थितियां हमारे राजस्थान में पैदा हुई हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान दे और प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाते हुए गरीबों को न्याय प्रदान करे। धन्यवाद। जय भारत।

सूचना

कतिपय पूर्व विधायकों के विधान सभा प्रवेश पर प्रतिबंध प्रकरण

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: किस बात पर? किसमें?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: किस बात का ध्यान?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए कि दो पूर्व माननीय विधायक जिनको पुलिस ने या तो आतंकवादी घोषित कर दिया तो उनको जेल में डालें...

श्री अध्यक्ष विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हेतराम बेनीवाल अपनी पेंशन और रोडवेज के पास लेने के लिए गेट पर हैं और मैं समझता हूं...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पूर्व आप भी रहे हैं, मैं तो रहा नहीं आने के बाद। कोई भी पूर्व हो जाएगा। आज दो सौ हैं और वे इस राजस्थान की विधान सभा में नहीं आए ...

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। विधान सभा परिधि में किसको आने दिया जाए, किसको नहीं आने दिया जाए, इस संबंध में पूर्व में भी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और रिकार्ड के आधार पर नीचे से प्रशासन की तरफ से जब यह आता है कि इनको नहीं आने दिया जाए तो व्यवस्था होती है, उनको रोका जाता है। इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप सहयोग करें।

श्री शंकर लाल बैरवा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वे पूर्व विधायक हैं जिनको पेंशन है, रोडवेज का पास है, रेलवे के पच्चीस हजार रुपये आपने यहां हाउस में पास किया, उनकी टिकट यहां रिइम्बर्समेंट के लिए जमा करानी है।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर लाल जी बैरवा। नहीं है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये तो कोई बात नहीं हुई। सैकड़ों जो पूर्व विधायक हैं...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने इतनी अच्छी-अच्छी योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं के बारे में पूरे सदन, हमारे पक्ष के, विपक्ष के सभी सदस्यों ने इस अभिभाषण पर चर्चा की। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इन लोगों ने प्याज के जो छिलके उतारे हैं, उसमें कभी बीज आता नहीं है। इन लोगों ने हमारी सरकार की योजनाओं का बहिष्कार किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, अशोक गहलोत साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया, पूरे राजस्थान में कोने-कोने में निवास करने वाले हमारे प्रत्येक बी पी एल परिवार को 50 हजार रुपये का मकान देने का निर्णय किया और अभी पूरे राजस्थान में मुख्य मंत्री आवास योजना में उनके मकान बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय मैं भी जिला परिषद का सदस्य था, उस समय हमारे इंदिरा आवास योजना के जो आवास आते थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसा दुर्व्यवहार करते थे कि उनके मिलने वालों को, उनके रिश्तेदारों को और उनके जो यार-दोस्त होते थे, उन्हीं के मकान बनाये जाते थे और असली बी पी एल वंचित रहता था। ये सारी बातें जब हमारी सरकार आई, हमारे विधायकों ने बताया तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लिया कि बी पी एल परिवार चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैन हो, ओ बी सी हो, एस सी, एस टी हो लेकिन बी पी एल तो बी पी एल ही है, उनका सीधा पैसा बी पी एल परिवार को जो आवास स्वीकृत होता है उसके खाते में सीधा चैक डाला

(श्री शंकर लाल बैरवा)

जाता है और अपनी इच्छानुसार वह आवास बनवाता है। उन बी पी एल परिवारों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही है। हमारे माननीय प्रभारी मंत्रीजी हमारी विधान सभा क्षेत्र में आये थे, उन्होने खुद ने निरीक्षण किया, गांव-गांव में अच्छी क्वालिटी के मकान बन रहे हैं।

आप कहते हैं कि इस सरकार ने क्या किया, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ऐसी-ऐसी योजनाएं लागू कीं जो आप और हम सब जानते हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना, यह कोई मामूली योजना है? गांव, मजरे और ढाणियों में देखें, मैं खुद एक गांव में रहता हूं, गांवों की कंडिशन यह है कि उन लोगों के पास नाइन बुलाने के लिये भी पैसा नहीं होता है। इस दुःख की पीड़ा को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समझा और जननी शिशु सुरक्षा योजना चालू की। उस योजना का फायदा हमारे पूरे राजस्थान के कोने-कोने में निवास करने वाली हमारी माताओं और बहनों को मिल रहा है। आम आदमी जानता है कि बच्चे और मां को सुरक्षित घर पहुंचाया जाता है, सारा खर्चा सरकार वहन करती है। अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है और उस समय अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड की व्यवस्था भी हमारी सरकार करती है। ऐसा निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिया और आज का वक्त पुकार रहा है, गांव-गांव की बहनें बोल रही हैं कि धन्य हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप तो कलयुग के कृष्ण हैं, कलयुग में आकर हमारी बहनों की पीड़ा, गरीबों की पीड़ा आप ही ने सुनी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वह योजना लागू की, पूरे राजस्थान में जितने भी बड़े-बड़े देवस्थान हैं, उनको जोड़ने के लिये डामर की सड़क बनाने की योजना चालू की तो वह माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने की।

आज मैं यह कहना चाहूंगा, हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि आपकी सरकार ने क्या किया है, हमारी सरकार ने वह काम किया है, हर ग्राम पंचायत में आई टी सेंटर खोले हैं। आई टी सेंटर के ऊपर सारी सुविधा आम आदमी को मिलेगी, इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह बातें सब कर चुके हैं कि उसमें क्या-क्या होगा, खाते की नकलें मिलेंगी, बिजली का बिल जमा होगा, ये सारी चीजें उस आई टी सेंटर में रखी गई हैं।

इसके अलावा हमारी सरकार ने वह काम किया है, आप बताते हैं कि

(श्री शंकर लाल बैरवा)

यह कोई योजना है, मैं कहना चाहूंगा कि जब-जब भी हमारी कांग्रेस की सरकार केन्द्र में हो, राजस्थान में हो, ठोस सबूत उन्होंने दिया है, ठोस योजनाएं चालू की हैं। उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो बहुत सी योजना लागू की हैं लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, आपकी एक भी ठोस योजना अगर आप बता दें, सदन को बता दें तो मैं मान लूंगा कि आपकी सरकार ने यह बहुत बड़ा काम किया है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने वह काम किया है, हमारी कांग्रेस की सरकार ने चम्बल डैम बनाया है, कांग्रेस की सरकार ने माही डैम बनाया है, कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा गांधी नहर बनाई है, कांग्रेस की सरकार ने जाखम डैम बनाया है। क्या किया आपकी सरकार ने? ऐसा कोई ठोस सबूत हमको दें जिसके माध्यम से आपने कोई इतना बड़ा काम किया हो।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है, वह मैंने भी सोचा और समझा, भारतीय जनता पार्टी ने वह काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बी पी एल सर्वे करवाया गया था, उसमें इनके रिश्तेदार, मिलने वालों को बी पी एल बनाया गया और गांव, मजरे और ढाणी में रहने वाला जो गरीब था, वह आज भी वंचित है। उनको बी पी एल में जोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वह हमारी सरकार कर रही है, अभी उनको बी पी एल में जोड़ा जा रहा है।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने सब कुछ किया है लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया है? हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का आप बार-बार बहिष्कार कर रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं लेकिन आपका काम आप कर रहे हैं। आपका एक ही सिद्घांत है, आपने तो कसम खा रखी है कि अपने को इनका समर्थन तो करना ही नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप समर्थन करें लेकिन आपकी पार्टी में एक बात जरूर है कि असत्य बोलो, जट बोलो और जोर से बोलो, लोगों को +++ बनाओ और वापस सरकार लाने का काम करो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक्सपंज कराइये।

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज कर दिया।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): यह गांवों में आपकी चल रही है। इस अवसर पर ...(व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा कि हमारे...

श्री अध्यक्ष: अब आप। विराजें। कृपया विराजें।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): हमारे मेवाड़ी भाषा में कहते हैं, रीतो चनो बाजे घनो, धान थोड़ो धीगानो घनो, फैट्यो फोरो हिलाने घनो, इस तरह की पार्टी है। इनके पास सबूत नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है जो आपको बता सकें।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री विट्ठल सिंह अवस्थी। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का और समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजो आप। विराजो।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्रीजी की तुलना कलयुग के कृष्ण से की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): धन्यवाद।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी भाई शंकर जी ने अभी धन्यवाद प्रस्ताव पर जो शब्दावली काम में ली है, यह इनकी वास्तविक मानसिकता दर्शाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं भी मेवाड़ से ही आता हूं, जो शब्द उन्होंने काम में लिया, वह शब्द वास्तव में संसदीय नहीं है। उसको ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी नहीं लें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से वादविवाद चल रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। मैं अपनी शुरुआत हमारे जिला परिषद की मीटिंग जो डेढ़ महीने पहले हुई थी, उससे करता हूं। जिला परिषद की मीटिंग में हम तीन-चार विधायक भी थे हमारे उस वक्त के प्रभारी मंत्री जी माननीय जितेन्द्र सिंह जी भी थे। सारे जिला परिषद के सदस्य, सारे प्रधान, सारे चेयरमेन, सारे डी एल ओज, बी एल ओज वहां उस बैठक में उपस्थित थे। हालत यह हुई कि प्रभारी मंत्री जितेन्द्र सिंह जी के सामने जब मीटिंग का अंत आया तो हमारे कैलाश जी त्रिवेदी लगभग रोने के कगार पर आए और उत्तेजना में बोले, इन सब सरकारी कर्मचारियों पर आप

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

हत्या का मुकदमा लगाइये, ये हमारी सुनते नहीं हैं, तीन साल से हमारी यह हालत कर दी कि हम हाथ जोड़-जोड़कर थक गये लेकिन इन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। तब मैंने भाई कैलाश जी का हाथ पकड़कर यह कहा, मैं उनके पास ही बैठा था, आपके हार्ट का आपरेशन हुआ है, कृपया करके अपने मन को शांत रखें, नहीं तो और कहीं बीमार पड़ गये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यह तो राज-काज है।

श्री अध्यक्ष: आप अभिभाषण पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): हां, अध्यक्ष महोदय, मैं हालात बता रहा हूं कि पूरे जिले की सरकार, जिला परिषद, सारे विधायक, सारे जिला परिषद के सदस्य, सारे प्रधान, सारे डी एल ओज, सारे बी एल ओज, प्रभारी मंत्री उपस्थित थे और उनमें से एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यह नहीं कहा कि यह सरकार अच्छा काम कर रही है या हमारी सरकार का प्रशासन अच्छा चल रहा है। हमारे विधायक महोदय तो रोने लगे और उन्होंने उन अधिकारियों पर हत्या के मुकदमे का आह्वान किया और प्रभारी मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि आप शांति रखिये। अब आप किस बात का धन्यवाद मानते हैं? जब आपके एम.एल.एज. की हालत यह है, मुझे उस दिन पत्रकारों ने पूछा कि आप कुछ नहीं बोल रहे तो मैंने कहा, इनको रोने से फुर्सत मिले तो हम कुछ बोलें; इनकी ही सुनवाई नहीं हो रही तो हम क्या बोलें।

हालत यह है कि आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आवासीय योजना की आपने बहुत वकालत की है, हमारे माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय विधायक प्रदीप सिंह जी अभी विराजमान नहीं हैं, वहां एक खबर छपी, हालत क्या है, योजनाएं कागजों में बनीं लेकिन वहां जो जमीन पर लागू होती हैं, उस वक्त उनकी कैसी दशा होती है। कल माननीय फतेह सिंह जी ने कहा था कि 5-5 हजार रुपये लेकर नाम लिखे जा रहे हैं कि मकान किसके बनने हैं। हमारे यहां एक महिला ने मुख्यमंत्री आवास योजना में एक शिकायत दर्ज कराई कि सचिव, ग्राम सचिव मेरे से पैसा मांगता है और मेरी अस्मत मांगता है। पैसे के साथ अस्मत मांगने का खेल इस सरकार के शासन काल में हो रहा है। अखबारों में खबरें छपीं, हम एस पी से मिले, कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। दूसरी किश्त आई, उस वक्त भी उस महिला से वही खेल खेला गया। हम सबने उस महिला को राय दी कि ए सी डी के पास जा। उस सचिव ने जो समय

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

दिया था रात्रि के वक्त, उस महिला के घर वह सचिव गया, रंगे हाथ पैसे लेते हुए ए सी डी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। रिश्वत के साथ-साथ अस्मत मांगना, इस सरकार के कार्यकाल का सबसे बदनुमा दाग है और इस मुख्यमंत्री आवास योजना की पुनः समीक्षा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, हम आम जनता की बात करते हैं, कल माननीय धारीवाल जी ने कहा था, हमारे राहुल जी ने आम आदमी को पहचाना है। आम आदमी की पहचान अन्ना हजारे ने की है। उनके आंदोलन में जो आम जनता जुडी है, आपको सोचना चाहिये, उसके जुड़ने का कारण क्या था। एक मात्र कारण था, आपके दिल्ली और राजस्थान का भ्रष्टाचार। एक मात्र कारण। इतने बड़े घोटाले आपने किये, विश्व में इतिहास बनाया और इतिहास बनाने के बावजूद सरकार ने आम जनता का ख्याल नहीं रखा। आम जनता को एक आह्वान किया था अन्ना हजारे ने और पूरे देश की जनता सड़कों पर निकली। आम आदमी की नब्ज को उन्होंने पहचाना और आज तक भी आप अन्ना हजारे और रामदेव का स्यापा करोगे और अपने को सुधारोगे नहीं, तो जो कवि सम्मेलनों में आज बात आ रही है कि कवियों को पहले पाकिस्तान सबसे प्रिय मुद्दा लगता था, आज यह नेता सबसे प्रिय मुद्दा लग रहा है और नेता शब्द गाली बन चुका है आपके इन कुकर्मों से। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब भी हमें सुधर जाना चाहिये। आपकी सत्ता है, सरकार है, किसी कवि सम्मेलन में मत चले जाना, जनता पीछे से जो तालियां बजाती है, नेता का नाम आते ही। नेता नाम से जनता नफरत करने लगी है। यह आपके इस शासन का प्रभाव है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की हालत, अभी माननीय मोहनलाल जी ने कहा था कि मिड-डे मील दे रहे हैं, कमरे भी सर्व शिक्षा अभियान के मार्फत बनवाये जा रहे हैं, अध्यापकों की भर्ती भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है कि आठवीं तक बिना पढ़े, बिना कुछ किये आपको नवीं क्लास में बिठाया जाएगा। गांवों की हालत यह है कि 14 साल का बच्चा-बच्ची ढूंढे जा रहे हैं, उनकी एज देखकर कि 14 का है तो सातवीं में बिठाओ, 15 का है तो आठवीं में बिठाओ और उनको सर्टिफाइड करो कि यह आठवीं पास हो गया। उस आठवीं पास की हालत यह हो रही है कि उसको क, ख, ग लिखना नहीं आता। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र इस शासन में शुरू हुआ है। मुख्य मंत्री महोदय, मैं अन्तर्मन से अपनी पीड़ा आपको व्यक्त कर रहा हूं कि

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

इस षड्यंत्र को बंद किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में गांव में गरीब का एक भी बच्चा आई ए एस, आई पी एस, कलक्टर या और कुछ तो छोड़ो, चपरासी बनने की योग्यता तक नहीं रखेगा। इस षड्यंत्र को हमको बंद करना चाहिये और गांव के बच्चों की शिक्षा का स्तर बनाये रखने के लिए यह जो पास-फेल की पद्धति है, उसे पुनः चालू किया जाए जिससे स्पर्धात्मक शिक्षा शुरू हो और लोगों को यह पता चले कि हमको पास होना है, इसलिए पढ़ना पढ़ेगा। हमने अध्यापक की डयूटी केवल यह बना दी, केवल मिड-डे मील खिला; जितना नामांकन है उतना बनना चाहिये चाहे स्कूल में कितने आते हैं। दस आते हैं लेकिन 100 का नामांकन है तो 100 का मिड-डे मील बनेगा, 10 का मिड-डे मील वितरण होगा, 90 का नहीं होगा। यह गरीब का पैसा है।

हालात क्या हो रही है इस शासन की, आप धन्यवाद मांगने आए हैं, धन्यवाद उस व्यक्ति को मिलता है जो कागजों में योजना नहीं बनाये, जमीन पर उस योजना का क्रियान्वयन सफलता से करे, सुचारु ढंग से उसको चलाये। अंत में जब उस गरीब के मुंह से धन्यवाद निकलता है तब जाकर सरकार धन्यवाद की पात्र होती है। मैं एक छोटा सा जीता-जागता उदाहरण अभी 26 जनवरी का आपके सामने रखूंगा। 26 जनवरी को मैं एक विद्यालय में गया, एक ढोल बजाने वाले हैं जिनका नाम फतेहलाल जी है, प्रिंसिपल ने उनको बुलाया किसी गेस्ट का स्वागत करने के लिए। वह व्यक्ति सज्जन था, वह आया, दो घंटे बैठा रहा और उसने ढोल बजाया; कार्यक्रम समाप्त हुआ, प्रिंसिपल ने उसको कहा कि आपने बहुत अच्छा ढोल बजाया, धन्यवाद। वह घर चला गया, उसकी पत्नी ने पूछा कि इतनी देरी लगाई, क्या लाए; उसने कहा, धन्यवाद।

(15.00 बजे)

उसकी पत्नी ने कहा, धन्यवाद से मेरा पेट नहीं भरता, मेरा चूल्हा नहीं जलता, वापस जाओ उस प्रिंसिपल के पास और अपनी मेहनत का पैसा लेकर आओ और फिर उसको धन्यवाद देना कि साहब, आपने मेरी मेहनत दे दी, उसके लिये धन्यवाद और तब आकर घर में घुसना। धन्यवाद का पात्र वही होता है जो आम जनता को, जहां तक उसका हक है, तब तक उसका हक मिले। योजना कागजों में बनाने से आपने धन्यवाद मांग लिया और दादागीरी से कह रहे हो, +++ कह रहे हो कि आप असत्य बोलते हो, जोर से बोलते हो, झट-झट बोलते हो और जाने क्या-क्या कह रहे हो। आप क्या कह रहे हो, अभी हमारे जाड़ावतजी भाषण दे रहे थे, इस सभा में, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

''इस सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो यहां स्पष्ट एवं सत्य बात रखी जाए। क्योंकि यहां न बोलने से या गलत बोलने से, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी होता है, वे कह रहे थे, ''Boss is always right.'' जाड़ावतजी के शब्द थे, ''Boss is always right. '' जो गलत है, उसको गलत कहना पड़ेगा। इस सभा में गांधीजी के शब्द हैं, यहां छपे हुए हैं। हमको अपनी आत्मा से बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज गांधीवादी मुख्य मंत्री की बातें की जाती हैं। गांधीवाद की पुनर्परिभाषा की आवश्यकता है। आज जो गांधीवाद चल रहा है, जिस गांधीवाद के पीछे आप चल रहे हो, वह महात्मा गांधी का गांधीवाद नहीं है। आज इस गांधीवाद के दो टुकड़े करने की जरूरत है। एक तो महात्मा गांधी का गांधीवाद, एक +++, +++ और +++ का गांधीवाद, जिसके आप समर्थक हैं।

श्री अध्यक्ष: जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम अंकित नहीं होगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): असली गांधीवाद के समर्थक वे लोग विराजे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को पवित्रता से जिया। सभापति महोदय, ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरे को लगता है, आपके यहां विराजते हुए मेरा भाषण में पहली बार नम्बर आया है। इसलिये हमारी आदत ''सभापति'' की पड़ी हुई है, कोई गलती हो तो आप क्षमा करना।

चिकित्सा आम आदमी की जरूरत है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, मैं भी धन्यवाद देता हूं, मुफ्त दवाई योजना आपने चालू की लेकिन हालत क्या है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? वास्तव में मिल कैसे मिल रही हैं दवाइयां? रोज फोन आते हैं मेरे को अपने विधान सभा क्षेत्र से, सौ-डेढ़ सौ की लाइन लगती है। जो आदमी बुखार से पीड़ित है, जिस आदमी के सिरदर्द हो रहा है, जिसके पेट दुःख रहा है, कोई बच्चे को लेकर खड़ी है, डेढ़-डेढ़ सौ की लाइन लगी है और जैसे भिखारियों को सदावर्त दिया जाता है, उस तरह से वहां खिड़की के सामने खड़े होना पड़ता है उन बीमारों को। उन बीमारों की हालत यह होती है कि बांटने वाला एक और लेने वाले पांच सौ। उस आम जनता को भिखारी की तरह खड़ा किया जाता है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): एक मिनट। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप विराजें, माननीय सदस्य। आपका नम्बर आये तब बोलना, आप विराजो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आपने यह कहा था, इन कर्मचारियों पर मुकदमा लगाया जाए। (व्यवधान) आपने यह कहा था।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं। अकित नहीं हो रहा है, विराज जाएं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, बिजली की हालत यह है कि भीलवाड़ा जैसे शहर में चार घण्टे रोज घरों की बिजली काटी जा रही है। जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू वसूल किया जाता है, शहर के घरों में मीटर की जो रेट है, बिजली की जो रेट है, वह सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद 4-4, 5-5, 6-6 घण्टे की कटौती इतने बड़े शहर में, औद्योगिक शहर में, उद्योगों पर कटौती लागू है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहले वह घूमने वाला मीटर लगाते थे।

श्री अध्यक्ष: अब आपका समय समाप्त हो गया है, विराजें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एक बार और क्षमा कर दें। मैं अध्यक्ष महोदय ही कहूंगा अब।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराज जाएं। श्री अर्जुन बामनिया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और, बस। दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन बामनिया। श्री अर्जुन बामनिया, शुरू करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले दो दिवस से वाद-विवाद हो रहा है, उसमें मैं भी अपने समर्थन के साथ में अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी भी पार्टी की बनती है और बनने के साथ में शुरुआती तौर पर अपने-अपने काम करने के तौर-तरीके से अपनी घोषणाएं और जनता तक सुविधा पहुंचाने की बात करती है। जब कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत प्रदेश के मुख्य मंत्री बने और प्रदेश में गांव, गरीब और किसान की बात कही। गांव, गरीब और किसान की बात पर सरकार ने तीन साल के अन्दर अपनी उपलब्धियां दिखाईं और उन उपलब्धियों के साथ-साथ जनता के बीच में हम सभी जन-प्रतिनिधि सरकार के नुमाइंदे बनकर में गये। उस बीच में, मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, समय के साथ में, कि पिछली गवर्नमेंट जब भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने भी गरीब को गणेश मानकर काम शुरू किया था और गरीब को गणेश मानने के साथ में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।

जहां तक प्रदेश में बी.पी.एल. की बात आती है, पिछले समय भी बी.पी.एल. परिवार थे और अभी भी बी.पी.एल. परिवार की बात हो रही है। सभी माननीय सदस्यों ने बी.पी.एल. के बारे में बताया। बी.पी.एल. में मैं यह कहना चाहूंगा कि कई सारे व्यक्ति, जो माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं जिनको बी.पी.एल. के शब्द याद हैं, बी.पी.एल. की परिभाषा याद है, पर उस बी.पी.एल. परिवार के रहन-सहन, उस परिवार का सुख-दुःख कैसे है, वह परिवार कैसे रहता है, वह किसी को पता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बी.पी.एल. में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना चालू की, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 24112 उचित मूल्य की दुकानों के साथ में कांग्रेस के शासन में बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अंत्योदय और अन्नपूर्णा को अन्न से जोड़ने की जो योजना लागू की है, वह राजस्थान सरकार की राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आज बी.पी.एल. में 18.27 लाख, स्टेट बी.पी.एल. में 11.24 लाख, इनको 25 किलो गेहूं दो रुपये किलो के भाव से देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, प्रतापगढ़, इन जिलों में इसके साथ-साथ 4 रुपये 75 पैसे पर अतिरिक्त 10 किलो गेहूं देकर इन परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ में

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

अन्त्योदय परिवार को जो 10 लाख के करीब हैं, उनको 35 किलो गेहूं पूरा का पूरा दो रुपये प्रति किलो देकर उस परिवार को अन्न से जोड़ा जा रहा है।

यही नहीं, मैं यह भी निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार इन बी.पी.एल. परिवारों को भामाशाह योजना के अन्तर्गत जोड़ने की योजना लायी थी, मैं पूछना चाहता हूं कि भामाशाह योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं ने सहकारी समितियों के अन्दर, कामर्शियल बैंकों के अन्दर दो सौ-दो सौ रुपये जमा करके अपने खाते खुलवाये थे, मैं जानना चाहूंगा कि उन परिवारों को आपने, कितने परिवारों को 1,500 रुपया देकर लाभान्वित किया है? उसके आकड़ें अगर आपने इस अभिभाषण के विरोध की तर्ज पर, अभिभाषण के विरोध में आपने कहीं किसी ने बताया हो, एक भी कार्यवाही के अन्दर देखा हो कि हमारी सरकार ने भामाशाह योजना के तहत इतने लोगों को 1,500 रुपये देकर लाभान्वित किया, अगर एक भी माननीय सदस्य ने, विपक्ष के माननीय सदस्य ने बताया हो तो आप कार्यवाही देखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप सत्य बोलो। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): मैं बिलकुल बोल रहा हूं। अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या, एक भी उदाहरण आप बता दें। 1500 रुपये की बात जहां तक है, आपने दो साल पहले योजना लागू की है। माननीय कटारिया साहब बैठे हैं...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सदन के पटल पर लिखा है कि आपको सत्य बोलना चाहिए। आप यह दो रुपये किलो गेहूं की बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के हर जिले में जाकर यह पूछो कि 25 किलो गेहूं मिल रहा है क्या? अपनी आत्मा की आवाज से पूछो। गेहूं नहीं मिल रहा है वहां पर। हां, हां, आगे सुनो तो सही, गेहूं नहीं मिल रहा है। गेहूं 15 किलो मिल रहा है और 10 किलो आटा मिल रहा है जबरदस्ती। (व्यवधान) और उसकी कीमत जो कि माननीय मंत्री महोदय को पता है, यह अजमेर में आज की तारीख में भी 15 किलो आटा जबरदस्ती दिया जा रहा है। उसकी कीमत 4 रुपये 75 पैसे जबरदस्ती वसूली जा रही है। यह कहना चाह रही हूं मैं। 25 किलो गेहूं पूरा

(श्रीमती अनिता भदेल)

नहीं मिल रहा है। 15 किलो गेहूं और 10 किलो आटा, यह कहना चाह रही हूं मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को शायद जानकारी नहीं है...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, आप आज फोन करो, आज फोन करो आप। अधिकृत दुकानों के नम्बर मैं बताती हूं। जो बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, उनसे आपकी बात कराती हूं, 15 किलो आटा मिल रहा है। उनको पूरा गेहूं नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, आप सुनिये न। सुनिये न आप। (व्यवधान) आप मेरी सुनिये न।

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपका जवाब दे रहा हूं मैं, आपकी भ्रांति दूर कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्त्योदय और अन्नपूर्णा के हम गेहूं दे रहे हैं और उसके कूपन से दे रहे हैं। इसलिए ... (व्यवधान) सुनिए आप, सुनिए तो सही न आप। वह भी हम कूपन से दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं यह कह रही हूं कि वह दे रहे हैं, कूपन 25 किलो गेहूं का मिला है लेकिन जबरदस्ती 15 किलो आटा दिया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, यही कह रही हूं मैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कूपन गेहूं का है। हमने दुकानों पर धरना दिया है। दुकानदारों के लाइसेंस सस्पेंड करवाये हैं कि आपने यह कैसे दे दिया आटा। यह अजमेर के राशन के जो अधिकारी हैं, उनसे फोन करके आप पूछो। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अगर आटा देने की ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह अजमेर में हो रहा है, सही है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अजमेर में कहीं इस तरह की शिकायत है ... (व्यवधान) सुनिये आप, मेरी सुनिये तो सही। मेरी बात सुनो। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की शिकायत, माननीय मंत्री महोदय, मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर जिले में हो रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया जवाब तो सुन लीजिए। आपको नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, बैठा देता हूं मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप मेहरबानी करके आटा बंद करवा दीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह आदेश जरूर दिया है पर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुन लो आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं वही तो कह रहा हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्त्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना में हम सिर्फ गेहूं दे रहे हैं। अगर कहीं जबरदस्ती से आटा दिया है ... (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं कि गेहूं नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) गेहूं नहीं मिल रहा है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब नहीं सुनना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: कहां सुनना चाहते हैं?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अगर कहीं इन कैटेगरी को गेहूं के अलावा आटा जबरदस्ती से दिया है तो आप शिकायत दें, जांच करूंगा और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, बोल दिया न आपको, मैंने आपको बता दिया। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): कहीं भी नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बामनियाजी। अंकित नहीं होगा किसी का। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, गेहूं और आटे की बात को लेकर, केरोसीन की बात को लेकर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। आपको मालूम ही नहीं है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। चलिये आप। आप चालू रखो। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): इस सारी वितरण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कूपन सिस्टम, इसमें कूपन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोड़ने की योजना बनाई है। जहां तक गेहूं और आटे का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा, अजमेर से आने वाली बहन माननीय सदस्या श्रीमती अनिताजी, हमारी सरकार महिलाओं का ध्यान रखती है, महिलाओं को आजकल चक्की और घट्टी पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आटे की व्यवस्था कर रहे हैं। आप महिलाओं के खिलाफ नहीं जाएं।

मैं इसके साथ में यह कहना चाहूंगा कि जननी सुरक्षा योजना, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवाई योजना, पिछले हमारे भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने बताया कि गांधीजी में अन्तर है, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने गांधीवादी विचारधारा और गांधीवादी सिद्धांत को लेकर चलते हुए गांधी जयंती, दो अक्टूबर को नि:शुल्क दवा देने की योजना की शुरुआत की है। (व्यवधान) अब आपको दवा चाहिए तो हम दवाई भी दे देंगे और स्पेशल अगर आपको कहीं कोई तकलीफ हो तो आप जो शब्द फरमा रहे हैं, उसके लिए भी हम आपकी व्यवस्था करवा देंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दवा जो नि:शुल्क ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपस में बहस का समय नहीं है। आपका समय हो तब आप कह देना। आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं दूसरे माननीय सदस्य को? (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): इसके बारे में 15,355 दवा वितरण केन्द्र पूरे राजस्थान में खोल करके नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। अभी माननीय सदस्य ने समाचार पत्रों के माध्यम से बताया कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले के अन्दर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, शिक्षा की कमी की वजह से और जंगलों में रहने की दृष्टि से वहां जो दवाइयां उपलब्ध हैं, 300 से ऊपर आज के दिन, उस आदिवासी क्षेत्र में इतनी दवाइयां नि:शुल्क नहीं मिलती थीं। वह आज राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसके अपने आप में उस उदयपुर सम्भाग में सबसे ज्यादा उस जनता को फायदा मिल रहा है।

मैं लम्बी बात नहीं कहते हुए यही बात कहूंगा कि हमारी सरकार ने डाक्टरों की भी भर्ती की है। जननी सुरक्षा योजना के अन्दर काफी माताएं और बहनें जो प्रसव के दौरान परिवार को छोड़कर भगवान के घर चली जाती थीं, परिवार से दूर होती थीं, वे सारी दुविधाएं दूर की हैं।

मैं इसके साथ में, अपनी बात को सीमित करते हुए, मुख्य मंत्री आवास योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कई तरह की बातें उठाई गई हैं लेकिन मुख्य मंत्री आवास की जो योजना है, वह गरीबों को छत देने की है। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी यहां पर विराजे नहीं हैं, मैं इसी एक शब्द के लिए यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मुख्य मंत्री आवास योजना बी.पी.एल. परिवारों के लिए बनाई गई है, बहुत ही अच्छी योजना है पर जहां जिला हैडक्वार्टर, जिले की आसपास की जो पेरिफेरी की पंचायतें हैं, वहां ग्राम पंचायत में पट्टे देने का जो प्रावधान है, उसमें पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। सरकारी जमीन पर जिला कलक्टर पट्टे नहीं दे पाते हैं और वह फाइल राज्य सरकार तक आती है। इसे ध्यान में रखते हुए, और कहीं-कहीं दूरदराज की भी पंचायतें हैं जहां प्रधान, प्रमुख और वहां का सरपंच विपक्ष का होने के नाते उन गरीब परिवारों को, उन बी पी एल परिवारों को पट्टे समय पर नहीं दिये जाते हैं। उनको पट्टे नहीं मिलने की वजह से आवास बनाने में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उसको दूर करने के लिये, अभी माननीय पंचायत राज मंत्री यहां पर नहीं हैं, पर मैं आपसे निवेदन करूं कि सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी करें कि जो पेरिफेरी की पंचायतें हैं, उन पंचायतों में जिला कलक्टर आवास के लिये पट्टे जारी करें ताकि हमारी जो संख्या है, 10 लाख बी पी एल परिवारों

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

को आवास से जोड़ने की, उसको पूरा करने में हम सहयोग ले सकें; उसको पूरा करने में सरकार अधिक से अधिक उस जनता का भला कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आदिवासी अंचल में विकास के लिये जो गतिरोध के रूप में समस्याएं पैदा होती थीं, आज भी कई गांव ऐसे थे जहां रोड नहीं जा सकती थी, जहां बिजली नहीं जा सकती थी, जहां कैनाल पानी के लिये नहीं जा सकती थी, जहां स्कूल भवन बनाने के लिये जंगलात की जमीन आ रही थी और उस गांव तक जाने के लिये बीच में फोरेस्ट की जमीन होने से जो समस्या आ रही थी, राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने पंचायत राज को मजबूत बनाते हुए जो पीसा एक्ट लागू करके उन गांवों तक विकास के लिये जो रास्ता निकाला है, वह भी उस क्षेत्र के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था की है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में जो मुझे बोलने का मौका मिला, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कल्याण सिंह चौहान।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार निम्न शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं। राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के माध्यम से मुंगेरीलाल के हसीन सपनें दिखाती हुई गुमराह करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार का यह सम्पूर्ण भाषण +++ का पुलिन्दा है। राज्य में शासन-प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे नाथद्वारा का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। नाथद्वारा में कानून और व्यवस्था चिराग लेकर ढूंढने पर भी कहीं नजर नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस माइक को छोड़ दें, आपकी आवाज पकड़ रहा है।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): मैं तो माइक पकड़कर ही बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे बोलने वालों को रोककर मैं यहां आया हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कहें।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): उनकी आत्मा यहां भटक रही है

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

और यह सब प्रकरण जितने हो रहे हैं, वह उसी के पीछे हो रहे हैं। आपको पता नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैंने इसलिये अर्ज किया है...(व्यवधान) आप अपनी बात कहें। (व्यवधान) आप अपनी बात कहें।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): उनकी आत्मा रो रही है, यहां भटक रही है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कहें।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): लेकिन वह चारों तरफ भटक रहा है, वह बातें सुन रहा है, आप सुन लें थोड़ा बहुत। (व्यवधान) वह आप भी रो रहे हैं उसको भीलवाड़ा में लेकर। आप भी रो रहे हैं, दोनों हाथों से ले रहे हैं गमेड़े यूं।

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त होता जा रहा है आपका।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): नाथद्वारा में कानून-व्यवस्था चिराग लेकर ढूंढने पर भी कहीं नजर नहीं आ रही है। पुलिस और प्रशासन, नाथद्वारा से एक वोट से हारे हुए उम्मीदवार के गिरवी पड़ा है। क्षेत्र में हत्याएं और लूट गिनती से बाहर होती जा रही हैं। नाथद्वारा का बच्चा-बच्चा कह रहा है कि नाथद्वारा केन्द्र शासित प्रदेश है, जिसके मुख्य मंत्री मेरे से हारे हुए प्रत्याशी हैं। केन्द्र शासित प्रदेश नाथद्वारा के मुख्य मंत्री के नाथद्वारा दौरे के समय प्रोटोकोल में चलने वाली गाड़ियों के काफिले के सामने मुख्य मंत्री महोदय का प्रोटोकोल भी फीका नजर आता है। नाथद्वारा के प्रशासन पर गहलोत साहब और उनकी सरकार का नियन्त्रण हो, ऐसा किसी भी एंगल से नजर नहीं आता है।

राज्य सरकार प्रवासी भारतीय सम्मेलन अपने यहां आयोजित करवाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि वहीं मेरे से हारे हुए प्रतिनिधि के इशारों पर पर्यटन सचिव ने राज्य सरकार की ओर से प्रजन्टेशन ही प्रस्तुत नहीं कर प्रवासियों के सामने पूरे राज्य को अपमानित किया था। इससे स्पष्ट है कि राज्य के शासन, प्रशासन को कांग्रेस के नेताओं ने ही पंगु बना रखा है।

संवेदनशील और स्वच्छ प्रशासन का आडम्बर भरा नारा देने वाली राज्य सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार किसी से छिपे नहीं हैं। सरकार इंटरनेट पर आई ए एस, आर ए एस की सम्पत्ति का ब्योरा डालने की बात कर रही है,

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

जबकि नाथद्वारा में पदस्थापित आर ए एस अधिकारियों के लिये राज्य सरकार का वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह है। 90-बी में लूट हो या सड़क या विकास कार्यों में लूट या पेरिफेरी क्षेत्र की 27 बीघा जमीन, खनिज सम्पदा के लिये आरक्षित जमीन की पूर्व कलक्टर और भू-माफियाओं के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों ने लूट और बंदरबाट शुरू कर दी है। तत्कालीन जिला कलक्टर +++ ने अपने स्थानान्तरण के पश्चात् भी हाथों-हाथ आबंटन कर अपना कमीशन पक्का कर राज्य के राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया है...

श्री अध्यक्ष: नाम अंकित नहीं करें।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): और उन्हें केन्द्र शासित मुख्य मंत्री ने अपना वरदहस्त प्रदान कर भीलवाड़ा में जमीनों और अन्य के घोटाले करने के लिये पदस्थापित करवा रखा है।

निःशुल्क दवा योजना में पूरी दवाएं उपलब्ध ही नहीं हैं और ब्रांडेड दवाइयां लिखने वाले डाक्टर्स की मनमानी के आगे राज्य सरकार बेबस है। राज्य सरकार एक ओर आमजन के लिये निःशुल्क दवा योजना लागू करने का दावा कर रही है, वही राज्य कर्मचारियों के वेतन से आर पी एम एफ की कटौती करके अपना खजाना भर रही है।

जननी सुरक्षा योजना में प्रसूताओं को मिलने वाला घी कमीशनखोरों की भेंट चढ़ रहा है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बनने वाले शौचालयों के लिये दिया जाने वाला धन इतना कम है कि उस धनराशि में शौचालयों की डब्ल्यू.सी. भी नहीं लग सकती है।

माननीय गहलोत साहब के वर्तमान मुख्य-मंत्रित्वकाल कार्यकाल में राज्य रसातल की ओर अग्रसर है। बेरोजगारों की फौज खड़ी है और सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी है।

राजसमन्द जिला देश की प्रमुख मार्बल मंडी है और पर्यटन और धार्मिक स्थलों से सुशोभित है किन्तु अफसोस है कि राज्य सरकार मेवाड़ से सर्वाधिक सीटें जीतकर भी मेवाड़ से विमुख है। इतिहास गवाह है कि मेवाड़ के विकास से विमुख होने वालों को जनता ने दुबारा सत्ता सुख प्रदान नहीं किया है।

श्रीनाथजी मेवाड़ में विराजमान हैं और मेवाड़ और मेवाड़वासियों ने श्रीनाथजी की शरण स्वीकार कर उनके चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

दिया था। बहुत ही दुःख है कि हमारे यहां के पूर्व प्रतिनिधि के प्रश्रय पाये भू-माफिया और अधिकारियों की चौकड़ी ने श्रीनाथजी की जमीनों को हथियाने का प्रयास शुरू कर दिया है। नाथद्वारा के नाथूवास स्थित पेट्रोल पम्प की जमीन को कौड़ियों के दाम पर पाने के लिये भू-माफियाओं ने नगरपालिका, मंदिर मण्डल और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मजबूत गठजोड़ बना लिया है। नाबालिग ठाकुर जी श्रीनाथजी की करोड़ों की जमीनों पर भी इन भू-माफियाओं की औरंगजेबी दृष्टि पड़ चुकी है। मंदिर के अधिकारियों ने बेखौफ होकर लूट मचा रखी है और वे निश्चित हैं कि वे राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

नाथद्वारा के विकास के लिये हमारी नेता माननीया वसुन्धरा राजे जी ने जो प्रयास शुरू किये, उन प्रयासों को धुंधला करने और दबाने के लिये षड्यन्त्र रचे जा रहे हैं और योजनाओं में भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है जिससे कि सम्पूर्ण योजना बदनाम हो और विकास कार्य रुक जाये।

सिंगल विण्डो एक्ट का हवाला देकर राज्य सरकार ने ऐसा भ्रमजाल फैलाया है कि उद्यमियों में जबरदस्त निराशा व्याप्त है। उद्यमी डरे और सहमे हुए हैं कि नौकरशाही उनके प्रोजेक्ट को कभी पूरा ही नहीं होने देगी तो राज्य में उद्योग किस कारण से लगायें?

नाथद्वारा की बाघेरी नाका योजना से विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण गांवों को अभी तक भी नहीं जोड़ा गया है और ना ही भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहन लाल सुखाड़िया जी की नंदसमंद में देवास का पानी लाने की योजना को अमलीजामा पहनाया गया है। जब राज्य सरकार अपने ही पूर्व मुख्य मंत्रियों की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में विफल रहती है तो वर्तमान राज्य सरकार से तीन वर्ष पूर्व नाथद्वारा में सीवरेज लाइन बिछाने और नाथद्वारा की झीलों के संरक्षण की माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा पूरी होने की आस करना बेमानी है।

निजी स्कूलों के शिक्षा माफियाओं के दबाव में सरकार ने आठवीं तक के छात्रों को फेल नहीं करने का निर्णय लेकर प्रदेश की युवा पीढ़ी के मानसिक विकास को पंगु करने का मानस बना लिया है।

राज्य सरकार विकास के खोखले दावों पर ताश के पत्तो के महल की तरह टिकी हुई है जिसे आने वाले चुनावों में जनता बटन दबाकर ढहा देगी और 641 दिनों के बाद आटो-रिक्शा में बैठकर यह सरकार हमेशा के लिए घर पर

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

ही बैठने वाली है। माननीय वसुन्धराजी, आप निश्चिन्त रहें, 15,684 घंटों के पश्चात् प्रदेश की जनता आपको हां पक्ष लाबी में भेजकर प्रदेश का ताज सौंपने वाली है।

अन्त में मैं सिर्फ एक ही बात से अपने वक्तव्य को विराम देता हूं कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में गरीबों को पचास हजार रुपये देकर, झुनझुना पकड़ाकर गरीबों का मजाक उड़ाने वाली सरकार सदन को बताये कि पचास हजार में गरीब का घर किस प्रकार से बन सकेगा? जबकि पचास हजार में सामान्य सुविधायुक्त लेट-बाथ नहीं बनाया जा सकता है। काश्तकारों को बिजली नहीं, जनता को पीने का पानी नहीं, यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, यह सरकार निकम्मी है। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की घोर निन्दा करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: जरा समय का ध्यान रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले तीन दिनों से जो बहस चल रही है, उस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुने। कई बार ऐसी स्थिति आ गयी, कई तो इतना जोर से चिल्लाते हैं कि कान का पर्दा फटने की स्थिति आ जाती है। तो कम से कम यहां पर रूई की व्यवस्था सदस्यों को करवाओ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हमारी तरफ से एक-दो माननीय सदस्य, पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो इस साइड से ज्यादा जोर से और स्टाइल से बोलते हैं लोग।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पृष्ठ दो पर लिखा है कि राज्य सरकार जन धन के समुचित सदुपयोग और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, आई ए एस, आई पी एस, आई एफ एस अचल सम्पत्ति का ब्योरा देंगे। इन अधिकारियों ने जनता की मोटी रकम जो जनता से लूटी है, लूटी हुई सम्पत्तियों का ब्योरा नहीं दिया। उनकी पूरी जांच हो। अगर वे बेनामी सम्पत्तियों का ब्योरा दें तभी सही मायने के अन्दर, जनता की असली पूंजी है, उसको वापस उनसे निकलवाया जा सकता है।

अभिभाषण के अन्दर पृष्ठ तीन पर लिखा है कि सरकार ने गांव,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

गरीब और किसान की समृद्धि और खुशहाली के कार्य को अपना लक्ष्य माना है। किसान की हालत आज किसी से छिपी हुई नहीं है। किसान बिजली के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। प्रदेश में बड़े-बड़े आन्दोलन हुए और बिजली के बाद खाद और बीज जिनके लिए सरकार सब्सिडी देती थी, वह सब्सिडी भी खत्म कर दी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गयी कि थानों के अन्दर लोगों को खाद और बीज बांटना पड़ा। इससे शर्मनाक स्थिति और कोई नहीं हो सकती।

पृष्ठ चार पर लिखा है कि राज्य सरकार ने आम जन को बड़ी सौगात देते हुए, 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' प्रारम्भ की है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं लेकिन जो डाक्टर्स दवाइयां लिखते हैं वे तो एक भी नहीं मिलती हैं वहां पर। वहां तो ऐसी दवाइयां मिलती हैं जिनसे इलाज नहीं होता। इसलिए मुख्य मंत्री दवा योजना को अगर सरकार प्रभावी ढंगे से लागू करना चाहे तो जितनी भी दवाइयां हैं, चाहे वे सर्जिकल के लिए हों, सारी दवाइयां मुफ्त करे। यदि सरकार को कुछ करना है तो इलाज मुफ्त करे। जिस प्रकार से बी पी एल का इलाज सरकार करवाती है, आम आदमी का इलाज आपरेशन से लेकर सरकार मुफ्त करे, तब जाकर कोई संदेश राजस्थान के अन्दर जा सकता है। दवाइयां मुफ्त करने से तो कुछ हो नहीं सकता। फार्मेसिस्ट बेरोजगार हो गये। तरह-तरह की स्थितियां, इसके दूसरे गम्भीर परिणाम तैयार हो गये।

इस अभिभाषण के बिन्दु संख्या 13 पर लिखा हुआ है कि मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों एवं स्टेट बी पी एल परिवारों को दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): अध्यक्ष महोदय, मैंने दो-सवा दो घंटे पहले यह गोली डिस्पेंसरी से ली, जो निःशुल्क दवा देते हैं, अभी तक सिर दर्द गायब ही नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: अपने भाषण के समय बोलना।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ऐसी कैसी दवाई है कि दो-ढाई घंटे हो गये, सिर दर्द नहीं गायब हो रहा। निःशुल्क दवाई है।

श्री अध्यक्ष: आपको अवसर मिले तब बोलना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप डा. दिगम्बर सिंहजी से ले लें दवाई।

मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जो दो रुपये प्रति किलो गेहूं देने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में कहीं भी दो रुपये किलो गेहूं गरीबों को नहीं मिल रहा। जो डीलर हैं, वे गेहूं की कालाबाजारी कर रहे हैं। जिन मंत्रीजी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे रसद अधिकारियों से मिलीभगत के, आटा पिसाई के, उनको हटा दिया गया मगर हटाने के बावजूद भी राजस्थान के अन्दर ज्यादा सुधार नहीं हुआ। फोर्टिफाइड आटे के बारे में मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया था कि उसके अन्दर कीड़े मिल रहे हैं, तो, अध्यक्ष महोदय, कृपया ऐसे आटे को तो बन्द ही करवायें। किसान वैसे ही बीमार हैं, बीमारू प्रदेश है, इसको और ज्यादा बीमारू नहीं करें।

अभिभाषण के पृष्ठ छह पर लिखा है कि आधारभूत संरचना को सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा रहा है; ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि। रोजाना पढ़ने को मिल रहा है कि हम ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। घोषणा पत्र के अन्दर आठ घंटे बिजली देने की बात की लेकिन प्रदेश में कहीं भी पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली। बिजली के मामले को लेकर बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए। मैंने खुद ने बिजली के मामले को लेकर तीन बड़े प्रदर्शन नागौर मुख्यालय पर किये थे और सरकार ने छह घंटे की घोषणा भी की लेकिन पांच दिन बाद फिर वही चार-साढ़े चार घंटे, वह भी ट्रिपिंग के साथ बिजली मिली किसानों को। सिंगल फेस बिजली की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। सात या आठ घंटे से ज्यादा सिंगल फेस बिजली, अभी बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम है, इस दौरान भी किसान को नौ घंटे से ज्यादा सिंगल फेस बिजली नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, पैरा नम्बर 23 पर लिखा गया है कि उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग सिंचाई हेतु करने के लिए पक्के खालों का निर्माण किया जाएगा। करने की बात की जा रही है लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और जिन जिलों में नहर और नदियों से सिंचाई हो रही है, वहां के किसान भी आन्दोलित हैं। पानी की पूरी कमी है। लघु सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर, गंगनहर का आधुनिकीकरण एवं राजस्थान जल क्षेत्र की पुन: संरचना, ये बातें लिख तो खूब सारी दीं, यह तो अभिभाषण पढ़ते तो हमेशा ही नदियों का लिखा हुआ आता है लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले में विशेष कुछ नहीं किया।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

यातायात सुधार के लिए मेट्रो रेल जयपुर के अन्दर लाये। सोलह हजार करोड़ रुपये अभी खराब करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जयपुर में इतनी जल्दी मेट्रो लाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो मिनी बस, सिटी बस और दूसरे जो साधन हैं, उनसे ही काम चल सकता है। जयपुर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। 16 हजार करोड़ रुपये से अगर यहां के किसान को मजबूत किया जाता, ये 16 हजार करोड़ रुपये खेती पर खर्च किये जाते, नदियों को जोड़ने की योजना, आज भारतीय जनता पार्टी से तो मेरा कोई नाता-रिश्ता है नहीं, फिर भी अटल बिहारी जी वाजपेयी, जो एक अच्छे नेता थे देश के, उनकी योजना थी कि नदियों को, नालों को जोड़कर जब तक यह किसान यहां का मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा, इस पर पैसा खर्च किया जाता तो ज्यादा अच्छी बात रहती। मेट्रो रेल का तो मुझे नहीं लगता कि कोई सदुपयोग होगा। अभी तो बनने से पहले ही दस-पन्द्रह तो मर गये, इसके नीचे आकर दब गये। और क्या परिणति होगी मेट्रो रेल की।

खनिज की उपलब्धता के लिहाज से देश में राजस्थान का प्रमुख स्थान है। खनिज माफिया आज राजस्थान के अन्दर जिस तरह से पनप रहा है, एक मंत्रीजी भी हमारे उसमें चपेट में आ गये और दूसरे मंत्रीजी, जो खनिज मंत्री थे लेकिन उनको दूसरे मामले में लेकर उनको भी फ्री कर दिया। आज हिन्दुस्तान जिंक राजस्थान के अन्दर अवैध माइनिंग कर रहा है और 100 करोड़ रुपये प्रति माह सचिवालय में अधिकारियों और ऊपर तक यह पैसा जाता है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान जिंक के अन्दर हो रहा है। हिन्दुस्तान जिंक पर पांच हजार करोड़ सरकार का सेल्स टैक्स बकाया है, पांच हजार करोड़ का।

अब सरकार को जो काम करने चाहिए, वे काम तो कर नहीं पा रही है। विधायक दल की मीटिंग के अन्दर दो-दो हाथ करने के लिए विधायक तैयार खड़े हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कबड्डी का मैच हो रहा हो।

राज्य में पेट्रोलियम सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति शुभ संकेत है लेकिन सरकार को प्रदेश में रिफाइनरी से जो रेवेन्यू मिल रहा है, अगर वह डीजल और पेट्रोल पर जो दाम बढ़े, दिल्ली में भी इनकी सरकार और राजस्थान में भी इनकी सरकार, एक बार भी राजस्थान के किसान को राहत देने का इन्होंने नहीं सोचा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दी घंटी बजा दी, मेन बात पर तो अभी आने वाला हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी ही आ जाओ, टाइम समाप्त हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे पूरा एक-एक चीज पर, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि तैयारी के साथ आओ।

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त हो रहा है, जरा जल्दी करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था की जो स्थिति है, शायद इससे खराब स्थिति राजस्थान के अन्दर कभी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी को जिस व्यक्ति ने आजादी से पहले अपने खून से सींचा, उसके पूरे परिवार को सी.बी.आई. ने हत्या के मुकदमे के अन्दर, पूर्व मंत्री, उनका बेटा खुद जेल के अन्दर है जबकि सीधे-सीधे हत्या का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है। उनके परिवार की औरतों को सी.बी.आई. मुख्यालय बुलाकर जलील किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दूसरे किसान नेता, उनकी पत्नी 85 वर्षीय, जो मलखान सिंह जी हमारे विधायक थे, उनकी मां को भी सी.बी.आई. ने बुलाया लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सी.बी.आई. सिर्फ जाटों के खिलाफ ही राजस्थान के अन्दर कार्यवाही करना जानती है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दारा सिंह जाट ...

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उसका एन्काउंटर, उसमें हमारे पूर्व मंत्री +++ का नाम है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चार्जशीट के अन्दर +++ का नाम है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आपका नाम थोड़े ही लिया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नाम लिया है न। मेरा नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा नाम लिया है। (व्यवधान) नाम लिया है मेरा।

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज करा रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चार्जशीट के अन्दर यह लिखा है, दारा सिंह की सोची-समझी हत्या एक षड्यंत्र के अन्तर्गत ...(व्यवधान) अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा श्री ए.के. जैन, ए.डी.जी.पी. के कहने पर दिनांक...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुनो आप। यह क्या बात हुई? अध्यक्ष महोदय, खुली छूट है। (व्यवधान) यह राजस्थान की विधान सभा है, कोई सब्जी मण्डी थोड़े ही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बाई नेम कहा है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का ... (व्यवधान) किया जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं व्यवस्था के प्रश्न के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे अलाउ करिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पता चलता है कि दारा सिंह को मरवाने के लिए +++ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न है, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): एक्सपंज करिये, अध्यक्ष महोदय, आप। (व्यवधान) यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा। आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं वह ही कह रहा हूं। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं। कृपया आप विराज जाएं। मेरा निवेदन है आप विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं। अपनी चर्चा समाप्त करें। कृपया विराज जाएं।

अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं होगा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा, आप विराज जाएं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं। आप विराज जाएं। अंकित नहीं होगा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: जबरदस्ती बोल रहे हैं। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप काहे को जबरदस्ती बोल रहे हो? अंकित नहीं हो रहा, विराज जाएं। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं हो रहा। ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, कृपया विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर चुका हूं, मैं निवेदन कर चुका हूं, आसन पांवों पर है, अंकित नहीं हो रहा है। कृपया अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करें वरना मजबूर होकर मुझे दूसरा कदम उठाना पड़ेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, आप पर। आप विराज जाएं। जिस तरह का व्यवधान पैदा कर रहे हैं, सदन में ऐसा नहीं चल सकता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 272 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा- 'बोलते समय पालनीय नियम- बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।' अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कई तरह की अध्यक्षीय व्यवस्था भी है; कौल एंड शकधर में भी पृष्ठ नम्बर 1081 में यह उल्लेखित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आपको पहले से पता था क्या? (व्यवधान) ऐसा ही होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं यह निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने, खींवसर से आने वाले +++ के विधायक महोदय ने जिस तरह के +++ आरोप लगाये हैं, मुझ पर लगाये हैं, हमारे नेता पर लगाये हैं, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक्सपंज करवाइये उनको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं कह चुका हूं। (व्यवधान) मैं कह चुका हूं एक्सपंज करने का, पहले ही कह चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ठीक है।

ये किस तरह ललकार रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। किस तरह ललकार रहे हैं, किस तरह; भाषा को देखो आप उनकी।

समिति का प्रतिवेदन

(वर्ष 2011-12)

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (सं. 20)

डा. रघु शर्मा (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(डा. रघु शर्मा)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 02 मार्च, 2012 को मध्याह्न पश्चात् दो बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 05 मार्च, 2012 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

सोमवार दिनांक 05 मार्च, 2012

(1) वर्ष 2011-12 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें, द्वितीय संकलन पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण;

(2) वर्ष 2007-08 के लिए अतिरेक मांगों पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण;

(3) अभियांत्रिकी और प्रबन्धन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012;

(4) गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012; एवं

(5) महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 -पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री पवन दुग्गल।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय के चौथे अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। यह चौथी दफा हमने महामहिम का अभिभाषण सुना है। जब हम सदन में पहली बार जीतकर आए तो एक उम्मीद के साथ आए कि...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, पौने दो-दो घंटे दिये गये हैं लोगों को, हमारे को पांच मिनट के अन्दर कह दिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): लगातार दो-तीन दिन से सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार के पक्ष में खूब वाहवाही की। वैसे भी मात्र इनकी वाहवाही करने से जनता का भला होने वाला नहीं है। राजस्थान का इतिहास रहा है, अगर हम दो और तीन दशक के इतिहास का अवलोकन करें तो इतिहास गवाह है इस बात का कि सत्ता में आने के बाद राजस्थान की जनता ने दुबारा उन्हें चाबी नहीं सौंपी। अब कांग्रेस जो अपने आने वाले समय के लिए इस बात का प्रचार कर रही है कि हमारी सत्ता आएगी, मैं समझता हूं कि इनके इस प्रकार के अभिभाषण से और विगत तीन सालों में जो कार्य करके राजस्थान के अन्दर जनता के साथ विश्वासघात किया है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस आने वाले समय में बुरी तरह से पराजित होकर विधान सभा में विपक्ष में बैठने का काम करेगी।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मुद्दों को लेकर, जहां तक शिक्षा की बात है, पिछले दो-तीन दिन से सत्ता पक्ष के विधायकों ने शिक्षा के मामले में सरकार की वाहवाही की। चूंकि हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है, सरकार को इनकी कमियों की तरफ इंगित करना। पूरे राजस्थान के अन्दर अगर हम स्कूलों की हालत की चर्चा करें और वह भी छोड़कर हम अपने विधान सभा क्षेत्र की भी बात करें, अध्यक्ष महोदय, हमने इसी विधान सभा से एक प्रश्न के उत्तर में इनसे जानकारी मांगी थी कि हमारे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अन्दर कितने प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अन्दर विद्युत कनेक्शन हैं, कितने विद्यालयों के अन्दर पानी की व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लिखित में जो हमें उत्तर दिया, हमें बड़े दुःख के साथ सदन के अन्दर कहना पड़ रहा है, 368 ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, जिन विद्यालयों में पानी के कनेक्शन नहीं हैं। ऐसे हालात के अन्दर अगर हम यह कल्पना करें कि यह गरीब का बेटा बड़ा होकर आई ए एस, आई पी एस बनेगा, बड़ा होकर कहीं बड़ा काम करेगा तो उसके लिए यह सोचना बहुत ही बुरी बात हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर शिक्षा की बात करते हैं, इसी से संबंधित, यही हाल है, लगभग 366 स्कूल हैं अकेले एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जिसमें कम्प्यूटर शिक्षा तो तब लगेगी जब बिजली के कनेक्शन होंगे और जब बिजली के कनेक्शन ही नहीं हैं, बिजली और पानी के बिल नहीं भरे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति के अन्दर हम शिक्षा के बारे में प्रचार करें, मैं समझता हूं, बहुत

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

बुरा है। पिछले तीन सालों के अन्दर, राजस्थान की विधान सभा चली है, हमने कभी नहीं देखा कि यहां कोई लाइट गुल हो जाए मगर गांव में बैठा हुआ गांव के गरीब का बेटा जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, न तो उसकी ढाणी में लाइट है और न जहां स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, वहां लाइट है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अभी कल ही यह प्रश्न उठा है, बड़े-बड़े आई ए एस को छोड़ने का सरकार काम कर रही है मगर इसके साथ-साथ हमारे बीकानेर के अन्दर को-आपरेटिव बैंक के अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाले का माननीय मंत्रीजी ने विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में लिखित में जवाब दिया है। इन्होंने इस बात को माना है कि बीकानेर के अरबन को-आपरेटिव बैंक में भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं व भ्रष्टाचार की शिकायतें हुईं और इन्होंने यह भी माना है कि संस्था का रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आडिट व जांच सम्भव नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, संस्था के चेयरमैन सारा रिकार्ड लेकर चले गये। पन्द्रह करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है और मंत्रीजी कह रहे हैं, हमारे पास रिकार्ड नहीं है इसलिए जांच नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, लगभग दस हजार खाताधारकों के पैसों को लेकर भाग गये हैं। कर्मचारी वहां आज भी लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं मगर सरकार उनकी बात सुनने को कतई राज़ी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने महामहिम का अभिभाषण सुना, इन्होंने खेल नीति की बात की मगर बड़े दुःख की बात है, आजादी के चौंसठ साल बाद आज भी राजस्थान की कोई खेल नीति नहीं है, राजस्थान की युवा नीति नहीं है। कृष्णाजी पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता, निःसन्देह बधाई की पात्र हैं मगर उनके अलावा भी अगर और बात की जाए तो इन्हीं के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने हमें बताया कि राजस्थान के लगभग सत्रह खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन किया, उन्हें महाराणा प्रताप अवार्ड से नवाजा गया था, राजस्थान की सरकार ने उनके महाराणा प्रताप अवार्ड को वापस ले लिया है। इससे बुरी बात खेल के इतिहास में हो नहीं सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए सदन में चर्चा करना चाहता हूं, पिछले पचास साल हो गये, पता नहीं, कितनी बार भारतीय

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

जनता पार्टी जीतकर आयी, कितनी बार कांग्रेस जीतकर आयी मगर किसान को हकीकत में क्या मिला? खुद अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 468 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं, यह भी मैंने सदन के माध्यम से जानकारी ली, आज उनको 54 साल हो गये, दस गुना खातेदार जो किसान थे, उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिला। इससे बड़ी किसान विरोधी और क्या बात हो सकती है? उनको सिंचाई के लिए पर्ची मिलती है जिन पर उनका नाम है, वे पिछले पचास साल से अपनी फसल को सरकार को बेचते आए हैं मगर सरकार की किसी भी लाभकारी योजना का फायदा बिना अपने खातेदारी हक के नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों के जहां तक नियमन का सवाल था, हमने राजस्थान की विधान सभा में यह भी लिखित में ही उत्तर लिया था, इन्होंने दो साल पहले इस बात को कहा था कि घड़साना और रावला की कच्ची बस्तियों का नियमन कर पट्टे दे दिये जायेंगे। मगर पता नहीं, उत्तर देने के बाद सरकार कहां चली जाती है, उत्तर देने के बाद सरकार क्यों नहीं इस पर क्रियान्विति करती?

जहां तक, अध्यक्ष महोदय, मेडिकल का सवाल है, जब डाक्टर ही नहीं है, खुद मेरी विधान सभा क्षेत्र का अगर जिक्र करें, एक भी गाइनोकोलोजिस्ट नहीं है, आर्थोपेडिक नहीं है और सर्जन नहीं है। तो भले ही कितनी मर्जी दवाइयां दें, उन दवाइयों को कौन लेगा? उन दवाइयों को कौन लिखकर देगा? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार राजस्थान सरकार अन्धेरे के अन्दर किसान और मजदूरों के हितों पर आघात कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक लास्ट बात है, राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने राजस्थान की सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए एक सर्कूलर जारी करके पंचायत समितिवार उनकी ग्राम पंचायतों का रिकार्ड मंगवाया मगर भौगोलिक स्थिति यह है कि पंचायत समिति अलग है और पंचायत समिति के कुछ हिस्से दूसरी तहसील के अन्दर आते हैं और वे भी बिना जन प्रतिनिधियों की राय के फैसले कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन हफ्ते से अनूपगढ़ के अन्दर इसलिए मण्डियां बंद हैं, चक्के जाम हो रहे हैं कि वहां की जनता को इस बात का संशय है कि कहीं वहां की पंचायतें जो बिलकुल उनके नजदीक लगती हैं दूसरी पंचायत समिति विजय नगर या घड़साना में नहीं लगाई जाए। अध्यक्ष महोदय, 15-15 दिन अनूपगढ़ में धरना चलने के बावजूद हमारे जिला

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

कलक्टर के पास वक्त नहीं है कि वह संघर्ष समिति से जाकर बात करे, संघर्ष समिति से जाकर पूछे कि समस्या क्या है।

इसके साथ-साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए कांग्रेस सरकार को यह कहना चाहता हूं कि निस्सन्देह इस बार भ्रम में मत रहो और ना भारतीय जनता पार्टी रहे, आने वाले समय में राजस्थान में तीसरा मोर्चा खुलेगा और तीसरे मोर्चे की सरकार राजस्थान में आएगी। पिछला मिला 24 परसेंट मत यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से राजस्थान की जनता दुःखी हो चुकी है और आने वाला समय तीसरे मोर्चे का होगा।

आपने हमें बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(16.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल मीणा।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हृदय से धन्यवाद करता हूं और

(16.00 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

मुझे खुशी है, गत 3 वर्षों से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार चारों ओर तरक्की व विकास के आयाम खोल रही है। स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन कांग्रेस सरकार का मूल मंत्र है जिसके तहत राजस्थान के मुख्य मंत्री, मंत्रीगण और अधिकारी गण, आई ए एस, आर ए एस, आई एफ एस, इन सबकी सम्पत्ति का ब्योरा इंटरनेट पर सबके सामने आप देख सकते हैं। ऐसी सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री जिन्होंने गरीब, गांव, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा और महिला समृद्धि का लक्ष्य रखा और कई प्रकार की योजनाएं दीं।

मैं तीन दिन से यहां पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बात को सुन रहा हूं। विपक्ष ने योजनाओं को उनके हिसाब से गलत ठहराया। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो काम कर रही है और सरकार जो काम करने जा रही है, उसके तहत राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने अन्न सुरक्षा योजना में बी पी एल, ए पी एल को 25 किलो अनाज दो रुपये किलो के हिसाब से दिया है। उसके विरोध में विपक्ष के सदस्य, लोगों को गुमराह करने की इनकी आज से नहीं,

(श्री गोपाल मीणा)

सदा से फितरत रही है, कि 25 किलो नहीं, 10-15 किलो गेहूं और आटा। कहना क्या चाह रहे हैं? जब 25 किलो अनाज के लिये सरकार घोषणा कर रही है और अन्न दे रही है तो उसकी बात को आप इस तरीके से ले रहे हैं कि आपकी फितरत से लोगों को यह पता लगे कि सरकार 25 किलो आटा नहीं दे रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो योजनाओं को चलाने का काम प्रशासन देख रहा है, आज राजस्थान की जनता उस बात को जान रही है।

आप कह रहे हैं कि राजस्थान में जो दवाइयां दे रहे हैं, उससे इलाज में फायदा नहीं हो रहा है। यह गुमराह करने वाली बात है। आज जनता, गरीब जनता को जाकर पूछो कि उनको इलाज का फायदा हो रहा है कि नहीं। मुझे पता नहीं, विपक्ष में बैठे सदस्यों का इलाज कौन से डाक्टर से, कौन से विदेश में जाकर होता है। राजस्थान की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है।

आपके पिछले पांच साल देखे हैं, आपने एक ही काम किया है कि जो कांग्रेस सरकार ने योजनाएं दी हैं, उनका जो नामकरण किया है, उन योजनाओं के नाम को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राजीव गांधी पाठशाला के नाम से पूरे प्रदेश में जो विद्यालय खोले गये, उनका नाम बदल दिया। शिक्षा संकुल में भी यही हुआ। राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत जब सरकार में आये, उस समय एक ही बात कही कि यह काम हमारा नहीं है, बदलने और करने का, हम योजनाएं देते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं, उनके नाम से योजनाएं होती हैं। राजीव गांधी जिन्होंने देश की जनता की नब्ज को पहचाना, जिन्होंने इस देश की जनता की बात को समझा, उनके नाम से योजनाएं चला रहे हैं। उन्होंने भारत की जनता की नब्ज को पहचान कर 21वीं सदी के भारत की तस्वीर सपने में देखी थी, आज वह तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के द्वारा आज गांव में बैठा व्यक्ति अपने देश, विदेश की बात को पहचान सके, अपने बिल जमा करा सके, आज शहरों में लोग इंटरनेट देखते हैं लेकिन गांव के लोगों को वह सुविधा नहीं थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने योजनाएं दीं, गरीबों के लिये आवास योजना दी, विपक्ष के सदस्य उस योजना को भुलाना चाह रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिये, गरीब आदमी का 50,000 रुपये

(श्री गोपाल मीणा)

मिलकर उनका पक्का मकान बनता है, 3,200 रुपये से उसके लेट्रीन, बाथरूम बनते हैं। उनको पता है। आपके 50,000 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन उस गरीब की आत्मा से जाकर पूछो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बीच में माननीय सदस्य मुझे यह भी बता रहे थे कि इनके पैसों की रिश्वत खा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी व्यवस्था की है कि गरीब आदमी को जो मकान दिया गया है, उसके खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। खाने का, भ्रष्टाचार का काम नहीं छोड़ा। अब 4,500 हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 14 विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी है, 11,590 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): रुको तो सही। मुझे तो 5 मिनट हुए हैं अभी। मैं थोड़ी ही देर में समाप्त करने जा रहा हूं।

श्री सभापति: आज 4.15 बजे आदरणीय गुलाबचन्दजी कटारिया बोलेंगे....

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): उससे पहले मैं बोल लेता हूं...

श्री सभापति: विपक्ष के नेता की तरफ से। इसलिये उससे पहले एक-दो लोगों को और बोलने का मौका मिल जाए अगर आप...

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): एक मिनट। मैं यह कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने हर वर्ग को छुआ है। युवा वर्ग को नौकरी देने का जो वायदा किया था, जो भी वायदा किया, उन वायदों पर राजस्थान के मुख्य मंत्री खरे उतर रहे हैं चाहे वह युवा वर्ग हो, महिला हो, मजदूर हो, किसान हो। किसान जो खेत में मारा जाता है, उनको पहले पचास हजार रुपये मिलते थे लेकिन पिछले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने उसे एक लाख रुपये किया है। किसान की उस समय मृत्यु होने पर उन्होंने एक लाख रुपये की घोषणा की और आज लोगों को मिल रहे हैं।

मैं कहना चाहूंगा, हर वर्ग को छुआ है। हमारे पत्रकार बंधुओं के लिये चिकित्सा सुविधा, 2009 लागू की और 234 पत्रकारों को लाभान्वित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से ये लोग गुजरते हैं, जनता तक सूचना पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स से फ्री

(श्री गोपाल मीणा)

किया गया। पिंकसिटी प्रेस एन्क्लेव, 2010 नायला (जमवारामगढ़) में चालू की जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारी सरकार ने हर वर्ग को छुआ है।

मैं कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा। किसान बंधुओं के लिये ये इतने लालायित हो रहे हैं, पाले के लिये हम भी कहना चाहेंगे राजस्थान की सरकार और मुख्य मंत्रीजी को, सदन के नेता को कि किसान को पाले से जो नुकसान हुआ, उसकी गिरदावरी करवाकर लोगों को उसका भुगतान मिलना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वन में जो लोग रह रहे हैं, 60 वर्ष से हैं; 15-20 किलोमीटर दूर जो लोग रहते हैं, उनकी सड़क की जो व्यवस्था है वह आज तक नहीं बनी। ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करके फोरेस्ट से एन ओ सी दिलाकर उन लोगों तक सड़क पहुंचायी जाए जिससे इन लोगों को फायदा मिल सके।

एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जयपुर विकास प्राधिकरण पड़ता है, उस क्षेत्र में गरीब लोगों को बी पी एल के मकान मिल चुके हैं और मुख्य मंत्री आवास योजना के मकान मिल चुके हैं लेकिन उनको देने के लिए आबादी क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण काटता है। मैं कहना चाहूंगा कि इस विशेष परिस्थिति में इस बात का ध्यान रखते हुए उन ग्राम पंचायतों को आबादी क्षेत्र करवाया जाये जिससे उन गरीब लोगों का मकान बनवाया जा सके। मुख्य मंत्रीजी ने जो मकान दिये, उन गरीबों के मकान तो आ गये लेकिन उन मकानों को बनाने की जगह नहीं मिल रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जे डी ए क्षेत्र में भी आने की वजह से कलक्टर उस काम को नहीं कर सकता। इसलिए जे डी ए ही उस काम को कर पायेगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इस अभिभाषण का स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: जनाब अब्दुल सगीर खान।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं अपने तासुरात, जज्बात, ख्यालात आनरेबल गवर्नर के एड्रेस पर इजहार करने का इरादा रखता हूं और मैं अपना रूहे सुखन इन अश्हार के साथ शुरू करना चाहूंगा कि 'मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है, कि जब मैं देखता हूं भूख के मारे किसानों को, गरीबों, मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाजनीनों

(श्री अब्दुल सगीर खां)

को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तसद्दुक को, अमारत के तकव्वुर को, किसी के चीथड़ों को और शहंशाही खजानों को, तो दिल ताबे नशाते बज्में इशरत ला नहीं सकता और मैं चाहूं भी तो ख्वाबावर तराने गा नहीं सकता'।

सभापति महोदय, यह अवाम के ख्यालात मैंने इजहार किये इन इसारात के साथ और दूसरी बात उसी पहलू की कि 'परों में मुंह छुपाए इसलिए बैठा हूं ऐ सैयाद कि मुझसे बेबसी और बेकसी देखी नहीं जाती, मुझे खुद अपनी बेचारगी पर शर्म आती है, नशेमन जल रहा है, रोशनी देखी नहीं जाती'।

सभापति महोदय, यह तीन साल का जो गुणगान महामहिम के माध्यम से इस कांग्रेस की हुकूमत ने इस आगस्ट हाउस में रखा है, मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे आनरेबल एम एल ए तशरीफ रखते हैं सामने, उन्होंने सिवाय गुणगान करके, अशोक दी ग्रेट, अशोक दी मैजिशियन, अशोक दी महात्मा गांधी, इन सारे खिताबों से नवाजा है। साइकोफेंसी की हाइट, इंदिरा गांधी के लिए भी बहुगुणा ने और बहुत सारे जो नेता थे, 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा,' कांग्रेस का पतन हुआ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सगीर साहब, पहली बार आये हो, यह फैशन है, आपको भी करना पड़ेगा कभी ना कभी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): तशरीफ रखें। (व्यवधान) मैंने आपको बहुत गौर से सुना है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह फैशन है, आपको भी करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जरूर, जरूर। तशरीफ रखें आप।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): झंडी लगेगी अगली बार तो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अच्छा, झंडी क्या? झंडी आपके भी लगी थी, झंडी औरों के भी लगी थी। उनका क्या हाल हो रहा है, देख लो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलने दें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): फरियाद क्या करना, लिखा है मुकद्दर में परदेश, वतन को याद क्या करना। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 'निजामें मैकदा इस तरह बिगड़ा हुआ है साकी, उन्हें मिलता है मय जिन्हें पीना नहीं आता और उन्हीं को सौंप दी तकदीर गुलिस्तानों की जिनको दामन की पता है न गिरहबानों की'।

सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जो हकीकत है, हकीकत के आइने में आप मुंह डालकर देखिये, झांककर देखिये कि इस सरकार ने शुरुआत की तीन साल के बाद, माइनोरिटी कमीशन बनाया और उसके चेयरमैन की अपाइंटमेंट, आफ्टर थ्री इयर्स। दी मसीहा आफ दी मुस्लिम्स, दी मसीहा आफ दी माइनोरिटी कम्युनिटी, दी सो-काल्ड प्रोटेक्टर, कस्टोडियन, गार्जियन, जो हिन्दुस्तान में माइनोरिटी का आलम्बरदार कहते हैं, अपने आपको चैंपियन कहते हैं, जो इस बात की वकालत करते हैं कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के मसीहा हम हैं, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपने तीन साल के बाद जहमत की कि माइनोरिटी कमीशन के चेयरमैन का अपाइंटमेंट किया। आपने तीन साल के बाद याद किया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का अपाइंटमेंट किया। यह तीन साल के बाद आपने मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया। मुख्य मंत्रीजी, अभी हज कमेटी बनना बाकी है, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले इसे जरूर बना दीजिए, फिर आप वाहवाही ले लीजिएगा।

इसी तरह से माइनोरिटीज के जो काम करने की बात थी, माइनोरिटीज के बारे में सच्चर कमेटी ने कहा कि हिन्दुस्तान का अल्पसंख्यक सबसे गरीब, सबसे मजलूम, सबसे पिछड़ा समाज है। यह कमीशन आपने बनाया, रंगनाथन मिश्र कमीशन आपने बनाया, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बीमारी का हाल तो पूछा 50 साल के बाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि सम-अप करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): हुजुर, अभी शुरू किया है।

जब इस कमीशन ने रिपोर्ट दी कि हिन्दुस्तान का मुसलमान पीड़ित है, उन्होंने 5 हजार करोड़ की प्रेस्क्रिप्शन लिखी कि आप इनका इलाज कीजिये, इन्हें तालीम दीजिये ये लोग बेरोजगार हैं, बेकार हैं, इनको इनके पैरों पर खड़ा करों; इनको इनका हक दो। आज 4 साल हो गये हैं, आपने कभी पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी और इसी डर से आप पेश नहीं कर रहे हैं, यह बहाना लेते हैं। इसे पहले पार्लियामेंट में आप पेश कीजिये, फिर हमारी पार्टी उस पर क्या विचार रखेगी, वह बाद की बात है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेकर आप कि यह

(श्री अब्दुल सगीर खां)

भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, इसलिए हमने इसे पार्लियामेंट में नहीं रखा।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी, आपके 15-सूत्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। आपके चेयरमैन साहब तशरीफ लाये थे। उससे पहले भी कितनी बार कमेटीज की मीटिंग होती हैं 15-सूत्रीय कार्यक्रम में। प्रधान मंत्री चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का विकास हो। मुख्य मंत्रीजी, आपसे बड़ी उम्मीदें थीं, मैं आपको गरीबों का मसीहा समझता था लेकिन 950 करोड़ रुपये जो राज्य सरकार के नहीं थे, केन्द्र सरकार के थे और आपने योजनाएं नहीं बनाई। 950 करोड़ रुपया लेप्स हो गया। वह मुसलमान बहबूदी की तरफ चला जाता, मुख्य मंत्री जी, और आपको दुआएं देता।

सभापति महोदय, सुबह उठते हैं नमाज पढ़ने के बाद, तो लाइट नहीं होती। रात भर आप लाइट देते हैं। सारे काम रात में निपटाने हैं। दिन में लाइट नहीं है। किसानों के आप मसीहा हैं। किसानों को आप बहबूदी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। आप उन्हें फर्टिलाइजर, खाद और सबसे बड़ी चीज है बिजली; हुजूर, आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, सभापति महोदय, मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपने फ्री मेडिसिन दी; शुक्रिया, बहुत अच्छा काम है। आप जननी सुरक्षा योजना चला रहे हैं। एग्जिक्यूशन में प्रोब्लम होती है। अच्छी बात है, हमने सहयोग किया, हम आपके सारे कार्यक्रमों में पहुंचे लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, पर्सनलिटीज में यह फर्क होता है। दो टीम के कप्तान होते हैं। एक टीम का कप्तान अपनी टीम को सही तरीके से बैलेंस रखकर काम करता है, एक विजन होता है, एक सोच होती है। हमारी वसुन्धरा राजे सिंधिया का कार्यकाल रहा, उनके पास एक विजन था। एक लीडरशिप क्वालिटी थी, एक डायनामिक पर्सनेलिटी थी, एक डाक्यूमेंट था कि राजस्थान के अन्दर उद्योग लगें, उद्योगपति आएं और निवेश भी हुआ। आपके यहां उद्योगपति आए, अंगूठा दिखाकर चले गए, मुख्य मंत्रीजी।

श्री सभापति: अब्दुल सगीर खां साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सहयोग करें और जल्दी खतम करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नरेन्द्र मोदी ले गए सारे निवेश को, बिहार के मुख्य मंत्री ले गए सारे निवेश को। हमने 8 करोड़ रुपए खर्च किए, मुख्य मंत्रीजी, लेकिन हम यहां राजस्थान में निवेश नहीं ला पाए।

श्री सभापति: आपको केवल दो मिनट और बोलने की इजाजत है आसन से।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): हमारी सोच हो कि किस तरह की हम इकोनोमी चाहते हैं। आपकी दरियादिली का शुक्रिया। कोई भी स्टेट, सोशल वेलफेयर स्टेट होता है। हमारे भी कार्यक्रम थे, हमारी भी योजनाएं थीं, केन्द्र की योजनाएं हैं, जो भी सरकार आएगी वह गरीबों के बारे में सोचेगी, आम आदमी के बारे में सोचेगी लेकिन राजस्थान किस तरह से विकसित बने, राजस्थान की इकोनोमी मजबूत हो, राजस्थान डैट में न जाए, राजस्थान कर्जे में न जाए, राजस्थान में उद्योग खुलें; आज नौजवान बेरोजगार हैं, मुख्य मंत्रीजी, किसान रो रहा है, पीड़ित है, लाइट नहीं है, विद्यार्थी परेशान है।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने उद्योग नीति बनाई, आपने बड़ी घोषणाएं कीं इलेक्शन मेनिफेस्टो में, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेंसिटिविटी, गुड गवर्नेंस, ये बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, आपके यहां से हर पत्र का जवाब आता था, धौलपुर कालेज के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं एक बार फिर आपको निवेदन कर रहा हूं कि कृपया समाप्त करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...(व्यवधान) पत्र का जवाब तक नहीं आया। मंत्रीजी ने जवाब भी देना पसन्द नहीं किया। आप हरित राजस्थान की बात करतें हैं, एक तरफ पेड़ लगाओ और एक तरफ कटवाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप समाप्त करें। आपके नेता, विपक्ष के नेता गुलाबचन्दजी कटारिया बोलेंगे और सवा चार बजे का उनको टाइम दिया, फिर भी मैंने आपको टाइम दिया है। मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप खतम करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं अपनी बात दो लाइन में खतम कर रहा हूं, सभापतिजी,-

वफा की राह में सब कुछ लुटा दिया हमने,
नशेमन यूं भी अपना जला दिया हमने,
हमीं से रंगे गुलिस्तां हमी से रंगे बहार,

(श्री अब्दुल सगीर खां)

हमीं को निजामे गुलिस्ता पे इख्तयार नहीं।

शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण यहां पढ़ाया गया और उसके कुछ बिन्दुओं को अगर सम-अप करें कि कांग्रेस के लोगों ने क्या-क्या बोला तो उनके बोलने के लिए यह एक मात्र मसाला था, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना, 10 लाख मकान, लोक सेवा गारण्टी विधेयक, यही मात्र कुछ बिन्दु थे। अब मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहूंगा कि 65 साल की आजादी के बाद अगर यह सवाल आज भी खड़े हैं तो इसका गुनहगार कौन है? इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। 65 साल की आजादी के बाद उस पार्टी को जिस पार्टी ने हिन्दुस्तान की लोक सभा में 13 बार अपना प्रधान मंत्री बनाया, 2 बार केवल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री बने, 59 साल तक आपने राज किया दिल्ली में और 65 साल में से 45 साल से अधिक आपने राजस्थान में 9 बार अपनी सरकारें बनाईं। इसलिए जो डींग हांकी है इस बात की कि हम गरीब की, किसान की, मजदूर की, पिछड़ों की, असहायों की, उनकी मदद करने वाली पार्टी है, आपके इन कार्यक्रमों की फेहरिस्त इसकी तस्वीर साफ करके रख देती है जनता के सामने कि जिस पार्टी ने जनता को गुमराह करके 65 साल में से 59 साल दिल्ली में राज किया और राजस्थान में जिसकी 9 बार सरकारें बनीं और मुख्य मंत्री बने, आज स्थिति देश की और प्रदेश की ऐसी है कि आज भी उसे रोटी नहीं मिलती है, आज भी उसको दवाई नहीं मिलती है, आज भी उसको शिक्षा नहीं मिलती है, आज भी उसको सिर ढकने के लिए छत नहीं मिलती है। तो आप काहे के लिए वाहवाही लूट रहे हो? अपने कर्मों पर ही निगाह डालो। लोकतंत्र के अन्दर जनता ने आपको इतनी बड़ी ताकत दी है लेकिन आपने केवल उसको गुमराह करके ठगने का प्रयास किया और राज में आकर उसकी सारी पीड़ा भूलकर दफन कर दी, यह इस बात का सबूत है। आज मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि यदि वास्तव में यह घोषणा की तो प्रदेश में अशिक्षा क्यों रही? राज्य में गरीबी क्यों रही? राज्य में बेरोजगारी क्यों रही? खाने को अनाज क्यों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं रहा? अस्पतालों में डाक्टर क्यों नहीं रहा? पीने का पानी क्यों नहीं रहा? रहने को मकान क्यों नहीं रहा? विद्यालयों में अध्यापक क्यों नहीं रहा? कौन है इस लोकतंत्र में 65 साल में जिम्मेदार? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।

खाली लोगों को लुभावनी बात दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर राज्यपाल के मुख से कहलवा दिया और आपने तो आसमान के तारे तोड़ कर धरती पर रख दिए; जिसके लिए रखे उसको अनुभव ही नहीं हो रहा अभी तक। 3 वर्ष के आपके शासन में गांव के किसी अनपढ़, गंवार आदमी को रात में जगा कर यदि पूछा जाए कि तेरे को तकलीफ क्या है और इस सरकार से तुझे कितनी खुशी है, तो वह नींद से खड़ा होकर बोलेगा कि इतनी असफल, जिसकी क्रियान्विति जीरो, जिसकी प्रशासनिक पकड़ जीरो, कोई अधिकारी किसी को गांठता नहीं, कोई काम करता नहीं। ये सब के सब अन्दर ही अन्दर जल रहे हैं। चूंकि राज की तो वाह वाही करनी है, राज्यपाल को तो आपको धन्यवाद देना है और हमको विरोध करना है, एक परिपाटी बना दी इस लोकतंत्र में। हम अच्छा काम करने के लिए तारीफ करें, जो कार्यक्रम आपने लिए हैं अच्छे हैं, जनता तक पहुंचें और पहुंचाए तो निश्चित रूप से उस गरीब के घाव पर कम से कम मरहम लगाने का काम होगा लेकिन इस बारे में विचार करें कि जो मशीनरी आपके पास है, वह इस काम को कितनी तवज्जोह देती है और कितना काम करती है, इसका जरूर आपको सोचना पड़ेगा।

आज बालक रोता है, अध्यापक नहीं; बेरोजगार रोता है, नौकरी नहीं; अस्पताल रोता है डाक्टर नहीं, डाक्टर रोता है, उसको तनख्वाह नहीं; जनता रोती है, महंगाई रुकती नहीं; किसान रोता है, बिजली नहीं; कार्यकर्ता रोता है, मंत्री सुनता नहीं; और स्वयं मुख्य मंत्री कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल मेरी बात मानते नहीं। अब क्या करें? अब किसके पास जाएं? किसके पास गुहार करें, अपने दर्द को कहां बताए अब? सारा का सारा ऐसा लगता है, आपने स्वयं ने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। आपको अधिकार दिया है, लगाओ न दो-चार को अच्छे-अच्छे तमाचे कि उनको कुछ अहसास हो कि गरीब का दर्द क्या होता है और आप जैसे व्यक्ति का दर्द क्या होता है लेकिन 3 साल में कहीं कागला भी मारा है क्या? तीन साल में बहुत दु:खी मन के साथ कह रहा हूं, केवल भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, अंतरात्मा से इस पीड़ा को अनुभव करता हूं कि केवल सोचते हैं लेकिन लगाम कसने की ताकत नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके कारण से आपने एक बहुत बड़ी फेहरिस्त आज दी है हमको कि हम 10 लाख मकान बना रहे हैं, यह सूची आपने कितने महीनों बाद दी है? और इस पर थोड़ी सी निगाह डालें तो 10 लाख में से आपने अभी तक जो स्वीकृतियां निकाली हैं, सवाई माधोपुर में 216 पट्टे दिए हैं, राजसमन्द में 245, पाली में 152, प्रतापगढ़ में 79, जालौर में 65 । यह दसेक जगह तो मैंने छांटी हैं, इतने पट्टे आपने जारी किए 10 लाख में से। तो ये 10 लाख 10 वर्ष में होंगे क्या? इस तरीके से केवल जनता को राजनेता मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहे, वह चाहे कि कुछ भी हो मुझे जीतना है; जनता को कैसे ठगा जा सकता है, ठगो और ठग लेना पांच-दस वर्ष, जितने तक जिन्दे हो लेकिन गरीब हमें माफ नहीं करेगा। उसके मन की पीड़ा शायद वही समझता है। इसके कारण से लगता है कि बहुत अच्छा है कि 10 लाख मकान बनेंगे, बना लो; 50 हजार रुपए में एक झोंपड़ा ही बनेगा। है किसी के पास इतना रुपया? जिसके पास पहले ही लंगोटी नहीं है, उसको आप 50 हजार रुपए देकर टंडूरा खड़ा करके कह देंगे कि मकान बना दिया, मकान क्या पत्थर बना दिया। पहली बार आप उसको 25 हजार देंगे, फिर सैकंड किश्त देंगे, कोई व्यवस्था करो, कम से कम उसकी लोनिंग की व्यवस्था स्वयं के बूते पर करो। 50 हजार रुपए आप दो, 50 हजार रुपए उसको लोन दिलाओ। कम से कम दस बाई दस का एक पक्का मकान तो बन जाए, अगर उसके भाग्य में लिखा है। मैं समझता हूं कि अगर यह भी नहीं कर सकते तो कोई चिंता की बात नहीं, कम से कम उसको 50 गज का एक प्लाट तो दो तो मानेंगे कि 10 लाख गरीबों को हमने 50 मीटर का या 50 गज का एक प्लाट का पट्टा भी दे दिया तो मैं सोचता हूं कि हमने कम से कम एक बहुत बड़ी मदद उसकी कर दी। केवल इस प्रकार के थोथे आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरेगा।

आपने देखा होगा, आपकी सरकार के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय ने किन शब्दों का प्रयोग किया है। कभी इसको पढ़ने के बाद मन को कहीं कष्ट होता है? न्यायपालिका ने राजस्थान के शासन को इतिहास के सबसे कमजोर शासन की संज्ञा से संबोधित किया। मैंने नहीं किया है, जिस संस्था को हम मानते हैं सबसे ऊपर कि अपना न्याय करके बात कहती है, वह संस्था कहती है हमारी और राजस्थान सरकार के मंत्रियों की चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार के प्रकरणों ने तो सम्पूर्ण राज्य का मस्तक राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर गिरा दिया है। करो अभी, हिसाब करते हो; अब इसका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हिसाब करते रहना, किसने किया, किसने नहीं किया। वह अकेला नहीं भुगतता है, हम सब को भुगतना पड़ता है और हम भी जब कहीं सड़क पर जाते हैं न तो हमारे बारे में भी लोग यही कमेंट्स करते हैं। मैंने यह जो कपड़े हैं न, मेरे दुःखी मन के कारण छोड़े क्योंकि जहां जाएं, नेता चोर, जहां जाएं, नेता ऐसे, नेता वैसे, गाली सुन-सुनकर के खोपड़ा पक गया। यह लगा, क्या सेवा करने आये थे और यह क्या दशा बना कर छोड़ दी। किसके लिए कहा देश के लिए मरते थे? आज हम अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए मर रहे हैं। यह लोकतंत्र की तस्वीर हमने खड़ी कर दी है। बहुत अच्छी बात है।

यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह जो आप किसानों, किसानों; किसानों का दर्द तो 65 साल में किसी ने ठीक ढंग से समझने का प्रयास ही नहीं किया है। अगर आज भी सबसे ज्यादा मेहनत कोई करता है, ठंड में कोई ठिठुरता है न और तावड़े में अपने खालड़े को काला अगर करता है न, तो आज भी बिना जूते के और बिना नीचे का पहनने का, फटा कपड़ा। क्यों? क्योंकि 65 साल के लोकतंत्र के हिमायतियों ने कभी भी उसको अपनी मेहनत की कीमत नहीं दी। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो बिना मुनाफे के धंधा करता है, साबुन बनाता है तो मुनाफा लेता है, बटन लगाता है तो मुनाफा लेता है, कपड़ा सिलता है तो मुनाफा, चाय बनाता है मुनाफा, पान बनाता है तो मुनाफा, जूता बनाता है तो मुनाफा, मौजे बनाता है तो मुनाफा, कपड़ा बनाता है मुनाफा, सब चीजों में मुनाफा लेता है हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान का वह 60 प्रतिशत आदमी जो अपने खालड़ी काली करता है, उसको बाजार में नीलाम करते हैं हम। क्या उसके मुनाफे की कीमत नहीं दे सकते? अगर इसी दुनिया में महंगाई है, तो और महंगाई हो जाएगी लेकिन कम से कम उसकी फसल का दाम दो। वह फसल पैदा करता है, तब तो आप दो रुपये किलो के आलू खरीद कर ले जाते हो, तीन रुपये किलो में आप उसका प्याज खरीदते हो और वही प्याज घूम कर, बड़े सेठ के गोदाम से निकलकर आता है, उस समय 18 रुपये किलो में बिकता है। इसको कौन कंट्रोल करेगा? अगर लोकतंत्र के ये हिमायती जो इस शासन में बैठे हैं न, अगर उनका मन नहीं है तो फिर क्या रोक पाओगे? क्या रोक पाओगे? क्या रोक पाये? उसकी पीड़ा को कौन समझता है? मजदूर कम से कम मजदूरी, मिनिमम मजदूरी लेने का हकदार है कानून के तहत। आपने कभी हिसाब लगाया है, खेत में काम करने वाला, घर के पांच आदमी वहां झक मार रहे हैं, उन्हें मिनिमम वेतन मिलता है? खाद, बीज का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पैसा नहीं मिलता है। वह तो झक मार रहा है, अपने पेट की खातिर और अपने बच्चों की खातिर लेकिन उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मतलब कोई इस बात में ध्यान नहीं देता है, खाली बस, बजाओ ताली, बजाओ ताली, हो जाओ मस्त। कोई बात नहीं, अमर हो जाओगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन हकीकत में अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो आप लोग।

वास्तव में क्या है कि अभी रिजर्व बैंक ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया और रिजर्व बैंक ने कहा कि 1996 में इस हिन्दुस्तान में 11 प्रतिशत किसान कर्जदार था और अभी 2010 में 41 प्रतिशत किसान हिन्दुस्तान का कर्जे में डूब गया है। यह है आपकी 59 साल की राजनीति; यही है दिल्ली की राजनीति कि आपने किसान को बनाया ...(व्यवधान) हां, मैं बता रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं, आप चिंता मत करो, घबराओ मत, सच्चाई पर आ जाओ, नहीं तो जनता एक दिन आपको और मुझे, दोनों को सच्चाई पर लेकर आ जाएगी। बरदाश्त करने की भी एक सीमा होती है।

इसी तरह से, आपने देखा होगा, योजना आयोग का एक आंकड़ा अभी आया, उसमें बताया कि 2000 में हिन्दुस्तान में 20 करोड़ लोग बेरोजगार थे और अभी 2009 का ही आंकड़ा आया है, 25 करोड़ लोग आज की तारीख में बेरोजगार हैं और उनमें 12 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं। हम सब को चुनौती है इन बातों की। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, उस जनता की सेवा की, उसका खजाना, यह उस गरीब का है, आपका और मेरा नहीं है और आप यह कह रहो हो कि मैं घर बना रहा हूं, हम अपने घर से बना रहे हैं? हमने बनाया तो कोई अपने घर से पूंजी लाकर बनाया? उसी का खजाना है, हम तो केवल उसके ट्रस्टी थे। हमने उस ट्रस्टी के खजाने को बरबाद करके अपने-अपने लिए काम में ले लिया और वह आदमी भूखा, नंगा पड़ा है।

इसी तरह से, एक आर्थिक समीक्षा में आया अभी, उस आंकड़े में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गरीबी की रेखा के नीचे सिर्फ 2000 में 35 करोड़ लोग के नीचे थे यहां और अभी आज की तारीख में हिन्दुस्तान में 48 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और गरीबी रेखा का मतलब गांव में 26 रुपये और शहर में 32 रुपये। यह पेट भर सकता है? आपको और मुझे भी किसी एक जगह बंद कर दें और अपने घर के पांच आदमी के हिसाब से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महीने के यह 31 और 32 रुपये दे दें तो पेट भर जाएगा? यह 1-2 नहीं हैं, 40 करोड़ हिन्दुस्तान के लोग हैं। एक दिन तूफान आ जाएगा, याद रख लेना, बहुत सीमा पार हो रही है अब बरदाश्त की। आप चाहते हो कि हिन्दुस्तान में फिर से संघर्ष पैदा हो तो संघर्ष को निमंत्रण दे रहे हो आप।

अभी आपने देखा होगा, कितना आपका वित्तीय कुप्रबंधन है। आपके पास पैसा पूरा है, पैसे की कमी नहीं है पर आपके पैसे का नीचे तक सदुपयोग नहीं है। इसकी मानिटरिंग कौन करेगा? इसको आप ही करोगे। मैं तो नहीं कर सकता हूं। आप कहते हो, आप आलोचना क्यों करते हो। हमारा धंधा ही यह रह गया है आलोचना, हम फाइल पर थोड़े ही लिख सकते हैं। हम कोई आदेश कर सकते हैं क्या? हम तो आपके ध्यान में ला सकते हैं। और जो करने वाला है, वही चिल्ला रहा है कि इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, पिछली सरकार में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपके पास कलम है न, सज़ा दे दो, गला उड़ा दो हमारा। क्या बात करते हो? तीन साल तक लेकर बैठे हो और रोज जब कभी खड़े होते हैं, एक बम फेंक देते हैं और फिर हो, हू, हो, हू, वाह, हो गया। हमें तो बोलने के लिए हमारे पास है क्या? हम बोलकर ही तो कह सकते हैं। आपके पास हमने सारे अधिकार दे रखे हैं। भले आदमी, बोलना बंद करो, कलम चलाओ और कुछ न कुछ निर्णय करके उस अंतिम छोर तक पहुंचो कि वास्तव में कौन गलत है और कौन सही है। आपने जो प्रयत्न किये न, तो उलटे मुंह आना पड़ा। नहीं आना पड़ा? क्या हुआ माथुर आयोग का? क्या हुआ कोर्ट में आपके केस का? लौटकर आया कि नहीं आया? तो क्यों बेकार की बातें करते हो? और फिर उन्हीं को बोल करा, बम फेंक कर के विधान सभा को डिस्टर्ब करने का काम करते हो। हो गया, बम फैंक दिया, क्या बात है? आपके स्तर से अच्छा नहीं है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि यह वार्षिक योजना थी न इस साल की, मेरे पास नवम्बर तक के ही आंकड़े आये हैं, मैं आगे के आंकड़े इकट्ठे नहीं कर पाया, नवम्बर तक राजस्थान के बजट का मात्र 35 परसेंट खर्चा हुआ। मात्र 35 परसेंट। क्या मजाक हो रहा है? क्या कर रहा है, यह आपका प्रशासनिक लवाजमा कर क्या रहा है? यह क्या काम करता है? कौन मानिटरिंग करता है इसकी? जो पैसा आपको दिया बजट पास करके हमने, उसका 35 परसेंट; 30 नवम्बर तक का मैंने लिया है और राजस्थान का जो स्तर है न, राजस्थान सरकार का सुशासन में जो तीसरा स्थान था, उसकी जगह अब दसवें स्थान पर हो, है न उपलब्धि? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। भाजपा राज में हम बजट को सरप्लस बजट में ले आये थे और आपका तीनों सालों का बजट। घाटे का बजट, बजाओ ताली, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है।

आपने जिस तरह से कर्जा लिया है न, और कर्जा लेकर कुछ उपलब्धि देते तो भी कोई समझ में आता। आप हमारी आलोचना करते हो, हमने पांच साल में कर्जा लिया, 54 हजार करोड़ से आपने छोड़ा था, इसको 54 हजार से शुरू और 77 हजार पर हमने समाप्त कर दिया, 22,300 करोड़ के, हमने 5 साल में कर्जा लिया। आपने तीन साल में 30,834 करोड़ का कर्जा लिया है। क्या कर रहे हो? कर्जा लेकर के घी पीओ। और बजाओ ताली, अच्छा है, बजाओ, कोई बात नहीं है। सरकार पर, यही नहीं है, 1 लाख 8 हजार करोड़ आज की तारीख में राजस्थान पर कर्जा है। अगर यह जो बाकी जितना भी आपके निगम, बोर्ड, सरकारी कम्पनियां और बिजली कम्पनियां, और बिजली कम्पनियों ने तो रिकार्ड ही तोड़ दिया है, बिजली कम्पनियां आज की तारीख में 48 हजार करोड़ के कर्ज में चली गईं। अब क्या करो, बोलो? क्या बिजली मिलेगी? आप कितनी ही पैदा करो, कितनी 3,830 मेगावाट पैदा कर दिया, चाटो, किसान के खेत में पहुंचे तो समझ में आवे कि पहुंची। क्या करें? मतलब पैदा हुई, पैदा हुई तो गई कहां? हवा में उड़ गई? कोई मशीन खराब थी क्या जिसके कारण से वहां खेत तक नहीं पहुंची, दुकान तक नहीं पहुंची, व्यापार तक नहीं पहुंची? गई कहां? और यही नहीं, यह सारा कर्जा अगर और जोड़ूं न, तो यह 53 हजार करोड़ की जो आपने गारंटी दे रखी है न-अभी तो मैं जितना इकट्ठा कर पाया, उतना ही है, इसके अलावा भी कुछ और होगा- 53 हजार करोड़ रुपये, यह मतलब एक लाख 61 हजार करोड़ का आज की तारीख में राजस्थान कर्जदार है।

अभी आपने देखा होगा, नरेगा को आपने मनरेगा बना दिया, नरेगा की क्या दशा बनी है, नरेगा की स्थिति को बता रहा हूं मैं। आप थोड़ा सा अपने अधिकारियों को कहो कि यहां बैठा करें। यह पहली बार सदन की स्थिति है कि आपका कोई जिम्मेदार अधिकारी इस गैलेरी में नहीं बैठता। क्या मजाक कर रखा है। क्या लोकतंत्र का तमाशा कर रहे हो।

जैसे हम कोई बकवास करने आये हैं यहां। हम यहां जनता के हित के लिए, लड़ने के लिए आये हैं। एक जिम्मेदार अधिकारी यहां पर नहीं बैठा है। केवल छोटे-मोटे आदमी को भेजते हो, वे कोने में जाकर बैठे रहते हैं 2-3, वे भी कुछ लिखते नहीं हैं, कोई नोट नहीं करते, किसी को कोई चिन्ता नहीं है। सारा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नोट आपको यहां से आता है, जो प्रोसीडिंग्स निकलती है उसी के आधार पर। वह भी आप नहीं करोगे, जो लिखकर दिया है वह आप पढ़ोगे। पढ़ो, कोई चिन्ता की बात नहीं, हमारे भाग्य में अगर यही लिखा है तीन साल में तो हम इसको भी बरदाश्त करेंगे, कोई बात नहीं।

महत्वाकांक्षी योजनाओं का देश में स्थान। 2008 में जब हमारी सरकार थी तो पहला स्थान था, आज की तारीख में पिछड़े राज्यों की गिनती में चले गये हैं, नरेगा, मनरेगा में। कुल खर्चा, उस समय जो खर्चा किया वह 6,175 करोड़ किया, आपका इस साल का जो खर्चा है वह 3,300 करोड़ रुपये है। हमने जो मानव दिवस क्रिएट किये थे वे 4,829 लाख दिन थे, आपके हुए हैं 3,026 लाख दिन। औसत मानव दिवस आता था 72 दिवस, आपका रहा है 52 दिवस।

महिलाओं का रोजगार का आंकड़ा लें तो हमने 3,241 लाख महिलाओं को और आपने लिया है 2,047 लाख। अजा/जजा का रोजगार लें तो 2,513 लाख और अब आपका रह गया 1,476 लाख। अगर 100 दिन की मजदूरी किसने की, उसकी गिनती लगायी जाय तो हमारे टाइम में राजस्थान में 26 लाख लोगों ने 100 दिन की मजदूरी की और आपके इन तीन साल में केवल 5 लाख लोगों ने 100 दिन की मजदूरी की। क्या बात करते हो। कर क्या रहे हो? आप यह सोचते हो, हम बोल रहे हैं इसलिए गलत है। यह लोकतंत्र है, जनता बड़ी मेहनत का खजाना आपके जिम्मे सुपुर्द करती है। आप अपना अन्दर का मन जगाकर काम लो, थोड़े दिन की जिंदगी है, उड़ जाओगे प्यारे, याद रख लेना, यह वाहवाही से नहीं चलेगा। उस गरीब के आंसू कौन पोंछेगा? उस गरीब के बारे में कौन सोचेगा? किसके मन में पीड़ा है इसकी?

किसानों को आपने कहा फसल बीमा योजना के लिए। सच बात है, मुख्य मंत्रीजी आप बैठे हो, यहां विपक्ष में 33-34 एम एल ए रह गये थे हम, पूरी ताकत लगाकर आपसे लड़ते रहे कि राजस्थान में भी फसल बीमा लागू करो, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू कर दी है, आप भी लागू करो। आप हमेशा तर्क देते थे कि हम चूंकि गरीब स्टेट हैं इसलिए 75 वे दें तो 25 हम दे देंगे। हमने कहा कि जब बाकी स्टेट ने 50-50 पर एग्री करके फसल बीमा को स्वीकार कर लिया तो आप भी कर लो, पर आपने नहीं किया। यह जो ताली बजा रहे हो, आप फसल बीमा जानते भी हो क्या है? फसल बीमा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होता क्या है? किस तरह से फसल बीमा का पैसा मिलता है? लेकिन बस भाषण देना है, चूंकि जो लिखा है, राज्यपाल ने वह पढ़ा और अंडरलाइन की और यहां आकर कह दिया। इस फसल बीमा की स्थिति अब की बार बताता हूं मैं आपको। 34 लाख 59 हजार कृषकों ने बीमा कराया, क्योंकि लोन लिया इसलिए वहां से काट लिया, बिलकुल ठीक है, उसके अगेंस्ट में उनकी जो फसल थी वह 2,664 करोड़ रुपये फसल का बीमा हुआ और उस कृषक ने 90 करोड़, क्योंकि उसने ऋण लिया था इसलिए वहां से काट लिया, बाकी 100 करोड़ आपने मिलाया; कुल 191 करोड़। जब जवाब दो तब कह देना, इस 191 करोड़ में से आपने किसान को फसल बीमा की एवज में कितना पैसा दिया? एक पैसा नहीं दिया।

मौसम बीमा। मौसम बीमा का मतलब उसने जो अपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, उसकी कंट्रोलिंग किसके पास है? उसकी कंट्रोलिंग उसके पास है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमने कोई पैरेलल इंस्ट्रूमेंट ही डवलप नहीं किया। वह जैसा कह दे, उस किसान की जेब काट दो। मतलब यह फसल बीमा नहीं है। यह गरीब की, किसान की और जेब काटने का एक नया तरीका है। उससे पैसे तो निकला लो, देने-लेने के नाम से जीरो बटा जीरो। यह है हमारी फसल बीमा, इसमें कृषक बीमा कराया है।

अब आर्थिक अपराधों का लें। अभी आपने देखा होगा कि जयपुर और राजस्थान में आर्थिक अपराधों का एक हब बन गया। कोई आदमी सोना दुगुना करता है, कोई पैसा दुगुना करता है, कोई प्लाट दुगुना करता है, कोई क्या करता है और पूरा एक-एक पेज का विज्ञापन देता है। उसमें 4 हजार करोड़ रुपये लुट गये और जब लोगों ने शिकायत की तो आपने कहा, सावधान। तो इतने दिन क्या सो रहे थे? जनता को आज सावधान कर रहे हो। इनमें से अधिकांश जो चिटफण्ड बनी हैं, उनमें हम में से कोई न कोई जाकर फीता काटकर आया है इसके कारण से लूटने का रास्ता निकला, क्योंकि जब मंत्रीजी वहां करेंगे तो आदमी विश्वास करेगा ही। वह तीन साल में दुगुने के चक्कर में पैसा डालता है, कभी किसी में डालता है। ये थोड़े से आंकड़े आये हैं, जयपुर के ही हैं, सारे राजस्थान में कम से कम 20 हजार करोड़ रुपये गरीब ने इनके चक्कर में आकर जमा करा दिये। अब आप काहे को ढोल पीट रहे हो? क्या कर रही थी आपकी पुलिस? क्या कर रहा था आपका इंटेलिजेंस? क्या कर रहा था गृह विभाग? अगर इस तरह से लोगों को आप समय पर रोक नहीं सकते तो फिर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राज क्या कर रहे हो? कम से कम यह तो समझाते, कैसे बचाए जा सकता है। आज की तारीख में उसने लगाये नहीं। इन कंपनियों ने किसी ने कहा, धन, सोना दुगुना करेंगे।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सदन के नेता महोदय, मेरा मन बहुत कष्ट में है, मैं कोई यों ही नहीं बोलता हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि आप जब 1998 में सरकार में आये थे तब हम लोगों की, केवल इतनी सी भैरोंसिंहजी की भूल हुई थी कि हमने 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र कर दी थी जो 58 साल थी क्योंकि उस समय कुछ पैसा नहीं था। आपने उसका ढिंढोरा पीटा कि नौजवानों, आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, आप ओवरएज हो जाएंगे, भैरोंसिंह आपको डुबो देगा, हमें वोट दो, हम वापस 58 साल करेंगे। आपने वास्तव में वादा निभाया, 58 साल तो कर दी, लेकिन पिछले 5 साल में चपरासी की नौकरी लगायी क्या? यदि लगायी हो तो मुझे आंकड़े दे देना, किस-किस में कौन-कौनसी नौकरी एडवरटाइज की आपके राज में और उसकी भर्ती आपने की पूरे 5 साल में। वैसे के वैसे ये 3 साल गुजर रहे हैं। शिक्षा में हर बजट में हर शिक्षा मंत्री बोलता है, कभी 65 हजार की भर्ती होती है, कभी 17 हजार की भर्ती, कभी 41 हजार की। भर्ती हुई है क्या? यह जो पुरानी एडवरटाइज की हुई थीं सेकंड ग्रेड की, उसकी भर्ती करके परीक्षा का रिजल्ट अभी-अभी निकला है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। यानी बच्चों को मास्टर की कोई जरूरत नहीं, आप तो मकान बनाओ। मकान में क्या करोगे?

एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं, मेरा नहीं है, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो आपने देखा ''असर'' संगठन है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। यह एन जी ओ है, इस रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पब्लिश किया है जिसके मंत्री कपिल सिब्बल हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 2006 में पांचवीं के करीब 56 प्रतिशत बच्चे कक्षा दो की किताब पढ़ना जानते थे, अब 2011 में यह घटकर 42.7 रह गया है। यह उपलब्धि है शिक्षा की। गुणवत्ता में सुधार हुआ ना, इसका शिकार कौन हो रहा है? गणित का सवाल लें तो गणित के सवाल में 2006 में पांचवीं के बच्चों में 100 में से 54 बच्चे ऐसे थे जो पहाड़े के साथ भाग कर सकते थे और आज की तारीख में घटकर यह प्रतिशत 23 हो गया है। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, 23 प्रतिशत बच्चे पांचवीं के, वे भाग कर सकते हैं, बाकी को आता ही नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। उसके बाद भी उच्च प्राथमिक की क्या दुर्दशा बनायी? जब मास्टर नहीं होगा तो कोई पढ़ाएगा नहीं, गांव में कोई जाएगा नहीं, स्कूल में कोई रहेगा नहीं, तो क्या पढ़ायी होनी है। आप तो मिड-डे मील बांटो, मजे करो, कोई बात नहीं। करो, हिन्दुस्तान बन जाएगा, अच्छी बात है।

शिक्षा का व्यवसायीकरण जिस प्रकार से इन उद्योगपतियों ने किया, जिस रास्ते पर इस राजस्थान को ले जा रहे हैं, मैंने आज भी विधान सभा में प्रश्न लगाया लेकिन मेरा प्रश्न इसलिए टाल दिया कि हम इनको कौड़ियों में जमीन देते हैं अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, यह सोचकर कि गरीब की सेवा करेंगे, वहां गरीब की छुलाई होती है, सेवा नहीं होती है। वह बच्चा वह स्कूल देख नहीं सकता। नियम हमने बना रखे हैं। मैंने भी जब क्वेश्चन किया था तो उसमें डाला था 25 परसेंट बच्चे शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के स्कूलों में भर्ती होने चाहिए और डी.ई.ओ. को साल में एक बार रिपोर्ट देनी चाहिए कि वास्तव में कितने परसेंट बच्चे गरीब के यहां पढ़ रहे हैं। किसी डी.ई.ओ. ने दिया? नहीं दिया। वह मेरा क्वेश्चन स्थगित हो गया। आज की तारीख में कोई 5 हजार ले रहा है तो कोई 35 लाख ले रहा है। डाक्टर बनना है तो 35 लाख। जिसको क, ख, ग नहीं आता है, वह इस तरह से 35 लाख में डाक्टर बनेगा तो फिर आपको और मुझे मारेगा नहीं तो क्या करेगा? अगर आपको उस कालेज की मदद करनी है तो आप सरकार की तरफ से और मदद कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम क्वालिटी तो आने दो। आपने इस क्वालिटी को ही समाप्त कर दिया।

अब तो मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, यह किसी न किसी विदेशी षड्यंत्र के चक्कर में हिन्दुस्तान फंस गया है। इसलिए पैसा लेने के चक्कर में, उनसे शिक्षा का अनुदान लेने के चक्कर में हमने केन्द्र के लेवल पर तय कर दिया कि आठवीं तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। यह कौनसी जगह नहीं होगा, जो सरकारी स्कूल हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि यहां जितने भी बैठे हैं इन सब का पोस्टमार्टम करो तो 5-10 लोग निकलेंगे.....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यवाही, कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन के नेता का भाषण समाप्त होने तक।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आज की कार्यवाही खत्म होने का मतलब भी वह ही है कि सदन के नेता के जवाब तक। अगर आपको ज्यादा ही शौक है तो आप इधर आ जाओ। हर चीज में टोकना है आपको। मैंने कल भी कहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। गलतफहमी दूर कर लेना। यह जोर-जोर से लच्छेदार भाषणों से नहीं आता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए? आपकी सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, कक्षा 8 तक वह लड़का फेल नहीं होगा जो सरकारी बूचड़खाने में पढ़ता है। बूचड़खाना इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी वहीं पढ़ा हूं और वहीं से पढ़कर यहां आया हूं लेकिन आज हमारा सबका विश्वास उठ गया। अब तो दुर्भाग्य यह है कि हमारे शिक्षक का बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। क्या स्थिति बनाई है हमने और हम क्या करने जा रहे हैं। इतना पैसा, तनख्वाह देने के बाद भी, 40-40, 45-45 हजार रुपया आज की तारीख में प्रिंसिपल को तनख्वाह मिलती है, प्रोफेसर को 80 हजार से लेकर एक लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, उसके बाद भी हमारा जो गरीब का बच्चा अपनी मजबूरी के कारण से सरकारी स्कूल जाता है, वहां आपने नियम बना दिया कि 8वीं तक पास करना है। यह आपका षड्यंत्र है और यह षड्यंत्र इसलिए है, यह कांग्रेस जिन्दा ही इसीलिए है कि जब तक अशिक्षा रहेगी, जब तक गरीबी रहेगी, जब तक भुखमरी रहेगी तब तक कांग्रेस जिन्दा रहेगी। इसलिए ये षड्यंत्र के शिकार हो रहे हो आप और मार रहे हो मेरे उस गरीब के बच्चे को जो पहले से तो अपनी गरीबी के कारण हो रहा है और बचा-खुचा, थोड़ा बहुत, 5-10 प्रतिशत भी अच्छे टेलेंटेड बच्चे पढ़कर अपने आपको कहीं डवलप करके आगे बढ़ेंगे तो जमीन से ही उनकी जड़ों में तेजाब डालकर उन बच्चों को मार दो ताकि वे पढ़कर फिर 40 साल सड़क की सड़क नापते फिरेंगे और आप और हम सब उनको अपने घरों में नौकर रखने का काम करेंगे। यही है लोकतंत्र? लोकतंत्र के मालिक ने आपको अपने खून-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पसीने की कमाई की, टैक्स के पैसे की खजाने की चाबी इसीलिए दी कि उसका बच्चा फिर इसी तरह से भिखमंगा बनकर सड़क पर घूमता फिरे और आप व हम सब लोग बहुत खुश होकर अपने आपको अनुभव करें?

स्वास्थ्य के बारे में आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में महिला रोग विशेषज्ञों की 600 पोस्ट खाली हैं, आज दिन तक नहीं भरी गईं। आपके राजस्थान में 12 लाख 60 हजार बच्चे बाल श्रमिक हैं और यह 2001 की जनगणना से आया है। राज्य में 44 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और आदिवासी क्षेत्र में 90 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। करो, विकास करो। यही अगर विकास है तो आपको, हमको मुबारक।

(16.53 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

अब आपने कहा न, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। अगर कुछ किया है तो मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूं, अगर इन बच्चों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया, उन बच्चों को टिकाने का प्रयास किया तो जब भैरोंसिंहजी ने मुझे पहली बार शिक्षा मंत्री बनाया और वे दिल्ली से बैठक के बाद आये तो उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा, गुलाब जी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, मैं वहां दिल्ली में बैठक में जाता हूं तो मुझे यह सुनना पड़ता है कि राजस्थान अंगूठा छाप है, 38 प्रतिशत साक्षरता है, यह है, वह है; मैं भीख मांगूंगा पर किसी तरह से शिक्षा में जो कुछ कर सकते हो, वह करने का प्रयास करो। इसलिए हमने मुफ्त किताबें पहली बार पहली से पांचवीं के बच्चों को और पहली से आठवीं के बच्चों को दीं। आपने अगर 64 पेज की कापी और एक पेंसिल भी दी हो न अपने पूरे 65 साल के कार्यकाल में, शिक्षा में उस गरीब बच्चे को दी हो, तो उसका नाम बता देना। वसुंधराजी से आग्रह मैंने ही तो किया था कि दसवीं तक की बच्चियों को फ्री कर दो ताकि कम से कम बच्चियां पढ़ेंगी। आपने कहा कि क्या करना, भाई साहब, सबको ही कर दो। तो हमने पहली से बारहवीं तक पढ़ने वाले सारे बच्चों को सरकार के खजाने से, क्योंकि सरकार का खजाना उस गरीब का खजाना है, हम तो बाद में हैं, पहला हक उस अन्त्योदय का है, तो हमने 65 करोड़ रुपये की किताबें छापकर के बच्चे के एडमिशन के साथ उसकी स्कूल में पहुंचा कर दी हैं। इसके कारण से सर्टिफिकेट लेने भले ही शिक्षा मंत्री के नाते सी.पी. जोशी गये हों लेकिन 2001 में जो आपकी जनगणना हुई थी, 38 प्रतिशत साक्षरता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थी और अगली बार जब जनगणना हुई, 1991 के बाद 2001 हुई और उस समय जो सर्टिफिकेट मिला तो राजस्थान की साक्षरता बढ़ी थी 61 प्रतिशत। 38 से हम प्लस करके लाये थे। क्योंकि हमने वोट से गरीब को नहीं तोला था, वोट देगा उसकी इच्छा, नहीं देगा उसकी इच्छा। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर देगा तो मन से देगा। लेकिन आपने मन से थोड़ी, आप तो दारू और पैसे से चलेगा चुनाव। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि इतने सालों के बाद भी दारू और पैसों से चुनाव चलता है और पता नहीं, इसका क्या होगा, यह तो भगवान ही जाने, मैं तो कुछ कह नहीं सकता।

आपने कहा न, हमने कुछ नहीं किया, हमने बच्चों को कुछ नहीं दिया। लगान माफ पहली बार किसने किया? उसी गरीब का यह किसने किया? यह भैरोंसिंह के राज के समय लगान माफ हुआ या नहीं? लेवी समाप्त या नहीं हुई? आपने तो मुर्गे बनाकर हमसे लेवी वसूल की थी। इमरजेंसी में हम तो जेल में थे और बाहर किसान को मुर्गे बनाकर लेवी वसूल की थी, जहां झगड़ा हुआ वहां गोलियां चली थीं। वह लेवी समाप्त करने का, अन्त्योदय योजना किसने प्रारम्भ की थी कि गांव में से 5-5 गरीब छांटो? 'काम के बदले अनाज' योजना कौन लाया था? मिनिमम चार्ज किसने समाप्त किया था? क्योंकि 1987-88 में भयंकर अकाल आ गया था, किसान की कमर टूट गई थी कि वह मिनिमम चार्ज का बिल दे या अपना कनेक्शन बनाये रखे। तब भैरोंसिंहजी ने कहा कि मिनिमम चार्ज खतम करो। दस हजार का कर्जा आपने माफ किया होगा न, जब हम दस हजार का कर्जा माफ करने का भाषण देते थे तो हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री थे, वे कहते थे कि भैरोंसिंह झूठ बोलता है, दस हजार का कर्जा माफ हो ही नहीं सकता। हमने 360 करोड़ रुपया हकतूना में लिखा और उस किसान को पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। हमने कुछ नहीं किया? प्रत्येक पंचायत को सड़क से उस समय हमने जोड़ा या नहीं जोड़ा? हमने पक्षपात नहीं किया कि यह पंचायत वोट देती है या नहीं देती। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उससे भी आगे बढ़कर के सारे हिन्दुस्तान में जनसंख्या के आधार पर गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया। एक को भी नहीं पूछा। हमारा केरल में खाता ही नहीं खुला अभी तक, हमारा जहां एक एम एल ए नहीं है, जहां एक और दो एम एल ए हैं, उस राज्य को भी हमने उतना ही पैसा दिया क्योंकि आखिर अटल बिहारी प्रधान मंत्री है तो बी जे पी का नहीं है, अटल बिहारी प्रधान मंत्री है तो हिन्दुस्तान की 100 करोड़ जनता का प्रधान मंत्री है। यह सोचकर हमने सड़कों का किया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आपने देखा होगा कि बी पी एल को मुफ्त इलाज का हमने निर्णय लिया था। वह भी आपको समझ में नहीं आता है।

अब आपका मैं चिट्ठा बताता हूं। आप थोड़ा देखते जाइये और लिखते जाइये और इन अधिकारियों को कहिये कि सवाल का जवाब अभी दे सको तो अभी देना, नहीं तो बाद में सबको लिखकर भी भेजना कि वास्तव में हुआ क्या है। आपने बजट में बार-बार घोषणा की थी, हमारे टाइम पर भी करते थे कि रिफाइनरी लगाओ, रिफाइनरी लगाओ। आपने कितनी बार कह दिया, लग गई न रिफाइनरी? देखकर आएं? भूमि अधिग्रहण कानून बनायेंगे, बन गया न? भूमि अधिग्रहण कानून बन गया न? नये जिलों का गठन करेंगे, वोट के लिए करेंगे। फिर वापस जब वोट आयेंगे तब कर देंगे। मतलब आपको केवल जनता को ठगा कैसे जाए, अगर यही जीवन का, राजनीति का एक मात्र उद्देश्य बन गया तो मुबारक हो ऐसी राजनीति।

आपने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष एक लाख ग्रामीण बच्चों को रोजगार देंगे, दे दिया न? 13 जिलों में बाबू जगजीवन राम योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये प्रति छात्रावास से 13 छात्रावास बनेंगे, बन गये न? छात्रावास बन गये? यद्यपि मैं जाति का बनिया हूं लेकिन मैं उस एस.सी., एस.टी. एरिये में तीस साल से घूम रहा हूं, इसके कारण से मुझे उसकी पीड़ा और उसके झोंपड़े के हालात मालूम हैं। मैं जब कभी भी अपनी मोटर साइकिल से झाड़ोल जाता हूं तो जैसे ही ऊंदरी और पई की तरफ निकलता हूं तो शाम को वह बालक अपने घर की देहली के सामने आकर चौखट पर खड़ा रहता है कि उसका बाप जो मजदूरी पर गया है, वह आटा लेकर आयेगा तब उस बच्चे के लिए रोटी बनेगी। इतने साल के बाद भी यह हालत है। उसके लिए आपने कहा कि महाराष्ट्र पैटर्न, महाराष्ट्र पैटर्न, क्या निकला बताओ? महाराष्ट्र पैटर्न से कितना पैसा उस एरिये में लगा? केवल घोषणा करके, 8 प्रतिशत का वादा किया था, महाराष्ट्र पैटर्न का मतलब बजट का 8 प्रतिशत हम सीधा ट्राइबल एरिये के विकास के लिए खर्च करेंगे। दयारामजी बैठे हैं, उस समय भी हम आपसे हमेशा यह पूछते थे, हम चाहते हैं, अगर वास्तव में इस बजट का उपयोग हो तो उस गरीब के लिए हो जो आज हमसे बहुत नीचा रह गया; वह हमारे नजदीक आये, बराबरी पर आये, यह खाई मिटे, उसके मन में असंतोष मिटे, पर यह महाराष्ट्र पैटर्न नहीं हुआ।

इसी प्रकार से आपने कहा कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनायेंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ये जो बढ़िया सड़क हैं न, इनको छोड़कर एक बार मेरे साथ गलियों में चलो तो आपको नजर आ जाएगा कि यह नरक गली है या कौनसी गली है। कोई सफाई नहीं करता है। 15-15 दिन में झाड़ू निकालने वाला हरिजन नहीं आता है, कोई लाइट बदलने वाला नहीं आता है, किसी पार्क में कुछ है या नहीं है, यह कोई देखने वाला नहीं है। इतनी गरीबी तो नहीं आई। वर्ल्ड क्लास सिटी, मतलब आप जहां रहते हो वहां वर्ल्ड क्लास और जहां गरीब रहता है, वहां थर्ड क्लास। बहुत अच्छा है।

आपने कहा कि पंचायती राज को कैडर बनायेंगे, बना दिया पंचायती राज कैडर? आपने कहा कि हम पंचायती राज को सशक्त करेंगे, पांच विभाग दे दिये, क्या निकला? निकला क्या? आर्डर हो गये? यह तो पहले भी हुआ था आपके राज में, एक बार पहले भी आर्डर हुए लेकिन जब तक फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज नहीं देंगे... (व्यवधान) नहीं, कुछ नहीं हो पाया। आपने कहा था कि समस्त राजस्व गांवों में पेयजल की आपूर्ति करेंगे, राजस्थान के सभी रेवेन्यू विलेजेज में पेयजल मिल गया ना? उनकी तो बात छोड़ो, शहर चिल्ला रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। एक दिन में आप भी पानी पैदा नहीं कर सकते हो और आप भी नहीं पहुंचा सकते, यह मैं भी हकीकत जानता हूं लेकिन आखिर जो कुछ हमारे पास साधन हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक ढंग से हो। अगर वह भी होगा तो भी चलेगा। यह तो आपने देखा होगा।

अब आपने देखा, हमारे ऊपर आरोप लगाते हो रोज, कृपा करके या तो आरोपों के गुनाहगार को पकड़ो और अगर नहीं पकड़ सकते तो बोलना बंद करो। बोलने का अधिकार हमारा है, आपका बोलने का अधिकार नहीं है कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। हमने सारे पावर आपके हाथ में दे रखे हैं। हमारा गला काटना है तो काट डालो, आपको अधिकार है; फिर बोलकर हमें जबरदस्ती काहे को चिढ़ा रहे हो? मैं सोचता हूं कि आपने माथुर आयोग को लिखा कि 22,000 करोड़ रुपये खा गये, तो कहां गये? खा गये तो पता लगा लेना। कब पता लगाओगे? खाली रोज भाषण का विषय बनाकर रख दिया है, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं तो आज आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो यह कांग्रेस पार्टी है। (व्यवधान) इसका मैं इसलिए वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं यह वर्णन इसलिए कर रहा हूं आपको, मैं इसकी पूरी फेहरिस्त पढ़ता हूं; आपके अपने जितने भी पूर्वज हुए हैं ना इस पार्टी के, उन सबकी फेहरिस्त पढ़ता हूं। आपने देखा होगा कि पहला जीप घोटाला किया था +++ पहला भ्रष्टाचार। उसके बाद आपने देखा कि नागर वाले कांड में 62 लाख रुपये बैंक से निकाले +++ उसके बाद में आपने देखा होगा, टू-जी घोटाला...

श्री अध्यक्ष: जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम अंकित नहीं होंगे। यह तो मैं इनसे कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसमें क्या चीज है, ये तो तथ्य हैं। ये तथ्य तो रिकार्ड पर, कोर्ट में, कचहरी में, सबमें आ चुके हैं। कोई मैं नया नहीं कह रहा हूं। मैंने तो उनको समाहित किया, सबको जोड़ने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। विराजिये, विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, टू-जी घोटाला, 1.76 लाख करोड़ रुपया उड़ गया। वह अकेला +++ खा गया ना। इतना मोटा पेट है। (व्यवधान) वह जेल में होगा, उस जेल का क्या फायदा? जिससे पैसा वापस हमें प्राप्त नहीं हुआ हो, खाली उसके जेल में रहने से या जिंदगी भर जेल में रह जाये, इससे कोई मतलब नहीं है। 1.76 लाख करोड़ रुपये वापस आने चाहिए, जिसके पास भी हैं, तब तो जानते हैं कि सरकार और लोकतंत्र है; बाकी मैं खा गया, तू खा गया; खाली यहां पोस्टमार्टम करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कल जैसे अपन ने कलक्टर्स का किया, करते रहो पोस्टमार्टम, इस पोस्टमार्टम से नहीं निकलेगा और आगे भी यही होना है, कुछ नहीं सुधार होना है क्योंकि कुत्ते की पूंछ घूमकर के वापस टेढ़ी होगी ही होगी। कुछ नहीं हो सकता है, मैं जानता हूं, मेरे मन का दर्द है।

आपने आदर्श हाउसिंग सोसायटी का नाम सुना है? कौन है? +++ कौन हैं? और इसी तरह से यह बोफोर्स का क्या है, 64 करोड़ रुपये का घोटाला है। यह जो है स्टाक मार्केट घोटाला +++ का 4,100 करोड़ रुपये का, क्या हुआ? एयर बस घोटाला 120 करोड़ रुपये का, क्या हुआ? चारा घोटाला +++ क्या हुआ 150 करोड़ रुपये का? दूरसंचार मंत्री +++ का 1,200 करोड़ रुपये का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घोटाला, क्या हुआ? क्या हुआ यूरिया घोटाला +++ जमाने का, क्या हुआ? +++ और यह +++ ने 1,030 करोड़ रुपये का गबन किया, यह क्या हुआ, भई? स्टाम्प घोटाला, 43,000 करोड़ रुपये का...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++ का भी जिक्र कर दो, थोड़ा अच्छा रहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अभी करते हैं, अभी करते हैं। यह 43,000 करोड़ रुपये का घोटाला आपके केवल स्टाम्प घोटाला +++ में हुआ। पेट्रोल पम्प घोटाले में +++ ने किया, उसका क्या हुआ? सत्यम घोटाला 24,000 करोड़ रुपये का, क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें। कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पांच मिनट, मैं पांच मिनट में ही खतम कर रहा हूं। मैं आपके आदेश की पालना करूंगा और उसके बाद भी आप कहें तो मैं बैठ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।

सत्यम घोटाला; उस समय जो हवाला कांड 810 करोड़ रुपये का, क्या हुआ? यू.टी.आई. घोटाला 9,500 करोड़ रुपये का, क्या हुआ? +++ द्वारा घोटाला 4,000 करोड़ रुपये का, क्या हुआ?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++ ने क्या कहा और +++ क्या कहा? आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, आप सबका जिक्र करो, ढंग से करो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं यह कह रहा हूं, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, अगर हम में से ही क्योंकि हम सब इस जनता के यहां हिमायती हैं, हमें जनता के खजाने का उपयोग, वह चुनकर भेजती है, इसलिए चाबी हमारे हाथ में देती है वह पांच साल आप इसका उपयोग करो, यह अधिकार आपको दिया हुआ है लोकतंत्र में, उसी के अधिकार पर है।

चीनी आयात घोटाला... , अब आप यह देखो कि यह जोधपुर, फलौदी और बाप, यह जो आपकी जमीन बिकी है 25,600 बीघा... (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): ...घोटाला किया है, रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, ये बी जे पी के कार्यकर्त्ता हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो दूध के धुले हुए हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम भी बोलने नहीं देंगे। यह क्या तरीका है? हम भी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कह रहा हूं, हो सकता है, हो सकता है कि उस घोटाले में... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम भी नहीं बोलने देंगे। यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता को बोलने नहीं देंगे तो इनके नेता को भी बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान) हमारे नेता नहीं बोलेंगे तो इनके नेता को भी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 25,600 बीघा जमीन, 228 रजिस्ट्रियां फर्जी हुई हैं और... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की जननी कौन है, यह तो बता दो। ये इनको बताते हैं, ये इनको बताते हैं; वास्तव में भ्रष्टाचार की जननी कौन है, यह तो बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। केवल कटारियाजी का होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, 35 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं और जिन आदमियों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं, उन्होंने फर्जी फोटो लगाकर रजिस्ट्रियां कीं। कलक्टर को और आपको सबको उन्होंने कह दिया, आज तक आपने रजिस्ट्रियां कैंसिल कीं क्या? आपको और सुनकर ताज्जुब होगा, बड़ा आश्चर्य है इसमें...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं तो समाप्त कर रहा हूं। इसमें आपके बम्बई के, दिल्ली के 24 हैं और अन्य 13 हैं, ऐसे 41 लोग हैं। आप सुनकर आश्चर्य करोगे कि इसमें जब छानबीन की तो केवल आठ आदमियों का पता लगा। 33 आदमी कौन हैं, कौनसी कम्पनी है, इसका पता नहीं और उसके बाद भी वह जमीन किसानों को क्यों नहीं लौटा रहे हो? केवल आपने नामान्तरण पर रोक लगाई है, कलक्टर ने। यानी जो रजिस्ट्री हो गई, गलत ढंग से हो गई, गलत लोगों की फोटो लगाकर हो गई, कम से कम वह तो वापस उस किसान को कर दो। वे चिल्ला रहे हैं इतने समय से। इसमें जो भी दोषी हैं, मैं हूं या कोई हो, आप उसको सज़ा दो, मेरी तरफ से आपको कोई रोक नहीं है।

इसी तरह से आपने देखा होगा...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें। कृपया आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें। कृपया आप समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से फैक्टरी का बेचान हुआ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह फैक्टरी 99 साल की लीज पर दी थी और मात्र 2,750 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...प्रति वर्ष के हिसाब से और 44 साल की लीज पर, 2,750 रुपये सालाना पर लीज पर दे दी। यानी जो प्रोपर्टी आज की तारीख में 700-750 करोड़ रुपये की है और कलक्टर ने एक बार नहीं, तीन-तीन बार लिखकर भेज दिया कि यह जमीन सरकारी जमीन हो गई, क्योंकि इस फैक्टरी को हमने जिन कंडिशन पर चलाने को दी है...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें। कृपया आप समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें समय का ध्यान रखते हुए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...उस फैक्टरी को हमारे यहां के विधायक उदय लालजी आंजना ने 2,750 रुपये सालाना लीज पर 44 साल के लिए ले ली। मेवाड़, भीलवाड़ा की जो मिल है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह तो जो हमारी बोली थी 142 करोड़ रुपये की, वह मात्र 125 करोड़ रुपये में छोड़कर कर दी। सारे अधिकारी लिखते रहे, लिखते रहे, उनकी तरफ से चिल्लाते रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप चीफ व्हिप हैं पार्टी के, आसन पांवों पर है, फिर भी आपको होश नहीं है। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी, श्री अशोकजी गहलोत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया। मैंने समय पहले निर्धारित कर दिया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने पहले समय निर्धारित कर दिया था, माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया था। माननीय सदस्यों को सूचित भी मैंने कर दिया था। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराज जायें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जायें। अंकित नहीं होगा किसी का। किसी का अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्य प्रताप सिंह खाचरियावासजी व गोविन्द डोटासराजी द्वारा शुरू की गई बहस पर करीब 58 हमारे साथियों ने भाग लिया, पक्ष और प्रतिपक्ष मिलाकर के और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने पिछले चार दिन लगातार बैठ करके अपनी बात रखी सदन के सामने। लोकतंत्र की यह परम्परा रही है कि यही अवसर आता है जब हम लोग अपनी बात हाउस में बैठकर करते हैं और सुझाव देते हैं, चाहे वह आलोचना भी क्यों नहीं हो। तो कम से कम सरकार को, शासन को अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम जिस रूप में चल रहे हैं, उनमें अगर सुधार करने की गुंजाइश हो, वह भी अवसर मिलता है सोचने का और कार्यवाही करने का और मुझे खुशी है कि आपने इस रूप में अपनी बात खुलकर कही और अपनी भी तरफ से जो सुझाव थे, वे सदन के सामने रखे। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद क्योंकि उन्होंने यहां आने का कष्ट किया और अभिभाषण उन्होंने हमारे सामने रखा। यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि जो भावनाएं, जो विचार प्रकट किये गये, उन तमाम सुझावों पर एक साथ में जवाब देना सम्भव नहीं होता है परन्तु यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी सुझाव दिये हैं उनका विश्लेषण बराबर होगा, उन सुझावों के आधार पर क्या कार्यवाही हो सकती है राज्य हित में, जनता के हित में, वह कार्यवाही भी की जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

तो मुझे इस बात का अफसोस भी है कि अभी जब माननीय उदयपुर से आने वाले साथी बोल रहे थे, जिस प्रकार की वे असंसदीय भाषा काम ले रहे थे, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात थी क्योंकि वह, मैं तो कहने वाला था कि 80/120 रखें मेनटेन ब्लड प्रेशर को। कटारियाजी के लिए मैंने इनको जब मैं हाउस में आया था पहले दिन, हाउस प्रारम्भ हुआ, तब कहा था मैंने कि अपना बी.पी. मेनटेन रखें बोलते वक्त में, और डाक्टर बैठे हुए हैं...(व्यवधान) डाक्टर बैठे हुए हैं। जिस रूप में वे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और मैं चाहूंगा, मैं उनको नहीं रिपीट करूं तो अच्छा है पर कम से कम उन शब्दों को उनको वापस लेना चाहिए, सदन से माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर साहब से कहना चाहूंगा, आप पढ़ करके कम से कम उन शब्दों को आप हटायेंगे तो मुझे खुशी होगी क्योंकि जिस रूप में वे बोले जा रहे थे, वह कभी मैंने सुना नहीं हाउस के अन्दर इस प्रकार से। वे अपनी बात रखें और कटारियाजी से मैं उम्मीद नहीं करता था कि वे इस प्रकार की भाषा काम लेंगे हाउस के अन्दर। (व्यवधान) आप वह हाउस की प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल की उपलब्धियां सदन के सामने, देश की और प्रदेश की जनता के सामने हैं। जिस प्रकार से माननीय कटारिया साहब भाषण दे रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे कोई कैम्पेन चल रहा हो चुनाव का और उदयपुर की धान मण्डी में खड़े होकर बोल रहे हों। क्या-क्या भाषा बोल रहे थे, क्या वे कटाक्ष कर रहे थे, बाडी लैंग्वेज उनकी क्या थी। गरीबों के प्रति कमिटमेंट हो सकता है, वह मैं मानता

(श्री अशोक गहलोत)

हूं, आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, पहले भी जब कभी विचार प्रकट किये तो भावुक होकर बोलते हैं। परन्तु इसका मायना यह नहीं होता कि आप कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही है; अरे, भले आदमी; अरे यार; उठ जा, उठ जाओगे प्यारे; साले; क्या कर रही थी तुम्हारी पुलिस, सदन के नेता तेरा मन; यार, कालेज तो आने दो; सरकारी बूचड़खाने बताये स्कूलों को, जनता को ठगा कैसे जाय यही उद्देश्य बन गया आपका; हमारा गला काटना हो तो काट दो; तुम्हें अधिकार है; बजाओ ताली, बजाओ; कुत्ते की पूंछ वापस घूमकर टेढ़ी हो जायेगी-कुछ नहीं होगा; तो, भाई, यह तो आपके ऊपर भी लागू होता है। (व्यवधान) यह आपके ऊपर लागू होता है क्योंकि साठ साल पहले के इतिहास में आप बता रहे थे कि अब नौबत क्यों आई फ्लैगशिप प्रोग्राम देने की, दो रुपये किलो अनाज की, आवास योजना की, मेडिकल फैसिलिटीज की। यह बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या था, देश में क्या था, प्रदेश में क्या था? इस प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली बनती थी और वह राजा-महाराजाओं के महलों में खाली टिमटिमाती थी; नहीं जानते थे कि बिजली किसे कहते हैं। न स्कूल, न अस्पताल, न सड़कें, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। यह हालात थे इस मुल्क के। इस मुल्क के निर्माण में जो कुछ किया, हमें गर्व है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। आप लोगों की सोच, आपकी सोच हमेशा, आप विचार तो प्रकट कर रहे थे भावुक होकर जैसे सी पी एम के कार्यकर्ता बोल रहे हों, मुझे खुशी होती, परन्तु मुझे दुःख है कि आप किस पार्टी में आकर बैठ गये, जिस पार्टी का इतिहास गवाह है कि पैंसठ साल में न वह कोई अपनी नीति दे पायी, न सिद्धांत प्रतिपादित कर पायी, न कार्यक्रम दे पायी। आपकी सोच, विचारों की लड़ाई होती है, आपसे वह लड़ाई नहीं है। हमें गर्व है कि महात्मा गांधी के जमाने में, पण्डित नेहरू के जमाने में, मौलाना आजाद के जमाने में जो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, चाहे सैक्रिफाइस हुए हैं, इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री पद पर बैठी हुई वे शहीद हो गई थीं, राजीव गांधी शहीद हो गये, मुख्य मंत्री बेअंत सिंहजी थे वे शहीद हो गये। तो आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया, देश को एक रखा, अखण्ड रखा और आज भी, आज भी हम लोगों के दिल में यह भावना रहती है, जान चली जायेगी, परवाह नहीं करेंगे पर मुल्क को एक रखेंगे, अखण्ड रखेंगे। आप लोगों ने क्या किया, आग लगाने का काम किया हमेशा; कांग्रेस के लोगों ने आग को बुझाने का काम किया, यह मैं कहना चाहूंगा। आप लोगों ने क्या किया, चंदे के नाम से आप...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने, आपकी सोच क्या थी, पूरा मुल्क जानता है, पूरा मुल्क जानता है जब आप... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। कृपया व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग दें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जब कटारियाजी बोल रहे थे, कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जब कटारियाजी ने कहा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) किसी अन्य का अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, किसी अन्य सदस्य का अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य। कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। किसी अन्य सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कटारियाजी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरे, विराजो आप। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें, अंकित नहीं हो रहा है। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कटारियाजी ने यह कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है सत्ता में रहने के खातिर। अरे, षड्यंत्र क्या करेगी, कांग्रेस ने त्याग किए हैं, बलिदान किए हैं, कुर्बानी दी है, तिरंगे के लिए ऐसा किया है आजादी के पहले भी और आजादी के बाद में भी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपके उस जमाने के अन्दर भी, उस जमाने में भी, बैठ जाएं, बैठ जाएं, उस जमाने के अन्दर भी जब पंडित नेहरू बड़े-बड़े कल-कारखाने खोल रहे थे...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बड़े-बड़े बांध बना रहे थे, बैठिये आप लोग, बैठ जाइए...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है, अध्यक्ष ने कह दिया है पहले ही।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। आसन पांव पर है, माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें। आसन पांव पर है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, इस भाषा का प्रयोग नहीं करें कि यह बात नहीं हुई तो हम बोलने नहीं देंगे। सदन के नेता को बोलने का अधिकार है, आपको सुनना चाहिए। नियमों के तहत आप भी अपनी बात कहें, उसके लिए भी स्वतंत्र हैं, कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी अन्य सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कटारियाजी ने, स्वयं ने जब आरोप लगाया कांग्रेस पर तो मुझे कहने को मजबूर होना पड़ा। क्योंकि इतिहास गवाह होता है, शुरुआत कटारिया साहब ने की कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है तो मुझे कहना पड़ता है। क्योंकि आप लोग भी बचपन में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब देश आजाद हुआ ही था, आपकी सोच में, हमारी सोच में रात-दिन का फर्क है। जब आप लोग इस तरफ बैठती थे, सत्ता में थे तो चेयर पर लीडर जो अब नेता प्रतिपक्ष यहां बैठी हुई हैं, जब कांग्रेस वहां बैठती थी, उनके साथ में, अन्य सदस्यों के साथ में कैसा व्यवहार होता था, हमने वह परम्परा रखी है। (व्यवधान) बैठ जाओ। क्या कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा किसी अन्य सदस्य का। किसी अन्य सदस्य का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब आपके, अब आप बैठ जाओ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी बचपन से, आप में से कई लोग राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में आए होंगे, जब देश आजाद हुआ, एक तरफ तो आपने कहा, साठ साल लग गए, अब आप अस्सी मिला रहे हो, अरे, समय के सामने आती है, देश के सामने मजबूरी भी थी आजादी के वक्त में पंडित नेहरू की दूरदर्शिता थी, उन्होंने बड़े-बड़े बांध, बड़े-बड़े कल कारखाने लगाने शुरू किए। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है आपको कि भाखड़ा बांध बना था नया-नया, सोच-समझकर के बनाया गया, बिजली पैदा की गई; उस वक्त जो पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी, जन संघ कहलाती थी, उनके लोग प्रचार करते थे कि नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, बड़े-बड़े बांध बनाकर के बिजली पैदा कर रहा है, पानी में से ताकत निकाल रहा है, वह पानी किसानों के काम क्या आएगा? यह लोग वे हैं। इसलिए हमेशा आपकी सोच फास्सिट, दकियानूसी रही है, हमेशा आपकी सोच साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाली रही है। इसी रूप में आपने शुरुआत की है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए गर्व है कि तीन साल में जो हमने फैसले किए, पंचायती राज को हमने जो फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी दीं, उसके कारण से, यह सच्चाई है, उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर हमें प्रथम पुरस्कार मिला, डेढ़ करोड़ रुपए मिले, प्रथम पुरस्कार मिला।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): एन आर एच एम के अन्तर्गत राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला। भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया एन आर एच एम को लेकर के। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इण्डिया प्राइड अवार्ड में गोल्ड ट्राफी मिली। राज्य में दलहन फसलों के 32.32 लाख टन अधिकतम उत्पादन, दो साल में मानसून अच्छा रहा, राजस्थान प्रदेश जो रेगिस्तानी प्रदेश कहलाता है, वहां पर दलहन का उत्पादन होना, पूरे मुल्क में सबसे अधिक, उसके कारण प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंहजी ने, कृषि मंत्री शरद पवारजी ने मुख्य मंत्री को व कृषि मंत्रीजी को बुलाकर के कृषि उन्नयन पुरस्कार के अन्तर्गत सम्मानित किया और एक करोड़ रुपए दिए गए।

प्रशासन-गांवों-के-संग के अन्तर्गत 88 लाख लोगों को लाभ मिला है राजस्थान के अन्दर। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कटारिया साहब कि एक पट्टा नहीं मिला। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, उसी अभियान के अन्तर्गत 95,702 नि:शुल्क पट्टे बांटे गए थे। उसके कारण से 346 करोड़ रुपए केन्द्र से मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना जो है, जिसका आपने जिक्र किया, अगर आप जाकर देखें गांवों के अन्दर, तो आप पाएंगे किस रूप में यह योजना चल रही है। अभी 3 दिन हम लोग जब ज़िलों में गए, आठ ज़िलों में मैं खुद जाकर के आया, आठ ज़िलों में मैंने देखा है, किस प्रकार से यह योजना शानदार तरीके से कामयाब हो रही है। केन्द्र सरकार ने 346 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दिए कि हमने 95,702 आवासों के लिए नि:शुल्क पट्टे बांट दिए थे। इसी तरह वह योजना बहुत शानदार तरीके से चल रही है। आपने जो आंकड़े दिए हैं, वे बिलकुल ही बेबुनियाद हैं।

प्रथम स्टेज में जो इंदिरा आवास मिलाकर के हमने कहा, दस लाख मकान बनेंगे तीन साल के अन्दर, उसी रूप में प्रथम किश्त दे दी गई। दूसरी

(श्री अशोक गहलोत)

किश्त में कुछ प्राब्लम आई थी, उसको हमने हल किया। मकान कई बनकर के तैयार हुए हैं और योजना बहुत शानदार तरीके से चल रही है,उसका बहुत वेलकम हो रहा है।

राजस्थान स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई में अग्रणी है देश के अन्दर। दस लाख हैक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई हो रही है। नरेगा के अन्तर्गत बाड़मेर ज़िले में 44 हजार टांके निर्मित किए गए। भारत सरकार ने उसके लिए बाड़मेर को पुरस्कृत किया। राजस्थान राज्य के उदयपुर स्थल को,आप ही के क्षेत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल चयन होने के उपलक्ष्य में राजस्थान को अभी एक दिसम्बर को ही कोण्डोनेस्ट ट्रेवलर अवार्ड से नवाजा गया।

आधारभूत क्षेत्र में पावर हमारी प्रायोरिटी रही और 7,750 मेगावाट की 9 परियोजनाएं राज्य स्तर पर और 3,840 मेगावाट की 5 परियोजनाएं निजी क्षेत्र में, कुल 11,590 मेगावाट की 14 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की हम लोगों ने। गत तीन वर्षों में 3,380 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापित हुई। प्लान, हो सकते हैं, पहले आपने सैंक्शन किये, शिलान्यास कर दिये, पर काम शुरू होकर के समाप्त हुआ है और 3,380 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता हुई है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान देश में सबसे उभरता हुआ राज्य है। 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 924 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के प्लांट स्थापित होंगे। केन्द्र सरकार ने खुद ने 1,100 मेगावाट में से करीब 700 मेगावाट राजस्थान को अलाट किया है। जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के अन्तर्गत काम चल रहा है, करीब सौ मेगावाट के आस-पास उत्पादन शुरू हो गया है। मैं खुद देखकर आया हूं और लोगों में बहुत उत्साह है। चाहे वह बाड़मेर, चाहे जैसलमेर, चाहे जोधपुर जिले में हों, जहां भी प्लांट लग रहे हैं, उसका बड़ा इम्पेक्ट है और आने वाले वक्त में और ज्यादा इसको प्रायोरिटी मिलेगी, यह मैं कहना चाहूंगा।

सड़कों का काम जो पिछली बार हमने अनाउंस किया था, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सात करोड़ रुपये से मिसिंग लिंक का भी और सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का काम चल रहा है। 750 करोड़ रुपये सड़कों के लिए अलग से दिये गये हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जिले की मुख्य सड़कें

(श्री अशोक गहलोत)

हैं, उनके सुदृढ़ीकरण का वह काम चल रहा है। 975 करोड़ रुपये की लागत से, देश में सबसे अधिक, रेलवे ने राजस्थान में आर ओ बी के निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की है। इरकान के माध्यम से हम लोग जल्दी ही काम को, कई जगह प्रारम्भ हुए हैं, और प्रारम्भ होंगे। बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेलवे लाइन के लिए राज्य सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये आगे बढ़कर दिये हैं जिससे कि प्लांट लग सके बांसवाड़ा के अन्दर और उस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सके। उसके अलावा भूमि और अलाट की जाएगी।

केन्द्र सरकार की योजना है, अभी नरेगा के बारे में आपने कहा कि नरेगा योजना में खर्च कम हुआ, यह बात आपने ठीक कही पर आपको मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की ही बात नहीं है, पूरे देश में 35 प्रतिशत एक्सपेंडिचर कम हुआ है। राजस्थान में 28 प्रतिशत कम हुआ, आन्ध्र प्रदेश में 45 प्रतिशत कम हुआ, गुजरात में 46 प्रतिशत कम हुआ, कर्नाटक में 33 प्रतिशत कम हुआ, बिहार में 76 प्रतिशत कम हुआ, मध्य प्रदेश में 41 प्रतिशत कम हुआ, उत्तर प्रदेश में 37 प्रतिशत कम हुआ। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना इस रूप में की जानी चाहिए कि यह जो स्कीम है, यह स्कीम शानदार स्कीम बनायी गयी, यू पी ए प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी के सुझाव पर इसे लागू किया गया, डा. मनमोहन सिंहजी ने लागू किया देश में, आज अकाल-सूखा पड़ता है तो जो पहले हालात होते थे तो आप और हम लोग सब चिन्तित होते थे, गांव में गांव वाले चिंतित होते थे, कि पानी कहां से आएगा, रोजगार कैसे मिलेगा, चारे का प्रबंधन कैसे होगा। आज यह कोई कम बात नहीं कि योजना आने के बाद में जिस प्रकार से लागू की गई, आपकी सरकार थी, खूब वाहवाही ली आपने; हमारी गवर्नमेंट आयी तब भी स्कीम चल रही थी, नंबर प्रथम पर आ रहे हैं हम लोग और मैं कहना चाहूंगा, उस टाइम भी मैंने कहा था, इसी हाउस में कहा था कि यह नीड बेस्ड स्कीम है, इसमें जब तक कोई गांव का व्यक्ति जिसको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, वह चाहे तो सरकार गारंटी दे रही है सौ दिनों की। उसको फार्म संख्या-6 भरना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि हमने 6-7 जगह रखा है फार्म। वह फार्म भरे, एप्लाई करे, उसके बाद में सरकार को उसको रोजगार देना ही पड़ेगा वरना घर बैठे रोजगार की एवज में उसको पैसा मिलेगा। यह योजना कोई इस तरह की योजना नहीं है कि संख्या बाल कितना बढ़ रहा है, उसको हम बतायें। अगर मानसून शानदार आ गया, लोगों को काम मिल रहा है, नरेगा में मजदूरी 119

(श्री अशोक गहलोत)

रुपये है और उसको यदि 150 रुपये मिलते हैं खेत में या कारखाने में, तो वह पहले वहां जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस योजना को इस रूप में देखना चाहिए जिससे कि योजना का ढांचा इस रूप में खड़ा रहे। तर्क बनाकर योजना बनी है कि परमानेंटली राजस्थान में चूंकि राजस्थान में अकाल-सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, सौभाग्य से दो साल तक अकाल नहीं पड़ा, अच्छा मानसून आया वरना आप लोग बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जब मैं, यह तो आश्चर्य की बात है और यह आपके लिए दुःख की बात भी है क्योंकि जब अमेरिका मैं गया था तो पीछे से यही कहा गया था कि अमेरिका गये हैं इसलिए बरसात ज्यादा शुरू हो गयी। फिर जब मानसून आया मेरे आने के बाद में तो सबके मुंह पर ताले लग गये थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि योजना बहुत शानदार है इसको आप और हम सब मिल करके कैसे इसको मजबूती प्रदान करें, गांव वालों को रोजगार मिले, पूरी मजदूरी मिले और इसका मिस्यूज भी नहीं हो, यह हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

बाकी जो योजनाएं, जब से यू पी ए गवर्नमेंट बनी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तब से ही इस देश का सीनेरियो बदला है। एन डी ए गवर्नमेंट थी तब अधिकांश राज्य वित्तीय संकट में थे। केन्द्र सरकार खुद भी संकट में थी। जब यू पी ए गवर्नमेंट बनी तो उदारीकरण वैश्वीकरण की नयी शुरुआत भी हुई। नये फैसले हो गये। रेवेन्यू राज्यों का बढ़ा, केन्द्र का बढ़ा, उसका लाभ हमें भी मिल रहा है। आपकी सरकार थी तो आपको भी मिला। जम्प हुआ। डिवोल्यूशन के अन्दर केन्द्र से जो पैसा आ रहा था, वह आपको खुद को जानकारी है, किस रूप में आपको पैसा मिला। चाहे टैक्स का हिस्सा मिला हो चाहे डिवोल्यूशन का फंड मिला हो, चाहे सी एस एस की स्कीम आयी हो, चाहे आपके सर्व शिक्षा अभियान हो, दोपहर का भोजन हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। अब जो राइट-टू - एजुकेशन का एक्ट आया है, उसके बाद में फूड सिक्योरिटी एक्ट आने की संभावना है। ये तमाम ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं। उसमें राजस्थान कैसे अधिक से अधिक इसका लाभ उठाये, इसमें हम लोग पूरी तरह प्रयत्नशील हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें आप सबका सहयोग मिले जिससे कि इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक, गरीब तक, गांव तक पहुंच सके जिनके लिए योजनाएं बनती हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

हमारी योजनाओं के बारे में आपने कहा परन्तु मैं समझता हूं कि एक तरफ तो महंगाई की मार आपके और हमारे सामने रही और दूसरी तरफ सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। जिस रूप में फैसले किये गये थे, उसमें हमने तीन सौ करोड़ रुपये के जो वैट माफ किये खाद्य सामग्री में, आटा व दाल में, खाद्य सामग्री के अन्दर, उसका इम्पेक्ट पड़ा और दो रुपये किलो अनाज जो पच्चीस किलो दिया जा रहा है, उसमें तीन सौ करोड़ रुपये की छूट हम लोगों ने दी। साथ में फोर्टिफाइड आटा प्रारम्भ किया। राज आटा, राज नमक, राज चाय बहुत पापुलर हुए। दुकानें खुलने लगीं टाइम पर।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना में करीब चार सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च होगा। यह योजना हमने प्रारम्भ की, यह योजना बहुत पापुलर हुई। हमें खुशी है कि इन योजनाओं के बारे में सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष के अधिकांश सदस्यों ने इन योजनाओं की तारीफ की। चाहे आवास योजना, चाहे मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना हो, चाहे जननी शिशु सुरक्षा योजना हो, योजनाएं यू पी ए गवर्नमेंट की हैं पर जिस रूप में हमने लागू की हैं, 1 लाख 18 हजार गाड़ियों को चिह्नित किया गया बाकायदा 108 के साथ-साथ में और प्रसव संस्थागत हो क्योंकि राजस्थान देश के उन 6 राज्यों में है जहां पर आई एम आर, एम एम आर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। ऐसे राज्य में अगर हम सब मिल करके इन योजनाओं को कामयाब करते हैं और ऐतिहासिक योजना की शुरुआत यू पी से, पश्चिम में मेवात से की थी जिसका लाभ राजस्थान में मिलना भी प्रारम्भ हुआ। हमने पूरी तैयारी के साथ में इस योजना को लागू भी किया है और यही कारण है कि 16 लाख महिलाओं के राजस्थान के अन्दर प्रसव होते हैं। प्रति वर्ष तीन लाख प्रसव इन चार महीनों में जब से योजना लागू हुई, तब से हुए हैं और उसका बड़ा अच्छा इम्पेक्ट है। उसकी भी मैं समझता हूं कि सब जगह तारीफ हो रही है।

सरकार ने महंगाई के वक्त में भी जिस रूप में अभियान चलाया है और 250 करोड़ रुपये की छूट हमने दी, टैक्स वसूल नहीं किया जब डीजल के दाम बढ़ गये थे। 57 पैसे प्रति लीटर डीजल का भाव कम हुआ। किसानों को ध्यान में रखकर फैसला किया गया, 250 करोड़ रुपये की राहत दी गई। इसी प्रकार से एल पी जी गैस में, ...(व्यवधान) यह बिलकुल गलत है, 250 करोड का ही टैक्स होता, वह हमने माफ किया है। 125 करोड़ रुपये की छूट दी गई और उसमें प्रति सिलेंडर की जो रेट बढ़ गई थी, 25 रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने देना स्वीकार किया। पूरे मुल्क में एक मात्र राजस्थान था जिसने यह किया।

(श्री अशोक गहलोत)

जब 2009-10 में अकाल पड़ गया, तब आजादी के बाद पहली बार करीब 850 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई जिससे कि लघु एवं सीमांत किसान को उसका लाभ मिल सके। (व्यवधान) इंश्योरेंस के बारे में आपने कहा, मैं समझता हूं कि हमारे वक्त में हमने लागू करना प्रारम्भ कर दिया था। जो अभी आप बोल रहे थे कि हमने कुछ किया नहीं, आप मांग करते रहे, लागू हुआ था कुछ जिलों में, सरकार बदल गई, उसके बाद कुछ जिले आपने कवर किये। मौसम आधारित बीमा वापस हमने अभी शुरू किया। करीब ढाई हजार करोड़ रुपये किसानों को आज तक मिले हैं। यह तो फीगर हैं ..

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मौसम का बीमा तो आपके लिये है, फसल का बीमा किसान के लिये है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार ने पूरी तवज्जोह दी है। 108 एम्बुलेंस 464 तक पहुंच गई। जिसके बारे में चर्चा अभी हाउस में हुई थी, मैं समझता हूं कि अनफोर्च्युनेटली चर्चा जिस रूप में गई। क्योंकि अगर किसी केन्द्रीय मंत्री के परिवार का नाम आता है, जब कोई डाइरेक्टर बनता है तो कई तरह के डाइरेक्टर बनते हैं। मैंने पता किया, मिस्टर चिदम्बरम साहब के लड़के का नाम डाइरेक्टर में था, बाद में उन्होंने रिजाइन किया। उनका एक शेयर भी वहां खरीदा हुआ नहीं था। माननीय रवि साहब के बेटे के एक-डेढ़ परसेंट शेयर होंगे। कोई कम्पनी किसी राज्य में काम करती है, उसके कारण हम उसकी आलोचना करें, यह अच्छी बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर इस प्रक्रिया में, कांट्रेक्ट देने में, टेंडर में कोई गड़बड़ हुई है तो आपका हक बनता है कि आप आलोचना करें और उसके ऊपर आप ध्यान आकर्षित करें। (व्यवधान) बैठिए, बैठिए ।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, विराजिए, इंटरवीन नहीं ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): और तो और, आपके ही वक्त में जिस सत्यम घोटाले का आप नाम ले रहे थे, आपके वक्त में आपने उस कम्पनी को ही ठेका दिया था, वह ज्यादा महंगा था। नई गवर्नमेंट के आने के बाद नया जो ठेका आया, वह कम रेट में आया है। यही कम्पनी बिहार में, पंजाब में, दो तीन जगह काम कर रही है जहां पर आपकी गठबंधन ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): .. जहां आपकी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां सरकारें ज्यादा पेमेंट कर रही हैं बनिस्बत राजस्थान के। यह बात क्वेश्चन में भी आ गई। मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से अगर हम लोग आरोप लगायेंगे तो गलत संदेश जाता है। किसी के परिवार के सदस्य ने अगर वास्तव में स्कैंडल किया है, वास्तव में कोई गड़बड़ हुई है तो आप आरोप लगायें, हम लगायें, अलग बात है। बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों के हम आरोप लगायेंगे तो गलत परम्परा पड़ेगी।

सरकार ने एक और निर्णय करके हैपेटाइटिस-बी टीके का जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, मैं सदन से अपील करना चाहूंगा कि लम्बे अर्से के बाद में, 20 साल पहले इतना महंगा टीका था कि कोई लगा नहीं पाता था, अब पूरे मुल्क ने, राजस्थान ने भी उसकी शुरुआत कर दी है। फ्री टीकाकरण हैपेटाइटिस -बी का 0 से 6 तक के लिये आवश्यक है। इसकी शुरुआत राजस्थान में अच्छे ढंग से हुई है और 53,000 बच्चों को टीका लगाया गया प्रथम दिन ही। 3,17,445 बच्चों को अभी तक टीका लगाया जा चुका है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टीकाकरण के इस कार्यक्रम में भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिये जिससे कि इस खतरनाक रोग से लोगों को बचाया जा सके, यह मेरी आपसे अपील रहेगी।

इसी प्रकार से चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपेथी हो, इनके अलग से डाइरेक्टरेट भी बने हैं । सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से प्रायोरिटी दिये हुए है। जब स्वाइन फ्लू की बात आई थी तब भी हमने तमाम संभागीय मुख्यालयों पर इसके इंतजाम किये और जो हालात और माहौल बनाया गया था, उस माहौल में, मैं समझता हूं कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी और लोगों को सुविधाएं दी गईं। वहां पर अलग-अलग जगह लैब लगाई गई थीं जिसका अपना बड़ा इम्पेक्ट रहा।

इसी तरह अभी माननीय सदस्य ने कहा कि नौकरियों के बारे में सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि तीन साल में आपने तो 2006 में 493 स्टेट लेवल की सर्विसेज को लड़ाने का काम किया था। 2007 में हाई कोर्ट से स्टे हो गया, हम लोगों ने उस स्टे को खारिज कराया और आपको जानकर खुशी होगी कि दिसम्बर, 2010 राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा में 713 और अगस्त-सितम्बर 2011 में 384 और दिसम्बर, 2011, जो अभी गया है, और फरवरी, 2012 819 स्टेट लेवल की सर्विसेज, आर

(श्री अशोक गहलोत)

ए एस, आई पी एस, सब मिलाकर, अधीनस्थ सेवाओं को मिलाकर हमारे तीन साल में 1,916, आर ए एस, आर पी एस, सब मिलाकर नियुक्त किये गये हैं। यह अपने आप में एक रिकार्ड है, यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

नौकरियों के बारे में अभी बड़े जोश में बोल रहे थे हमारे कटारिया साहब, भावुक होकर बोलते रहते हैं, एक नौकरी नहीं लगाई पिछली गवर्नमेंट में; बिलकुल ठीक कहा आपने, उस वक्त स्थिति यही थी, बल्कि रोक लगाई गई कि कोई विभाग फाइनेंस से पूछे बिना कोई नौकरी नहीं लगायेगा। यह तो हम स्वीकार करते हैं, यह कोई नई बात नहीं बताई आपने परन्तु अब मैं कहना चाहूंगा, आपने कुछ नौकरियां लगाई, कुछ वादे किये, कुछ वादे निभाये, कुछ वादे चुनाव के पहले निभाने का प्रयास किया, कर्मचारियों के साथ में वादाखिलाफी भी की आपने। आज जब हमारी सरकार बनी, कुल नियुक्तियां, मैं आपको फिगर देना चाहूंगा, आपको जानकर विशेष रूप से प्रसन्नता होगी क्योंकि आपने कहा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तीनों साल मिलाकर अभी तक जो नियुक्तियां हो गई हैं, वे 56,693 हो चुकी हैं, यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आगे सुनो, आगे सुनो। आप सुनिए, सुनिए। 56,693 लग चुके हैं; जो प्रक्रिया शुरू हो गई है विज्ञापन के माध्यम से, 93,209 की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है; परीक्षा घोषित हुई है 2,681 की; परीक्षा सम्पन्न हुई है 22,290 की; साक्षात्कार घोषित हुए 709 के; सम्पन्न हुए 102 के; परिणाम घोषित हुए हैं 7,505 के; चयन प्रक्रियाधीन है 280; प्रकरण लम्बित हैं 11,328 । कुल मिलाकर 1,95,803 प्रक्रिया में चल रही है, लग चुकी हैं। वह मैंने आपको बता दिया है। कहां की बात करते हो आप? ये फिगर हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप ऐसा माहौल बना रहे हो जैसे कि वास्तव में ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ना चाहता है। 1998-99 के अन्दर भी हम लोग, उस वक्त सबसे नीचे थे और वह प्रयास करके....

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं 30 हजार हमने खोलीं। उसका इम्पेक्ट पड़ा। जो राजस्थान देश के अन्दर पीछे था, वह नेशनल एवरेज पर आगे बढ़ा। लड़कियों की शिक्षा में हम

(श्री अशोक गहलोत)

आगे बढ़े, लड़कों की शिक्षा में आगे बढ़े। नेशनल एवरेज से आगे निकले थे हम उस जमाने के अन्दर। अभी जब 12 लाख ड्राप-आउट के आंकड़े हमारे पास में आए, सरकार बनने के बाद भी, तो ट्रैकिंग करके 7 लाख 25 हजार ड्राप-आउट जो बच्चे हो गये थे, उनको वापस जोड़ा गया अभियान चलाकर । राजस्थान के अन्दर माडल स्कूलें खोली जा रही हैं। 1 लाख 42 हजार के लक्ष्य के विपरीत, जो साइकिल की योजना आपके समय में चल रही थी छात्राओं के लिए, वह योजना हमें मालूम है कि पहले आप लोगों ने टेंथ-इलेवन कर रखा था, हमने आठवीं पास बच्ची को साइकिल देने का निर्णय किया, उससे 1 लाख 42 हजार के लक्ष्य के विपरीत 1 लाख 11 हजार छात्राओं को साइकिलें मिल चुकी हैं, बाकी काम चल रहा है। दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाई गई, 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार जिसे 1 अगस्त, 2011 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया है, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा की योजना में।

इसके साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा हमारी प्रायोरिटी में है। जब सरकार बनी पिछली बार, तब पहली बार हमने प्राइवेट सेक्टर में अलाऊ किया। उसके पहले तो आपको मालूम है कि हमारे बच्चे पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाते थे। इंजीनियरिंग कालेज, नर्सिंग कालेज, मेडिकल कालेज, पोलीटेक्निक कालेज, यह जो अलाऊ किया गया प्राइवेट सेक्टर का, उसके कारण आज पूरे राजस्थान में जाल बिछा हुआ है, तमाम तरह की प्राइवेट संस्थाओं का, जिनके बारे में भी अभी माननीय सदस्य कटारिया साहब बोल रहे थे कि कैपिटेशन फीस यहां ली जाती है बच्चे से, वह क्या डाक्टरी करेगा। आपने बहुत ही जुमले के साथ अपनी सब बातें रखीं, बहुत ही तरीके से रखीं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में आई आई टी जोधपुर में, आई आई एम उदयपुर में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में और निफ्ट जोधपुर में शुरू हुए आई आई आई टी की मैंने घोषणा की थी, वह काम बहुत तेज गति से चल रहा है। प्राइसवाटरकूपर्स को कसंल्टेंट नियुक्त कर दिया गया, कोटा के लिए डी पी आर बन चुकी है, 128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 50 परसेंट भारत सरकार देगी, 35 परसेंट राजस्थान सरकार देगी, 15 परसेंट के लिए चार उद्यमियों को शामिल किया गया है। भारत सरकार की योजना इस रूप में ही है कि इसमें उद्यमी भी शामिल हों। 15 प्रतिशत भाग उनका होगा जिसमें उद्यमी एल एन मित्तल का ग्रुप, सी के बिरलाजी का ग्रुप, वक्रांगी ग्रुप और जेनपेक्ट ... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय कोटा से आने वाले सदस्य, आपको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिये, आप तो ओम शांति करने लग गये। (व्यवधान) यहां भी ओम शांति कर रहे हो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ओम शांति। वक्रांजी ग्रुप, जेनपेक्ट, सी के बिरला ग्रुप, एल एन मित्तल ग्रुप; 100 एकड़ की जमीन नि:शुल्क आबंटन कर दी गई और राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी कैम्पस में ही, जब तक भवन नहीं बनेगा तो वहां यह आई आई आई टी की संस्थान स्थापित हो सकती है। यह काम चल रहा है। एम्स का काम चल रहा है जोधपुर के अन्दर। झुन्झुनूं में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोटर्स यूनिवर्सिटी, भरतपुर में राज्य स्तरीय रेगुलर फूड प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना, डी पी आर बन रही है। बीकानेर में हाइड्रोलोजी एंड वाटर मैनेजमेंट इन्स्टीटयूट की स्थापना की जा रही है। बासंवाड़ा में अभियांत्रिकी महाविद्यालय; 15 पोलीटेक्निक महाविद्यालय बन रहे हैं; एक महिला पोलीटेक्निक कालेज भरतपुर खुल रही है और छात्रावासों के निर्माण हेतु 26 राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, महिलाओं के लिए अलग से निर्णय लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से पिक्चर बतायी गयी हैं वह स्थिति रही नहीं है। राजस्थान में पानी की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आज सबसे बड़े राज्य के रूप में है और उसके अन्दर 10 परसेंट भू-भाग राजस्थान है देश का। साढ़े पाच परसेंट की आबादी है और पानी एक परसेंट है। डार्क जोन बढ़ते जा रहे हैं। यह चिंता आपकी और हमारी, सबकी होनी चाहिये। आपने भी चिंता प्रकट की आपके समय में, हम भी कर रहे हैं और जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने ड्रिप इर्रिगेशन में 90 परसेंट अनुदान, स्प्रिंकलर के अन्दर 2 लाख रुपये प्रति डिग्गी देना शुरू किया है और मैं समझता हूं कि ड्रिप इर्रिगेशन में भी करीब 60 हजार हेक्टेयर में काम शुरू हो गया, जो एक रिकार्ड है। 23 हजार हेक्टेयर का तो 2009-10, 2010-11 में और 11-12 के अन्दर मिलाकर के एक रिकार्ड बनेगा यह। राजस्थान में कृषि को टॉप प्रायोरिटी मिले, किसानों को जो प्रगतिशील किसान हैं, उनको जोड़ने का काम भी शुरू हुआ है।

बीमे के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि तीन सालों में 1 करोड़, 72 लाख 55 हजार किसानों का बीमा किया गया, इनमें से 73 लाख 44 हजार बीमित किसानों को 2,290 करोड़ रुपये से अधिक का

(श्री अशोक गहलोत)

मुआवजा दिलाया गया है। जबकि गत सरकार के प्रथम तीन वर्ष के कार्यकाल में केवल 42 लाख 62 हजार किसानों का बीमा किया गया तथा उनमें से 11 लाख 52 हजार किसानों को 443 करोड़ का ही मुआवजा दिया गया आपके वक्त में। मुझे लगता है गलती से आंकड़े जो हैं, कटारिया साहब, आपने...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने एक साल का 11-12 का आंकड़ा आपके सामने रखा था जिसमें 91 करोड़ किसान ने दिया, बाकी सरकार ने दिया। उसके एवज में आपने अभी तक क्या दिया, यह मैंने पूछा था। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में पहली बार मुझे कहते हुए खुशी है कि तीन वर्ष में कई कठिनाइयां आई होंगी, उसके बावजूद भी घड़साना की तरह कोई आंदोलन नहीं हुआ किसानों का। जैसलमेर...(व्यवधान) अरे, भई अपराध बोध से ग्रसित हो, मुझे मालूम है, फिर भी सुनने का माद्दा रखो डेमोक्रेसी के अन्दर। जैसलमेर में टेल एंड तक पहली बार पानी पहुंचा है। कोई आंदोलन नहीं हुआ जैसा कि मैंने अभी कहा। उस वक्त तो घड़साना में भी और रावला में, सोयला में भी, कहां-कहां आंदोलन हुए, कितनी बार फायरिंग हुई, कितने लोग मारे गये, एक काला अध्याय जुड़ गया था परन्तु चाहे गुर्जर आंदोलन हो, चाहे पानी की समस्या हो, यह तो आप मानो कम से कम कि तीन साल में सौभाग्य से, सौभाग्य आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, कम से कम फायरिंग कहीं नहीं होने दी, आंदोलन कहीं नहीं हुए। पानी जैसलमेर के गांवों तक पहुंचा है यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

अब जो भारत सरकार से बात करके इंदिरा गांधी नहर फीडर के पंजाब में लाइनिंग के 952 करोड़ रुपये और सरहिन्द फीडर की लाइनिंग हेतु 490 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कराई गई है। 90 परसेंट अनुदान होगा, वह भारत सरकार का। मैं प्रधान मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इंदिरा गांधी नहर फीडर की नहरों की मरम्मत हो सकेगी जिसका लाभ राजस्थान को मिलेगा, यह मैं कहना चाहूंगा।

(18.00 बजे)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मुझे इस बात की खुशी है, आखिर में, भरतपुर में चम्बल का पानी पहुंच गया। यह तो डीग से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को एप्रिशिएट करेंगे कि चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना, यह पहली बार 166 करोड़ की योजना हमने बनाई थी, आपके वक्त में वह पूरी नहीं हो पाई। 85 किलोमीटर की पाइप लाइन डाल करके आज वह योजना पूरी हुई। उसकी कोस्ट 166 करोड़ रुपये जो हमारे वक्त में हमने योजना बनाई थी, आपने 5 साल निकाल दिये, कुछ भी नहीं कर पाये। कोर्ट में केस भी हो गया। ढाई सौ-तीन सौ, फिर वापस उसमें टेंडर हुए और 500 करोड़ तक की वह योजना जाएगी। परन्तु पानी भरतपुर में पहुंच गया, यह हमारे लिये खुशी की बात है, भरतपुर में चम्बल का पहुंच गया।

सड़कों को लेकर मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं, टाइम बाउंड सड़कों का काम चल रहा है। वक्त की कमी है। वरना मैं आपको जानकारी देता, कहां-कहां पर मेगा हाइ-वे, 16 जगहों पर बनने प्रारम्भ होंगे जल्दी। सेंक्शन हुए हैं कुछ, और सेंक्शन होने जा रहे हैं। सड़क हमारी प्रायोरिटी पर है और उसी रूप में इन सड़कों का काम प्रारम्भ कराया गया है। जो पिछले बजट में हमने घोषणा की थी, उसी के आधार पर ही, चाहे पी.एम.जी.एस.वाई. योजना हो, ढाणी-मंजरे तक सड़कें बनाने का भी निश्चय हुआ है। सामान्य क्षेत्र में एक हजार की आबादी व अधिक, करीब 885 करोड़ से पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत बनेंगी। जनजाति मरु क्षेत्र में 500 की आबादी से अधिक की ढाणियां जुड़ेंगी। यह काम प्रारम्भ हो रहा है। राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण के, मैंने आपको बताया था 750 करोड़ रुपये अलग से दिये गये हैं और मेगा हाई-वेज के लिये 3,581 करोड़ का प्रोजेक्ट है।

घनश्याम तिवाड़ी साहब, जो हमारे सांगानेर से आने वाले सदस्य हैं, उन्होंने बड़े जोर-शोर से यहां अपनी बात रखी और मुझे इस बात का दुःख है, दुःख है, दुःख है कि घनश्याम तिवाड़ी साहब को आंकड़े देने का भी, बोलने का भी और लच्छेदार भाषण देने की भी भूमिका रही है आपकी और बड़ी एक्सपर्टीज मानी जाती है पर जिस रूप में आपने राजस्थान की पिक्चर पेण्ट की, कि सब जगह नम्बर 10 के नीचे आ गये हैं, कहां से आंकड़े लेकर आ गये, यह मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आपने तो पता नहीं, क्या-क्या कह दिया। मेरे पास लिखा हुआ है वह। (व्यवधान) प्रधान मंत्रीजी तो तारीफ करके जा रहे हैं। राजस्थान के अन्दर जब आये थे, मंत्री-परिषद के साथ बैठक हुई,

(श्री अशोक गहलोत)

प्रधान मंत्रीजी ने कहा, राजस्थान सरकार का वित्तीय प्रबन्धन है, बहुत एप्रिशिएट किया और यह भी कहा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बताया। यह इसलिये बताया गया, क्योंकि आपके वक्त में जो 5 साल की योजना बनी थी, 71,732 करोड़ की बनी थी, आपके वक्त में पांच साल के लिये, आप दो साल में सिर्फ और सिर्फ 24,240 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये। हमारे वक्त में हमने इस योजना को, जो खर्च करेंगे, उसके बाद में, तीन साल के बाद में हम जो 71 हजार की योजना है, वह 96,422 करोड़ की पहुंचेगी। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तारीफ हुई है। प्रधान मंत्री तारीफ कर रहे हैं और घनश्याम तिवाड़ी साहब हमारे हैं, वह पता नहीं, किस मैग्जीन के आंकड़े लेकर आ गये, चुरा करके। मेरा आरोप है आपके ऊपर कि आपने यह कहा कि भारत सरकार के आंकड़े हैं, यह भारत सरकार के आंकड़े हैं, तीन बार बोले आप यहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पी.एच.डी. जो है, वह जो सर्वे करती है, उसके आंकड़े हैं और मैंने वे आंकड़े दिये हैं और वह किताब दिखाई है। आरोप नहीं है, मैंने सही कहा है और वह किताब मेरे पास है। आपको दुबारा पढ़ दूं?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पी.एच.डी. का मतलब जानते हैं, पी.एच.डी. क्या होता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पी.एच.ई.डी. नहीं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह क्या है पी.एच.डी.? और मैं पी.एच.ई.डी. नहीं कह रहा हूं। आप बोल रहे हो, पी.एच.डी.। क्या होता है, बता दीजिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पी.एच.डी. तीन होते हैं? एक तो डाक्टरेट जो करते हैं, वह; एक होती है पी.एच.ई.डी., जो अपना पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वह अलग होता है...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप घुमाओ मत बात को। आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, मुख्य मंत्री के उम्मीदवार भी हैं और आप आंकड़े घुमाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप सीनियर-मोस्ट मेम्बर्स में आते हैं। उम्मीदवारी आपकी है, कटारिया साहब की है, सबकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरी तो नहीं है कम से कम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अभी तो जो आपके हो रहा है, उसका ध्यान रखो आप तो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उसका पी.एच.डी. चैम्बर, जो आप किताब का नाम ले रहे हो, पंजाब-हरियाणा-दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स, वह है पी.एच.डी.। तो आपने चुराये हैं आंकड़े। क्योंकि उन्होंने कहा है, हमारे आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं करे। उन्होंने खुद ने कहा है। आप भारत सरकार का नाम ले रहे थे। वे कह रहे हैं कि इस किताब में हमने आंकड़े दिये जरूर हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं करें, ये आंकड़े हमारे अपने हैं। हमारे बगैर पूछे इनका उपयोग नहीं करें। आपने उपयोग किया। पूछा आपने उनको?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अच्छा, हमने विश्वास कर लिया, आप उस पर मत करो। बात बराबर हुई।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने यह भी कह दिया, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, यह गुफ्तगू तो चलती रहेगी आपकी, मुझे पता है। चलनी भी चाहिए, कम से कम नेता, प्रतिपक्ष और आपके बीच में तो गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। यह पब्लिक इंटरेस्ट में है, यह राजस्थान के हित में है। मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं, मुख्य सचेतक महोदय, आपकी तो गुफ्तगू होती रहती है। कभी-कभी घनश्यामजी को मौका दिया करो।

आपने यह भी कहा कि गांधीवादी मुख्य मंत्री बनते हैं और पता नहीं, क्या कर दिया। जैसा नेता, प्रतिपक्ष ने कहा, खाली मफलर लगाने से और हवाई चप्पल पहनने से गांधीवादी नहीं हो जाता है। मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो यह कह सकता हूं कि मैंने गांधी को कभी पढ़ा भी नहीं पूरा। मैंने खाली उनकी जीवनी पढ़ी होगी 4-5 बार। यह बात मैंने कई जगह कोट भी की है। गांधीवादी कोई भी बन सकता है। यह कटारिया साहब तो बन ही सकते हैं, पता नहीं, क्यों वहां फंस गये, आपके साथ में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हम जहां हैं, मजबूती से हैं, लास्ट तक आपसे लड़ते रहेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपके नम्बर नहीं काट रहा हूं, मैं। आपके नम्बर नहीं कटवा रहा हूं, आप वहीं रहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मुझे नम्बर की चिन्ता नहीं है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अभी जिन्दगी आपकी वहां बीती है,

(श्री अशोक गहलोत)

आर.एस.एस. कार्यकर्ता के रूप में। आप वहीं रहो। कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। खाली मैं तो बता रहा हूं, क्वालिफिकेशन, कोई भी बन सकता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बदलाव तो आ रहा है आप में भी। आप में भी बदलाव तो आया है, नेकर और धोती छोड़कर के पेंट में आ गये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नेताओं की गालियां सुन-सुनकर शर्म आने लग गयी? इसलिये बदल दी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो आपको कहा किसने था कि आप यह चौड़े पायजामे पहनना शुरू करो? किसने कहा आपको? (व्यवधान) आपको कहना चाहूंगा, नहीं, आपने कहा, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, मेहमानों के लिये। तो मेहमान जो आता है पोलिटिशियन के यहां पर, वह पूछकर आता है क्या? पोलिटिशियन के पास जिसके काम होते हैं या जो मेसेज होता है, हम तो आम आदमी की सरकार हैं, आम आदमी हैं, ज्यादा लोग आएंगे। खास आदमी की सरकार हो तो लोग कम आएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 48 हजार रुपये रोज के, पर-घंटे दो हजार रुपये खर्च किये हैं। 48 हजार रुपये...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पांच हजार खर्च किये होंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 48 हजार रुपये रोज के...(व्यवधान) नहीं, आप तो गांधीवादी हो न। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बात सुनो, देखो, यह तो घर-घर में, कोई घर पर कोई मेहमान आता है, कोई बाहर से ही भेज देता है, कोई घर में बुलाकर बैठाता है। कोई ड्राइंग रूम में, कोई ले जाता है बेड रूम में। अपनी-अपनी बात होती है। तो जिस रूप से आप समझो, मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा कोई 1400, यह आंकड़े मैंने निकलवाये हैं पर मैं इसलिए नहीं कोट करना चाहता कि पता नहीं, किस महीने में वह रेश्यो बैठता है या नहीं बैठता है। एक महीने का आंकड़ा था जून का 1400 और 14000 का आंकड़ा था। यह कोई सी.एम. के गेस्ट नहीं आये हैं, पूरे सचिवालय में, जो आपके वक्त में भी, हमारे वक्त में भी जो मंत्रीमण्डल के साथी हैं, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, सी.एम.ओ. है, सी.एम. रेजिडेंस है, सब मिलकर यह होता है।

(श्री अशोक गहलोत)

इसलिए दूसरा मैं आपकी रुचि के लिए कहना चाहूंगा कि आपके वक्त में चाय जो थी, पहली बात तो जो आर.टी.डी.सी. सप्लाई करती है वह पूरा अरखंजा लगता है, उनके बैरा, जो काम करने वालों का, इन सबकी तनख्वाह जुड़ती है। सरकारी, कोई प्राइवेट तो है नहीं, सरकारी विभाग का एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, ... (व्यवधान) बैठो न। इसमें आप बताइये कि यह पांच रुपये चाय, अब वे 13 रुपये में देने लग गये आर.टी.डी.सी. वाले। 10 रुपये की काफी 31 रुपये में देने लग गये। बिस्कट 12 रुपये के 25 रुपये में देने लग गये। स्नेक्स 12 रुपये के 25 रुपये में देने लग गये। (व्यवधान) बैठो, बात तो सुनो। हाई-टी 100-150 के बजाए 240 में होने लग गयी। खाना जो है, अब 150 के बजाए 400 में होने लग गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): फिर भी आपका ज्यादा नहीं रहा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप तो गृहिणी रही हुई होंगी, आपको तो मैं, हो सकता है, कभी-कभी आपने किचन में काम किया हो अपने घर पर इसलिए आपकी जानकारी के लिए कहना जरूरी है कि यह जो कहा गया, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी।

अब मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमने जो, आपने तो कह दिया कि जी.डी.पी. में यह गलत आंकड़े दे दिये, सब कुछ कह दिया। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सही आंकड़े प्रदर्शित नहीं किये गये। आपने यह आरोप लगा दिया। यह मैं आपसे उम्मीद नहीं करता था कि आप ऐसे झूठे आरोप लगा सकते हो। जो सी.एस.ओ. है, ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): खंडन कर दूंगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह तो आप बड़े एक्सपर्ट भी तो हैं। (व्यवधान)

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सी.एस.ओ. समझते हैं? सी.एस.ओ. क्या है? ये आंकड़े, भारत सरकार के अधिकृत आंकड़े होते हैं। सी.एस.ओ. भारत में वित्तीय तथा अन्य विकास के आंकड़े तैयार करने के लिए अधिकृत संस्था है भारत सरकार की, अधिकृत संस्था है। अब बताइये मुझे, माननीय तिवाड़ी साहब, कि सी.एस.ओ. जो है, उन्होंने कहा है, 2010-11 की जो विकास दर है

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान के लिए, वह जी.एस.डी.पी. कहलाती है, वह 10.97 परसेंट रही है। तो अभिभाषण में अगर राज्यपाल महोदय ने कहा है तो गलत क्या कहा है? आप अपने, पी.एच.डी. का आपको अर्थ नहीं मालूम, पी.एच.डी. का कोट कर रहे हो, भारत सरकार को बदनाम कर रहे हो, हमें बदनाम कर रहे हो। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इनको क्या दंड दो। ये आपके अच्छे मित्र भी कहलाते हैं।

इसी अवधि में पूरे मुल्क की जो विकास दर है वह तो रही है जी.डी.पी. की औसत विकास दर 8.55 परसेंट, हमारी राजस्थान की रही है 10.97 परसेंट। आप बता दीजिए कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप हमें भला-बुरा कहने लगे। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार द्वारा विकास के लिए अपनाई गयी नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। यह आपकी बात का खंडन करता है, यह माननीय जो हमारे नेता हैं, उदयपुर से आने वाले विधायक महोदय, आपकी तमाम बातों को खारिज करते हैं। भारत सरकार खुद कह रही है, सी.एस.ओ. कह रहा है कि जो नीतियां अपनाई गई हैं, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ रेट 10.97 परसेंट हुई है। यह मैं कहना चाहता हूं।(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक महोदय, एक बात और आपने कह दी कि राजस्थान पथ परिवहन निगम में 1,584 पदों की भर्ती प्रक्रिया में घालमेल हो गया है। अभी तो भर्ती हुई नहीं है, भरे नहीं गये हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि 1,584 में से 1,546 ने, भर्ती तो पहले हो गई, इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। पता नहीं, आप कहां से आंकड़े लेकर आ गये। मैंने घनश्याम तिवाड़ी लिख छोड़ा है, आपके लिए ग्रीन कलर के अन्दर। यह आप तो पार्लियामेंटेरियन बड़े अच्छे हैं, इसलिए ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिस्टर्ब नहीं करता हूं, मैं सुन रहा हूं आपकी, बाकी मैं आपकी सब बातों का खंडन करने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खंडन कहां, बड़ी चौपड़ पर करोगे क्या? (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माइनोरिटीज के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जो हमारे साथी धौलपुर से आते हैं विधायक, उन्होंने बहुत ही, प्रभावशाली वक्ता हैं वे, बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम कुछ फैसले हमने किये, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए पूरे सदन को कि हमारे आने के बाद माइनोरिटी का अलग डिपार्टमेंट बनाया। बड़ा निर्णय था। एस.सी., एस.टी., एस.बी.सी. की तरह अनुप्रति योजना जो होती है, यू.पी.एस.सी. में एक लाख रुपये और आर.पी.एस.सी. के एग्जाम में 50 हजार रुपये देते हैं, वह हम लोगों की है माइनोरिटी के लिए। 2,478 छात्र-छात्राओं को नालेज कारपोरेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया गया है। मदरसों में 487 कम्प्यूटर पैराटीचर्स और 1,414 पैराटीचर्स को, मदरसे में आपने भी किया था, 1,700 पैराटीचर्स को जुलाई, 2011 से 400 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 3500 रुपये किया गया। 3,092 मदरसे पंजीकृत किये गये। माइनोरिटी के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप दी गई, एक लाख 21 हजार बच्चों को। यह अपने आप में महत्वपूर्ण निर्णय था। 10,776 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और एक हजार मेरिट-कम -मींस छात्रवृत्ति दी गई। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, छात्र अगर ऋण लेंगे तो 2 परसेंट की उसके ब्याज में छूट अगर टाइम पर पेमेंट करेंगे तो और छात्राओं के लिए सम्पूर्ण ब्याज की छूट होगी, पूरा ब्याज सरकार भरेगी। छात्राओं के लोन लेने पर हमने यह किया।

5 आई.टी.आई. खोले गये प्रति वर्ष। तीन वर्ष में 15 आई.टी.आई. खोले गये हैं माइनोरिटी क्षेत्र के अन्दर। अल्पसंख्यक ऋण व्यवस्था के लिए जो पहले गारंटी सरकार देती थी 15 करोड़ की, वह बढ़ाकर 50 करोड़ की गई। इसके बारे में यह भी मैं कहना चाहूंगा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों को, आपको, आपको, आपको, आपको, थोड़ा तो हमें भी लिफ्ट दो, भाई। थोड़ा लिफ्ट हमें भी दो। इनके लिए कह रहा हूं, मैं माननीय सदस्य उदयपुर से कटारिया साहब को कि आपने कहा कि जो गारंटी बिजली कम्पनियों की, कर्जे बढ़ गये, बिलकुल बढ़ गये, आपके वक्त में भी बढ़े, हमारे वक्त में भी बढ़े हैं। आपने कहा कि जितना भी पब्लिक अंडरटेकिंग लोन लेते हैं, गारंटी सरकार देती है। यह माननीय सदस्य शाहपुरा से आने वाले, यहां बैठे होंगे? बैठे हैं। उन्होंने भी उठाया था, तो यह कोई यहां की ही बात नहीं है कि इस राज में ही यह सिस्टम है, आपके वक्त में भी यह सिस्टम था, हमारे वक्त में भी यही सिस्टम है। इसलिए गारंटी देना कोई गुनाह नहीं है। आपने भी दी और हमने भी दी है और हर राज्य में दी जाती है। यह मैं कहना चाहूंगा आपको।

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, पहली बार हमने 50 लाख रुपये दिये हैं अनुदान के रूप में। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह पहले कभी नहीं था और माइनोरिटी की ... (व्यवधान) बैठ जाइये। (व्यवधान) माइनोरिटी की गर्ल्स के लिए गर्ल्स हास्टल जयपुर, अजमेर और कोटा में खोले गये हैं।

इसी प्रकार से अब दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। दो बातें इसलिए कि एक तो दो बर्निंग प्राब्लम्म भी हैं राजस्थान के अन्दर, एक तो गुर्जर आन्दोलन को लेकर एस.बी.सी. की जो कैटेगरी बनाई आपने, वह तो मैंने पहले भी आपको कहा कि यह काम विधान सभा के करने के कोई मायने नहीं रहे क्योंकि जब तक लोक सभा में प्रस्ताव पास नहीं हो, संविधान में संशोधन नहीं हो, तब तक हम 50 परसेंट से आगे नहीं बढ़ सकते। तब भी आपको मालूम थी यह बात। तब भी आपने 5 परसेंट एस.बी.सी., गुर्जर, गाड़िया लुहार, बंजारा, देवासी आदि को दिया और 14 परसेंट आपने आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको भी दिया। हालांकि हमने हमारे वक्त में यह प्रस्ताव पास किया था पर हमने वाजपेयी साहब जब प्रधान मंत्री थे, तब हमने उसको वाजपेयीजी जब सरकार में प्रधान मंत्री थे ... (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तब हमने उसको प्रस्ताव पास करके उनके पास भेजा था। उन्होंने एक कमीशन बनाया भी था वहां पर। परन्तु आपने यहां प्रस्ताव पास कर दिया 5 परसेंट के हिसाब से, हमने 14 परसेंट जोड़ दिया, तो 5 परसेंट भी होना मुश्किल था पर 5 परसेंट का चांस भी था वे भी मारे गये 14 परसेंट जोड़ने से। कोई तुक नहीं था।

एक तो वह प्राब्लम आज हमारे सामने है, वह हम फेस कर रहे हैं। पता नहीं, वह राजस्थान के सामने कब तक चलती रहेगी। एक तो बात यह। दूसरा जो आरक्षण का मामला चल रहा है अभी, इसको लेकर राजस्थान में एस.सी., एस.टी, ओ बी सी अलग, जनरल कास्ट अलग, यह भी मैं समझता हूं पक्ष-प्रतिपक्ष को, सबको बहुत गंभीरता से इस पर चिन्तन करना चाहिये, क्योंकि सरकार में कोई रहे, मंशा यह है कि अन्याय किसी के साथ नहीं हो। पर राज्य में और देश में कानून का राज चलता है, संविधान से शासन चलता

(श्री अशोक गहलोत)

है, यह तो हम सब मानेंगे तभी हम लोग यहां बैठने लायक बनेंगे, अपनी बात कहने लायक बनेंगे। मैं समझ नहीं पाया, जब वाजपेयीजी के वक्त में ही संविधान संशोधन हुआ था? 85वां संविधान संशोधन उन वाजपेयीजी के वक्त ही हुआ था, रामविलासजी पासवान जब केन्द्रीय मंत्री थे, तब हुआ था और उसके आधार पर हमने यहां फैसला कर लिया कि रि-गेनिंग नहीं होगा, क्योंकि एन डी ए गवर्नमेंट ने वहां फैसला किया, संविधान में संशोधन करके किया। हमने फैसला 2002 के अन्दर किया कि अब आगे से कोई रि-गेनिंग नहीं होगा। 1997 में जब शेखावत साहब मुख्य मंत्री थे, तब रि-गेनिंग सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अन्तर्गत अलाउ कर दिया गया था। हमने कहा इस बीच में किसी ने रि-गेनिंग कर लिया है तो उसको छेड़ेंगे नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आयेगा।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब 2006 में नागराज केस के अन्दर फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट ने जो काम किया है, जो 85वां संविधान संशोधन किया है, वह उनका अधिकार है, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बात खतम हो गयी। परन्तु तीन बातें देखकर आप निर्णय कीजिये, एडिक्वेट रिप्रजंटेशन है कि नहीं है; एफिशिएंसी है कि नहीं है, बैकवर्ड हैं कि नहीं हैं। मेरा आरोप है आपकी सरकार पर, जब आपकी सरकार थी, 2006 में फैसला आ गया, आपने डेढ़ साल तक कुछ नहीं किया। चुनाव के पहले आपने फैसला कर दिया और भैरोंसिंह शेखावत साहब के नोटिफिकेशन के बाद में, हमारे नोटिफिकेशन को आप लोगों ने हटा दिया और आपने जो संशोधन हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, वह पालना करना जरूरी होता है, उसके बगैर आपने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस कारण से जनरल कास्ट के लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तीन शर्तें पूरी करो, उसके बाद में देओ। तीन शर्तों की जांच किये बगैर फैसला कर दिया गया आनन-फानन के अन्दर डेढ़ साल लगाकर के, चुनाव आ रहे थे, चुनाव के पहले। उस कारण से ही वह एक साथ में हमारे जनरल कास्ट के जो साथी गये हाई कोर्ट, इमिजिएटली उन्होंने स्टे कर दिया। हमारी गवर्नमेंट आ गयी, हम आपके उस फैसले को लागू करवाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के अन्दर गये, वहां भी नहीं माना गया। वापस भेज दिया गया। कंटेम्प्ट अलग लग गया। उसका निर्णय अभी आपने देखा, आपके सामने है, फिर वापस जाना पड़ा। दो फैसले आपके ऐसे हैं, जिसमें इतिहास

(श्री अशोक गहलोत)

कभी आपको माफ नहीं करेगा कि बिना मतलब आप लोगों ने ऐसे फैसले करवा दिये जिससे कि हमेशा के लिये कोई वर्ग संघर्ष की स्थिति बन जाये। आपस में लड़ो, गलतफहमी पैदा करो। इस प्रकार की जो स्थिति है, मैं समझता हूं, कम से कम यह नहीं होनी चाहिये थी, यह मेरा मानना है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं करें। अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे और भी अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत कीमती सुझाव दिये। उनके लिये मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं दिखवाऊंगा और जहां तक सम्भव होगा, हम चाहेंगे कि सुशासन देने के लिये ...(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, किसी अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जैसा मैंने पहले भी कहा कि ई-गवर्नेन्स के बगैर गुड-गवर्नेन्स सम्भव नहीं। ई-गवर्नेन्स हमारी प्रायोरिटी में है। हम चाहेंगे, अभी समय कम है वरना मैं आपको और सब बातें आपको बता सकता था कि क्या-क्या फैसले हम करना चाहते हैं, क्या फैसले हुए हैं। पर मेरा निवेदन रहेगा कि सदन की परम्परा के अनुसार, जिसकी दुहाई हम भी देते हैं, नेता, प्रतिपक्ष भी देती हैं, सब लोग देते हैं जब खड़े होते हैं तो, तो उसी रूप में यह सदन चले, उसी रूप में सदन चलाने में हम लोग, पक्ष-विपक्ष, सब साथ दें। क्योंकि यह पिछली बार भी चार मौके मैंने ढूढे जो ऐसे थे कि जब सदन के नेता को भी आपने, चाहे अभिभाषण की बात हो, चाहे फाइनेंस बिल की बात हो, चाहे जनरल डिबेट की बात हो, आपने बोलने नहीं दिया। हो-हल्ला करके ही उसी के अन्दर पढ़ा हुआ मान लिया जाये, लिखकर के देना पड़ा। कृपा करके यह परम्परा तो रहे कि नेता प्रतिपक्ष या सदन का नेता, कोई भी बोले तो कम से कम...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हां, वह कमेंट्री तो चलती रहेगी आपकी। आज तो मुझे मालूम है, आज तो आपकी ब्रीफिंग ही यह है, जो आप कर रहे हो, मुझे मालूम है पर आगे के लिये मैं कह रहा हूं। आज तो हो गया, जो हो गया। आज तो मैं बोल रहा हूं, टोका-टोकी हो रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो आपकी ब्रीफिंग ऐसी है। कृपा करके आगे के लिये हम लोग अगर यह अपना सकें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तमाम माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस डिबेट के अन्दर भाग लिया, उनका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2012 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.26 बजे सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2012 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच हेतु भेजे गये प्रकरण

64. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर सी.बी.आई. को जांच हेतु रेफर किये गये कितने मामले वर्तमान में किन कारणों से विचाराधीन हैं? प्रकरणवार रेफर की गई दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रकरण कब-कब सी.बी.आई. को जांच हेतु रेफर किये गये? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रेफर किये गये मामलों में वर्तमान में कौन-कौन से मामले किस स्तर पर विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर सी.बी.आई. को जांच हेतु कुल 26 प्रकरण रेफर किये गये हैं, जिनमें से 25 प्रकरण सी.बी.आई. में अनुसंधानाधीन हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

प्रकरण संख्या-208/10 पुलिस थाना क्लाक टावर, अजमेर में दिनांक 29-10-2011 को चार्जशीट पेश की जा चुकी है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त रेफर किये गये मामले वर्तमान में सी.बी.आई. के अनुसंधानाधीन हैं।

परिशिष्ट-अ

01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक राज्य सरकार द्वारा सी.बी.आई. को रेफर किये गये प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पुलिस थाना	प्रकरण को रेफर किये जाने की दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	208/10	पुलिस थाना क्लाक टावर, अजमेर	20-04-2011	चार्जशीट दिनांक 29-10-2011 को पेश की गयी।
2	108/11	मानटाऊन, सवाई माधोपुर	23-03-2011	19 मुल्जिमान का चालान पुलिस द्वारा पेश किया गया। सी.बी.आई. ने 9 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं।
3	383/11	बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण	15-09-2011	03 मुल्जिमान के खिलाफ दिनांक 02-12-11 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किये गये।
4	119/11	गोपालगढ़, भरतपुर	21-09-2011	अनुसंधानाधीन
5	120/11			
6	121/11			
7	122/11			
8	123/11			
9	128/11	गोपालगढ़, भरतपुर	14-10-2011	अनुसंधानाधीन
10	129/11			
11	130/11			

क्र.सं.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पुलिस थाना	प्रकरण को रेफर किये जाने की दिनांक	वर्तमान स्थिति
12	132/11	गोपालगढ़, भरतपुर	14-10-2011	अनुसंधानाधीन
13	133/11			
14	134/11			
15	135/11			
16	136/11			
17	137/11			
18	139/11			
19	140/11			
20	141/11			
21	142/11			
22	143/11			
23	144/11			
24	145/11			
25	147/11			
26	148/11			

नोट- गोपालगढ़ थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-131/11, 138/11, 149/11 को सीबीआई को सौंपने बाबत पत्राचार चल रहा है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में निजी बस सेवा हेतु अनुज्ञा पत्र की शर्तें

72. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के कितने राजस्व ग्रामों एवं पंचायत मुख्यालयों पर नियमित बस सेवा उपलब्ध है और कितने गांव नियमित बस सेवा से वंचित है?

(2) अब उक्त सेवा से वंचित गांवों में नियमित बस सेवा उपलब्ध करवाने के लिये क्या किया जा रहा है?

(3) निजी बस सेवा के लिये आगमन प्रस्थान एवं यात्रा समय निर्धारित करने के संबंध में क्या दिशा-निर्देश हैं? क्या अनुज्ञा देते समय इस संबंध में कोई शर्त लगाई जाती है?

(4) क्या निजी बसें निर्धारित यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन चलती हैं? यदि नहीं, तो इसको किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

उत्तर

(1) राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के 83 राजस्व ग्रामों एवं 41 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नियमित बस सेवा उपलब्ध है और 83 राजस्व ग्राम नियमित बस सेवा से वंचित हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा पीपीपी माडल पर अपनी सेवाओं का विस्तार किया जावेगा और अगले 3 वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जावेगा, के अन्तर्गत वंचित गांवों में नियमित बस सेवा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जावेगा।

(3) निजी बस सेवा सहित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं के लिये जारी अनुज्ञापत्र के अनुसार वाहन के आगमन-प्रस्थान एवं यात्रा समय निर्धारित मार्ग एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार वाहन को चलाने के दिशा-निर्देश हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र में उक्त की पालना हेतु शर्तें लगाई जाती हैं।

(4) निजी बसों के संचालन के लिये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार निजी बस निर्धारित मार्ग पर

(परिवहन राज्य मंत्री)

ही चलती है, यदि निर्धारित मार्ग पर नहीं चलती है तो जांच कर उनके अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जाती है।

राज्य की विकास दर में वृद्धि हेतु कार्य योजना

73. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विगत पांच वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर (जीएसडीपी) क्या रही है? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में गत तीन वर्षों में विकास दर की गति धीमी रही है? यदि हां, तो क्यों और सरकार विकास दर की गति बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि विगत तीन वर्षों में राज्य की आय घट रही है और खर्च बढ़ रहे हैं? राज्य की आय व व्यय का विगत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विगत पांच वर्षों में वर्ष 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्रों में विकास दर (वृद्धि दर) निम्नानुसार रही है:-

(वृद्धि दर प्रतिशत में) वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जीएसडीपी
2006-07	7.51	17.69	9.73	11.67
2007-08	1.62	2.62	8.88	5.14
2008-09	4.19	7.09	12.89	9.09
2009-10 (प्रावधानिक अनुमान)	(-) 2.31	5.95	8.79	5.52
2010-11 (त्वरित अनुमान)	27.20	5.38	7.99	10.97

(2) जी नहीं। विगत तीन वर्षों में यथा- 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में वर्ष 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू

(आयोजना मंत्री)

उत्पाद (जीएसडीपी) में विकास दर (वृद्धि दर) क्रमशः 9.09, 5.52 व 10.97 प्रतिशत रही है।

वर्ष 2009-10 में वर्ष 2008-09 की तुलना में कम वर्षा हुई एवं इस कारण कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(3) जी नहीं। गत तीन वर्षों, यथा वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में लगातार आय में वृद्धि हुई है। आय एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
प्राप्तियां	36895.41	43677.94	48543.40
व्यय	37816.69	43133.25	48749.81

वर्ष 2010-11 के वित्तीय लेखे राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने शेष हैं।

बाड़मेर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति

74. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है? यदि हां, तो तद्संबंधी नियमों एवं मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में दिसम्बर, 2010 से जनवरी, 2012 तक कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बाड़मेर जिले में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सुपरवाइजर पद हेतु पदोन्नत होने की योग्यता रखती हैं? सूची पंचायत समिति वार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त योग्यताधारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्योंकि योग्यताधारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु विभागीय सेवा नियमों की अनुसूची-।। के अनुसार पर्यवेक्षकों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरे जाने का प्रावधान है। उक्त नियम की प्रति संलग्न है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजरों के पदों पर पदोन्नत किये जाने संबंधित नियमों एवं मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में दिसम्बर 2010 से आज तक किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है। क्योंकि विभागीय नियमों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है अपितु पर्यवेक्षकों के कुल पदों का 25 प्रतिशत निर्धारित योग्यताधारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से सीधी भर्ती से लिये जाने का प्रावधान है। परन्तु उक्त अवधि में 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो कि वर्ष 2002 से एक मुश्त वेतन पर संविदा महिला पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थी, को स्क्रीनिंग द्वारा नियमित किया गया है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) बाड़मेर जिले में 14 आंगनबाडी कार्यकर्ताऐं पदोन्नत होने की योग्यता रखती है। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। योग्यताधारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को सुपरवाइजर के पद पर क्रमोन्नत करने का विभागीय सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। पर्यवेक्षकों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरे जाने का प्रावधान है। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक हेतु भरे जाने वाले कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही के समय यदि कोई उक्त योग्यताधारी कार्यकर्ताओं में से कोई निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चयनित होगी तो उन्हें भी पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

(प्रति व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

झाड़ोल के विद्यालयों में रिक्त पद

75. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में प्राथमिक, उच्च

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं विषय व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालयों में कितने-कितने पद?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाडोल में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं विषय व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां । प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 41000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है तथा शेष पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों पर नियुक्ति दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरीय सहभागी विकास योजना के अन्तर्गत नगर परिषद पाली को आवंटित राशि

76. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद पाली को सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में नगरीय सहभागी विकास योजना अन्तर्गत कितनी राशि आवंटित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में नगर परिषद पाली के पास नगरीय सहभागी विकास योजनान्तर्गत किन-किन कार्यों के प्रस्ताव किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लम्बित प्रस्तावों में जन सहयोग से कितनी-कितनी राशि कितने-कितने समय से नगर परिषद पाली में जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त लम्बित प्रकरणों की स्वीकृति जारी करने पर सरकार पर कितना भार आयेगा?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(5) क्या सरकार लम्बित प्रकरणों की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली को सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में नगरीय सहभागी विकास योजनान्तर्गत रूपये 131.06 लाख आवंटित की गई।

वर्ष 2008-09 - रुपये शून्य

वर्ष 2009-10 - रुपये 48.68 लाख

वर्ष 2010-11 - रुपये 82.38 लाख

(2) नगर परिषद पाली के पास वर्तमान में नगरीय सहभागी विकास योजनान्तर्गत लम्बित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जमा राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 3 पर एवं जमा राशि की अवधि का विवरण कालम संख्या 7 में अंकित है ।

(4) भाग संख्या 2 के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 5 के अनुसार राशि रुपये 14.23 लाख का व्यय भार पड़ता है।

(5) प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

नगरीय सहभागी विकास योजनान्तर्गत लम्बित प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत				जन सहयोग राशि जमा की तिथि	लम्बित रहने का कारण
		जन सहयोग	नगर निकाय का अंश	राज्यांश	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	रामदेव रोड रामदेव मन्दिर के सामने प्याऊ निर्माण	130800	87200	218000	436000	01/09/2009	स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाया हुआ है। स्वीकृति के अभाव में कार्यादेश जारी नहीं किया गया।
02.	बांगड स्टेडियम में बांयी तरफ स्टेज निर्माण कार्य	592841	395227	988068	1976136	02/02/2010	स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाया हुआ है। स्वीकृति के अभाव में कार्यादेश जारी नहीं किया गया।
03.	गांधी नगर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के पास शमशान घाट की चार दीवारी निर्माण कार्य	29000	43500	217500	290000	13/08/2010	स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाया हुआ है। स्वीकृति के अभाव में कार्यादेश जारी नहीं किया गया।
	योग	**752641**	**525927**	**1423568**	**2702136**		

राज्य में शराब बिक्री से आय

77. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2011 तक कितनी शराब की बिक्री हुई? जिलेवार एवं माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सरकार को शराब की बिक्री से वर्षवार कितने राजस्व की आय हुई?

(3) क्या यह सही है कि समाज में शराब पीने वालों की संख्या में उत्तरत्तर वृद्धि हो रही है? क्या सरकार लोक कल्याण की भावना से इस दुर्व्यसन को रोकने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 (माह दिसम्बर 2011) तक राज्य में मदिरा की बिक्री निम्नानुसार हुई हैः-

(मात्रा लाख बल्क लीटर में)

वर्ष	भा.नि.वि. मदिरा	बीयर	देशी मदिरा	योग
2009-10	437.21	855.44	949.70	2242.35
2010-11	514.74	962.26	1032.73	2509.72
2011-12 (दिस. 11 तक)	521.88	953.41	1055.56	2530.86

जिलेवार एवं माहवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार को मदिरा की बिक्री से वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 (माह दिसम्बर 2011) तक निम्नानुसार राजस्व की आय हुई हैः-

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	मदिरा की बिक्री से प्राप्त राजस्व
2009-10	2150.75
2010-11	2373.05
2011-12 (दिस. 11 तक)	2116.05

(आबकारी मंत्री)

(3) इस तरह के आनुभविक आंकड़े (Empirical Data) विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। आबकारी नीति के अनुसार मद्यसंयम हेतु प्रयास किये जाते रहे हैं तथा मदिरा पात्रों पर इस चेतावनी का भी अंकन किया जाता है कि "मदिरा सेवन स्वाथ्य के लिये हानिकारक है''।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय तकनीकी/अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों में विकलांगों हेतु आरक्षण

78. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न स्वायत्तशाषी सरकारी तकनीकी संस्थान एवं इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा इत्यादि में नई भर्ती हेतु पद विज्ञापित किये गये हैं? यदि हां, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी., महिला, विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सूची पदवार एवं कालेजवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पदों हेतु आरक्षण नियमों की पालना की गई है? यदि हां, तो समस्त संस्थानों में राज्य सरकार के 21 जुलाई, 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कितने पद आरक्षित होने चाहिये तथा संस्थानों द्वारा क्या इस अधिनियम की पालना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पद पुनः विज्ञापित किये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में तकनीकी शिक्षा विभाग के नियन्त्राधीन स्वायत्तशाषी संस्थान एवं इंजीनियरिंग कालेज यथाः बीकानेर, अजमेर, महिला अजमेर, भरतपुर, झालावाड़, एम.एल.वी.टी. भीलवाड़ा, कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी बीकानेर एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के संघटक इंजीनियरिंग कालेज में नई भर्ती हेतु पद विज्ञापित किये गये हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछ्ड़ा वर्ग, महिला, विकलांग अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापित आरक्षित पदों की सूची पदवार एवं कालेजवार परिशिष्ट 1 से 8 पर संलग्न है।

(2) उक्त पदों में 21 जुलाई, 2011 के नियमों के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होने वाले पदों की गणना एवं संस्थानों द्वारा इसकी

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

पालना के सम्बन्ध में समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(3) समीक्षा उपरान्त दिनांक 21.7.2011 के नियमों की पालना के लिए जहां आवश्यक होगा पुनः विज्ञापन जारी कराये जायेंगे।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर द्वारा तहसील बस्सी में निर्मित सड़कें

79. **श्रीमती अंजु खन्गवाल** (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 से 2011-12 में तहसील बस्सी जिला जयपुर में कृषि उपज मण्डी द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण कहां-कहां करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर सड़कें बनाने के साथ ही क्षतिग्रस्त हो गई थीं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़कों को बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया? यदि हां, तो भुगतान किन कारणों से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गुमानपुरा से बावड़ी का वास सड़क का निर्माण वर्ष 2010-11 में करवाया गया था? यदि हां, तो वर्तमान में सड़क की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 से 2011-12 में तहसील बस्सी जिला जयपुर में कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा 5 सड़कों का नवीन निर्माण एवं 6 सड़कों की विशेष मरम्मत कार्य करवाया गया । विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सड़कों पर डामरीकरण नवीनीकरण का कार्य किया गया है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है ।

(2) जी नहीं। परिशिष्ट 'अ' में वर्णित 11 सडकों में से सम्पर्क सड़क गुमानपुरा से बावड़ी का बास वाया दुबली, धोली, रामसर, पृथ्वीपुरा में निर्मित लम्बाई 5.05 किमी. में से 3.45 किमी. लम्बाई में भारी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुई है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। उक्त सड़कों को बनवाने में घटिया सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। भुगतान विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित किये गये वास्तविक कार्य का ही किया गया है।

(4) जी नहीं। गुमानपुरा से बावड़ी का बास सड़क का निर्माण वर्ष 2009-10 में करवाया गया है। वर्तमान में निर्मित लम्बाई 5.05 किमी. में से 3.45 किमी. लम्बाई सड़क पर से भारी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुई है।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक तहसील बस्सी में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की सूची

क्र. सं.	कृउमस	सड़क का नाम	प्रशा. स्वीकृति	निर्मित लम्बाई (किमी. में)	निर्माण वर्ष	कार्य पर व्यय	कार्य पूर्णता तिथि	संवेदक की गारन्टी अवधि	सड़क की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जयपुर (अनाज)	स.स. भटेरी से कानपुरिया	32.50	1.70	2009-10	28.68	13.09.09	12.09.14	सड़क सही हालत में है।
2	जयपुर (अनाज)	स.स. जटवाड़ा बाइपास से मालियों की ढाणी	31.50	1.70	2009-10	29.09	13.09.09	12.09.14	सड़क सही हालत में है।
3	जयपुर (अनाज)	स.स. देवगांव रोड से झींझा	18.42	0.75	2009-10	16.26	13.09.09	12.09.14	सड़क सही हालत में है।
4	जयपुर (अनाज)	स.स. गुमानपुरा से बावड़ी का बास वाया दूबली, धोली, रामसर, पृथ्वीपुरा	82.00	5.05	2009-10	66.96	11.09.09	10.09.14	सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन के कारण किमी. 0/0 से 3/450 तक लम्बाई में क्षतिग्रस्त है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	जयपुर (अनाज)	विशेष मरम्मत मूण्डली	25.60	3.20	2010-11	21.79	09.12.10	08.12.15	सड़क सही हालत में है।
6	जयपुर (अनाज)	विशेष मरम्मत सिन्डोली	11.92	1.49	2010-11	9.51	09.12.10	08.12.15	सड़क सही हालत में है।
7	जयपुर (अनाज)	विशेष मरम्मत दामोदरपुरा	11.04	1.38	2010-11	7.97	09.12.10	08.12.15	सड़क सही हालत में है।
8	जयपुर (अनाज)	विशेष मरम्मत लसाडिया गोकुलपुरा	8.40	1.05	2010-11	6.11	09.12.10	08.12.15	सड़क सही हालत में है।
9	जयपुर (अनाज)	विशेष मरम्मत बांसखों रेलवे स्टेशन से पोटाली वाया गुजरों की ढाणी	12.00	1.40	2010-11	9.87	09.12.10	08.12.15	सड़क सही हालत में है।
10	जयपुर (फल-सब्जी)	विशेष मरम्मत अनन्तपुरा से जयराम का बास	40.00	3.00	2009-10	31.11	03.03.10	02.03.12	सड़क सही हालत में है।
11	जयपुर (फल-सब्जी)	स.स. चारणवास रोड से नई का नाथ महादेव मन्दिर	73.00	2.00	2010-11	69.5	29.03.11	28.03.16	सड़क सही हालत में है।
		कुल योग	**346.38**	**22.72**		**296.85**			

राज्य में असंगठित श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजना

80. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में सरकार द्वारा वर्ष 2003 से 2008 में 'राजस्थान गैर संगठित कामगार विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना' लागू की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना प्रदेश में किस तिथि से लागू की गई तथा इसमें श्रमिकों के कल्याणार्थ क्या प्रावधान निर्धारित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लागू होने की तिथि से वर्तमान तक कुल कितने श्रमिकों ने इस योजना में खाते खुलवाये एवं उन खातों में कुल कितनी राशि जमा हुई तथा कुल कितने श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा गया? जिलेवार एवं वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त महत्वपूर्ण योजना पर रोक लगा दी गयी/बन्द कर दी गयी है? यदि हां, तो किस तिथि से तथा क्यों? उक्त योजना को अघोषित रूप से बन्द किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना को बन्द किये जाने के संबंध में इस योजना से जुडे श्रमिकों को सूचित किया गया? यदि हां, तो किस माध्यम से और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना के बन्द किये जाने की स्थिति में श्रमिकों द्वारा उक्त योजनान्तर्गत जमा करायी गयी राशि की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त राशि श्रमिकों को कब तथा किस प्रकार लौटायी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन योजना वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.9.2007 से लागू की गई तथा योजना का क्रियान्वयन अगस्त 2008 से प्रारम्भ हुआ। इस योजना में 20 व्यवसायों में कार्यरत 18 से 50 वर्ष आयु के राज्य के निवासी श्रमिक अंशदान राशि जमा कराकर सदस्य बन सकते थे। राज्य सरकार द्वारा सदस्यों के अंशदान के समतुल्य, 1000/-रु. वार्षिक की सीमा में, अंशदान जमा कराने का प्रावधान किया गया। 60 वर्ष की आयु होने पर जमा पेंशन पूंजी से पेंशन

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

दिये जाने का प्रावधान रखा गया। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इस योजना के लागू होने की तिथि से 31 मार्च, 2011 तक कुल 51790 श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा गया। सदस्यों द्वारा जमा कराई गयी राशि का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2011 से योजना में नये सदस्य बनाया जाना और दिनांक 31 मार्च, 2011 से सदस्यों से अंशदान लिया जाना बन्द किया गया। राज्य सरकार की मंशा विश्वकर्मा योजना के विद्यमान सदस्यों को केन्द्र सरकार की स्वावलम्बन योजना (एनपीएस-लाईट) से लाभान्वित करने की है। इस बारे में वर्ष 2011-12 के राज्य के बजट भाषण में की गई घोषणा का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) इस योजना में नए सदस्य बनाना और सदस्यों से अंशदान लिया जाना बन्द करने की सूचना योजना से जुडे श्रमिकों को समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर सूचित किया गया। समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) श्रमिकों द्वारा इस योजनान्तर्गत जमा कराई गई राशि वर्तमान में योजना के लिए विभाग में खोले गये पी.डी. खातों में जमा है। एनपीएस-लाईट/स्वावलम्बन योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ होने पर विश्वकर्मा योजना के सदस्यों द्वारा केन्द्र सरकार की योजना का सदस्य बनाया जाएगा और जो सदस्य एनपीएस-लाइट/स्वावलम्बन योजना का सदस्य बनने के लिए सहमत नहीं होंगे, उन्हें विश्वकर्मा योजना में जमा राशि चैक द्वारा लौटाई जायेगी।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर के निगम बस स्टैंड पर आवश्यक सुविधाएं

81. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर के बस स्टेंड परिसर का प्लेटफार्म कई जगह से टूट चुका है तथा बस स्टेंड की ठेका राशि कम होने के कारण ठेकेदार व सफाई कर्मचारी काम छोड़कर जा चुके हैं? क्या सरकार उक्त व्यवस्था को सुचारु करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि बस स्टैंड परिसर के शौचालय खराब हैं

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तथा सुलभ काम्पलैक्स में यात्रियों से रुपये लिये जाते हैं? क्या सरकार उक्त व्यवस्था को सुचारु करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर बस स्टैंड परिसर की सड़क मरम्मत कार्य के लिये कार्य आदेश दिनांक 13.2.2012 को जारी किये जा चुके हैं। श्रीगंगानगर बस स्टैंड परिसर के प्लेटफार्म पर केवल 05 जगह से टाइल्स टूटी हुई है जिनकी टूट-फूट की मरम्मत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बस स्टैंड की साफ-सफाई हेतु नियुक्त ठेकेदार द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण सफाई कार्य हेतु सफाई ठेकेदार को संतोषप्रद कार्य नहीं करने पर नोटिस जारी किये गये। सफाई ठेकेदार द्वारा स्वयं ही दिनांक 1.9.2011 से सफाई कार्य करना बन्द कर दिया गया। सफाई कार्य हेतु पुनः निविदा आमंत्रित कर दिनांक 01.02.2012 से नये ठेकेदार को बस स्टैंड की साफ-सफाई कार्य का ठेका आवंटित किया गया है। वर्तमान में बस स्टैंड की साफ-सफाई कार्य सुचारु रूप से जारी है ।

(2) केन्द्रीय बस स्टैंड श्रीगंगानगर के परिसर में सुलभ इन्टरनेशनल कम्पनी द्वारा सुलभ काम्पलेक्स सुविधा उपलब्ध करवा रखी है तथा इसके टायलेट खराब नहीं है । उक्त सुलभ कम्पनी द्वारा यात्रियों से शौचालय हेतु निर्धारित शुल्क वसूल किया जा रहा है जबकि मूत्रालय सुविधा निःशुल्क है। सुलभ काम्पलेक्स सुविधा सुचारु रूप से संचालित है।

राज्य में दलित महिला उत्पीड़न के दर्ज प्रकरण

82. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 6 फरवरी, 2012 तक दलित उत्पीड़न/महिला उत्पीड़न के कितने मुकदमे दर्ज किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि की तुलना में इस वर्ष उक्त मुकदमों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? कमी अथवा वृद्धि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में दर्ज मुकदमों में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पेमाराम)

(4) उक्त प्रकरणों में जांच अधिकारी द्वारा धीमी गति से कार्य करने या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने पर सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1 अप्रेल, 2011 से 6 फरवरी, 2012 तक दलित उत्पीड़न के कुल 5596 व महिला उत्पीड़न के कुल 16007 मुकदमात दर्ज हुये हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट क्रमश: 'अ' एवं 'ब' के कालम संख्या 7 में अंकित हैं।

(2) जी हां। 1 अप्रैल, 2010 से 6 फरवरी, 2011 की तुलना में 1 अप्रैल, 2011 से 6 फरवरी, 2012 तक दलित उत्पीड़न के प्रकरणों में 268 मुकदमों की वृद्धि हुई है, जो 4.99 प्रतिशत हैं तथा महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में 1354 मुकदमों की वृद्धि हुई हैं, जो 9.24 प्रतिशत है। जिलेवार कमी अथवा वृद्धि का विवरण मय प्रतिशत परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' के कालम संख्या 11 व 12 में अंकित है।

(3) 1 अप्रेल, 2011 से 6 फरवरी, 2012 तक की अवधि में प्रदेश में दलित उत्पीड़न के दर्ज कुल मुकदमों 5596 में से 1916 मुकदमों में चालान, 2922 मुकदमों में एफ.आर. तथा 758 मुकदमें अनुसंधानाधीन हैं तथा महिला उत्पीडन के दर्ज कुल मुकदमों 16007 में से 7988 मुकदमों में चालान, 6686 मुकदमों में एफ.आर. तथा 1333 मुकदमें अनुसंधानाधीन हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' के क्रमश: कालम संख्या 4, 5, 6 तथा कालम संख्या 8, 9, 10 पर अंकित है।

(4) दलित उत्पीड़न सम्बन्धी प्रकरण दर्ज होते ही उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जाता है तथा पुलिस अधीक्षक स्तर व उच्च स्तर पर मानिटरिंग होती हैं।

महिला उत्पीड़न के अपराधों में भी पुलिस अधीक्षक स्तर पर मॉनिटरिंग होती हैं। अनियमितता पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही की जाती हैं। इस अवधि में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरतने पर उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराट नगर के वन क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों हेतु सड़क मार्ग

83. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन क्षेत्र से गुजरने वाले बैलगाड़ी व ट्रकों आदि के पुराने रास्तों को पक्का करने का क्या नियम है तथा वन क्षेत्र में प्रमुख पुराने रास्ते होते हुए भी वन विभाग द्वारा उन्हें रोके जाने के समाधान का क्या उपाय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में तालुकाबास से पाछूडाला, आतेला से बासडी गणेशपुरा, तालुकाबास से देवली पुस्तैनी रास्तों पर कितनी भूमि वन विभाग की है तथा क्या एवजी भूमि देने पर पक्की सड़क बनना सम्भव है?

(3) उक्त क्षेत्र में धार्मिक स्थल खादरशाह बाबा से जांगकला रोड तक कितनी भूमि वन विभाग की है तथा क्या पंचायत एवजी भूमि देने के लिए तैयार है? क्या इसका पुस्तैनी रास्ता पक्का बन सकता है? क्या पक्का रास्ता बनने से श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहेगी?

(4) क्या यह सही है कि भिण्डौर एवं धोवाली मन्दिर तक पुस्तैनी रास्ता सैकड़ों वर्षों से बना हुआ है फिर भी वन विभाग रोड नहीं बनने दे रहा है? यदि हां, तो इसका क्या विकल्प है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन क्षेत्रों में से गुजरने वाले पुराने रास्ते को पक्का किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वन क्षेत्र से गुजरने वाले पुराने रास्ते जो वन क्षेत्र अधिसूचित करने की विज्ञप्ति में वर्णित हैं, उनको यथावत उपयोग में लेने पर कोई रोक नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में तालुकाबास से पांचूडाला तक लगभग 1 कि0मी0, आंतेला से बासड़ी गणेशपुर तक लगभग 3 कि.मी. तथा तालुकाबास से देवली तक लगभग 1.5 कि.मी. रास्ता वन क्षेत्र में से होकर गुजरता है। वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रकरण संदर्भित किया जा सकेगा। इन प्रकरणों में भारत सरकार से

(वन मंत्री)

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर एवजी भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता होती है।

(3) धार्मिक स्थल खादरशाह बाबा से जाजेकला रोड तक के रास्ते में लगभग 800 मी. कच्चा रास्ता है जो वन भूमि में है। वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत पक्का रास्ता बनाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) भिण्डौर से धवाली मन्दिर तक लगभग 1.50 कि.मी. पगडन्डी रास्ता वन क्षेत्र में बना हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत सक्षम स्वीकृति के बिना सड़क का निर्माण विधि विरुद्ध कार्यवाही होगा। प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति प्राप्त कर सड़क निर्माण करना विधि सम्मत होगा।

बसेड़ी के कम्प्यूटरीकृत विद्यालय

84. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य के सभी विद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक किया जायेगा?

(4) सरकार द्वारा वर्ष 2008 से जनवरी, 2011 तक कितने कम्प्यूटर कितनी राशि के किस फर्म से किन शर्तों पर क्रय किये गये व इन्हें किस-किस विद्यालय में स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के कितने विद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और शेष को कब कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक कम्प्यूटर शिक्षा देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(शिक्षा मंत्री)

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कल्प योजना के माध्यम से बच्चों की सृजनात्मक शक्ति एवं मूलभूत दक्षताओं को प्रोत्साहित करने के लिये कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) राज्य में माध्यमिक शिक्षा के तहत 4712 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्रारम्भिक शिक्षा के तहत 7310 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। जिलेवार विद्यालयों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आईसीटी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट एवं कार्य योजना के अनुसार चरणबद्ध तरीके से तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत 50 लाख रुपये प्रति जिला प्रतिवर्ष बजट की सीमा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2008 से जनवरी, 2011 तक शिक्षा विभाग के स्तर से विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर क्रय नहीं किये गये, बल्कि प्रत्येक अनुबन्धित फर्म के स्तर से ही BOOT (Build, Operate Own and Transfer) माडल की शर्त पर प्रत्येक विद्यालय में 10-10 कम्प्यूटर स्थापित किये गये। इसके लिए विभाग स्तर से खुली निविदा के माध्यम से न्यूनतम समेकित त्रैमासिक दर स्वीकृत की गयी। इस समेकित त्रैमासिक दर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, स्टेशनरी, जनरेटर, इन्टरनेट, अनुदेशक आदि का मूल्य/मानदेय सम्मिलित है तथा इसका भुगतान भी फर्म को त्रैमासिक किया जाता है। इस कारण फर्म स्तर से स्थापित किये गये कम्प्यूटर के मूल्य की गणना पृथक से किया जाना सम्भव नहीं है। प्रत्येक फर्म द्वारा स्थापित किये गये कम्प्यूटर वाले विद्यालयों के विवरण का परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा वर्ष 2008 से जनवरी, 2011 तक क्रय किए गए कम्प्यूटरों एवं फर्मों का शर्तों सहित विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(5) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के 2 रा.मा.वि. एवं 9 रा.उ.मा.वि. को आईसीटी योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। शेष रहे

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालय को आईसीटी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट एवं कार्य योजना के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकृत किये जायेंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के कल्प कार्यक्रम के तहत 61 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लाभान्वित किया गया है, जिनका विवरण भी परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। शेष रहे विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का विस्तार आगामी वित्तीय वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट एवं कार्य योजना के अनुसार किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) नगरपालिका में गंदे पानी की निकासी हेतु योजना

85. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर की नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ की श्रेणी, एरिया व जनसंख्या तथा वर्तमान में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज व सीवरेज की व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के समक्ष नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज व सीवरेज की कोई योजना विचाराधीन है तथा इस हेतु कोई डीपीआर बनी है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त नगरपालिका क्षेत्र के लोगों को गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीवरेज व ड्रेनेज के लिए राशि स्वीकृत/ विशेष अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कितनी राशि और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका तृतीय श्रेणी की नगरपालिका है परिधिय क्षेत्र 16.26 वर्ग किमी है। नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 53518 है। वर्तमान में गन्दे पानी की निकासी सीमित संसाधनों के द्वारा कुछ स्थानों से गंदा पानी पुख्ता चैम्बरों में डालकर मढ पम्पों/डीजल पम्प सेटों के माध्यम से लिफ्ट द्वारा व नाली/नालों के द्वारा की जा रही है। विवरण निम्न प्रकार है:-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1. वार्ड नं. 10 में चेजारों के कुए के पास चेम्बर मय मढ पम्प के द्वारा।

2. वार्ड नं. 09 में भूतनाथ शमशान घाट के दक्षिण में चेम्बर मय मढ पम्प के द्वारा।

3. वार्ड नं. 05 में मोदी कालेज के सामने चेम्बर व शोखवेल मय दो मढ पम्प के द्वारा।

4. वार्ड नं. 19 व 20 में पुरूषोत्तम चेजारा के घर के पास चेम्बर मय मढ पम्प के द्वारा।

5. वार्ड नं. 22 शोखवेल मय मढ पम्प के द्वारा।

6. वार्ड नं. 28 व 29 मय मढ पम्प के द्वारा।

7. तोदियों की कुई के पीछे गाजी बाबा के पास डीजल पम्प सेट के द्वारा।

8. वार्ड नं. 30 में ब्रह्मीनंद बगीची (खटीकों का जाव) डीजल पम्प सेट के द्वारा।

शेष वार्डों में संसाधनों के अभाव में गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पा रही है। शहर का गन्दा पानी व बरसाती पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज व सीवरेज की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है।

(2) जी हां। लक्ष्मणगढ नगरपालिका क्षेत्र के गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज की राशि 4039.68 लाख की योजना की डीपीआर बनी है।

(3) यू आई डी एस एस एम टी के अन्तर्गत राज्य को आवंटित बजट राशि शेष नहीं रहने के कारण इस योजना की डीपीआर पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

अजमेर जिले में नवजीवन योजनान्तर्गत लाभान्वित समुदाय

86. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में वर्ष 2009-10 से जनवरी, 2012 तक कितनी अवैध शराब पकड़ी गई? क्या सरकार द्वारा ऐसे स्थान या ग्राम चिह्नित किये गये हैं, जहां अवैध शराब का निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है? क्या सरकार द्वारा इस कार्य में लगे समुदाय विशेष के व्यक्ति को भी चिह्नित किया

(श्रीमती अनिता भदेल)

गया है? यदि हां, तो वे स्थान एवं समुदाय कौन से हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के समुदायों का पुनर्वास करने हेतु सरकार द्वारा नवजीवन योजना का संचालन किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना का विस्तार करते हुए इसमें ऐसे समुदायों को भी शामिल किया गया है, जिनका कोई स्थायी आवास अथवा रोजगार नहीं है?

(4) उक्त जिले में नवजीवन योजना के तहत अब तक कितने समुदायों अथवा परिवारों को लाभान्वित किया गया है? उपरोक्त परिवारों के नाम व स्थायी पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त कार्य में कितनी धनराशि गत तीन वर्षों में व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त लाभान्वित परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक छात्रावास खोले जाने का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो अब तक कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई व छात्रावास कहां-कहां खोले गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्ष 2009-10 से जनवरी, 2012 तक की अवधि में पकडी गई अवैध शराब का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	मात्रा (बल्क ली. में)
1.	2009-10	2187.00
2.	2010-11	1246.00
3.	2011-12 (जनवरी, 2012 तक)	1350.05

विभाग द्वारा ऐसे चिन्हित किये गये स्थान एवं व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) इस योजना का विस्तार करते हुये इसमें कंजर एवं सांसी

(आबकारी मंत्री)

समुदायों के अतिरिक्त अन्य समुदायों यथा भाट, भाण्ड, नट, डोम, ढोली व राणा जातियों को भी सम्मिलित किया गया है।

(4) अजमेर जिले में नवजीवन योजना के तहत वर्ष 2009-10 में कुल 164 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है जिनके नाम एवं स्थायी पते की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इस योजना के तहत वर्ष 2010-11 में अजमेर के कुल 176 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। जिनके नाम एवं स्थायी पते की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

अजमेर जिले में वर्ष 2009-10 में 15.44 लाख रुपये की धनराशि तथा वर्ष 2010-11 में 24.08 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष रुपये 20 लाख का बजट प्रावधान है।

(5) जी हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नवजीवन योजना के संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देश 2011 में उक्त चिन्हित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के बच्चों को शैक्षणिक विकास हेतु पूर्व से ही विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर के परिसर में एक छात्रावास खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

मालपुरा (टोंक) में खेलों के विकास हेतु आवंटित राशि

87. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 में बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो किस-किस मद में कितना और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के बजट उपयोगिता की जिलेवार कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो किस-किस जिले को किस-किस मद में कितना-कितना बजट प्रस्तावित किया गया व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में खेलों के विकास हेतु बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना किस-किस मद में और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में खेलों के विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 में युवा मामले एवं खेल विभाग तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर को आवंटित बजट का मदवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. युवा मामले एवं खेल विभाग

क्र.सं.	मद	राशि (लाखों में) आयोजना मद बजट अनुमान
(i)	स्टेडियम निर्माण व विकास कार्य	763.60
(ii)	खेल मैदान, खेल गतिविधि, युवा गतिविधि एवं खिलाड़ियों को अनुदान	561.00
	कुल	**1324.60**

2. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

क्र.सं.	मद	राशि (लाखों में)
(i)	आयोजना मद	200.00
(ii)	आयोजना भिन्न	900.00
	कुल	**1100.00**

(2) जी हां। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में मालपुरा (टोंक) के लिए बजट प्रावधान नहीं है। सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) योजनान्तर्गत प्रथम चरण वर्ष 2008-09 का क्रियान्वयन प्रदेश में वर्ष 2009-10 से आरम्भ हुआ। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में खेलों के विकास हेतु प्रथम चरण में प्रावधान किया गया। आवंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

चयनित ब्लाक पंचायतः-

क्र.सं.	मद	ब्लाक पंचायत	राशि रुपये
1.	एक मुश्त पूंजीगत अनुदान	मालपुरा	5,00,000/-
2.	वार्षिक अनुरक्षन अनुदान	मालपुरा	10,000/-
3.	वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान	मालपुरा	12,000/-
4.	वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता	मालपुरा	50,000 (2009-10) 50,000 (2010-11)

चयनित ग्राम पंचायतः-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	एक मुश्त पूंजीगत अनुदान	वार्षिक अनुरक्षन अनुदान	वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान
1.	डिग्गी	1,00,000/-	5,000/-	6,000/-
2.	लाम्बा हरीसिंह	1,00,000/-	5,000/-	6,000/-
3.	लावा	1,00,000/-	5,000/-	6,000/-
4.	पचेवर	1,00,000/-	5,000/-	6,000/-
5.	राजपुरा	1,00,000/-	5,000/-	6,000/-
6.	टोरडी	1,00,000/-	5,000/-	6,000/-
7.	भासू	1,00,000/-	5,000/-	6,000/-

परिशिष्ट 'क'

स्टेडियम निर्माण व विकास कार्य की जिलेवार योजना एवं स्वीकृत राशि

क्र.सं.	जिले का नाम	राशि (लाखों में)
1.	जयपुर	40.00
2.	उदयपुर	140.00
3.	जालौर	30.00
4.	नागौर	29.00
5.	अजमेर	20.00

क्र.सं.	जिले का नाम	राशि (लाखों में)
6.	करोली	50.00
7.	बून्दी	30.00
8.	पाली	30.00
9.	बारां	61.00
10.	भरतपुर	215.00
11.	बासवाड़ा	10.00
12.	डूंगरपुर	10.00
13.	प्रतापगढ़	10.00
14.	जैसलमेर	15.00
15.	पाली	10.00
16.	सीकर	50.00
17.	जोधपुर	13.60
	कुल	763.60

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय योजना आयोग से राज्य को स्वीकृत एवं प्राप्त राशि

83. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003 से 2011 तक केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा राज्य को किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी? वर्षवार/योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत उक्त राशि में से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि राज्य को उपलब्ध हुई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में व्यय की गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में ऐसी कितनी योजनाएं हैं, जिनमें केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना में कम राशि राज्य को प्राप्त हुई? कम राशि प्राप्त होने के क्या कारण रहे तथा कम राशि प्राप्त होने पर पूरी राशि प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये? योजनावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 से 2010-11 तक योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य को स्वीकृत राशि का वर्षवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) योजना आयोग से स्वीकृत उक्त राशि में से वर्ष व योजनावार राज्य को उपलब्ध राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में शामिल है।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से राज्य सरकार द्वारा वर्ष व योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(4) सूचना परिशिष्ट-1 के अनुसार।

परिशिष्ट-1

योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त राशि के विरुद्ध वर्षवार व्यय राशि की सूचना

(राशि करोड़ रुपये)

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित/ अनुमोदित/ स्वीकृत राशि	राज्य को प्राप्त राशि	व्यय राशि (वर्ष/राशि)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	2003-04	मिड-डे-मील	30.00	30.00	2003-04/30.00	
		गंग कैनल का आधुनिकीकरण	10.00	10.00	2003-04/10.00	
		खादी एवं ग्रामोद्योग	5.00	5.00	2003-04/2.50	
					2005-06/2.26 (0.24 करोड़ रुपये राज्य सरकार को वापिस लौटाये)	
		संस्कृत विश्वविद्यालय	5.00	5.00	3.69 (1.31 करोड़ रुपये राज्य सरकार को वापिस लौटाये)	

1	2	3	4	5	6	7
2	2004-05	धौलपुर गैस परियोजना चरण-प्रथम	59.23	59.23	59.23	
3	2005-06	गिरल परियोजना फेज-प्रथम	35.00	10.50	10.50	स्वीकृत राशि में से 30 प्रतिशत ही अनुदान के रूप में प्राप्त होनी थी।
		तकनिकी विश्वविद्यालय	5.00	1.50	2005-06/0.43 2006-07/0.43 2007-08/0.64	
		एस.एम.एस. अस्पताल	5.00	1.50	1.50	
		मेडिकल विश्वविद्यालय	5.00	1.50	1.50	
		पूरक पोषाहार	10.00	3.00	3.00	
4	2006-07	छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-प्रथम	60.00	-		भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये
5	2007-08	सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट इकाई-6	70.00	-		भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये
6	2008-09	छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-प्रथम एवं द्वितीय	100.00	30.00	30.00	
		केलादेवी नेशनल पार्क के लिए गौवर्धन ड्रेन	20.00	6.00		

1	2	3	4	5	6	7
7	2009-10	केलादेवी नेशनल पार्क के लिए गौवर्धन ड्रेन	33.80	-	व्यय क्रम संख्या-8 में शामिल	राशि 44.76 करोड़ रुपये वर्ष 2010-11 में प्राप्त हुए।
		गिरल लिग्नाईट थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज-द्वितीय	73.78	-		भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये
		पूर्ववर्ती आधारभूत संरचना विकास हेतु विकास योजना अन्तर्गत खेल विभाग के कार्यों को पूर्ण करने हेतु	2.42	-		इस राशि का उक्त वर्ष बजटीय आबंटन किया गया था। यह राशि खेलों हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण के लिये थी। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष खेलों हेतु आधारभूत संरचना की परियोजना प्रारम्भ की जिसके तहत 4.50 करोड़ की राशि राज्य सरकार को हस्तान्तरित की जा चुकी है।
8	2010-11	दरगाह एवं आनासागर झील, अजमेर का विकास	20.00	17.90	राशि नगर निगम, अजमेर को हस्तान्तरित लेकिन अभी व्यय नहीं	

1	2	3	4	5	6	7
8	2010-11	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के भवन का निर्माण	30.00	32.10	2010-11/0.13	
					2011-12/16.51 (दिसम्बर, 11 तक)	
		गौवर्धन ड्रेन		44.76	2009-10/0.04	
					2011-12/20.56 (जनवरी, 12 तक)	

प्रतापगढ़ जिले में हवाई पट्‌टी निर्माण कार्य

84. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रतापगढ़ जिले में हवाई पट्‌टी के निर्माण कराये जाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो जनवरी 2012 तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई तथा घोषणा के क्रियान्वयन की वर्तमान प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जनवरी, 2012 तक प्रतापगढ़ जिले में हवाई पट्‌टी के निर्माण हेतु ग्राम वरमण्डल एवं नाथुखेडी के पास भूमि हवाई पट्‌टी के लिए उपयुक्त पाई गई है तथा हवाई पट्‌टी निर्माण हेतु 925.44 लाख की राशि व्यय करने की सहमति प्रदान की गई है जिसमें से वर्ष 2011-12 के लिए राशि 370 लाख का प्रावधान कर दिया गया है। चरागाह किस्म भूमि को हवाई पट्‌टी के लिए आवंटित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न संख्या-85

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-86

(स्थगित)

जयपुर नगर निगम की गांधी विहार आवासीय योजना सांगानेर, जयपुर में आबंटित भू-खण्ड

87. श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम जयपुर की गांधी विहार आवासीय योजना (सांगानेर, जयपुर) की लाटरी में प्लाट संख्या 86 किसके नाम आबंटित हुआ?

(2) उपरोक्त भूखण्डों के आबंटियों को अब तक आवंटन पत्र किस कारण से जारी नहीं किये गये?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त के संदर्भ में तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नगर निगम, जयपुर) द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 3/सीईओ/सा/प्र/जननि/06/421 दिनांक 28 जुलाई, 2006 द्वारा तत्कालीन

(श्री गंगासहाय शर्मा)

आयुक्त मोती डूंगरी जोन को लिखा गया था? यदि हां, तो मूल आबंटी के आवंटन पत्र लम्बित होने के विषय में विस्तृत टिप्पणी मय पत्रावली की प्रति के सदन की मेज पर रखें व अब तक इस बारे में क्या प्रगति हुई?

(4) सरकार द्वारा अब उक्त आबंटी को आवंटन पत्र कब तक जारी कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) गांधी विहार आवासीय योजना (सांगानेर जयपुर) की लाटरी में प्लाट संख्या 86 श्री विनोद जोशी पुत्र श्री बजरंग लाल जोशी को आबंटित हुआ था।

(2) उपरोक्त आवंटी के द्वारा बार-बार पता बदलने से एवं समय पर राशि जमा नहीं होने के कारण आबंटन पत्र जारी नहीं किया जा सका तथा दिनांक 18.07.11 को आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

(3) जी हां। मूल आवंटी के आबंटन पत्र लम्बित होने के विषय में विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं संबंधित पत्रावली की छाया प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अधिशासी अधिकारी, सिरोही नगरपालिका के विरुद्ध कार्यवाही

88. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी, पालिका अध्यक्ष एवं पालिका मण्डल की स्वीकृति के बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही नगरपालिका द्वारा दिनांक 04 नवम्बर, 2011 को अनापत्ति पत्र क्रमांक नपासी/भूमि विक्रय/2011-12/3511 जारी किया गया है? यदि हां, तो जारी पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनापत्ति पत्र बगैर पालिकाध्यक्ष की स्वीकृति एवं मण्डल प्रस्ताव के जारी कर अधिशासी अधिकारी ने नियम विरुद्ध कार्य किया है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

(4) उक्त संबंध में पालिकाध्यक्ष द्वारा स्वायत्त शासन मंत्री को 20 जनवरी, 2012 को लिखे गये पत्र पर क्या कार्रवाई की गई? पत्र की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 व उसके अन्तर्गत बने नियमों में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में कोई विशिष्ठ प्रावधान नहीं हैं। अधिशासी अधिकारी प्रक्रियात्मक प्रशासनिक शक्तियों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया करते हैं।

(2) जी हां । नगरपालिका सिरोही द्वारा जारी पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(3) जी नही । सिरोही-1 की खसरा नम्बर 1008 व 1009 राजस्व भूमि में से 0.32 हेक्टर भूमि देवनारायण आदर्श छात्रावास सिरोही के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आबंटन करने हेतु अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सिरोही द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

(4) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 3 के उत्तर में निहित है। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, सिरोही (राज.)

क्रमांक/नपासि/भूमि विक्रय/2011/3511 दिनांक 03.11.2011

श्रीमान जिला कलक्टर

सिरोही

विषय :- देवनारायण आदर्श छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 5128-30 दिनांक 30.09.2011

उपरोक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सिरोही-1 की खसरा नम्बर 1008 व 1009 राजस्व भूमि में से 0.32 हेक्टर भूमि देवनारायण आदर्श छात्रावास सिरोही के निर्माण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आबंटित की जाती है तो नगरपालिका सिरोही को कोई आपति नहीं है।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका सिरोही

परिशिष्ट 'ब'

जयश्री राठौड़
अध्यक्ष
नगर पालिका मण्डल, सिरोही

दूरभाष : 222270 (O), 222271 (R)
मोबाइल : 9460016707
निवास : नयावास नं. 2
एन.एस.पी. स्कूल के पास
सिरोही-307001 (राजस्थान)

क्रमांक : /नपासि/ दिनांक 28/1/12

सेवा में,

माननीय श्री शांती धारीवाल साहब,
स्वायत्त शासन एवं नगरीय आवास विकास मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :- देवनारायण आदर्श छात्रावास हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग : पालिका पत्र क्रमांक/नपासी/भूमि विक्रय/2011-12/3511 दिनांक 04-11-2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है, साथ ही इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पालिका सीमा में स्थित सिरोही-1 की खसरा नम्बर 1008 व 1009 राजस्व भूमि में से 0.32 हेक्टर भूमि देवनारायण आदर्श छात्रावास सिरोही के निर्माण के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रासंगिक-पत्र के जरिये पालिका अधिशासी अधिकारी श्री ललितसिंह देथा द्वारा मेरे ध्यान में लाये बगैर ही अपने स्तर पर एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) जारी किया है, जो निम्न हस्ताक्षरकर्ता व मण्डल के अधिकारों का सरासर उल्लंघन किया है।

पालिका सीमा में स्थित किसी भी प्रकार की जमीन आबंटन करने के सम्बन्ध में एन.ओ.सी. जारी करने से पहले अध्यक्ष या मण्डल से अनुमोदन होना आवश्यक होता है क्योंकि अध्यक्ष व मण्डल ही इसके लिये सक्षम व सर्वोपरि है। चूंकि यह खसरा नम्बर आवासीय कालोनी के बीच आया हुआ है एवं यह पालिका में आवासीय भू-खण्डों के लिये प्रस्तावित भी है, इसलिये अधिशासी अधिकारी श्री ललितसिंह देथा द्वारा अपने स्तर पर जारी की गई एन.ओ.सी. निरस्त करना फरमावें साथ ही अपने अधिकारों से परे होकर यह कृत्य किया है जो खेदजनक है।

अत: इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए नियम के खिलाफ कार्य करने पर इनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

सादर सहित धन्यवाद।

श्रीमती जयश्री राठौड़
अध्यक्षा
नगरपालिका मण्डल, सिरोही

शिवगंज नगरपालिका में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय राशि

89. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही की नगरपालिका शिवगंज क्षेत्र में वर्तमान में कितनी सार्वजनिक हाई मास्क लाइट कब लगाई गई और उक्त का मेन्टेनेन्स यथा बिजली बिल भुगतान एवं रख-रखाव किसके द्वारा किया जा रहा है तथा इसके निमित्त प्रति माह कितना भुगतान किसके द्वारा वहन किया जा रहा है? इस हेतु प्रावधान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका शिवगंज क्षेत्र में वर्तमान में किस वार्ड में सार्वजनिक रूप से कितने विद्युत पोलों पर रोशनी की व्यवस्था है? वार्डवार एवं रोशनी के पोइंटवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वार्डों में सार्वजनिक रूप से हो रही रोशनी की व्यवस्था से प्रतिमाह कितनी यूनिट विद्युत व्यय हो रही है एवं उसके लिये कितना व्यय किसके द्वारा वहन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका शिवगंज क्षेत्र में वर्तमान में 2 सार्वजनिक हाइमास्क लाइट दिनांक 20.6.11 को लगाई गई। उक्त का मेन्टेनेन्स एवं रख-रखाव नगरपालिका, शिवगंज द्वारा किया जा रहा है। इन हाइमास्क लाइट्स का बिजली का बिल शहर में लगी अन्य लाइट्स के बिल में ही शामिल होता है। अत: पृथक से हाइमास्क लाइट्स के बिल की राशि का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है। बिजली बिल का भुगतान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपकर की वसूल की गई राशि में समायोजन कर किया जा रहा है। भुगतान हेतु प्रावधान के आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नगरपालिका क्षेत्र में वर्तमान में 20 वार्डो में सार्वजनिक रूप से 1698 विद्युत पोलों पर रोशनी की व्यवस्था है। वार्डवार एवं रोशनी के पोइंन्टवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त वार्डों में सार्वजनिक रूप से हो रही रोशनी की व्यवस्था से प्रतिमाह लगभग 35000 यूनिट विद्युत खर्च हो रही है एवं उसके लिए लगभग 126000 रुपये विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपकर की वसूल की गई राशि में से समायोजन किया जा रहा है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा नगर निगम द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता

90. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में नगर निगम व यू.आई.टी. कोटा द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन सड़कों की कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष मंत्री महोदय के कोटा दौरे के दौरान नगर निगम व यू.आई.टी. के अभियंताओं को निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को और क्यों तथा कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निलम्बित अभियंताओं में से कितने अभियंताओं को पुन: बहाल किया गया? बहाल करने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त निलंबन के बाद उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या किसी प्रकार की जांच की गई? क्या उक्त अधिकारियों को जांच में दोषी पाया गया? यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई? जांच की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त सड़कों की गुणवत्ता की जांच कराई गई थी? यदि हां, तो किस एजेंसी से व नहीं, तो क्या सरकार कोटा शहर की उक्त सड़कों की गुणवत्ता की जांच ए.सी.बी. या किसी अन्य एजेंसी से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगर विकास न्यास क्षेत्र रामपुरा के वार्ड नम्बर 52 में सडकों की गुणवत्ता बाबत शिकायतें दिनांक 5.1.2011 को प्राप्त हुई थी एवं

(स्वायत्त शासन मंत्री)

मंत्री महोदय द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के समय गुणवत्ता संबंधी मामला सामने आया था ।

(2) जी हां । श्री लक्ष्मण पंवार अधिशासी अभियतां एवं श्री कृष्ण गोपाल नागर सहायक अभियंता को नगरीय विकास विभाग के पत्र संख्या प1 (25)नविवि/॥/2010 दिनांक 4.1.11 के द्वारा एवं श्री ओ.पी. वर्मा अधिशासी अभिन्यता व श्री महेन्द्र माथुर अधिशाषी अभिंयता को नगरीय विकास विभाग के पत्र संख्या एफ 4/स्था/2010/4644 दिनांक 6.9.10 के द्वारा एवं श्री मोहनलाल गोयल कनिष्ठ अभियंता को पत्र क्रमांक एफ 4/स्था/2011/6310-16 दिनांक 4.1.11 के द्वारा निलम्बित किया गया था ।

नगर निगम कोटा के श्री भूपेन्द्र माथुर अधिशाषी अभियंता को निदेशालय के पत्र संख्या एफ2(घ)( ) जांच/आरएमएस/10/2791-2800 दिनांक 06.09.10 को निलम्बित किया गया था।

(3) उक्त अभियंताओं में से श्री लक्ष्मण पंवार अधिशासी अधिकारी को दिनांक 2.5.11 ओ.पी. वर्मा को दिनांक 1.10.2010, श्री महेन्द्र माथुर 28.3.11 एवं श्री के. जी. नागर सहायक अभियंता को दिनांक 23.6.11 के द्वारा बहाल किया गया।

श्री भूपेन्द्र माथुर अधिशासी अभियंता को आदेश संख्या एफ2(घ)( ) जांच/आरएमएस/10/3267-75 दिनांक 18.10.10 के द्वारा निलम्बन आदेश को प्रत्याहारित(विथड्रा) किया गया है।

(4) नगर सुधार न्यास कोटा के अभियंताओं के विरूद्व जांच लम्बित है।

(5) नगर विकास न्यास में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच करने हेतु एक गुणवत्ता सेल का गठन कर रखा है, जिसमें आकस्मिक रूप से जांच कार्य किया जाता है ।

धाऊवास, अजमेर रोड, जयपुर के भू-खण्ड 1 एवं 2 का कब्जा पत्र एवं लीज डीड

91. **श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम धाऊवास, अजमेर रोड, जयपुर के दूसरे चरण में विधान सभा नगर विस्तार योजना में आवंटित भू-खण्ड संख्या-1 एवं 2 का कब्जा पत्र एवं लीज डीड जारी करने हेतु कब्जा किये गये अन्य खातेदार ने दिनांक 13 जुलाई, 2011 को एक

(श्रीमती सज्जन कटारा)

समर्पणनामा प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो समर्पणनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या समर्पणनामा प्रस्तुत होने के बाद प्राधिकरण ने उक्त भूखण्डधारियों को कब्जा पत्र एवं लीज डीड जारी कर दी? यदि हां, तो कब? कब्जा पत्र एवं लीज डीड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक कब्जा पत्र एवं लीज डीड जारी नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की प्रति मय कार्यालय टिप्पण के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भूखण्डधारियों को शीघ्र कब्जा पत्र एवं लीज डीड जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा ग्राम धाऊवास, अजमेर रोड, जयपुर के दूसरे चरण में विधान सभा नगर विस्तार योजना में आबंटित भू-खण्ड संख्या-1 एवं 2 का कब्जा पत्र एवं लीज डीड जारी करने हेतु कब्जा किये अन्य खातेदार ने दिनांक 13 जुलाई, 2011 को एक समर्पणनामा प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। समर्पणनामा प्रस्तुत होने के बाद प्राधिकरण ने उक्त भू-खण्ड संख्या-1 एवं 2 योजना विधान सभा नगर विस्तार का कब्जा पत्र दिनांक 27.02.2012 को जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है एवं लीज डीड जारी नहीं की गई है।

(3) पूर्व में लीज डीड जारी नहीं करने का कारण मौके पर पूर्ण क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होना रहा है एवं अब कब्जा पत्र जारी करके लीज डीड हेतु स्टाम्प प्रस्तुत करने हेतु भूखण्डधारी को सूचित कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की प्रति मय कार्यालय टिप्पणी, परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। भू-खण्ड संख्या 1 व 2 विधान सभा नगर विस्तार का कब्जा पत्र दिनांक 27.02.2012 को जारी किया गया है। लीज डीड जारी करने हेतु स्टाम्प प्रस्तुत करने हेतु भूखण्डधारी को सूचित कर दिया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच

92. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच क्वालिटी कंट्रोल लैब एवं विशेषज्ञों की टीम द्वारा करवाई जाती है? यदि हां, तो गत छह महीनों में किस-किस सड़क की कब-कब जांच की गई एवं क्वालिटी कंट्रोल लैब एवं विशेषज्ञ टीम ने उनकी क्या जांच रिपोर्ट दी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में नमूने फेल होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच क्वालिटी कन्ट्रोल लैब एवं विशेषज्ञों की टीम द्वारा करवाई जाती है। गत 6 माह में क्वालिटी कन्ट्रोल लैब एवं विशेषज्ञों द्वारा लिए गए नमूनों एवं उनकी परीक्षण की रिपोर्ट परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

शुभाशीष ग्रुप हाउसिंग योजना द्वारा जयसिंहपुरा रोड भांकरोटा कला, जयपुर की आवासीय योजना

93. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शुभाशीष ग्रुप हाउसिंग योजना द्वारा जयसिंहपुरा रोड भांकरोटा कला अजमेर रोड तहसील सांगानेर, जयपुर जोन द्वितीय में आवासीय योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त आवासीय योजना हेतु भूमि कब-कब एवं किस-किस खसरा नंम्बर की खरीदी गई? खरीदी गई भूमि के मालिकाना हक सहित भूमि की किस्म का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय योजना हेतु क्रय की गई

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

भूमि नाले की थी? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त भूमि की 90-बी की कार्यवाही करने की इजाजत दी गई? यदि हां, तो किस नियम के तहत एवं किस स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा?

(3) क्या यह भी सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नदी/नालों की भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं करने के आदेश के विरुद्ध उक्त भूमि पर आवासीय योजना स्वीकृत कर दी गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(4) क्या सरकार उक्त अवैध रूप से नदी/नाले की जमीन पर बनाई गई आवासीय योजना को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम भांकरोटा एवं चिमनपुरा तहसील सांगानेर में शुभाशीष ग्रुप हाउसिंग योजना की 90बी सम्बन्धित खातेदार द्वारा कराई जाकर योजना का अनुमोदन करा लीज डीड प्राप्त की गई थी। उक्त योजना में आवेदित खसरा नम्बरों, उनकी किस्म एवं क्रय की दिनांक एवं मालिकाना हक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि किस्म/नालों की नहीं है। अतः उक्त योजना की 90बी की कार्यवाही सक्षम अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-11 द्वारा दिनांक 03.12.2005 को की गई है। छाया प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि किस्म नदी/नालों की नहीं है।

(4) वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि किस्म नदी/नालों की नहीं है। अतः निरस्त किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा बसाई गई कालोनियां

94. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर शहर में गत 20 वर्षों में नगर सुधार न्यास द्वारा नियोजित रूप से बसाई गई आवासीय कालोनियां अथवा योजनाएं कौन-कौनसी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

(2) उक्त कालोनियों में भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया प्रथम बार कब हुई? प्रत्येक आवासीय कालोनी का विवरण पृथक से सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं हेतु निजी खातेदार की कितनी भूमि अवाप्त की गई? योजनानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सभी योजनाओं में लैण्ड फारलेण्ड के मामले न्यास की नेगोसिएशन कमेटी में विस्तारित होने के बाद अनुमोदन के लिये नगरीय विकास विभाग के स्तर पर लम्बित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यास द्वारा गत 20 वर्षों में बसाई गई योजनाऐं निम्न प्रकार है :-

1. गणेश गुवाडी
2. चन्द्रबरदाई नगर
3. कोटडा
4. हरिभाऊ उपाध्याय नगर योजना मुख्य
5. ज्वाला प्रसाद नगर
6. बी.के. कौल नगर
7. महाराणा प्रताप नगर
8. पृथ्वीराज नगर

(2) न्यास की कालोनियों में भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया (प्रथम बार) का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रथम आबंटन वर्ष
1.	गणेश गुवाडी	1995
2.	चन्द्रबरदाई नगर	1996
3.	कोटडा	1997
4.	हरिभाऊ उपाध्याय नगर योजना मुख्य	1998
5.	ज्वाला प्रसाद नगर	1999
6.	बी.के. कौल नगर	1998
7.	महाराणा प्रताप नगर	2002
8.	पृथ्वीराज नगर	2007

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) गत 20 वर्षों में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निम्न योजनाओं की अवाप्ति कार्यवाही की गई है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	अवार्ड दिनांक	खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल
1.	पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना	12.07.05	379-02-08
2.	चन्द्रबरदाई नगर योजना	19.02.94	604-09-12
3.	हरिभाऊ उपाध्याय नगर योजना मुख्य	19.11.96	567-03-00
4.	कोटडा आवासीय योजना	29.03.2000	78-14-10
5.	बी.के. कौल नगर आवासीय योजना	11.09.96	293-11-10
6.	ज्वाला प्रसाद नगर योजना	03.08.1993	136-18-10

उक्त योजनाओं में से महाराणा प्रताप नगर योजना सिवायचक भूमि का भाग है।

(4) यह सही नहीं कि उक्त सभी योजनाओं में लेण्ड फोर लेण्ड के मामले राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित हो वरन् निम्न योजनाओं में ही निम्नानुसार प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर अनुमोदन हेतु लम्बित है।

क्र.सं.	योजना का नाम	लम्बित प्रकरण की संख्या
1.	पृथ्वीराज नगर योजना	62
2.	चन्द्रबरदाई नगर योजना	03
3.	हरिभाऊ, उपा. नगर आवासीय योजना मुख्य	13
4.	कोटडा आवासीय योजना	01
5.	बी.के. कौल नगर आवा. योजना	15

राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित प्रकरण नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के लिए गठित मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के समक्ष राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधानों के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अनुसार परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत किए जाते हैं। उक्त समिति का पुनर्गठन दिनांक 23.12.2011 को किया गया है। इन प्रकरणों को एम्पावर्ड समिति के समक्ष रखने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सोजत सिटी के ऐतिहासिक स्थलों का सौन्दर्यकरण

95. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार तहसील सोजत की नगरपालिका सोजत सिटी के तालाब के सौन्दर्यकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त तालाब का सौन्दर्यकरण कब से प्रारम्भ कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील सोजत के नरसींग भाकरी व चामुण्डा भाकरी को ऐतिहासिक किलों के सौन्दर्यकरण हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

किशनगढ़ बास (अलवर) में संचालित खेल योजनाएं

96. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन-कौनसी योजनायें संचालित हैं तथा इन पर गत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर खेल मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण करवाया गया तथा उक्त पर गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व नहीं, तो क्यों? तथा अब सरकार उक्त क्षेत्र में कहां-कहां खेल मैदान एवं स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2009-10 से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" (PYKKA) आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में प्रारम्भ से अब तक आबंटित राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मद	आवंटित राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	एक मुश्त पूंजीगत अनुदान	5.50	3.22
2.	वार्षिक अनुरक्षण/प्रचलनात्मक अनुदान	1.10	1.10
3.	वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान 2009-10 2010-11	1.00 1.00	0.67 1.00
	कुल योग	**8.60**	**5.99**

(2) पायका योजना में नये खेल मैदानों एवं स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जाता है। तथापि पूर्व से निर्मित खेल मैदानों के विकास के कार्य किये जाते हैं।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के प्रथम चरण में खेल मैदानों के विकास पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

इस प्रकार इस योजना में वर्ष 2016-17 तक कुल 9 चरणों में जनसंख्या की प्राथमिकता से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की समस्त ग्राम पंचायतों में पूर्व से उपलब्ध खेल मैदान का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-क

किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र में पायका योजना के प्रथम चरण में खेल मैदानों के विकास पर किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	चयनित ब्लाक/ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	व्यय राशि (राशि लाखों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	बाघोडा (किशनगढ़)	0.50	0.49136	पूर्ण
2	मूसाखेड़ा (किशनगढ़)	0.50	0	विद्यालय में खेल मैदान न होने की वजह से तकमीना/टी.एस. प्राप्त नहीं, इस कारण वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं, मात्र प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी।
3	किशनगढ़ बास (किशनगढ़)	0.50	0.49574	पूर्ण
4	सिरमोली (किशनगढ़)	0.50	0	राशि वापिस प्राप्त होने के कारण निरस्त
5	पाटनमेवान (किशनगढ़)	0.50	0.44615	पूर्ण
6	गंज (किशनगढ़)	0.50	0.49136	पूर्ण
7	कोटकासिम (कोटकासिम)	0.50	0.49885	पूर्ण
8	हरसोली (कोटकासिम)	0.50	0.50	पूर्ण
9	जटियाना (कोटकासिम)	0.50	0	राशि वापिस प्राप्त होने के कारण निरस्त
10	जौडिया (कोटकासिम)	0.50	0.30	प्रगति पर
11	किशनगढ़ बास सिटी (किशनगढ़)	0.50	0	राशि वापिस प्राप्त होने के कारण निरस्त
	योग	**5.50**	**3.22446**	

जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम के विकास हेतु व्यय राशि

97. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विद्याधर नगर, जयपुर के स्टेडियम पर विगत तीन वर्षों में कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्टेडियम पर नियमित खेलों के अभ्यास हेतु कितने प्रशिक्षक कब से पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्टेडियम को खेलों के अतिरिक्त किस कार्य हेतु वर्ष 2009 से 2011 तक काम में लिया गया?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विद्याधर नगर स्टेडियम पर श्री करण सिंह, हैण्डबाल प्रशिक्षक दिनांक 27.10.2010 से एवं श्री मानसिंह, अनुबंधित बाक्सिंग प्रशिक्षक दिनांक 13.11.2009 से कार्यरत हैं।

(3) विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

विद्याधर नगर, जयपुर के स्टेडियम पर विगत तीन वर्षों में कार्यवार व्यय विवरण

विद्याधर नगर, जयपुर के स्टेडियम पर कार्यकारी एजेन्सी, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर के पत्रांक आविलि/प-120/2011-12/4241 दिनांक 24.02.2012 द्वारा दिये गये विवरण अनुसार विगत तीन वर्षों में कार्यवार व्यय का ब्यौरा निम्न है

क्र. सं.	कार्य विवरण	व्यय राशि 2009-10 (लाखों में)	व्यय राशि 2010-11 (लाखों में)	व्यय राशि 2011-12 (लाखों में)	योग
1	दर्शक दीर्घा निर्माण	23.26	-	-	23.26
2	कार्यालय भवन निर्माण	75.46	-	-	75.46

क्र. सं.	कार्य विवरण	व्यय राशि 2009-10 (लाखों में)	व्यय राशि 2010-11 (लाखों में)	व्यय राशि 2011-12 (लाखों में)	योग
3	दो वालीबाल मैदानों, दो कबड्डी मैदानों, खो-खो मैदान, बास्केटबाल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, हैण्डबाल मैदान का निर्माण/पुनःरूद्वार कार्य।	06.72	0.52	-	07.24
4	निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था	02.56	01.39	01.19	05.14
	कुल योग	**108.00**	**01.91**	**01.19**	**111.10**

परिशिष्ट-ख

विद्याधर नगर स्टेडियम का खेलों के अतिरिक्त गतिविधियों के आयोजन हेतु वर्ष 2009 से 2011 तक आवंटित/अनुमति दी गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	नाम विभाग/संस्था	गतिविधि का नाम	दिनांक
1.	प्रदेश सचिव, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान डी-170, भृगु मार्ग, जयपुर।	बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश का हैलीकाप्टर स्टेडियम में उतारने की अनुमति दी गई।	14.04.09
2.	प्रदेश संयोजक एवं पूर्व सदस्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग 7-हनुमान नगर विस्तार, खातीपुरा, जयपुर।	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एण्ड अल्पसंख्यक फैडरेशन नई दिल्ली को राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन हेतु अनुमति दी गई।	25.12.09 से 29.12.09 तक

क्र. सं.	नाम विभाग/संस्था	गतिविधि का नाम	दिनांक
3.	अध्यक्ष, मंसूरी पंचायत संस्था, राजस्थान मस्जिद टोंक रिसाला मोती अटल रोड, जयपुर।	आल इण्डिया राजस्थान मुस्लिम रिजर्वेशन कान्फ्रेन्स के आयोजन हेतु अनुमति दी गई।	21.09.11 से 25.09.11 तक

राजगढ़ (अलवर) तहसील क्षेत्र में आबंटित खनन लीज प्रकरण

98. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी बारा क्वेरी लेबर कोन्ट्रेक्ट को-आपरेटिव सोसाइटी लि. ग्राम बारा भडकोल तहसील राजगढ़ जिला अलवर को खनन पटटे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब व किन-किन स्थानों पर? ग्राम का नाम, तहसील आबंटित क्षेत्र एवं स्थान के नक्शे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सोसाइटी को आबंटित खनन क्षेत्र का कुछ भाग वन क्षेत्र में आने के कारण सरकार द्वारा खनन कार्य पर रोक लगा दी गयी है? यदि हां, तो क्या बंद खनन क्षेत्र की लीज राशि सोसाइटी से वसूली की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कितनी राशि किन कारणों/आधार पर वसूल की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि वन क्षेत्र में आने के कारण बंद हुई खानों का बंद अवधि की लीज राशि वसूल नहीं किये जाने के आदेश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि खनन पट्टों की लीज अवधि बढ़ाने के संबंध में सरकार द्वारा कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सोसाइटी को आबंटित खनन क्षेत्र की लीज अवधि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । दी बारा क्वेरी लेबर कोन्ट्रेक्ट को-आपरेटिव सोसायटी लि. ग्राम बारा भडकोल तहसील राजगढ़ जिला अलवर को खनन पट्टा जारी किया गया था । उक्त खनन पट्टा दिनांक 01.04.1953 को ग्राम छिरोली, बूटोली, डोरोली ग्रुप तहसील अलवर, राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ में 25.5 वर्गमील क्षेत्रफल के लिए आवंटित किया गया। आबंटित क्षेत्र का नक्शा एवं विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 की अनुपालना में उक्त खनन पट्टा वन क्षेत्र में आने के कारण खनन कार्य पर रोक लगा दी गई । वन विभाग के पत्र दिनांक 29.10.1997 द्वारा खनन पटटे का आंशिक क्षेत्र ब्लाक नं. 6 बिलन्दी, वन भूमि नहीं होना बताया, जिसके आधार पर दिनांक 29.11.1997 को वन रहित क्षेत्र में पुनः खनन कार्य की अनुमति दी गई । बन्द अवधि की सोसायटी से स्थिरभाटक की वसूली नहीं की जा रही है ।

(3) जी हां । राज्य सरकार द्वारा इस आशय के आदेश पारित किये कि ऐसे खनन पट्टे, जिनका सम्पूर्ण क्षेत्र वन भूमि में आता है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 की पालना में खनन कार्य बंद कराया गया है, उन सभी खनन पटटों में बंद अवधि का स्थिरभाटक वसूल नहीं किया जावेगा। साथ ही ऐसे स्वीकृत खनन पटटे, जिनमें कुछ भाग में वन क्षेत्र एवं कुछ भाग में वन क्षेत्र नहीं है तथा 12.12.1996 के बाद बंद हो गया है तो उससे भी स्थिरभाटक वसूल नहीं किया जायेगा। आदेश दिनांक 06.04.1998, 14.06.1999 व 29.12.1999 की छाया प्रतियां परिशिष्ट-3, 4, 5 पर उपलब्ध है ।

(4) खनन पटटे में शर्तें पूरी होने पर प्रभावी खनन पट्टों की अवधि 10 वर्ष बढ़ाकर 20 वर्ष किये जाने का निर्णय खनिज नीति, 1994 में किया था तथा 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किये जाने का निर्णय खनिज नीति, 2011 में किया गया, जिसके आधार पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 16(2) में संशोधन किये गये । नियम 16(2) में किये गये उक्त प्रावधानों की प्रतियां परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध हैं।

(5) सोसायटी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे का नवीनीकरण आवेदन पत्र निदेशालय के आदेश दिनांक 22.06.2004 से अस्वीकृत किये जाने एवं क्षेत्र का कब्जा दिनांक 11.07.2004 को लिया जा चुका है । अतः खनन पट्टा प्रभावी न रहने के कारण इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है ।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

वर्ष 2011 में दर्ज आपराधिक प्रकरण

99. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) **व रोहिताश कुमार** (बानसूर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2009 के मुकाबले 2010 में और वर्ष 2010 के मुकाबले 2011 में हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, देह व्यापार, मानव तस्करी, बलवा इत्यादि में वृद्धि/कमी हुई? यदि हां, तो कितने-कितने प्रतिशत? वर्षवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में अनुसंधान की समय सीमा निर्धारित की हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब सरकार समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है?

(3) वर्ष 2011 में उपरोक्त विषयक दर्ज कितने-कितने मुकदमों में चालान पेश किये जा चुके हैं?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 2011 में उपरोक्त विषयक दर्ज किये गये प्रकरणों में किये गये चालानों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग (माह दिसम्बर तक)			कमी/वृद्धि		कमी/वृद्धि का प्रतिशत		वर्ष 2011 में दर्ज प्रकरणों में किये गये चालानों की संख्या
		2009	2010	2011	2009 से 2010	2010 से 2011	2009 से 2010	2010 से 2011	
1	हत्या	1395	1421	1461	26	40	1.86	2.81	843
2	चोरी	22144	22324	21099	180	-1225	0.81	-5.49	4368
3	डकैती	53	37	28	-16	-9	30.19	24.32	14
4	लूट	886	872	727	-14	-145	-1.58	16.63	426
5	व्यपहरण/ अपहरण	2870	2985	3204	115	219	4.01	7.34	982
6	बलात्कार	1519	1571	1800	52	229	3.42	14.58	1006
7	अनैतिक देह व्यापार	62	82	81	20	-1	32.26	-1.22	78
8	बलवा	1145	986	751	-159	-235	13.89	23.83	559
9	मानव तस्करी	2	-	7	-2	7	-200	700	6

विश्वकर्मा पुलिस थाना, जयपुर में कार्य स्थल पर मृत आरक्षी के परिजनों को सहायता

100. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय सैनिकों को युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर शहीद का दर्जा दिये जाने की भांति राजस्थान पुलिस सेवा में कार्यरत रहते मारे गये पुलिस जवानों को भी शहीद का दर्जा दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान पुलिस कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान मारे जाने पर शहीद का दर्जा दिये जाने का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों के मारे जाने पर उन्हें शहीद का दर्जा दिये जाने हेतु नियमों में प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ड्यूटी पर कार्यरत समय पर मारे गये श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह का.नि. 879 थाना विश्वकर्मा जयपुर को शहीद का दर्जा देने का विचार रखती है?

(5) क्या पुलिस जवानों को सरकारी पद पर कार्यरत होते हुए मारे जाने पर मुख्य मंत्री सहायता कोष से कोई पैकेज दिया जाता है? यदि हां, तो कितना?

(6) क्या सरकार उक्त मारे गये पुलिसकर्मी को कोई सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, राजस्थान पुलिस सेवा में कार्यरत रहते मारे गये पुलिस जवानों को शहीद का दर्जा दिये जाने का वर्तमान में नियमों में कोई प्रावधान नही है।

(2) जी हां। राजस्थान पुलिस कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान मारे जाने पर शहीद का दर्जा दिये जाने हेतु वर्तमान में नियमों में कोई प्रावधान नही है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा स्व. श्री विक्रम सिंह कानि. 879 के परिजनों को विभाग द्वारा 7,70,152/- रुपये का परिलाभ दिया गया है तथा

(गृह मंत्री)

2 लाख रुपये (अक्षरे रुपये दो लाख मात्र) मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिये गये हैं।

(5) जी नहीं। पुलिस जवानों को सरकारी पद पर कार्यरत होते हुए मारे जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रकरण पर विचार कर उसकी विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर नियमों में प्रचलित प्रावधानानुसार एवं यथा सम्भव विशेष पैकेज दिये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(6) जी हां। उक्त मृतक पुलिस कर्मी विक्रम सिंह के परिजनों को तत्कालीन प्रचलित नियमों में प्रावधानानुसार राशि रुपये 7,70,152/- स्वीकृत की गई है तथा मुख्य मंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त 2 लाख रुपये (अक्षरे रुपये दो लाख मात्र) भी स्वीकृत किये गये हैं।

धौलपुर जिले के थानों में दर्ज प्रकरण

101. **श्री सुखराम** (बसेड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में कितने पुलिस थाने कहां-कहां पर स्थित हैं तथा इनका कार्यक्षेत्र क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला धौलपुर के थानों में गत तीन वर्षो में किन-किन धाराओं में कितने मुकदमे दर्ज किये गये हैं? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु गत तीन वर्षो में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में कुल 13 पुलिस थाने हैं- 1 कोतवाली 2 निहालगंज 3 सदर 4 सैपउ 5 दिहौली 6 मनियां 7 राजाखेड़ा 8 कौलारी 9 बाडी 10 कंचनपुर 11 बसेड़ी 12 सरमथुरा 13 बसईडांग है। इनके कार्यक्षेत्र का विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जिला धौलपुर में वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 में विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों का विवरण परिशिष्ट ब संलग्न है।

(3) प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित एवं वर्गीकृत कर उनका डाटाबेस

(गृह मंत्री)

तैयार करने एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एक विस्तृत एवं प्रभावी कार्य योजना लागू की गई है, जिसमें उदघोषित अपराधी, स्थाई वारन्टी, भगोड़े एवं गिरफ्तारी वारन्टियों की गिरफ्तारी की जा रही है। भू-माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब-माफिया, अवैध खनन माफिया, लपका गिरोह, चौथवसूली माफिया, मानव-तस्करी माफिया, जाली नोट माफिया, जुआ/सट्टा माफिया, अवैध हथियार, सम्पत्ति सम्बन्धी आदि अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। प्रभावी गश्त एवं नाकाबन्दी की जा रही है। खतरनाक अपराधियों के विरूद्ध पासा एक्ट में कार्यवाही की जाती है।

(विवरण प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

जिला कारागार श्रीगंगानगर से पैरोल पर रिहा फरार कैदियों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही

102. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हत्या के दोष में सज़ा काट रहे दो कैदी पैरोल पर रिहाई के बाद फरार हो गये लेकिन जिला पुलिस श्रीगंगानगर 16 माह बाद भी उन्हें तलाशने में नाकामयाब रही है?

(2) क्या कोतवाली पुलिस श्रीगंगानगर में इस मुकदमे में कार्यवाही जारी है? यदि हां, तो एफ.आई.आर. नं. क्या है और जांच किस अधिकारी के पास है? उक्त अधिकारी ने इसमें कहां-कहां दबिश दी है तथा अभी तक सफलता हाथ क्यों नहीं लगी? दबिश की तिथियां दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षो में केन्द्रीय कारागृह में कैदियों को मीनू के हिसाब में क्या-क्या गुणवत्ता पूर्ण खाना व दवाइयां वितरित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में हत्या के दोष में सजा काट रहे दो नही चार कैदी पैरोल पर रिहाई के बाद फरार हो गये, जिनको अभी तक गिरफ्तार कर जेल दाखिल नहीं कराया गया है।

(2) पुलिस कोतवाली श्रीगंगानगर में पैरोल से फरार बंदियों के मुकदमे में कार्यवाही जारी है तथा पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(कारागार राज्य मंत्री)

(3) केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में कैदियों को राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट-9 सैक्शन-I के नियम 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित डाइट स्केल के अनुसार भोजन सामग्री सुलभ कराई जाती है। बीमार कैदियों को उपचार हेतु चिकित्सक की सलाह के अनुसार औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। डाइट स्केल का विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरकारी मंदिरों के सेवकों एवं पुजारियों को देय मानदेय में वृद्धि

103. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) देवस्थान विभाग के अधीनस्थ मंदिरों में सेवकों एवं पुजारियों को वेतन एवं मानदेय कितना दिया जा रहा है?

(2) सेवकों एवं पुजारियों के वेतन में पिछली बार वृद्धि कब व कितनी की गई थी?

(3) क्या यह सही है कि सेवकों एवं पुजारियों को अकुशल श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार सेवकों एवं पुजारियों को देय वेतन एवं मानदेय की समीक्षा कर वेतन एवं मानदेय बढ़ाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग में राजकीय प्रत्यक्ष श्रेणी एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के पूर्णकालीन सेवकों एवं पुजारियों को निम्न नियमों में निर्धारित दर से वेतन दिया जा रहा है।

1. प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी-इन मंदिरों में नियुक्त सेवकों एवं पुजारियों को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 के अनुसार पे बैण्ड 4750-7440 में ग्रेड पे 1300/-रुपये मासिक दिया जा रहा है।
2. आत्मनिर्भर श्रेणी- इन मंदिरों में नियुक्त सेवकों एवं पुजारियों को देवस्थान विभाग के निधि कार्मिकों के नवीन वेतनमान नियम 2010 में निर्धारित पे-बैण्ड 4750-7440 में ग्रेड पे-1300/- रूपये मासिक दिया जा रहा है।

इसी प्रकार अंशकालीन सेवकों एवं पुजारियों को दिये जा रहे मानदेय का विरवण निम्न प्रकार है:-

(देवस्थान मंत्री)

1. प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर के अंशकालीन सेवकों एवं पुजारियों को रुपये 480/- से 700/- मासिक दर से मानदेय दिया जा रहा है।
2. आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिरों के अंशकालीन सेवकों एवं पुजारियों को रूपये 1000/- से 1675/- मासिक की दर से मानदेय दिया जा रहा है।

(2) विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के सेवकों एवं पुजारियों के वेतन में पिछली बार वृद्धि निम्न प्रकार से की गई थी-

1. प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के नियमित सेवकों एवं पुजारियों को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 के तहत दिये जा रहे हैं।

2. आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों में पूर्णकालीन रूप से नियुक्त सेवकों एवं पुजारियों को देवस्थान विभाग के निधि कार्मिकों के नवीन वेतनमान नियम 2010 में निर्धारित दर से दिनांक 1.4.10 से नवीन वेतनमान दिये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के मदिरों में नियुक्त अंशकालीन सेवकों एवं पुजारियों के लिये समय-समय पर निर्धारित दर के आधार पर पारिश्रमिक (मानदेय) का भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में सेवकों एवं पुजारियों को देय वेतन एवं मानदेय की समीक्षा कर उसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। क्योंकि वर्तमान में दिया जा रहा वेतन हाल ही में संशोधित किया गया है।

नाथद्वारा मंदिर मण्डल को स्वीकृत गैस एजेन्सी में कार्यरत कर्मचारी

104. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा मंदिर मण्डल ने गैस एजेन्सी स्वीकृत करा रखी है? यदि हां, तो गैस एजेन्सी किस कम्पनी की है तथा क्या यह एजेन्सी मंदिर मण्डल के निजी उपयोग के लिये है या इस एजेन्सी के माध्यम से आम जनता को भी गैस कनेक्शन दिये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गैस गोदाम पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनको

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

कितना-कितना वेतन प्रतिमाह भुगतान किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) नाथद्वारा मंदिर मण्डल गैस एजेन्सी से किस-किस को कनेक्शन दिये गये हैं? मंदिर मण्डल द्वारा कब-कब गैस टैंकर की खरीद की गई और कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया है? मंदिर मण्डल और भारत गैस के मध्य हुये करार की प्रति तथा वर्ष 2005 से 2011 के मध्य मंदिर मण्डल को भारत गैस की ओर से मिले नोटिसों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

यह सही है कि नाथद्वारा मंदिर मण्डल के लिये गैस एजेन्सी स्वीकृत करा रखी है। मंदिर की गैस एजेन्सी "भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड" की है।

यह गैस एजेन्सी केवल मंदिर एवं मंदिर मण्डल के स्टाफ के लिये स्वीकृत है। कम्पनी एवं नाथद्वारा मंदिर मण्डल के मध्य अनुबन्ध की शर्तों के तहत आम जनता को कनेक्शन नहीं दिये जा सकते हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) उक्त गैस गोदाम पर कुल चार कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से एक स्थायी व एक अस्थायी कर्मचारी मंदिर में पाइप द्वारा एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था के साथ यह कार्य भी करते हैं। इन्हें गैस गोदाम पर कार्य का अलग से पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गैस गोदाम पर एक अस्थायी रात का चौकीदार व एक सुरक्षा गार्ड (होम गार्ड) लगा रखा है, जिन्हें प्रतिमाह क्रमश 4050/- व 6050/- रुपये वेतन दिया जाता है।

(3) नाथद्वारा मंदिर मण्डल की गैस एजेन्सी से मंदिर में कार्यरत सेवावालों व मंदिर मण्डल के कर्मचारियों को कुल 665 कनेक्शन दिये गये हैं।

नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा खरीद किये गये गैस टैंकर्स, उनके आपूर्तिकर्ता तथा किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न कर प्रस्तुत है।

मंदिर मण्डल और भारत गैस के मध्य हुये करार की प्रति परिशिष्ट-स संलग्न है। वर्ष 2005 से 2011 के मध्य मंदिर मण्डल को भारत गैस की ओर से कोई नोटिस नही दिया गया है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर नगर में वन भूमि पर काबिज बस्तियों का नियमन

105. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर नगर में कितनी कच्ची बस्तियां वन क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि पर आबाद हैं? उक्त बस्तियों में कितने परिवार किस-किस बस्ती में निवास कर रहे हैं? बस्तीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आरक्षित भूमि पर बसी बस्तियों में किस प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? बस्तीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार से वनों हेतु उपयुक्त हैं?

(4) क्या सरकार उक्त बस्तियों के क्षेत्रफल के बराबर भूमि वन क्षेत्र हेतु अन्यत्र आरक्षित कर उक्त बस्तियों की भूमि को सिवायचक भूमि अधिसूचित करते हुए इन बस्तियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर में वन विभाग की भूमि पर 36 कच्ची बस्तियां आबाद हैं। वनखण्डवार परिवारों एवं बस्तियों की सूची परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर संलग्न है।

(2) वनभूमि पर बसी बस्तियों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का बस्तीवार विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) भूमि जिस पर बस्तियां विद्यमान हैं वर्तमान में वन विकास हेतु उपयुक्त नहीं हैं।

(4) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन प्रचलित व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रकरणों के अलावा अन्य आबादी प्रकरणों के लिए वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति नहीं दी जाती है।

परिशिष्ट-क

वन भूमि पर काबिज अतिक्रमियों की वनखण्ड एवं जाति संवर्गवार सूची

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	कुल रकबा हैक्टेयर	अतिक्रमित रकबा	जाति संवर्गवार अतिक्रमण का विवरण				
				एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	जनरल	योग
1	व्यास बावड़ी प्रथम	40.46	-	-	-	-	-	-
2	व्यास बावड़ी द्वितीय	3.9	-	-	-	-	-	-
3	व्यास बावड़ी तृतीय	75.28	-	-	-	-	-	-
4	व्यास बावड़ी चतुर्थ	161.07	161.07	700	600	800	808	2908
5	भूतेश्वर	338.19	185	278	307	303	112	1000
6	देवकुण्ड	558.01	24.31	40	60	30	55	185
7	लालसागर	98.26	-	-	-	-	-	-
8	चान्दणा	396.77	36	35	65	2921	908	3929
9	माचियां	713.89	9	-	-	-	-	-
10	मोतिसरा	481.18	-	-	-	-	-	-
11	बड़ा भाखर	1610.22	16	-	-	70	20	90
12	बेरीगंगा	2050	6	18	29	8	24	79
13	अवर्गीकृत वन क्षेत्र बग्गीखाना	16.64	6.73	625	35	222	446	1328
	योग	**6543.87**	**444.11**	**1696**	**1096**	**4354**	**2373**	**9519**

परिशिष्ट-'ख'

वनभूमि पर बसी बस्तियों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	कच्ची बस्ती का नाम	बिजली की सुविधा	पानी की सुविधा	चिकित्सा की सुविधा	शिक्षा की सुविधा	सड़क की सुविधा
1	ईसाइयों का कब्रिस्तान	हां	हां	नहीं	हां	हां
2	भैरवा भाकर कबीर नगर	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
3	कबीर नगर पहाड़ तलहटी	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
4	तुलसी कालोनी कबीर नगर	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
5	गण शहीद कालोनी	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
6	इन्द्रा कालोनी प्रताप नगर	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
7	गोरधन तालाब	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
8	ढब्बू कालोनी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	संजय कालोनी 'अ' प्रताप नगर	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
10	संजय कालोनी 'ब' प्रताप नगर	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
11	जगदम्बा कालोनी	हां	हां	नहीं	हां	हां
12	हनुमान जी का बाडिया	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
13	गुरों का तालाब	हां	हां	नहीं	हां	हां
14	मीरा कालोनी	हां	हां	नहीं	हां	हां
15	इंदिरा कालोनी	हां	हां	नहीं	हां	हां
16	चनणा भाखर	हां	हां	नहीं	हां	हां
17	ज्योति नगर चानणा	हां	हां	नहीं	हां	हां
18	झीझा बेरी	हां	हां	नहीं	हां	हां
19	राजीव नगर चानणा भाखर	हां	हां	नहीं	हां	हां

क्र. सं.	कच्ची बस्ती का नाम	बिजली की सुविधा	पानी की सुविधा	चिकित्सा की सुविधा	शिक्षा की सुविधा	सड़क की सुविधा
20	चानणा भाखर अशोक नगर	हां	हां	नहीं	हां	हां
21	मगजी की घाटी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	बेलदार बस्तीवाल सम्बन्ध रोड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23	निम्बा निमडी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
24	रवटी	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं
25	पहाड़गंज प्रथम	हां	हां	हां	हां	हां
26	हनुमान कालोनी	हां	हां	हां	हां	हां
27	जनता कालोनी	हां	हां	हां	हां	हां
28	इन्द्रा कालोनी	हां	हां	हां	हां	हां
29	दरगाह कालोनी	हां	हां	हां	हां	हां
30	किलारोड भील बस्ती	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	शिव कालोनी चानणा भाखर	हां	हां	हां	हां	हां
32	जोशी कालोनी	हां	हां	हां	हां	हां
33	पठान कालोनी	हां	हां	हां	नहीं	हां
34	शिक्षक कालोनी	हां	हां	हां	हां	हां
35	सांसी कालोनी	हां	हां	हां	हां	हां
36	नेहरू कालोनी	हां	हां	हां	हां	हां

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

106. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत 2005 से अब तक कुल कितने श्रमिकों के मामले दर्ज किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने श्रमिकों की मृत्यु होने के

(श्री वासुदेव देवनानी)

उपरान्त तथा कितने श्रमिकों को स्थायी व अस्थायी रूप से अपंग होने पर राशि उपलब्ध करवाई गई? जिलेवार व वर्षवार मुआवजा राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में अब तक कितनी मुआवजा राशि नियोजकों से वसूल की गई एवं वसूल कर श्रमिकों को वितरित की गई? वर्षवार व जिलेवार वसूली गई राशि व वितरित की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दुर्घटना प्रकरणों के निस्तारण के लिये कितने आयुक्तों की नियुक्ति की गई तथा इनके द्वारा कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त आयुक्तों के पास कितने मामले विचाराधीन हैं? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत 2005 से अब तक कुल 13949 श्रमिकों के मामले दर्ज किए गए। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु होने के उपरान्त तथा स्थाई व अस्थाई रूप से अपंग होने के पश्चात राशि प्राप्त करने वाले श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर तथा उन्हें उपलब्ध करवाई गई राशि का जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरण में नियोजकों से वसूली गई व श्रमिकों को वितरण की गई राशि का वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(4) उक्त दुर्घटना प्रकरणों के निस्तारण के लिए नियुक्त आयुक्तों तथा उनके द्वारा निस्तारण किये गये प्रकरणों का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(5) आयुक्तों के पास विचाराधीन मामलों का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्मित कार्य

107. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ओम बिरला)

(1) जिला कोटा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अप्रैल, 2010 से अब तक किन-किन विद्यालयों में मरम्मत कार्य एवं नवीन कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाया गया? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला कोटा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी.एल.एम. के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद प्रदेश के निजी विद्यालयों में उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त अधिनियम के तहत शिक्षा सत्र 2010-11 में निजी विद्यालयों द्वारा कुल कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम लागू होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी से मान्यता लिये बगैर विद्यालय संचालन अवैध है? यदि हां, तो प्रदेश में मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय कितने हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश में वर्ष 2010 एवं 2011 में कितने राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय व सामान्य शौचालय का निर्माण करवाया गया एवं उक्त में से कितने शौचालय उपयोग में लिये जा रहे हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कोटा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अप्रैल, 2010 से अब तक 53 मेजर मरम्मत कार्य एवं 289 कक्षाकक्षों का निर्माण करवाया जा रहा हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला कोटा में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी.एल.एम. के तहत वितरित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 दिनांक 29.3.2011 को अधिसूचित हुए हैं। "दुर्बल

(शिक्षा मंत्री)

वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" को परिभाषित करने हेतु दो अलग-अलग अधिसूचनाएं दिनांक 29.3.2011 को सरकारी द्वारा की गई। उक्त अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रवेश नीति घोषित करें तथा उक्त वर्गों के बालकों के लिए एन्ट्री लेवल पर सीट निर्धारित करते हुए इन वर्गो के बालकों से प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करने के उपरान्त लाटरी पद्धति से प्रवेश दें। वर्ष 2010-11 में उक्त प्रक्रिया के तहत विद्यालयों में प्रवेश नहीं हो सके हैं।

(4) उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व जो विद्यालय स्थापित थे उन्हें तीन साल की अवधि में निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने के उपरान्त मान्यता लेनी होगी। लेकिन नये विद्यालय मान्यता प्राप्त किये बिना संचालित नहीं होगें। प्रदेश में मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं।

(5) प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2010 एवं 2011 में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4943 बालिका शौचालय एवं 5304 सामान्य शौचालयों का निर्माण करवाया गया हैं। इनमें से सभी शौचालयों को उपयोग में लिया जा रहा है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

हनुमानगढ़ जिले में शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत अनुमानित बजट

108. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष में शिक्षा के अधिकार के कानून को लागू करने के लिए कितने कक्षा-कक्षों व प्रशिक्षित अध्यापकों हेतु कितनी राशि की आवश्यकता होगी और आगामी तीन वर्षों में उक्त सभी व्यवस्थाओं हेतु कितनी राशि की आवश्यकता होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में अभियान द्वारा कराये गये चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे के दौरान कितने बच्चे शिक्षा से वंचित पाये गये तथा अब तक कितने बच्चों को विद्यालय से नियमित रूप से जोड़ा जा चुका है? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग द्वारा कराये गये डाइस-2011 सर्वे के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए हनुमानगढ़ जिले में 220 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी एवं इसके लिये लगभग रुपये 715.00 लाख की आवश्यकता होगी। कक्षा 1 से 8 के लिए कुल 1452 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता एवं उनके लिये लगभग 15.60 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

(2) हनुमानढ़ जिले में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कराये गये चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे में 31515 बालक-बालिकाऐं शिक्षा से वंचित चिन्हित किए गए थे। इनमें से 14655 बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। सत्र 2011-12 में नामांकित बालक-बालिकाओं का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

हनुमानगढ़ जिले में सी.टी.एस. में चिन्हित बालक-बालिकाओं की संख्या एवं नामांकित बालक-बालिकाओं की ब्लाकवार संख्या सत्र 2011-12

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	शिक्षा से वंचित बालक-बालिका									नामांकित बालक-बालिका		
		अनामांकित			ड्रापआउट			योग					
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	हनुमानगढ़	4322	3627	**7949**	5039	4182	**9221**	9361	7809	**17170**	3247	3312	**6559**
2	पीलीबंगा	1591	1370	**2961**	1521	1243	**2764**	3112	2613	**5725**	972	1096	**2068**
3	नोहर	1352	1458	**2810**	1435	1547	**2982**	2787	3005	**5792**	1892	2109	**4001**
4	भादरा	686	645	**1331**	743	754	**1497**	1429	1399	**2828**	1050	977	**2027**
	योग	**7951**	**7100**	**15051**	**8738**	**7726**	**16464**	**16689**	**14826**	**31515**	**7161**	**7494**	**14655**

विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति में अनियमितताओं की जांच

109. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कई जिलों में विद्यार्थी मित्रों को स्वीकृत सीमा से अधिक संख्या में नियुक्त करने की अनियमितता के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त अनियमितताओं में दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत स्वीकृत सीमा से अधिक संख्या में विद्यार्थी मित्र नियुक्त किये जाने का प्रकरण सामने नहीं आया है। परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जिलों में स्वीकृत सीमा से अधिक विद्यार्थी मित्र लगाये जाने के प्रकरण सामने आये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त अनियमितताओं के लिये सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। उनसे प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट 'क'

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिन जिलों में स्वीकृत सीमा से अधिक विद्यार्थी मित्र लगाये गये हैं उनका विवरण

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत सीमा	लगाये गये विद्यार्थी मित्र	वर्ष
1	भीलवाड़ा	944	1076 1076 1211	09-10 10-11 11-12
2	नागौर	940	1111	11-12
3	टोंक	342	343	11-12
4	डूंगरपुर	213	215 215	09-10 10-11
5	बाड़मेर	1415	1508 1508	09-10 10-11
6	धौलपुर	381	384	11-12
7	राजसमंद	833	918	11-12

फलौदी (जोधपुर) के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

110. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? छात्र संख्या मय संकायवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों में अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है, जिसके कालम संख्या 04 में अध्ययनरत छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में संकाय नहीं होते हैं। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची एवं इन विद्यालयों की छात्र संख्या का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है। 09 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संकायों का विवरण परिशिष्ट-"ख" में सम्मिलित है।

(2) जी हां। राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) जी हां। तृतीय श्रेणी के 41000 अध्यापकों की भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही है। उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। शेष रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल एवं असुविधा ग्रस्त छात्रों को प्रवेश

111. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दौलतराज समेजा)

जिला श्रीगंगानगर में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सभी गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के कितने बालकों को प्रवेश दिया गया है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 दिनांक 29-3-2011 को अधिसूचित किये गये थे तथा "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" को अधिसूचना दिनांक 29-3-2011 द्वारा परिभाषित किया गया था। उक्त अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रवेश नीति घोषित करे तथा उक्त वर्गो के बालकों के लिए सीट निर्धारित करते हुए इन वर्गो के बालकों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के उपरान्त लाटरी पद्धति से प्रवेश दें। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उक्त प्रक्रिया के तहत विद्यालयों में प्रवेश नहीं हो सके हैं। वर्ष 2012-13 में उक्त नियमों के तहत प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

अत: जिला श्रीगंगानगर में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रवेश नहीं हुए हैं।

भोपालगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

112. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के अध्यापकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

प्रारम्भिक शिक्षा में अंग्रेजी विषय के लिए अध्यापकों के पद अलग से स्वीकृत नहीं हैं।

परिशिष्ट-क

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर, भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के रिक्त पदों की स्थिति

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	रिक्त पद व्याख्याता	रिक्त पद व.अ.
1	राउमावि कोसाना	1	1
2	राउमावि रामड़ावासकसला	1	0
3	राउमावि खारिया खंगार	1	0
4	राउमावि भोपालगढ़	1	0
5	राउमावि आसोप	1	1
6	राउमावि अरटिया कला	1	1
7	राउमावि बुडकिया	1	0
8	राउमावि साथीन	1	0
9	राउमावि गजसिंह पुरा	1	1
10	राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ी चारणा	-	1
11	रामावि दाड़मी	-	1
12	रामावि बालिका भोपालगढ़	-	1
13	रामावि मेलान	-	1
14	रामावि बाडाकला	-	1
15	रामावि सियारा	-	1
16	रामावि ओरतरा	-	1
17	रामावि गंगेरिया	-	1
18	रामावि गारारानी	-	1
19	रामावि पातों की बासनी	-	1
20	रामावि कजनउ कला	-	1
21	रामावि कारटी	-	1
22	रामावि लवेराकला	-	1
	योग	09	17

जिला शिक्षा अधिकारी
जोधपुर

धौलपुर के क्रमोन्नत विद्यालय

113. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितने विद्यालय शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं? इन विद्यालयों की छात्र संख्या व शिक्षकों का अनुपात क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन किया गया? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने शिक्षक तृतीय श्रेणी उर्दू अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, जिनकी सेवा अवधि 30 वर्ष से अधिक होने पर भी उनका संबंधित पद पर स्थाईकरण नहीं किया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की छात्र संख्या व शिक्षकों के अनुपात का विवरण परिशिष्ट-"क" तथा राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र व शिक्षक का अनुपात 55:01 है।

(2) वर्ष 2008-09 में 03 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 13 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। वर्ष 2009-10 में कोई विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया। वर्ष 2010-11 में 06 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में विगत तीन वर्षों में किसी को भी उर्दू के तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले किसी भी शिक्षक का स्थाईकरण का प्रकरण शेष नहीं है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी (जयपुर) पंचायत समिति क्षेत्र में संचालित ईंट भट्टे

114. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर की पंचायत समिति बस्सी में कुल कितने ईंट भट्टे किस-किस गांव व ग्राम पंचायतों में चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ईंट निर्माताओं ने राजस्थान प्रदूषण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर की पंचायत समिति बस्सी में 49 उद्यमियों द्वारा ईंट भट्टों के संचालन हेतु राज्य मण्डल से सम्मति ली गयी थी, जिसमें से 23 की सम्मति अवधि समाप्त हो गयी है तथा 26 की सम्मति समयावधि में है। इसके अतिरिक्त 51 ईंट भट्टें ऐसे हैं जो बिना राज्य मण्डल की सम्मति प्राप्त किए ही संचालित किये गये हैं। ग्राम पंचायत तथा ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत ईंट भट्टों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है अपितु संचालन सम्मति प्रदान की जाती है। सम्मति संबंधी विवरण भी संलग्न परिशिष्ट-अ में उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

115. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने चालू तथा कितने बंद हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को पोषाहार नियमित रूप से दिया जा रहा है यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र पर कितने बच्चों एवं महिलाओं को किस-किस मात्रा में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(3) क्या सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में चलाये जा रहे हैं या किसी निजी भवनों में? शहरी क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं? क्या सभी केन्द्र अपने घरों में चलाये जा रहे हैं या सरकारी भवन में?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 226 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 18 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा कुल 245 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। सभी स्वीकृत केन्द्र संचालित है, कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द नहीं है। विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत परियोजना वार आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृत/संचालन का विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

क्र.स.	परियोजना	आंगनबाड़ी केन्द्र	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	स्वीकृत	संचालित
1	श्री डूंगरगढ़	185	16	201	201
2	नोखा	11	0	11	11
3	देशनोक	31	2	33	33
योग		**227**	**18**	**245**	**245**

(2) जी हां। प्रत्येक केन्द्र पर 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 80 बच्चे तथा 20 गर्भवती तथा धात्री महिला पूरक पोषाहार हेतु नामांकित होती हैं। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को 75 ग्राम प्रतिदिन के अनुसार तथा गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को 130-140 ग्राम प्रतिदिन के अनुसार रैडी टू इट टेक होम राशन (पंजीरी) पूरक पोषाहार के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में सर्वप्रथम प्रतिदिन नाश्ते में 50 ग्राम नाश्ता तथा उसके बाद गरम पूरक पोषाहार के रूप में 80 ग्राम दलिया/खिचड़ी उपलब्ध कराये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

(3) जी नहीं। श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की प्रकृति का विवरण निम्नानुसार है-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र. स.	परियोजना	विभागीय भवन	सरकारी भवन	निजी/किराये के भवन	योग
1	श्री डूंगरगढ़	101	92	8	201
2	नोखा	11	0	0	11
3	देशनोक	0	33	0	33
योग		**112**	**125**	**8**	**245**

शहरी क्षेत्रों में कुल 30 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त केन्द्रों में से 8 केन्द्र निजी/किराये के भवनों मे तथा शेष राजकीय भवनों में संचालित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों का सरकारी एवं निजी भवनों में संचालन

116. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में कितने व कहां-कहां नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने केन्द्र सरकारी अथवा निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में 91 आंगनबाड़ी एवं 14 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 105 केन्द्र स्वीकृत किये गये। केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त आंगनबाडी केन्द्रों में से संचालित 98 केन्द्रों में से 46 किराये के भवनों में, 27 स्कूलों में, 12 धर्मशालाओं में, 12 अन्य सामुदायिक भवनों में तथा 1 विभागीय भवन में संचालित है। केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट अ में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इसाली ग्राम पंचायत (पाली) की महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दुराग्रहपूर्ण निलंबन

117. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत इसाली के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 01 पर मीनाक्षी पुत्री धन्नालाल ब्राह्मण को नियुक्ति दी गयी थी? यदि हां, तो नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त महिला कार्मिक को श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित नामक व्यक्ति ने गलत नीयत से बेवजह और नाजायज परेशान किया जिसकी सूचना सम्बन्धित महिला ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 को उच्चाधिकारियों को दी थी? शिकायत पर उच्चाधिकारियों ने आरोपी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? की गयी कार्यवाही का विवरण एवं सम्बन्धित महिला कार्मिक से प्राप्त शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उस शिकायत पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत इसाली (पाली) की झूंठी शिकायत पर परियोजना अधिकारी एवं विकास अधिकारी ने एक तरफा कार्यवाही कर उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बिना सुनवाई के हटा दिया? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शारीरिक शोषण के लिये आरोपी ने मजबूर किया जिसके कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन में धारा 323, 341, 354, 384, 504, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था?यदि हां, तो उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्यों हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार शारीरिक शोषण को सामने लाने वाली महिला को पुन: उस आंगनबाड़ी केन्द्र पर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस संबंध में उक्त महिला कार्मिक ने दिनांक 24.10.2011 को शिकायत की थी जो विभाग को 03.11.2011 को प्राप्त हुई थी। बाल विकास परियोजना अधिकारी, खारची ने उक्त शिकायत की बिन्दुवार जांच की गई जिसमें ग्राम वासियों के अनुसार मिनाक्षी पुत्री धन्नालाल को केन्द्र का नियमित संचालन नहीं करने के लिये दोषी पाया गया। शिकायत की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। शिकायत की जांच की गई जिसमें शिकायत झूठी पायी गयी।

(4) ग्राम पंचायत इसाली द्वारा मीनाक्षी शर्मा की शिकायत पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जांच की जाकर, जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति मारवाड़ जक्शन को प्रदत्त की। जिस पर विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 05-11-2011 की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें कार्यकर्ता को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, कि नियमानुसार पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों तथा ग्राम इसाली के ग्रामवासियों के लिखित बयानों के आधार पर कार्यकर्ता को दोषी पाये जाने पर आदेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा मानदेय सेवा से हटाया गया।

(5) प्रकरण के अन्तर्गत कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

(6) जी नहीं ।कार्यकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 274/11 दर्ज कराई गई थी, जिसे झूठा पाये जाने पर दिनांक 18.11.2011 को अंतिम रिपोर्ट (एफ आर) माननीय न्यायालय सीजे एण्ड जेएम मारवाड़ जंक्शन कोर्ट में पेश किया गया है। कार्यकर्ता को हटाने के कारणों का विवरण बिन्दु संख्या 4 के उत्तर में समाहित है।

(7) जी नहीं ।शारीरिक शोषण की शिकायत गलत पाई गई एवं कार्यकर्ता को जांच में पुष्ट तथ्यों के आधार दोषी पाये जाने के उपरान्त मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया है ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर शहर में चल रही लो-फ्लोर बसों का रख-रखाव

118. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) जयपुर शहर में लो फ्लोर बसें कब से संचालित हैं एवं वर्तमान में जयपुर में कितनी बसें चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लो फ्लोर बसों की समय पर मरम्मत नहीं होने से उनमें तकनीकी खराबियों के कारण आये दिन यह बसें रास्ते में ही बंद हो जाती है जिससे यात्रियों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिये कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन प्रायोगिक तौर पर 21 मार्च, 2010 से एवं नियमित संचालन 10 जून, 2010 से प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में 221 बसें जयपुर शहर में नगरीय मार्गों पर संचालन हेतु उपलब्ध है, जिनमें से 210 बसों का संचालन किया जा रहा है। मार्गवार निर्धारित बसों के संचालन का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। बसों के दैनिक संचालन में तकनीकी कारणों से यदा कदा लो फ्लोर बसों का ब्रेक डाउन होता है । जयपुर शहर में संचालित 221 सेमी लो फ्लोर बसों के रख-रखाव की व्यवस्था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सांगानेर आगार में अनुबंध के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा की जा रही है ।

परिशिष्ट 'अ'

जे.सी.टी.एस.एल. बसों के नगरीय मार्ग

मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या	अन्तराल	परिचक्र
1	टोडी से बड़ी चौपड़ : वाया हरमाडा, चौमू पुलिया, पीतल फैक्ट्री, चांदपोल, छोटी चौपड़।	10	12	138
1A	वी.के.आई. रोड नं. 17 से बड़ी चौपड़ : वाया चौमूं पुलिया, अम्बाबाड़ी, पानीपेच, पीतल फैक्ट्री, चांदपोल, छोटी चौपड़	10	12	146
2	भांकरोटा से चांदपोल : वाया हीरापुरा, डी.सी.एम. सोडाला, जी.पी.ओ।	5	20	90

मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या	अन्तराल	परिचक्र
3	सांगानेर से छोटी चौपड़ : वाया सांगानेर थाना, दुर्गापुरा, टोंक फाटक, रामबाग, अजमेरी गेट।	16	8	216
3A	महात्मा गांधी से अजमेरी गेट: वाया जैनपैक्ट, इंण्डिया गेट, सांगानेर थाना, दुर्गापुरा, टोंक फाटक, रामबाग, अजमेरी गेट।	13	8	212
3B	पन्नाधाय से ब्रह्मपुरी : वाया श्योपुर, सांगानेर थाना, दुर्गापुरा, टोंक फाटक, रामबाग, अजमेरी गेट, छोटी चौपड़।	4	32	56
3C	प्रताप नगर से छोटी चौपड़ : वाया सांगानेर थाना, दुर्गापुरा, टोंक फाटक, रामबाग, अजमेरी गेट।	7	10	105
3D	महात्मा गांधी हास्पिटल से अजमेरी गेट : वाया सीतापुरा, नारायण हल्दिया हॉस्पीटल, प्रतापनगर, सांगानेर थाना, दुर्गापुरा, टोंक फाटक, रामबाग, एसएमएस हॉस्पीटल।	2	60	28
4	कानोता से सिंधी कैम्प : वाया बगराना, टी.पी. नगर, घाटगेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, अशोक मार्ग, जी.पी.ओ. संसार चन्द्र रोड, जनाना हास्पीटल।	4	30	52
4A	जगतपुरा से सिन्धी कैम्प : वाया खो नागोरिया, खानियां, टी.पी. नगर, घाटगेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, अशोक मार्ग, जी.पी.ओ संसार चन्द्र रोड़, जानाना हॉस्पिटल	4	30	56
5	कुण्डा से कलेक्ट्रेट : वाया आमेर, रामगढ़ मोड़, सुभाष चौक, बड़ी चौपड़, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, पांच बत्ती, जी.पी.ओ., खासाकोठी	14	8	210

मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या	अन्तराल	परिचक्र
6	मालवीय नगर से गोविन्दपुरा : वाया मालवीय नगर सैक्टर 5, 15 अण्डरपास पुलिया, मालवीय नगर, सैक्टर 1 से 3, सरस डेयरी, जे.एल.एन. मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल, नारायणसिंह सर्किल, स्टेच्यू सर्किल, एच.क्यू. रेल्वे स्टेशन, पीतल फैक्ट्री, चांदपोल, चौमूं पुलिया, झोटवाड़ा, कालवाड़ रोड़।	12	14	122
6A	मालवीय नगर से गोविन्दपुरा वाया मालवीय नगर सैक्टर 5, 15, अण्डरपास पुलिया, मालवीय नगर, सैक्टर 1 से 3, सरस डेयरी, जे.एल.एन. मार्ग, दैनिक भास्कर, गांधी नगर स्टेशन, टोंक फाटक, रामबाग, एस.एम.एस., अजमेरी गेट, एम.आई. रोड़, कलेक्ट्रैट, चिंकारा कैन्टीन, पानीपेच, चौमूं पुलिया, झोटवाड़ा, कालवाड़ रोड़।	12	14	122
7	हीरापुरा से ट्रांसपोर्ट नगर : वाया न्यू टी.पी. नगर, गजसिंहपुरा, किसान धर्मकांटा, गुर्जर की थड़ी, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा, रामबाग, नारायण सिंह सर्किल, मोती डूंगरी सर्किल, गोविन्द मार्ग, पागलखाना।	11	10	170
8	जगतपुरा से जगतपुरा : वाया अपैक्स सर्किल, झालाना, गांधी नगर मोड़, रामबाग, अजमेरी गेट, छोटी चौपड़, चांदपोल, जी.पी.ओ., सोडाला, गुर्जर की थड़ी, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, सांगानेर फ्लाई ओवर, सीताबाड़ी, आश्रम मार्ग, जवाहर सर्किल।	28	9	185

मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या	अन्तराल	परिचक्र
9	अग्रवाल फार्म से अग्रवाल फार्म : वाया मानसरोवर, मध्यम मार्ग, गुर्जर की थड़ी, गोपालपुरा, टोंक फाटक, सहकार भवन, एच.क्यू. रेल्वे स्टेशन, झोटवाड़ा, खातीपुरा तिराहा, नर्सरी सर्किल, निर्माण नगर, धर्मकांटा, न्यू सांगानेर रोड़।	14	20	96
9A	अग्रवाल फार्म से अग्रवाल फार्म : वाया विजयपथ, शिक्षा पथ, महारानी फार्म, दुर्गापुरा ओवर ब्रिज, महावीर नगर, गोपालपुरा, टोंक फाटक, सहकार भवन, एच.क्यू. रेल्वे स्टेशन, सिंधी कैम्प, चांदपोल, पीतल फैक्ट्री, शास्त्रीनगर, वाकेआई रोड नं.1, मुरलीपुरा।	20	20	10
10	गलता गेट से गलता गेट : वाया टी.पी. नगर, जवाहर नगर, शास्त्रीनगर, शांतिपथ, तिलक नगर, जेडीए सर्किल, रामबाग सर्किल, सहकार भवन, सोडाला, ईएसआई नं. 4 हसनपुरा, चांदपोल, रामगंज, सूरजपोल।	22	7	279
10A	रेल्वे स्टेशन से खोले के हनुमान जी : वाया चांदपोल, चौपड़, गलता गेट, ईदगाह।	2	49	36
	कुल	210		
	स्पेयर	11		
	कुल योग	221		

प्रशासन गांवों के संग अभियान में बनाये गये विकलांगता प्रमाण-पत्रों की निगम बसों में मान्यता

119. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत बनाये गये नि:शक्तजनों को विकलांगता प्रमाण-पत्र को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों ने अपूर्ण बताकर खारिज कर दिया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज सिंगल डाक्टर के हस्ताक्षर से जारी हुये विकलांग प्रमाण-पत्र को सही नहीं मान रही है? क्या सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में जारी आदेश की पालना नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो इसे कब से लागू किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निशक्तजनों के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 04.11.2010 परिशिष्ट "1" के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 13.12.2011 परिशिष्ट "2" व पत्र दिनांक 16.01.2012 परिशिष्ट "3" जारी कर पूर्ण पालना कर रहा है ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

चौहटन में निगम बस सेवा

120. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न श्रेणी की बसों का किराया कब-कब एवं कितना-कितना बढ़ाया गया तथा किराया बढ़ाये जाने का मुख्य कारण क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत मुख्यालयों को रोडवेज से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चौहटन की ग्राम पंचायतों में रोडवेज बसें प्रारम्भ कर दी गई हैं? यदि हां, तो कब से व कितनी और कहां-कहां तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न श्रेणी की बसों का दिनांक 25.5.2010 व

(यातायात राज्य मंत्री)

5.8.2011 को किराया बढ़ाया गया । अधिसूचनाएं संलग्न हैं (परिशिष्ट 1 और 2) किराया बढ़ाने के मुख्य कारण डीजल, स्पेयर पार्टस, टायर, संस्थापन इत्यादि की लागत में बढ़ोतरी होने से संचालन लागत में वृद्धि होना रहा है ।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के तहत ग्राम पंचायतों को निगम बस सेवा से जोड़ना प्रक्रियाधीन है । इसी योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चौहटन की बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना सम्भव हो सकेगा ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बूंदी जिले में संचालित निगम बस सेवा

121. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बून्दी जिला मुख्यालय बून्दी में डाबी वाया बरूधन, लक्ष्मीपुरा, डोरा, सूतडा होते हुये डाबी के लिये रोडवेज बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन बून्दी के आगार में कुल कितनी बसें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बून्दी में कहां-कहां के लिये बून्दी आगार की बसों का संचालन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम की वित्तीय स्थिति के मध्यनजर वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर निगम की बसों के संचालन का कोई विचार नहीं है। उक्त मार्ग अराष्ट्रीयकृत है तथा इस पर दो निजी बसें संचालित हैं।

(2) वर्तमान में बूंदी आगार में कुल 66 बसें उपलब्ध हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) बूंदी आगार से जिन-जिन मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है उन मार्गों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

बूंदी आगार में उपलब्ध वाहनों की माडलवार सूची

क्र.सं.	वाहन संख्या	माडल वर्ष
1	आर.जे.14-1पी 0084	2000
2	आर.जे.14-पी 1190	2001
3	आर.जे.08-पी 0458	2002
4	आर.जे.08-पी 0502	2003
5	आर.जे.08-पी 0503	2003
6	आर.जे.08-पी 0506	2003
7	आर.जे.17-पी 0718	2003
8	आर.जे.08-पी 0570	2004
9	आर.जे.08-पी 0573	2004
10	आर.जे.08-पी 0576	2004
11	आर.जे.08-पी 5173	2004
12	आर.जे.08-पी 0634	2005
13	आर.जे.08-पी 0635	2005
14	आर.जे.08-पी 0641	2005
15	आर.जे.08-पी 0642	2005
16	आर.जे.08-पीए 0012	2005
17	आर.जे.08-पीए 0021	2005
18	आर.जे.08-पीए 0057	2005
19	आर.जे.08-पीए 0058	2005
20	आर.जे.08-पीए 0059	2005
21	आर.जे.08-पीए 0062	2005
22	आर.जे.08-पीए 0066	2005
23	आर.जे.08-पीए 0069	2005
24	आर.जे.14-पी 7227	2005
25	आर.जे.08-पीए 0083	2006
26	आर.जे.08-पीए 0084	2006
27	आर.जे.08-पीए 0085	2006
28	आर.जे.08-पीए 0086	2006
29	आर.जे.08-पीए 0111	2006
30	आर.जे.08-पीए 0112	2006
31	आर.जे.08-पीए 0113	2006
32	आर.जे.08-पीए 0117	2006

क्र.सं.	वाहन संख्या	माडल वर्ष
33	आर.जे.08-पीए 0282	2008
34	आर.जे.08-पीए 0283	2008
35	आर.जे.08-पीए 0329	2008
36	आर.जे.08-पीए 0331	2008
37	आर.जे.08-पीए 0342	2008
38	आर.जे.08-पीए 0349	2008
39	आर.जे.08-पीए 0350	2008
40	आर.जे.08-पीए 0352	2008
41	आर.जे.08-पीए 0353	2008
42	आर.जे.08-पीए 0354	2008
43	आर.जे.08-पीए 0355	2008
44	आर.जे.08-पीए 0422	2008
45	आर.जे.08-पीए 0423	2008
46	आर.जे.08-पीए 0424	2008
47	आर.जे.08-पीए 0425	2008
48	आर.जे.08-पीए 0426	2009
49	आर.जे.08-पीए 0427	2009
50	आर.जे.08-पीए 0428	2009
51	आर.जे.08-पीए 0476	2009
52	आर.जे.08-पीए 0477	2009
53	आर.जे.08-पीए 0643	2010
54	आर.जे.08-पीए 0648	2010
55	आर.जे.08-पीए 0650	2010
56	आर.जे.08-पीए 0691	2010
57	आर.जे.08-पीए 0693	2010
58	आर.जे.08-पीए 0698	2010
59	आर.जे.08-पीए 0711	2010
60	आर.जे.08-पीए 1944	2010
61	आर.जे.24-पीए 1953	2010
62	आर.जे.24-पीए 1954	2010
63	आर.जे.19-पी 4139	2010
64	आर.जे.19-पी 4192	2010
65	आर.जे.08-पीए 0692	2010
66	आर.जे.08-पीए 4192	2011

परिशिष्ट-2

बूंदी आगार द्वारा जिन-जिन मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, उन मार्गों की सूची

क्र.सं.	मार्ग का नाम	परिचक्रों की संख्या
1.	बूंदी-केशवराय पाटन वाया तालेड़ा	56
2.	बूंदी से बिजौलिया वाया गुडा, नीम का खेड़ा	08
3.	बूंदी से वासनी वाया हिण्डोली	96
4.	बूंदी से इन्द्रगढ वाया लाखेरी	32
5.	बूंदी से नेनवा वाया देई, जेतपुर	50
6.	बूंदी से नेनवा वाया दबलाना, बांसी	08
7.	बूंदी से नेनवा वाया जजावर, गोठडा	08
8.	बूंदी से जजावर वाया नेनवा	04
9.	बूंदी से चोतरां का खेडा वाया गेण्डोली, बराना	08
10.	बूंदी-कोटा-देहली वाया देवली, टोंक, निवाई, जयपुर	02
11.	बूंदी-कोटा-देहली वाया नेनवा	02
12.	बूंदी-कोटा-देहली वाया सोनुआं	04
13.	बूंदी-कोटा-देहली वाया दबलाना, नेनवा	04
14.	बूंदी-कोटा-इन्दौर वाया झालावाड, सोयत	06
15.	बूंदी-कोटा-इन्दौर वाया बकानी, शाजापुर	04
16.	बूंदी-कोटा-गोवर्धन जी वाया देवली, टोंक, जयपुर	04
17.	बूंदी-कोटा-पिड़ावा वाया झालावाड़, सोयत	04
18.	बूंदी-कोटा-मनोहरथाना वाया झालावाड, इकलेरा	04
19.	बूंदी-कोटा-हरनावदा वाया इकलेरा	04
20.	बूंदी-कोटा-शिवपुरी वाया बारां, शाहबाद, कस्बाथाना	08
21.	बूंदी-कोटा-जयपुर वाया देवली, टोंक, निवाई	16
22.	बूंदी-जयपुर वाया दबलाना, नेनवा	04
23.	बूंदी-जयपुर वाया गोठडा, जजावर, नेनवा	04

क्र.सं.	मार्ग का नाम	परिचक्रों की संख्या
24.	बूंदी-कोटा-भीलवाड़ा वाया मह्‌ुआ	04
25.	बूंदी-कोटा-जयपुर वाया केशोराय पाटन खटकड़ा, नेनवा	04
26.	बूंदी-कोटा-अजमेर वाया केकड़ी	24
27.	बूंदी-कोटा-उदयपुर वाया भीलवाड़ा, नाथद्वारा	08
28.	बूंदी-कोटा-श्योपुर वाया इटावा, खातोली	04
29.	बूंदी-जहाजपुर	08
30.	बूंदी-सवाई माधोपुर वाया जेतपुर, करवर, इन्द्रगढ़	04
31.	बूंदी-सवाई माधोपुर वाया नेनवा, उनियारा	08
32.	बूंदी से केशोरायपाटन	28
33.	बूंदी से मह्‌ुआ	08
34.	बूंदी से बाजटा वाया देवली	04

पाली कृषि उपज मण्डी हेतु आबंटित भूमि

122. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के मुख्य मण्डी यार्ड व गौण मण्डी (फल एवं सब्जी) यार्ड में मुख्य सड़क पर फुटकर दुकानों एवं पैट्रोल पम्प हेतु स्थान चिह्नित किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस साइज की कितनी दुकानों एवं पैट्रोल पम्प का स्थान चिह्नित किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त स्थानों का आबंटन अब तक किन-किन कारणों से नहीं किया गया?

(3) उक्त दुकानें एवं पैट्रोल पम्प की भूमि आबंटन या नीलाम करने से मण्डी को कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है और उन्हें कितनी अवधि में आबंटन या नीलामी कर दी जायेगी?

(4) क्या यह सही है कि गौण मण्डी (फल व सब्जी) पाली की मण्डी समिति की वास्तविक भूमि से कम भूमि पर चारदिवारी निर्माण कराकर कब्जा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

लिया गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं शेष भूमि को अपने कब्जे में लेने हेतु मण्डी समिति द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां । कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के मुख्यमण्डी यार्ड एवं गौणमण्डी (फल एवं सब्जी) यार्ड में मुख्य सड़क पर चिन्हित दुकानों एवं पैट्रोल पम्प का विवरण क्रमश परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के मुख्यमण्डी यार्ड में परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में अंकित भूखण्डों का आबंटन खुली नीलामी द्वारा किया जाना है। उक्त नीलामी की कार्यवाही किए जाने से पूर्व स्थानीय नगर परिषद की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। नगर परिषद से बार-बार निवेदन करने के पश्चात भी अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है जिसके कारण उक्त भूखण्डों का आबंटन नीलामी के जरिये नहीं हो सका है।

(3) दुकानों का आबंटन निलामी से किया जाना है इसलिये सम्भावित मूल्य बताया जाना सम्भव नहीं है । वर्तमान डीएलसी के आधार पर पैट्रोल पम्प एवं दुकानें आवंटित करने से परिशिष्ट 'अ' के अनुसार 817.06 लाख एवं परिशिष्ट 'ब' के अनुसार 130.53 लाख कुल 947.59 लाख की राशि प्राप्त होने की संभावना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र होते ही नीलामी से आबंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(4) मण्डी समिति द्वारा गौणमण्डी (फल एवं सब्जी) पाली की भूमि 23 बीधा 18 बिस्वा क्रय की गई थी। मण्डी समिति का कब्जा 16 बीधा 14 बिस्वा भूमि पर है। मण्डी समिति द्वारा कब्जे से शेष रही भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'स' के अनुसार है।

कृषि उपज मण्डी समिति, पाली द्वारा चारदिवारी निर्माण कराते समय तत्कालीन समय मौके पर उपलब्घ भूमि का कब्जा मण्डी हित में किया गया था। मण्डी समिति की जमीन पर जो निर्माण किए गए थे, वो जनहित में मण्डी के चारदिवारी निर्माण के पूर्व किए हुए थे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा (टौंक) का गौण (फल-सब्जी) मण्डी भूमि प्रकरण

123. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रणवीर पहलवान)

(1) क्या यह सही है कि जिला टौंक की मालपुरा सब्जी मण्डी के लिए भूमि आबंटन बाबत् राशि जमा करवायी गयी है? यदि हां, तो कब, कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि क्रय नहीं करने बाबत् सरकार के पास परिवाद लम्बित है? यदि हां, तो सरकार द्वारा परिवाद पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा भूमि की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या यह भी सही है कि इससे पूर्व फल सब्जी मण्डी, वर्तमान मण्डी यार्ड में प्रस्तावित एवं अनुमोदित थी? यदि हां, तो किसके द्वारा उक्त भूमि के लिए राशि जमा करवायी गई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखे।

(5) क्या यह सही है कि भूमि क्रय को लेकर परिवाद दर्ज होने के उपरान्त भी राज्य सरकार ने अब तक कार्यवाही नहीं की है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

(6) उक्त में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मालपुरा सब्जी मण्डी के लिए भूमि आबंटन बाबत दिनांक 11.10.2008 को 9,34,170 रुपये जिला कोष टौंक में चालान से जमा कराये गये।

(2) जी हां। माननीय विधायक मालपुरा के द्वारा यह प्रकरण निदेशक कृषि विपणन को संदर्भित किया था। निदेशालय स्तर पर प्रकरण का परीक्षण कर प्रकरण में भूमि का कब्जा लेने हेतु सचिव कृषि उपज मण्डी समिति मालपुरा को निर्देशित कर दिया गया है। जिला कलक्टर टौंक को कब्जा दिलाने हेतु लिखा गया है।

(3) जी हां। वरिष्ठ नगर नियोजक, नियोजन विभाग, अजमेर द्वारा जिला कलक्टर टौंक को प्रस्तावित भूमि में से मार्गाधिकार हेतु 80 फुट सुनिश्चित करते हुए एवं क्षेत्र का भौतिक सर्वे करवाकर आगामी कार्यवाही करने

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

हेतु लिखा है। मण्डी समिति को आवंटित होने वाली प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तकनीकी शाखा, विपणन बोर्ड से उक्त भूमि का मण्डी समिति द्वारा सर्वे करवाने पर उनके द्वारा प्लानिंग में भूमि बेकार जाने, 60 फुट चौड़े उप मार्ग हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने, भूमि में नाला होने व उक्त भूमि पर पहुंचाने के लिए 1.4 किमी लम्बी सड़क मय 4 सीडी कार्य करवाने पड़ेंगे। जिसमें लगभग 40.00 लाख की लागत आना सम्भावित है।

(4) जी हां। तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए फल सब्जी मण्डी वर्तमान मण्डी यार्ड में प्रस्तावित एवं अनुमोदित की गई थी। मालपुरा में फल सब्जी मण्डी के भावी विकास को देखते हुए मण्डी समिति के प्रस्ताव पर नवीन क्रय की जाने वाली भूमि, सक्षम भूमि चयन समिति जिसमें तकनीकी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं उपनगर नियोजक कृषि विपणन बोर्ड भी सदस्य के रूप में उपस्थित थे, के द्वारा चयनित की गई है। इस आधार पर उक्त भूमि हेतु राशि जमा कराई गई।

(5) जी नहीं । निदेशालय द्वारा की गयी कार्यवाही का अंकन बिन्दु सं 2 में कर दिया गया है।

(6) उक्त में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से संचालित हुई है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-65 का विवरण)

परिशिष्ट-क

वन मंडल धौलपुर में गत चार वर्षों में सीमांकन हेतु आबंटित राशि एवं बाउंडरी पिलरों का विवरण

वर्ष	बाउंडरी पिलरों की संख्या	आबंटित राशि (लाखों में)
2008-09	265	2.65
2009-10	100	1.20
2010-11	50	0.60
2011-12	200	2.80